लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

(खंड 17 में अंक 18 से 23 हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 24 जुलाई, 1997/2 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
160	18	बेनी प्रसाद वर्मा	श्री बेनी प्रसाद वर्मा
185	12	श्री मोहन रालवे	श्री मोहन रावले
200	4	डा॰ बल्लभ भाई कथीरिया	डा० वल्लभ भाई कथीरिया
240	नीचे से 9	श्री वीरन्द्र प्रसाद वैश्य	श्री वीरेन्द्र प्रसाद बैश्य
266	नीचे से 8	श्री रूप चंद मुर्डू	श्री रूप चंद मुर्मु
283	19	श्री प्रभुदयाल कठोरिया	श्री प्रभुदयाल कठेरिया
316	14	(ख)	(ग)
367	2	कुमारी उमा भारतीय	कुमारी उमा भारती
414	20	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
420	नीचे से 6	श्री नितिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
430	18	श्री तारीक अनवर	श्री तारिक अनवर
431	18		
432	15		

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 2, गुरुवार, 24 जुलाई, 1997/2 श्रावण, 1919 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	21, 22 और 24 से 26	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	23 और 27 से 40	22-53
अतारांकित प्रश्न संख्या	215 से 444	54-344
स्थगन प्रस्ताव		
बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न हुई गंभीर सिथति		344-357
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		404
श्री इन्द्र कुमार गुजराल		421
श्री तारिक अनवर		430-444
सभा पटल पर रखे गए पत्र		357-358
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		358-359
रेल सम्बन्धी स्थायी समिति		
सातवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*		359
परिवहन और पर्यटन सम्बन्धी स्थायी समिति		
उनतीसवां प्रतिवेदन – *सभा पटल पर रखा गया*		359-361
याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण		361
समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव		
(एक)	लोक लेखा समिति	361
(दो)	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूअनंतपुरम	367-369
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता डा० सत्यनारायण जटिया	369
(दो)	उत्तर प्रदेश में बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता डा० राम विलास वेदान्ती	369
(तीन)	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के लिए अनाज का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता डा० कृपासिन्धु भोई	370

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(चार) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली निगरानी समितियों का शीघ्र गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री बृज भूषण तिवारी 370

(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 371

(छः) न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री डी०पी० यादव 372

(सात) पश्चिम बंगाल में सुन्दर बन क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 372

(आठ) राजस्थान के चुरू जिले के दुधवाखारा में कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुडानिया 373

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० चिदम्बरम 374-377

श्री थावर चन्द गेहलोत 377-384

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 384-389

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह 389-390

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद 390-392

श्री गिरधारी लाल भार्गव 392-395

प्रो० रासा सिंह रावत 395-401

श्री बसुदेव आचार्य 401-403

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत* 403

लोक सभा

गुरूवार, 24 जुलाई, 1997/2 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन

+

*21. **श्री सत्यदेव सिंह :**
जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता की वार्षिक दर का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन की दर जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप है;

(ग) क्या विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान वार्षिक उत्पादन दर में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान वार्षिक उत्पादन दर में वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि की औसत वार्षिक दर क्रमशः 9.9 प्रतिशत एवं 4.8 प्रतिशत थी। सातवीं एवं आटवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आबादी अभिवृद्धि की औसत वार्षिक दर क्रमशः 2.4 प्रतिशत और 2 प्रतिशत थी ।

(ग) और (घ) 1995-96 और 1996-97 के दौरान विद्युत उत्पादन क्रमशः 380 बिलियन यूनिट और 394.5 बिलियन यूनिट था। 1995-96 में विद्युत उत्पादन में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि 1996-97 के दौरान विद्युत उत्पादन की वृद्धि की दर घटकर 3.8 प्रतिशत रह गई है। 1996-97 में विद्युत उत्पादन की वृद्धि की दर गिरने का प्रमुख कारण कम क्षमता जोड़ी जानी, कम जल विद्युत उत्पादन होना रहा है। इसकी आंशिक रूप से पूर्ति ताप विद्युत उत्पादन में बेहतर संयंत्र भार अनुपात के द्वारा अधिक विद्युत उत्पादन करके की जा सकी।

(ङ) चालू वर्ष (1997-98) के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 429 बिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है जोकि गत वर्ष (1996-97) के दौरान प्राप्त किए गए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की अपेक्षा 8.7 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। 1997-98 के प्रथम तीन महीनों में विद्युत उत्पादन की वृद्धि की दर निम्नवत् रही है :-

क्र०सं०	महीना	वृद्धि की दर (%)
1.	अप्रैल, 97 अप्रैल, 96	(–) 8.0
2.	मई, 97 मई, 96	(+) 2.8
3.	जून, 97 जून, 96	(+) 8.2

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा यह प्रश्न राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है। विद्युत उत्पादन में कमी के कारण न केवल अंधकार है बल्कि आर्थिक जगत में भी अंधकार बढ़ रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए ऊर्जा का सतत् उत्पादन और उसमें बढ़ोत्तरी बहुत आवश्यक है। पिछले अनेक वर्षों से हम यह देख रहे हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना से जब हम आठवीं पंचवर्षीय योजना में आये तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि विश्व का एवरेज पावर कन्जम्पशन 22 से 50 किलोवाट ऑवर्स है जबकि हमारे देश में यह पर कैपिटा 380 किलोवाट ऑवर्स हैं यह तस्वीर भारत में बिजली उत्पादन के बारे में आती है।

माननवर, पिछले दिनों जब 20 दिसम्बर को नार्दन ग्रिड फेल हुआ था, तो वह बिजली की अत्यधिक कमी के कारण हुआ था जिसके कारण देश के सात राज्य, जिसमें दिल्ली भी था, प्रभावित हुए थे। माननीय विद्युत मंत्री जी को यह पता ही होगा कि हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य आपने रखा था, वह 48 हजार मेगावाट था। बाद में इसको आपने सीमित संसाधनों के कारण या अन्य जो भी कारण रहे होंगे, उसको घटाकर 30,538 मेगावाट किया। लेकिन आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया, वह कुल 18 हजार मेगावाट था। यह स्थिति आज बहुत ही भयावह है। वर्तमान में ऊर्जा की कमी आपके आंकड़ों के अनुसार सात प्रतिशत हैं पीकिंग ऑवर्स की कमी 16 प्रतिशत है। प्लांट लोड फैक्टर हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज एवरेज में हम 61 ओर 62 के बीच में रह गये हैं। अगर एक प्रतिशत भी प्लांट लोड फैक्टर बढ़ जाये तो लगभग 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन

की क्षमता इन्हीं स्थापित संयंत्रों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है जिसकी कीमत लगभग तीन हजार करोड़ आती है। ट्रांसमिशन में जो लाइन लॉसेस है, वह भी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने देश में है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न बहुत लम्बा हो रहा है।

श्री सत्यदेव सिंह : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका महत्व जानता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत्यदेव सिंह : वास्तव में, मैं इसकी सराहना करता हूं। बिजली की स्थिति शोचनीय है और इसलिए मुझे कुछ मुद्दों पर बोलने की अनुमति प्रदान करें।

[हिन्दी]

आपकी जो लाइन लॉसेस है, वह 20.85 प्रतिशत है। माननीय मंत्री जी इन सबसे परिचित हैं। सवाल यह है कि 15 इलैक्ट्रिक पावर सर्वे कमेटी की रिपोर्ट ने 2001-2002 में 95,757 मेगावाट के उत्पादन का लक्ष्य रखा था। यह आपकी कमेटी है। इसको प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं, मैं नहीं जानना चाहता हूं। मेरा आपसे यह सवाल है कि आप यह बताने की कृपा करें कि विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए इस देश में जो वर्तमान संयंत्र हैं, पावर हाउसेज हैं और विशेष रूप से थर्मल पावर हाउस है, उसका प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया है ? यह तथ्य स्वीकृत है कि वर्तमान प्लांट का रेनोवेशन और मार्डनाईजेशन करें तो यह सस्ता भी है और जल्दी भी होने वाला है। इनके लिए और तथा कम क्षमता के विद्युत केन्द्र, विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का क्या प्रयोजन है ? सरकार के पास कोई योजना है क्योंकि अतिरिक्त पूंजी जुटाने से पहले इन सीमित संसाधनों के अन्तर्गत अपनी एफीशेंसी बढ़ाकर इन कामों को करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

मेरे प्रश्न का "ख" भाग यह है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए यूनिट का सृजन करने के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता है। आगामी वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाने के लिए निजी क्षेत्र में और विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने के लिए वर्तमान में जो आपकी कार्य योजना रही है, वह सफल नहीं हो पाई। क्या सरकार विदेशी और निजी क्षेत्र की पूंजी को विद्युत उत्पादन में लगाने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री योगेन्द्र के० अलघ : मैं माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से कि इस समय ऊर्जा की स्थिति चिंताजनक है, पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने शार्ट रन में मुझसे सीधा सवाल यह पूछा है कि इस साल आप क्या करना चाहते हैं। पहली बात हम यह कर रहे हैं कि इनडिविजुअल लैवल पर जिन यूनिट्स में प्लांट लोड फैक्टर पिछले महीनों से या पिछले साल से कम है, वहां सैंट्रल इलैक्ट्रीसिटी अथॉरिटी के इंजीनियर्स को इस संदेश के साथ भेज रहे हैं कि यदि भारत सरकार द्वारा कोई तकनीकी मदद दी जा सकती है और साधनों की जरूरत है—क्योंकि माननीय सदस्य को याद होगा कि इस साल बजट के बाद पावर मिनिस्ट्री को 900 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं—तो उसमें से हम कुछ साधन इसके लिए रखना चाहते हैं। यदि किसी राज्य में शार्ट रन में प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए कुछ साधन चाहिए तो वह हमने पावर फाईनेंस कार्पोरेशन को दिए हैं और उसे हम इनडिविजुअल स्तर पर मोनीटर करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री आनन्द रत्न मौर्य : बिजली की बढ़ोत्तरी के लिए आप इस मद में कितना पैसा रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसे नहीं पूछ सकते हैं।

श्री योगेन्द्र के० अलघ : आप मुझे पहले माननीय सदस्य के सवाल का जवाब देने दें, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने उनको सवाल पूछने के लिए ऐलाऊ नहीं किया है।

श्री योगेन्द्र के० अलघ : रिनोवैशन और मौडनाईजेशन के लिए हमने इस पैसे में से 200 करोड़ रुपये के इनटरस्ट के लिए इसलिए सबसिडी रखी है। फिर हम इनडिविजुअल प्लांट लैवल पर एक योजना तैयार कर रहे हैं जिससे यदि तकनीकी जरूरत चाहिए तो वह बी०एच०ई०एल०, एन०टी०पी०सी० देगी या और भी ऐसी कम्पनियां हैं जो देना चाहती हैं। यदि साधन हैं तो 200 करोड़ रुपये की इनटरेस्ट सबसिडी से 1700-1800 करोड़ रुपये रिनोवेशन और मौडनाईजेशन में खर्चे जा सकते हैं जो डेढ़-दो हजार मैगावाट प्रतिवर्ष उत्पादन बढ़ा सकता है।

तीसरा, इस किस्म की योजनाएं जिनका जल्दी-जल्दी फायदा मिल सकता है, जैसे मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एक उद्यमी जो कर्नाटक में 400 मेगावाट का विंड पावर का प्लांट लगाना चाहते हैं और हम विंड पावर की कैपेसिटी जल्दी-जल्दी बढ़ा सकते हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं। उनकी समस्याएं जैसे बैंक गारंटी देना और उनको लोन के साथ फिक्स करना, आदि देख रहे हैं।

चौथा, सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक लघु, एक तो मिनी हाईडल प्रोजैक्ट्स होते हैं जिन्हें मेरे सहयोगी मंत्री कैप्टन निषाद देखते हैं, लेकिन कई ऐसे छोटे प्रोजैक्ट्स 6400 मैगावाट के हैं जिनमें कैनाल के स्तर पर, यदि एक कैनाल के रेगुलेटर पर आप एक मशीन लगा दें तो बाकी को रैप्लीकेट कर सकते हैं, वह भी साल-दो साल में, वे इनडिविजुअल प्रोजैक्ट्स जो सी.ई.ए. ने आईडैनटीफाई किए हैं, मैं चीफ मिनिस्टर्स को लिख रहा हूं और पावर सैक्रेटरीज चीफ सैक्रेटरी और पावर सैक्रेटरीज को कह रहे हैं। अब जून में काफी महीनों के बाद पहली बार आठ प्रतिशत हमारा ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा, क्योंकि उसके पहले पिछले साल 3.8 प्रतिशत था, अप्रैल में घट गया था,

मई में थोड़ा बढ़ा और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हमारा जो इस साल का लक्ष्य है, उसको हम एचीव करें।

दूसरा माननीय सदस्य ने सवाल पूछा कि प्राइवेट सैक्टर के प्रोजैक्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हैं। एक उसमें हम यह कर रहे हैं और प्रधान मंत्री जी ने भी पावर मंत्रालय को निर्देश दिया है कि 1-1 प्रोजैक्ट में जो निश्चय लेने हैं, उसमें हम एक डैडलाइन पर्ट चार्ट बना रहे हैं, क्योंकि कोयले की समस्या है, फाइनेंशियल क्लोजर की समस्या है। उसके लिए मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो काउंटर गारण्टी प्रोजैक्ट्स हैं या जो मैगा प्रोजैक्ट्स हैं, उनको हम इस साल एप्रूव कर पायेंगे, तब जो नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्राइवेट सैक्टर का इन्वैस्टमेंट होना चाहिए, उसकी बेसिक ज्यादातर एप्रूवल इसी साल का करने पड़ेंगे, क्योंकि इन प्रोजैक्ट्स को कम से कम तीन-चार साल लग जाते हैं और कइयों में पांच साल लगते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : धन्यवाद, मंत्री जी, आपने लगभग सभी बिन्दुओं का उत्तर दिया है।

अब मेरे पूरक प्रश्न दो का 'क' भाग है कि अपने देश में अधिकांश ट्रांसमीशन लासेज हैं। हम ट्रांसमिशन लासेज के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं और ट्रांसमिशन को अलग से करने की भी हम व्यवस्था सोच रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में अधिकांश ट्रांसमिशन लाइंस 400 के०वी० के हैं और वे सब ए०सी० हैं। एक प्रयोग के रूप में आपने 400 किलोवाट की डी०सी० लाइन इस देश में बिछाई। विदेशों में और विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में ये 60 से 65 किलोवाट की डी०सी० लाइन और 10 से 65 किलोवाट की ए०सी० ट्रांसमिशन लाइंस का प्रयोग बहुत सफलता से किया गया है। एक अनुमान है कि भारत में अगर इस प्रकार की लाइनें डाली जायें तो लगभग 9000 मैगावाट की जो छीजन होती है, ट्रांसमिशन में लासेज होते हैं, उनको हम रोक सकेंगे।

क्या माननीय मंत्री जी इसपर विचार करेंगे कि इस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइंस हायर किलोवाट की इस देश में डालकर ट्रांसमिशन लासेज को कण्ट्रोल करने के लिए हम कोई उपाय या कार्ययोजना बनाने का विचार माननीय मंत्री जी के मन में है ?

दूसरा मेरा इसी का 'ख' भाग है कि इस देश के अन्दर ऊर्जा का जो डिमाण्ड का प्रोजैक्शन है, विशेष रूप से विद्युत डिमाण्ड का, वह बहुत ज्यादा आता है और वास्तविक मांग कम होती है। कई यूनिट्स ऐसी हैं, जो तीन शिफ्ट की बताकर चलाते एक ही शिफ्ट हैं तो क्या कभी सरकार के मन में इस बात की भी कोई कार्ययोजना है, कोई आप सोचते हैं कि इस देश के अन्दर एक्चुअल डिमाण्ड कितनी है, इसके बारे में कुछ पता लगाएंगे, ताकि हम भविष्य में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता की वृद्धि के लिए उसी प्रकार के उपाय कर सकें ?

श्री योगेन्द्र के० अलघ : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पावर ग्रिड की जो 3878 सर्किट किलोमीटर की एच०वी०डी०सी० टार्गेट हैं, परसों एक मीटिंग में जब योजना आयोग की इस बात पर मीटिंग हुई थी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया था कि विद्युत पूर्णरूप से वित्त पोषित क्षेत्र होगा। और फिर कुछ दिन पहले जब यह सवाल कुछ उद्योग-पतियों के साथ आया तो फिर मैंने यह कहा कि यह कहना कि पावर सैक्टर पैसा एब्जोर्ब नहीं कर सकता, यह बड़ी गलत बात है, क्योंकि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत प्रोजैक्ट्स शुरू नहीं किये तो इस समय थोड़े प्रोजैक्ट्स की कमी है, लेकिन इस साल हम बहुत सारे प्रोजैक्ट्स शुरू करना चाहते हैं। पूरा अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जो एन०टी०पी०सी० की योजना है या एच०वी०डी०सी० की योजना है, वह मैं उनको सैपरेटली दे दूंगा, क्योंकि उनको दोहराने में समय जाया होगा। लेकिन अब जैसे कुछ पावर प्लाण्ट्स तो हमने पिछले एक महीने में एन०टी०पी०सी० के एप्रूव कर दिया हैं और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि विद्युत पूर्णरूप से वित्त पोषित क्षेत्र होगा का मतलब यह है कि हमारी जो सैण्ट्रल की, पब्लिक सैक्टर की यूटिलिटीफ हैं, उनको भी इक्विटी मिलेगी, जिससे कि वे और साधन बैंकिंग क्षेत्र से या राज्य सरकारों से या निजी क्षेत्र से एब्जोर्ब करके एक फुल्ली फंडेड प्लान बना सकें। मुझे उम्मीद है कि अब जो हमारे टार्गेट्स आयेंगे, उनमें हम इस लक्ष्य को पाने का बड़े सीधे तरीके से प्रयत्न कर पायेंगे। उनका यह सवाल है कि ऊर्जा का डेफिसिट है, क्योंकि ऊर्जा की शॉर्टेज की सिचुएशन में कई लोगों की मांग नहीं होती, यह एक पेचीदा सवाल है। लेकिन हमने एक विशेषज्ञ समिति बनाई है जिसके अंदर भारत के अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ हैं, उसमें मैं इस सवाल का विस्तृत अध्ययन कराऊंगा।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन कम होने का कारण पन-विद्युत उत्पादन में कमी बताया गया था। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि पन-विद्युत उत्पादन में कमी के क्या कारण है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या पन-विद्युत उत्पादन के बढ़ने की संभावनाएं हैं। यदि हां, तो पन-विद्युत उत्पादन क्षमता को पूर्ण सहयोग न करने के क्या कारण है ? सरकार ने देश में पन-विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री योगेन्द्र के० अलघ : महोदय कुछ बड़े-बड़े बांधों में पानी का अल्प अंतर्वाह गत वर्ष विद्युत उत्पादन में कमी के आधारभूत कारण थे। अब हम यह कर रहे हैं, जो मेरे विचार से अधिक महत्वपूर्ण बात है कि ऊर्जा मंत्रालय को प्रदत्त धनराशि में से हम सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माणाधीन पन-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि निर्मुक्त कर रहे हैं। मैं परियोजनाओं-स्तर के ब्यौरे में पड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय पन विद्युत निगम से इस वर्ष 450 करोड़ रुपये अधिक दिये गए हैं ताकि यह निर्माणाधीन परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जा सके। कुछ परियोजनाओं में जिनमें रिक्तीकरण इवेन्यूअन की कुछ समस्याएं है वहां पूरे तकनीकी ब्यौरे पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि ग्रिड के साथ अच्छा समन्वय स्थापित हो। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि जून माह के दौरान हमारे इंजीनियर आठ प्रतिशत विकास की दर प्राप्त करने में सक्षम रहे जो हमारे लक्ष्य के नजदीक है। हम उन्हें बधाई दें और इस वर्ष यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्थन

भी दें। हम उन इकाईयों को समर्थन देने का पूरा इरादा रखते है जो अधिक लाभ देने वाली बन सकती है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा अपनाई गई कम अवधि में तैयार होने वाली तथा तरल ईंधन पर आधारित 10,000 से 12,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली परियोजनाओं की नीति का स्वागत करता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है क्योंकि इस प्रस्ताव के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए नापथा और अन्य तरल ईंधन का भारी मात्रा में आयात करेगा।

दूसरा यदि उन्होंने सहमति दे दी है तो इस पत्तन (पोर्ट) क्षमता का क्या होगा ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत के पत्तन कच्चे तेल और अन्य तरल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में लदान उतराई के कार्य के अतिरिक्त तरल नौभार के लदान तथा उतारने का काम कर सकते हैं ?

राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्थल रूद्ध राज्यों के मामले में तरल ईंधन के आधार पर कुछ क्षमता-वृद्धि निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में मैं, जानना चाहूंगा कि क्या किसी पाइप लाइन की आवश्यकता पर होगी परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए परिवहन की क्या व्यवस्था की गई है ?

तीसरे यदि तरल ईंधन पर आधारित इन परियोजनाओं की स्थापना की जाती है, तो प्रशुल्क और उत्पादन की लागत पर क्या प्रभाव होगा ?

श्री योगेन्द्र के० अलघ : तरल ईंधन प्रधानतः नेपथा, का आवंटन 12,000 मेगावाट था जो कि सरकार की घोषणा थी और जिस पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहमत हो गया था उसे विद्यमान सुविधाओं के साथ सुनियोजित आयात भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस अर्थ में माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं को इस नापथा की आपूर्ति करने हेतु हमें बुनियादी ढांचे में वर्तमान आपूर्ति स्थलों निवेश की अपेक्षा निवेश की ओर अधिक आवश्यकता है। अब तक की स्थिति यह है कि दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में 12,000 मेगावाट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, दो राज्यों में, अनुमोदन दिया जा चुका है और परियोजना-स्तरीय विवरण मांगा गया है। यह हो जायेगा।

अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि स्वतंत्र विद्युत उत्पाद प्रति मेगावाट कुछ धन अदा करे ताकि वह धन जिसे बाद में मूल्य में समायोजित किया जा सके उसे निम्न स्तर पर बुनियादी ढांचे को पूरा करने हेतु में प्रयुक्त किया जाए। माननीय सदस्य एक विद्वान व्यक्ति है और उन्हें ज्ञात है कि नापथा आधारित विद्युत खर्चीली विद्युत है। लेकिन गत वर्ष योजना आयोग ने एक अध्ययन किया था—मुझे याद है कि जब मैं योजना मंत्री था—यह अध्ययन किया गया था, जिसमें कहा गया है कि अगले दो वर्षों में ईंधन की कमी होगी। इस मंहगी विद्युत में भी निवेश करना आर्थिक रूप से लाभप्रद है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद मैं जानता हूं कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सत्र के दौरान नौवीं योजना के दस्तावेज पर चर्चा होगी। मेरे मतानुसार इस पर उस समय बल और महत्व दिया जाना चाहिए और माननीय सदस्य इसमें भाग लें।

राज्यों में स्थानीय निकायों का कार्यकरण

*22. **श्री एन० डेनिस** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में स्थानीय निकायों के कार्यकरण की जांच की जाती है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इनके कार्यकरण की जांच करने और इसमें खामियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) जी, हां। समय-समय पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संबंधित पंचायती राज मंत्रियों और सचिवों की बैठक में देश की पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में पंचायत मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। पंचायती राज प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कई सुझाव दिए गए हैं।

श्री एन० डेनिस : महोदय स्थानीय निकाय प्रशासन के विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में और निचले स्तर पर लोगों को अधिकार देने में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार न देने के कारण स्थानीय निकाय अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विषय सूची के साथ संविधान में स्थानीय निकायों के तीन स्तरों पर शक्ति की सीमा बांधना कर दिया जाये, जैसे कि तीन सूचियों के द्वारा राज्य और केन्द्र के मामले में किया गया है, ऐसा करने से राज्य सरकारों पर स्थानीय निकायों की निर्भरता कम होगी।

इसलिए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये है ? माननीय मंजी जी ने कहा है कि स्थानीय निकायों के प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकारों को कुछ सुझाव दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि ये सुझाव और निर्देश प्रभावी हैं, और इस मामले में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 संघीय प्रजातांत्रिक ढांचे में एक नये युग का परिचालक है। उस संशोधन के आधार पर पंचायती

राज संस्थान स्थापित किये गये और चुनाव भी कराये गयें। देश भर में हमने प्रजातांत्रिक और सहभागी सरकारों के लिए एक मजबूत नींव रखी हैं। उस आधार पर राज्यों से निम्नलिखित विषयों पर अधिकार संपन्न करने का अनुरोध किया गया है :

शक्तियों का बंटवारा—कार्यात्मक, वित्तीय और प्रचालन संबंधी, पंचायती राज संस्थानों के लिए स्वायत्ता, उनके कार्यकरण में पारदर्शिता ग्राम सभाओं को शक्तियां प्रदान करना, जिला योजना समितियों का गठन, चुनाव कराना, प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को तीन स्तरीय पंचायत राज प्रणाली द्वारा 29 विषयों का हस्तान्तरण किया गया था। शक्ति के और अधिक बंटवारे और अधिकार दिये जाने, वित्तीय और अन्य मामलों के सम्बन्ध में हमने पंचायती राज मंत्रियों की बैठके सितम्बर, 1995 में दो बार और अक्तूबर, 1996 में एक बार अर्थाती कुल तीन बार आयोजित की।

अभी हाल ही में सात राज्यों, अर्थात महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडू के पंचायतों तथा जिला परिषदों के अध्यक्षों की एक बैठक 21.6.97 को हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान में हुई। ग्रामीण विकास के सचिव भी शक्तियों, वित्त आदि के हस्तांतरण के प्रश्न पर राज्य पंचायतीराज सचिवों की प्रायः बैठकें बुलाते रहते है। ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों के सुझावों तथा पंचायती राज्य मंत्रियों की गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों को आधार बना कर प्रधानमंत्री की ओर से तथा हमारी ओर से मुख्यमंत्रियों को लगातार पत्र भेजे जाते हैं। स्वशासन के लिए वित्त का अन्तरण हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं।

श्री एन० डेनिस : शक्तियों का प्रत्यायोजना, कार्यों तथा वित्तीय नियंत्रण अभी भी राज्य सरकारों के पास हैं। अतः स्थानीय निकाय अपर्याप्त निधियों के कारण प्रशासनिक कठिनाईयों का भी सामना कर रहे हैं। नौकरशाही भी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ शक्तियों को बांटने में सहायक नहीं हो रही है। इसलिए क्या माननीय मंत्री संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के फलस्वरूप लोगों की ऊंची उठी आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने में आने वाली इन रुकावटों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देंगे ?

श्री किंजारप्पू येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, हम स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाना चाहते है इसीलिए हम दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर वे 4900 करोड़ रुपए स्थानीय निकायों के लिए रख रहे है। सभी राज्य सरकारों ने राज्य वित्त आयोगों का गठन कर दिया है जिसका वित्त पोषण राज्य संचित निधि से किया जाएगा। कुछ राज्य स्थानीय निकायों को वित्त प्रदान करना चाहते हैं। अब तक असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल तथा पंजाब ने अपने अपने राज्य में वित्त आयोग का गठन कर लिया है। वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्टें राज्य सरकारों को पेश कर दी है और राज्य सरकारों ने सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है और वे ग्राम पंचायतों को वित्त का अन्तरण कर रहे हैं। वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को पेश की गई रिपोर्टें निम्नलिखित राज्यों में विचाराधीन है। वे राज्य हैं—आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह। कुछ राज्य सरकारों को वित्त आयोग की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। ये राज्य है :- हरियाणा, गोवा, गुजरात, उड़ीसा और चण्डीगढ़। अतः प्रधान मंत्री ने शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में दो अगस्त को पंचायती राज्य के मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में संवैधानिक समस्याओं पर तथा क्या कार्यान्वित हो रहा है और क्या नहीं, इस की नवीनतम स्थिति पर विचार-विर्मश हो सकेगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : संविधान के अर्न्तगत एक व्यापक ढाँचा बनाया गया है जो तीन स्तरों—ग्राम पंचायत, नगर पालिका, निगम तालुक तथा जिला परिषद स्तर पर स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाएगा। इन स्थानीय निकायों को निधियां प्रदान करने का प्रावधान भी है। परन्तु तीसरा कदम जो वास्तविक रूप से लिया जाना है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सार है। अब हमें यह पता चल गया है कि स्थानीय निकाय या तो इस स्थिति में नहीं है कि वे लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकें या उनके पास इस सम्बन्ध में कोई अवधारणा ही नहीं है या कोई मशीनरी नहीं है। अतः जहां वह पहले थी वहीं अब भी है। गांव से आबादी शहरो और कस्बें की तरफ पलायन कर रही है। कुछ राज्यों में शहर की कुल जनसंख्या का 25 से 30 प्रतिशत उन लोगों का है जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस गए हैं। अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए आधारभूत योजनान्वयन या अवधारणा का है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर पर शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना या अवधारणा है ? क्या राज्य सरकारों ने शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना बनाई है ? क्या स्थानीय निकाय शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए अथवा गांवो के लोगों को गांवो में ही बनाए रखने के लिए कोई योजना बना रहे हैं, क्योंकि यही समस्या का हल है। आधारभूत व्यापक ढांचे की संरचना करने और निधियां प्रदान करने के बाद भी वास्तविक समस्याओं जैसे पेय जल की आपूर्ति, जल-निकास, आवास, सड़कों के निर्माण और क्षेत्रों के विस्तार के लिए आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक हो जाएगा।

यदि माननीय मंत्री के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है तो वह यह सूचना मुझे उपलब्ध करवा सकते है या बाद में मुझे दे सकते हैं।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : महोदय, सभी सदस्य इस बात से अवगत है कि संविधान में किए गए संशोधन के दो पहलू हैं :- अनिवार्य मामले और सलाहकार मामले। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार समय आने पर चुनाव और जिला योजना समितियों का गठन अनिवार्य मामलों के अर्न्तगत आता है।

राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी कार्यक्रम स्थानीय निकायों द्वारा ही कार्यान्वित

कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, गांवों से शहरों की ओर पलायन से निपटने के लिए जवाहर रोजगार योजना है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह पैसा दूसरे मदों पर खर्च किया जा रहा है।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : मैं इसे दूसरे मदों में नहीं डाल रहा हूं ···*(व्यवधान)* आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लीजिए। मैं इस संबंध में और अन्य सब बातों के बारे में उत्तर दूंगा। इस प्रश्न का सम्बन्ध पंचायतों से है ···*(व्यवधान)*

मैं माननीय सदस्य को अन्य जानकारी भेज दूंगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वायत्तता देने के बावजूद उनकी वित्तीय कठिनाइयां यथावत बनी हुई हैं। जिस वित्तीय आयोग का आपने अभी जिक्र किया है और मध्य प्रदेश का भी उल्लेख किया, तो मेरा कहना यह है कि अनेक राज्य ऐसे हैं जिनमें वित्तीय आयोग की सिफारिशें आने के बाद भी अभी तक उसके बारे में कोई प्रगति नही हुई है। इसी कारण सारी स्वायत्तशासी संस्थाएं वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। कई बार तो सांसदों को संसदीय रीति से कार्य करवाने में या विधायकों को विधायी रीति से कार्य करवाने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति मैं आपकी तरफ से क्या कोई निर्देश जाएगा, ताकि वित्तीय कठिनाइयां उनकी हल हो सके और इस दिशा में वे सक्षम हो सकें।

[अनुवाद]

श्री किंजारप्पू येरननायडू : मैंने दो बार मध्य प्रदेश का दौरा किया है। अन्य राज्यों के मुकाबले वहां पर अच्छा काम हो रहा है। हम ग्राम पंचायतों को बहुत सी शक्तियां हस्तांतरित कर रहे है। हमने वित्त आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू कर दी हैं।

इस संबंध में अन्य राज्यों से प्राप्त सूचना का जहां तक सम्बन्ध है तो वहां भी हमारी स्थिति अच्छी है। ···*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : खातों की कोई लेखा परीक्षा नहीं होती ···*(व्यवधान)* हम इस पर विशेष चर्चा चाहते हैं।

श्री किंजारप्पू येरननायडू : यह एक अलग प्रश्न है ···*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : सारी चीज को ही बदल दिया गया है ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। अब प्रश्न संख्या 23 श्री सुरेश कलमाड़ी यहां नहीं है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। मंत्री जी आपकी चिन्ता से अवगत हो गए हैं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात को नोट कर लिया है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री राजेश पायलट : महोदय, आज की प्रश्न सूची में प्रश्न सं० 32 और 37 इसी से संबंधित है। अतः इन दोनों प्रश्नों को एक साथ ले सकते है। यदि आप इन दोनों प्रश्नों को जोड़ दें तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका उल्लेख पहले करना चाहिए था। अब देर हो गई है। मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूं। इस समय अगर हम प्रश्न सं० 32 पर पहुंच जाते हैं तो मैं इस प्रश्न सं० 37 के साथ जोड़ दूंगा। इसलिए अब आप संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आप समय बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते जिससे हम प्रश्न सं० 32 तक पहुंच सके ? मैं प्रश्न सं० 32 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं आप मुझे प्रश्न संख्या 32 तक पहुंचने में मेरी मदद कीजिए।

(व्यवधान)

जर्मनी की दूरसंचार कम्पनियां

*24. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1997 में वित्त मंत्री के जर्मनी दौरे के दौरान जर्मनी को अनेक दूरसंचार कंपनियों ने भारत में मूल दूरसंचार क्षेत्रों के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्री द्वारा इस संबंध में कोई सकारात्मक आश्वासन दिया गया था, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निजीकरण की गति में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जर्मनी का दौरा किया था और मैं उस समय समाचारपत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहता हूं।

"जर्मन दूरसंचार कम्पनियां चाहती थीं कि भारत सरकार आधारभूत दूरसंचार क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करे क्योंकि प्रमुख बोली लगाने वाले सेलुलर और पेजर सेवाओं के लिए बोली लगाने में काफी पिछड़ गए थे।"

यह रिपोर्ट दिनांक 5 जून को अखबार में छपी थी। यह वित्त मंत्री जी के जर्मनी के दौरे के संबंध में थी। कई जर्मन दूरसंचार कम्पनियों ने कहा कि वे काफी पिछड़ गई हैं और इसलिए सेलुलर और अन्य दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण में उन्हें हिस्सा नहीं मिला था और वे दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण पर जोर दे रहे हैं।

क्या हम दूरसंचार क्षेत्र का निजीकरण इसलिए कर रहे हैं कि कुछ विदेशी कंपनियां यह महसूस करती है कि उन्हे पर्याप्त भागीदारी नहीं मिली है। चूंकि वे काफी पिछड़ गई है इसलिए क्या हमें कुछ और क्षेत्र खोलने चाहिए जिससे वे इसमें भागीदारी कर सकें ? क्या यही सरकार की नीति है ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमान, वित्त मंत्रालय से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार जर्मन टेलीकॉम कम्पनी ने वित्त मंत्री के हाल के जर्मनी दौरे के दौरान बुनियादी सेवाओं के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु उनसे सम्पर्क नहीं किया। हमारे देश की जो स्थिति है, उसके हिसाब से जितने सर्किल्स में बिडिंग हुई है, उसमें किसी भी सर्किल में कोई जर्मन कम्पनी भागीदार नहीं रही।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : सरकार कई विदेशी कम्पनियों को हमारे देश में आने और भागीदारी करने की अनुमति दे रही है। इसी प्रकार, क्या यह सरकार की नीति है कि आदान-प्रदान आधार पर, द्विपक्षीय रूप से, मूल रूप से भारत की कम्पनियों को भी संबंधित देशों में दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी ? उदाहरण के लिए, अमेरिकन कम्पनियों को इसकी अनुमति दी गई है; फ्रांसीसी कम्पनियों को इसकी अनुमति दे दी गई है; स्वीस कम्पनियां भी आ गई हैं। इसी प्रकार क्या भारत सरकार भी भारतीय कम्पनियों को उन देशों में प्रवेश की अनुमति देने पर बल देगी ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन, टेलीकॉम की भारत सरकार ने जो नीति अपनायी है, उसमें खास तौर से टेलीकॉम की बुनियादी सेवाओं में 49 परसैंट विदेशी भागीदारी होगी और 51 परसैंट देशी कम्पनियों की भागीदारी होगी। किसी देश की कम्पनी हमारे यहां आ सकती है और हम भी कहीं जा सकते हैं। जहां उदारीकरण की नीति अपनायी गई है, वहां किसी देश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ प्रतिबंध यह है कि इंडियन कम्पनियों की 51 परसैंट इक्विटी होगी और फॉरेन कम्पनियों की 49 परसैंट इक्विटी होगी।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार दूर संचार के क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी ला रही है लेकिन अब तक इस देश में दूर संचार के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले जो राष्ट्रीय उपक्रम रहे हैं, चाहे आई०टी०आई० हो या विदेश संचार सेवा निगम हो, क्या इनको विदेशी कम्पनियां मुद्रा निविदा देती है या इनसे निविदा मांगी जाती है या नहीं ? इसके साथ-साथ आई०टी०आई० जैसे राष्ट्रीय उपक्रमों ने दूर संचार के क्षेत्र में सारे देश में एक आधारभूत ढांचा खड़ा करके सेवा प्रदान की है, उनको प्रोत्साहन न देकर विदेशी कम्पनियों को मुनाफा कमाने के लिये यहां लाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूर संचार कितना कार्य कर रहा है, क्या उन पर दबाव रहेगा या 10 प्रतिशत देकर भारतीय दूर संचार विभाग के भरोसे छोड़ दिया है, क्या यह उचित रहेगा ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय राष्ट्रीय उपक्रमों को पूर्ववत् प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा या ग्रामीण क्षेत्रों को केवल 10 प्रतिशत देकर वे मक्खन खायेंगे और विदेश संचार सेवा निगम या डी०ओ०टी० केवल छाछ ही पीयेंगे, क्या यह युक्तिसंगत कहा जा सकता है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस साल आई०टी०आई० को काफी वित्तीय सहायता दी गई है और आगे भी कुछ रिलीफ देने जा रहे हैं जो विचाराधीन है। उनको हर तरफ से प्रोत्साहन दिया जायेगा। आपने जिन बुनियादी सुविधाओं के बारे में प्रश्न किया है, उस संबंध में भारत सरकार ने जो पहले नीति अपनाई हुई है, उस पर अमल किया जायेगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष जी, वह कौन सी नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, बस हो गया।

[अनुवाद]

"सेल" में वित्तीय संकट

+

*25. **श्री बसुदेव आचार्य** :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को बिक्री में गिरावट के कारण घाटा हो रहा है तथा यह वित्तीय संकट की ओर अग्रसर हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और गत दो वर्षों की तुलना में लाभ में कितनी गिरावट आई है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ऊपरि खर्चों और परिचालन लागत को नियंत्रित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्य निष्पादन के वर्तमान रूझान से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जारी 100 मिलियन डालर के येंकी बांडों और अन्य वित्तीय ऋण कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में हो रहे घाटे को रोकने और इसके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (छ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (छ) 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान बिक्री की मात्रा में लगभग 3.4 प्रतिशत की कमी आई जबकि 1997-98 की प्रथम तिमाही के दौरान 1996-97 की इसी तिमाही की तुलना में बिक्री की मात्रा में लगभग 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि पिछला वर्ष इस्पात उद्योग के लिए कठिन वर्ष था, फिर भी सेल ने लाभ अर्जित किया। पिछले तीन वर्षों से संबंधित लाभ का ब्यौरा (कर-पूर्व) नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए)

1994-95	1995-96	1996-97
1163	1319	602*

*सी०ए०जी० लेखा परीक्षा की शर्त पर

बिक्री में गिरावट के मुख्य कारणों में इस्पात की मांग में मन्दी, कम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण आयात में कड़ी प्रतिस्पर्धा जो सीमा शुल्क में और अधिक कमी करने से और बढ़ गई तथा इसके साथ-साथ घरेलू बाजार में सप्लाई में वृद्धि होना भी शामिल है। जबकि लाभ में कमी के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कोयला मूल्य, पेट्रोलियम मूल्य, रेल भाड़े, विद्युत टैरिफ विशेष सीमा शुल्क आदि में वृद्धि आदि कारण शामिल हैं। इनका प्रभाव लगभग 1000 करोड़ रुपए था जबकि प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करके इस प्रभाव के एक हिस्से को ही दूर किया जा सका।

इस्पात मंत्रालय 'सेल' के निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करता है और लागत नियन्त्रण सहित उन क्षेत्रों जिनमें सुधार की आवश्यकता है, पर बल दिया जाता है।

'सेल' मूलभूत रूप से एक सुदृढ़ कम्पनी बनी रहेगी और 1000 लाख अमरीकी डालर के प्रस्तावित यांकी बाण्ड इश्यू और अन्य ऋण वित्त कार्यक्रमों से सेल पर इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

'सेल' अपने निष्पादन और बिक्री में सुधार करके सतत् आधार पर कदम उठा रहा है। इन कदमों में अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, तकनीकी-आर्थिक घटकों में सुधार अर्थात कोक दर, ऊर्जा खपत एवं धात्विक आदान में कमी करना, उत्पादन में सुधार करना, सघन ग्राहक सम्पर्क, बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिश्र, गुणता में सुधार, ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध, सेवा एवं ग्राहक सन्तुष्टि में नेतृत्व, प्रवालन लागतों का कड़ा नियन्त्रण और प्रबोधन, उच्च उत्पादकता और फील्ड अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता देना आदि शामिल हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, भारतीय इस्पात प्राधिकरण को पिछले वर्ष पहली बार उत्पादन और वित्तीय कार्य निष्पादन दोनों ही दृष्टि से संकट का सामना करना पड़ा था। मंत्री महोदय ने भी अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि कम्पनी का लाभ 1319 करोड़ से घटकर मात्र 602 करोड़ रुपए रह गया है। लाभ में कमी के साथ-साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण के विभिन्न संयंत्रों के उत्पादन में भी, गिरावट आयी है। चालू वर्ष में भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मंत्रीजी ने कहा है कि इस्पात के बिक्री में तो चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है किंतु भारतीय इस्पात प्राधिकरण के विभिन्न संयंत्रों के उत्पादन में गिरावट आयी है।

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक बड़ा उपक्रम है, के लाभ में गिरावट क्यों आयी ? भिलाई और बोकारो स्थित इसकी दो घमन भट्टियों में से एक को बंद कर दिया गया है। पिछले वर्ष विशेषकर ऐसा क्या हुआ जिससे ये स्थिति उत्पन्न हो गई और जो अभी भी जारी है ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : भारतीय इस्पात प्राधिकरण के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लाभ में पिछले वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की कमी हुई लेकिन मैं माननीय सदस्य के इस तथ्य से सहमत नहीं हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण में पहली बार ऐसा वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है।

ऐसा नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण एक लाभ कमाने वाली कम्पनी है। विगत दस वर्षों से यह लगातार लाभ अर्जित करती रही है। विगत पिछले दो वर्षों को छोड़कर, जब इस्पात के खपत में काफी तेजी थी, वर्ष 1996-97 के दौरान, शेष सभी वर्षों की तुलना में, सबसे अधिक लाभ अर्जित किया गया है।

देश की आर्थिक और औद्योगिक विकास पर इस्पात की मांग निर्भर करती है। पिछले वर्ष इस्पात के उत्पादन में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत मात्र 4.5 प्रतिशत थी। अतः, मांग और पूर्ति के बीच मूल अंतर है। इसकी पूर्ति मांग से ज्यादा थी और इसलिए वस्तु सूची बढ़ती जा रही थी और बाजार आधिक्य के फलस्वरूप लाभ में गिरावट आयी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में ही कमी नहीं आयी बल्कि हमारे देश की टिस्को, एसार और लायड जैसे सभी प्रमुख इस्पात प्रसंस्करण उद्योगों के लाभ में भी पिछले वर्ष गिरावट आयी। युरोप के देशो में भी गत वर्ष इसके लाभ में औसतन 40 प्रतिशत की गिरावट आई ब्रिटिश स्टील उद्योग के लाभ में गिरावट आयी: यह एक विशेष स्थिति थी। क्योंकि पिछला सारा वर्ष इस्पात उद्योग के लिए आम तौर पर अच्छा नहीं रहा।

जहां तक भिलाई और बोकारों स्थित घमन भट्ठियों का सवाल है तो मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से सहमत हूं। कम्पनी के प्रौद्योगिकी-आर्थिक कार्य निष्पादन के फलस्वरूप इन दोनों घमन भट्ठियों को बंद करना पड़ा। इसमें कोई संकट नहीं है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लाभ अर्जित कर रही है और यह आगे भी लाभ अर्जित करती रहेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : भारतीय इस्पात प्राधिकरण बाजार से प्रति महीना 200 करोड़ रुपए की दर से ऋण ले रही है। मार्च, 1997 तक कुल 2440 करोड़ रुपए उधार लिया गया था जबकि मार्च, 1994 और मार्च 1995 में क्रमशः 1164 करोड़ रुपए और 1376 करोड़ रुपए उधार लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 1996 से अप्रैल, 1997 के बीच ऋण-इक्विटी अनुपात भी 1.85:1 से बढ़कर 2.5:1 हो गया। सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी ?

तीन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए 9000 करोड़ रुपए व्यय किया गया किंतु जितना निवेश किया गया उसकी तुलना में लाभ बहुत कम है। इस्पात उत्पादन में भी निवेश की कोई झलक दिखाई नहीं देती। क्या कारण है कि 9000 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण के लिए व्यय किए जाने के बाद भी इस्पात उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ?

श्री वीरेन्द्र कुमार वैश्य : महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपने बोकारो, दुर्गापुर और राऊरकेला स्थित इस्पात संयत्रों के आधुनिकीकरण के लिए विगत पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। लेकिन आधुनिकीकरण का लाभ किसी को शीघ्र नहीं मिलता। इसमें कुछ समय लगता है। आधुनिकीकरण का आशय किसी संयत्र का प्रौद्योगिकी-आर्थिक कार्य-निष्पादन में सुधार से है। पूरे विश्व में दिन-प्रति-दिन नई तकनीकियां विकसित हो रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण अपने संयंत्रों को भी आधुनिक बनायें।

लेकिन, मैं भिलाई का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम ने भिलाई संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए भारी धन का निवेश किया है। लेकिन भिलाई से भी हमें इसका लाभ शीघ्र नही मिल रहा था। लेकिन आज हमें भिलाई इस्पात संयंत्र से सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। आपको किसी भी चीज का पूरा फायदा शीघ्र नहीं मिल सकता। दुर्गापुर मैं इसका प्रभाव अब दिखने लगा है और इस वर्ष जून में इसका उत्पादन अपनी उत्पादन क्षमता के 81 प्रतिशत तक पहुंच गया। दुर्गापुर में उत्पादन बढ़ रहा है। इसका क्षमता उपयोग शत प्रतिशत हो जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : किंतु रेलवे तो चीन से रेल का आयात कर रहा है।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : दूसरा, आगामी वर्ष से हमें राऊरकेला से भी अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे।

माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए चीन से रेल आयात करने का मुद्दा उठाया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की कुछ प्रौद्योगिकियां पुरानी हो चुकी हैं। हमें प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हमें उद्योग को आधुनिक बनाना होगा। हमें नई तकनीकियों को अपनाना होगा। इसी उद्देश्य से इस्पात मत्रालय अनुसंधान तथा विकास के लिए इस्पात उद्योग को इस वर्ष से 150 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह एक अच्छी और आधुनिक तकनीक के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा।

श्री जी०ए० चरण रेड्डी : भारतीय इस्पात प्राधिकरण हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के *नौ रत्न* में से एक माना जाता है। विशेषकर, 1996-97 का वर्ष लाभ की दृष्टि से बहुत ही खराब रहा है। मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि इसका एक मुख्य कारण निविष्ट लागतों में वृद्धि है। आप निविष्टयों पर गौर करें तो देखेंगे की ये वृद्धि मुख्यतः कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद तथा रेल माल भाड़ों और बिजली शुल्क में ही हुई है। मुझे ज्ञात है कि ये सभी चीजें तथा कतिपय अन्य चीजों के फलस्वरूप लागत कीमतों में वृद्धि होगी। इसे देखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण वास्तव में क्या करना चाहती है।

मैं मंत्रीजी को उस वक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें कहा गया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लाभ अर्जित करेगी।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि 'सेल' के लिए पिछला वर्ष बहुत खराब था। 1996-97 में भी, विगत दो वर्षों को छोड़कर, पिछले सभी वर्षों की तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि कारोबार में व्यापार चक्र सिद्धान्त लागू होता है। पिछले दो वर्षों में, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है। इसलिए, लाभ ज्यादा रहा। लेकिन जब आप 'सेल' की लाभ को विगत दस वर्षों से तुलना करके देखेंगे तो पायेंगे कि पिछले वर्ष इसका स्थान तीसरा था और यह स्थिति भारत तक ही सीमित नहीं थी। उदाहरणार्थ यूरोप की कोई भी कम्पनी इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रही है। उनके लाभ में भी 40% की गिरावट आयी है। इसी तरह 'सेल' के लाभ में भी गिरावट आयी।

अध्यक्ष महोदय : स्वतः सूचना और प्रसारण मंत्री कमी रहने के

कारण मैं श्री रेड्डी को अपने पहले अवसर से वंचित नहीं रख सकता। अतः मैं प्रश्न संख्या 26 पर जाता हूं।

इलेक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों के संबंध में सम्मेलन

+

*26. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :**
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों के संबंध में राज्यों के मंत्रियों का एक सम्मेलन 1996 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गयी तथा क्या-क्या निर्णय लिये गये;

(घ) राज्य सरकारों, विशेष रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गयी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सूचना और चलचित्रि की मंत्रियों का एक सम्मेलन दिनांक 29 अक्तूबर 1996 को हुआ था जिसमें इलेक्ट्रोनिक, फिल्म एवं प्रिन्ट मीडिया और अन्तःवैयक्तिक मीडिया संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

इस सम्मेलन में इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार की गई थी :-

1. 9वीं योजना के दौरान तकनीकी आयोजना के संदर्भ में दूरदर्शन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और उत्तर-पूर्व जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष निवेश संबंधी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

2. राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से अपनी प्राथमिकताएं नियत करके अपनी जायज जरूरतें तत्काल भेजने का अनुरोध किया गया था ताकि 9वीं योजना प्रस्तावों को उपयुक्त रूप से तैयार किया जा सके।

3. राज्य सरकारों ने आमतौर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करने के प्रति सहमति प्रकट की।

4. प्रसारण विधेयक इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उपग्रह टेलीविजन चैनलों को उपयुक्त रूप से विनियमित किया जा सके।

5. अधिकांश राज्य सरकारों का मत था कि केबल टेलीविजन नेटवर्कों के उपयुक्त रूप से विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम में काफी संशोधन किए जाने आवश्यक हैं।

6. राज्य सरकारों की दूरदर्शन पर अलग से टाइम स्लॉट संबंधी मांग को नोट किया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी कि दूरदर्शन के दूसरे चैनल के कार्यक्रम राज्य के शेष भागों में भी उपलब्ध कराए जाएं और राज्य से अधिक समाचार कवरेज को राष्ट्रीय समाचार प्रसारण में स्थान दिया जाए। क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में राज्य की समाचार कवरेज की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाय। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारियों को भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रशिक्षण देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने लघु समाचारपत्रों हेतु वित्तपोषण को सुगम्य बनाने के लिए उन्हें लघु उद्योग का दर्जा दिए जाने की भी मांग की थी। जहां तक, सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में डी०डी०-2 सेवा उपलब्ध कराने की मांग का संबंध है, इस बारे में उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों में डी०डी०-2 सेवा का विस्तार कार्य चरणबद्ध रूप से आरंभ किया जाएगा जोकि वित्तीय संसाधनों, जनशक्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समाचारों में राज्य को कवरेज प्रदान करने के मामले में उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन द्वारा पूरे राज्य को उपयुक्त कवरेज प्रदान करने पर बल दिया जाता है।

श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला : महोदय, मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रालय ने 1996 में हुई राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से तेलुगू भाषा का समय बढ़ाने का कोई निर्णय लिया है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, राज्य मंत्रियों के इस सम्मेलन में क्षेत्रीय नेटवर्क के लिए अधिक समय दिये जाने का अनुरोध किया गया था। डी०डी०-1 पर दिया जाने वाला समय काफी सीमित है।

हम शाम को 4.30 से 8.30 तक चार घंटे का समय दे रहे हैं। हम क्षेत्रीय नेटवर्क के समय के बढ़ाने की और संभावनाओं का भी पता लगा रहे हैं। हम मांग की सार्थकता की सराहना करते हैं पर हम अभी तक कोई निर्णय नहीं ले सके हैं।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : छह वर्षों से भी अधिक समय से भारत सरकार इलैक्ट्रानिक मीडिया के संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रही है। अब वर्ष 1997 है। पूरा राष्ट्र माननीय मंत्री जी से यह जानने का उत्सुक है कि क्या वह इस सत्र में ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे अथवा नहीं।

दूसरी बात यह है कि राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की पिछले सम्मेलन के अनुसार उनका मंत्रालय इलैक्ट्रानिक मीडिया संचार प्रणाली में उन्नयन, आधुनिकीकरण और क्रियान्वयन का कार्य यथासंभव करेगा। मैं इस संबंध में हुई प्रगति के संबंध में जानना चाहूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : पुरानी आदतें छूटना कठिन होता है। क्या इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल होने वाली है ? *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यही गलती श्री वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में की थी। हमारी कुछ आदतें छूटना कठिन है; हमें इस सीमा को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आपको इस आदत से उबरने में अधिक समय नहीं लगेगा। *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरे माननीय मित्र ने इलैक्ट्रानिक मीडिया को स्वायत्तता प्रदान करने पर प्रश्न उठाया है। संसद के दोनों सदनों ने 1990 में यह अधिनियम पारित किया था। इससे मुझे काफी खुशी हुई है कि यह घोषणा करने का मौका मुझे मिला है कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया को स्वायत्तता दी जाएगी तथा मैं राजनैतिक परिदृश्य हटकर पार्टियों का सहयोग और आशीर्वाद पाना चाहता हूं। यह एक विवाद रहित और पार्टी से अलग (परे) मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बधाई हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह एक ऐसा मामला है जिसके प्रति हम एक राष्ट्र के रूप में समर्पित हैं। हम इसके प्रति एक राज्य-व्यवस्था (पोलिटी) के रूप में समर्पित हैं। *(व्यवधान)*

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने ऐसा ही सोचा था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जिसे श्री उपेन्द्र ने अनमनेपन से सोचा था उसे मैंने दिल से किया था।

मेरे मित्र, श्री रेड्डी ने नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता के संबंध में कहा हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं परन्तु उन्हें संसद को इस उद्देश्य के लिए और अधिक धन देने के लिए कहना चाहिए। खैर, जैसा भी है, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि विश्व में दूरदर्शन पृथ्वी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके 800 से अधिक ट्रांसमीटर हैं तथा विश्व में किसी भी ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है। इसे और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है; हम इसका अन्य सामाजिक और शैक्षिक प्रयोजनों हेतु उपयोग करना चाहते हैं। अगर मुझे अधिक धनराशि प्रदान की जाए तो मैं इस ओर और अधिक ध्यान देने का इच्छुक हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : मैं जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन में उर्दू के लिए कितना समय है, क्या मंत्री जी उसे पर्याप्त समझते हैं और क्या सरकार उसमें कुछ इजाफा करने के बारे में सोच रही है ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, हमारी यही कोशिश है कि हिन्दी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं जैसे उर्दू के लिये अधिक समय दिया जाए। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और हम इस कार्य के लिए पूरा प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि उर्दू के लिए दूरदर्शन में इस वक्त कितना टाइम है और क्या उसे बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा है या नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : टाइम बढ़ाने का इरादा है लेकिन अभी कितना टाइम दे रहे हैं, उसके फैक्ट्स मेरे पास नहीं हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक वाक्य में प्रश्न पूछिए। अन्यथा, आपका समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी से बहुत ही छोटा प्रश्न करना है। इनसे पहले जो मंत्री थे, उन्होंने इस सदन में कमिट किया था कि दूरदर्शन से अश्लीलता और भौंडेपन का प्रसारण रोकने के लिए वे सांसदों की एक कमेटी बनाएंगे और वह कमेटी तत्काल बना दी जाएगी तथा वह विचार करेगी कि कार्यक्रम कैसे बनने चाहिए। अब रेड्डी साहब मंत्री हैं, तो वे बताएं कि इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई हुई है और वह कमेटी कब तक बन जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : संचार संबंधी संसदीय स्थायी समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं आपके सुझाव भी चाहता हूं। मैं बड़े परदे, छोटे परदे और विदेशी कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली अश्लीलता से चिन्तित हूं। जिस बात से आप चिंतित हैं उसी से मैं भी चिंतित हूं। हम अपने सपने को किस प्रकार साकार कर सकते हैं, इस हेतु मैं आपके सुझाव चाहता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विद्युत शुल्क

***23. श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपभोक्ताओं पर दोहरी विद्युत शुल्क प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दोहरे विद्युत शुल्क की गणना

सर्वाधिक खपत और सामान्य खपत वाले घंटों के आधार पर की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वाधिक खपत वाले घंटे कौन से होंगे; और

(घ) मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले शुल्क की औसत दर कितनी है तथा नई दोहरी विद्युत शुल्क प्रणाली के अंतर्गत किन दरों से शुल्क लेने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में औद्योगिक उपभोक्ताओं जिन्हें टीओडी मीटर प्रदान किए गए हैं, के लिए टाइम आफ डे (टीओडी), टैरिफ शुरू की गई है। गुजरात में प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे और सायं 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक दौरान औद्योगिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त प्रभार पड़ता है।

(घ) विभिन्न राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से वसूल की गई विद्युत टैरिफ की औसत दर संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिनांक 31.3.1997 को स्थिति के अनुसार विद्युत टैरिफ की औसत दर दर्शाने वाला विवरण

पैसे/किलोवाट घंटा

क्र०सं०	यूटिलिटी का नाम	टैरिफ प्रभावी होने की तारीख कुल	घरेलू 2 किवा (100 किवाघं०/ माह) कुल	घरेलू 5 किवा (400 किवाघं०/ माह) कुल	वाणिज्यिक 5 किवाट (200 किवाघं/ माह) कुल	वाणिज्यिक 10 किवा (1000 किवाघं०/ माह) कुल	कृषि 10 एचपी 20 प्रतिशत एलएफ (1089 किवाघं०/ माह) कुल	मझौले उद्योग 10 एचपी 25 प्रतिशत एलएफ (1361 किवाघं०/ माह) कुल	मझौल उद्योग 50 किवा 40 प्रतिशत एलएफ (14600 किवाघं०/ माह) कुल	बड़े उद्योग 1000 किवा 65 प्रतिशत एलएफ (474500 किवाघं०/ माह) कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.8.96	136.00	248.50	386.00	382.00	20.85	293.40	318.51	340.07
2.	असम	8.9.94	105.00	230.00	315.40	363.90	150.00	178.60 81.60	227.10	214.18
3.	बिहार	1.7.93	137.00 यू 44.00 आर	140.75	449.00	283.80	29.09	155.09	138.54	209.99
4.	गुजरात	22.10.96	181.25 यू 165.69 आर	302.72 यू 272.27 आर	398.14	412.99	61.22	233.87	262.44	349.23
5.	हरियाणा	1.7.96	224.00	246.00	329.00	329.00	50.00	329.00	329.00	329.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1.11.95	61.00	71.00	155.00	187.00	65.00	105.00	145.00	165.00
7.	ज० एवं का०	1.4.88	54.90	54.90	91.50	91.50	12.20	48.80	48.80	48.80
8.	कर्नाटक	1.7.96	185.00	203.75	478.75	471.25	7.65	206.02	221.48	570.57
9.	केरल	1.10.94	77.00	148.50	313.50	390.50	14.21	119.04	115.65	116.57
10.	मध्यप्रदेश	1.7.96	90.00	163.25	379.83	431.83	45.91	185.00	337.34	376.60
11	महाराष्ट्र	1.7.96	122.50	249.00	401.90	470.10	38.26	208.30	407.12	373.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	मेघालय	1.9.96	35.00	103.75	178.00	184.00	56.00	149.49	168.43	196.07
13.	उड़ीसा	21.5.96	93.75	155.94	265.00	295.00	70.00	185.00	250.00	306.38
14.	पंजाव	11.7.96	135.25	168.06	269.00	269.00	52.75	195.00	210.00	233.00
15.	राजस्थान	1.10.96	132.50	158.88	247.50	269.50	41.46	214.00	254.00	275.00
16.	तमिलनाडु	1.2.95	90.00	152.50			0.00	206.30	—	—
	मद्रास मेटो एरिया				330.75	347.55			292.07	288.53
	मेट्रो एरिया				320.25	337.05			281.57	278.03
17.	उत्तर प्रदेश	3.1.97	145.00 यू 38.50 आर	186.25	334.87	334.87	47.29	290.44	—	—
	नान कंटीन्यूअस इंडस्ट्री								300.23	326.86
									317.82	333.06
18.	प० बंगाल	19.11.96	127.68 यू 123.01 आर	257.33 यू 250.22 आर	282.04 यू 276.21 आर	385.38 यू 379.75 आर	85.00	276.09 यू 262.00 आर	334.14	313.31
19.	अरूणाचल प्रदेश	1.3.93	95.00	135.00	210.00	235.00	—	185.00	195.00	250.00
20.	गोवा	1.3.97	85.00	112.50	216.25	262.25	50.00	150.00	192.33	228.69
21.	मणिपुर	30.10.92	87.20	177.20	252.20	162.20	72.20	91.18	100.14	78.64
22.	मिजोरम	1.3.92	85.00	90.00	100.00	116.00	45.00	95.00	95.00	109.00
23.	नागालैण्ड	1.12.95	200.00	275.00	300.00	350.00	250.00	250.00	275.00	275.00
24.	सिक्किम	1.4.95	80.00	110.00	155.00	163.00	122.04	126.63	186.44	113.85
25.	त्रिपुरा	1.6.92	100.00	100.00	140.00	140.00	50.00	100.00	140.00	—
26.	अं०नि० द्वीप समूह	1.11.94	75.00	90.00	200.00	200.00	60.00	180.00	180.00	—
27.	चंडीगढ़	19.1.95	96.50	145.25	191.00	191.00	36.25	122.00	155.00	176.00
28.	दा०न० हवेली	1.2.87	72.50	85.63	122.00	124.40	50.00	120.00	151.89	160.29
29.	दमन व दिव	1.10.94	87.50	106.88	125.00	165.00	50.00	120.00	151.89	160.29
30.	दिल्ली (डेसू)	1.10.93	63.00	152.25	302.00	302.00	52.50	260.00	281.80	334.04
	(एनडीएमसी)	5.11.93	63.00	152.25	254.89	254.89	—	212.89	233.89	—
31.	लक्षद्वीप	1.10.96	100.00	150.00	150.00	150.00	—	100.00	100.00	—
32.	पांडिचेरी	1.11.94	55.00	77.50	180.00	226.00	7.27	132.06	134.73	166.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	अहमदाबाद इलै०कं०	11.1.95	228.29	293.39	395.34	431.13	223.09	259.37	288.62	323.94
34.	कलकत्ता सीईएससी	1.1.95	100.43	263.10	255.60	327.38	—	254.50	292.13	318.85
35.	डीवीसी	1.1.96	—	—	—	—	—	—	—	—
	क. बिहार क्षेत्र						—	—	—	225.58
	ख. प०बं० क्षेत्र						—	—	—	240.08
36.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि०	10.2.95	92.43	295.10	299.90	311.50	199.00	223.93	273.38	262.40
37.	मुम्बई									
	(बीईएसटी)	1.8.94	86.10	226.06	431.78	526.78	—	415.55	445.87	264.21
	(बीएसईएस)	1.8.94	170.35	337.47	524.00	550.60	50.00	498.72	466.52	392.36
	(टाटा)	1.8.94	—	—	—	—	—	—	—	296.71
	औसत दर		109.08	177.40	273.64	295.20	62.53	196.76	232.93	252.01

यू–शहरी आर–ग्रामीण

पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत निगम (नीपको)

*27. **श्री बाजू बन रियान :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत निगम (नीपको) को राम चन्द्र नगर 84 मेगावाट (गैस आधारित) अगरतला, दोयांग (जल विद्युत) नागालैंड और रंगनदी (जल विद्युत) अरूणाचल प्रदेश, विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथियां कौन सी हैं;

(ख) क्या त्रिपुरा की राम चन्द्र नगर विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को स्थितियों के कारण निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम (नीपको) को रामचन्द्रनगर 84 मेगावाट (गैस आधारित), अगरतला, दयोंग (जल विद्युत), नागालैंड रंगानदी (जल विद्युत), अरूणाचल प्रदेश विद्युत परियोजनाओं का कार्य पूरा होने की अद्यतन समय सूची का ब्यौरा निम्नवत हैं :-

क्र०सं०	परियोजना	चालू करने की अद्यतन समय सूची 1
1.	अगरतला गैस आधारित विद्युत परियोजना	यूनिट-1 नवम्बर, 97 यूनिट-2 दिसम्बर, 97
	रामचन्द्र नगर, अगरतला (21x4=84 मेगावाट)	यूनिट-3 जनवरी, 98 यूनिट-4 फरवरी, 98
2.	दयोंग जल विद्युत परियोजना, नागालैंड (25x3=75 मेगावाट)	यूनिट-1 मार्च, 98 यूनिट-2 सितम्बर, 98 यूनिट-3 अक्टूबर, 98
3.	रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, अरूणाचल प्रदेश (135x3=405 मेगावाट)	यूनिट-1 मार्च, 99 यूनिट-2 जून, 99 यूनिट-3 सितम्बर, 99

(ख) और (ग) अगरतला गैस आधारित विद्युत परियोजना का कार्य समय सूची से पिछड़ गया है इसमें ओएनजीसी एवं लीएआईएल की कोई कमी नहीं है, अपितु लगभग 98-98 मिलियन टन के 8 भारी पैकेज समेत भारी उपस्कर, जिनको जर्मनी से समुद्र के रास्ते कलकत्ता लाना था, कलकत्ता से बदरपुर घाट–करीमगंज (असम) तक इनलैण्ड वाटरवेज द्वारा सड़क मार्ग से वाया करीमगंज परियोजना स्थल तक ढुलाई करने में नीपको को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बदरपुर घाट पर जल स्तर घटते रहने के कारण विलम्ब हुआ जिससे पैकेज को उतारना असंभव हो गया था। इसलिए इस प्रयोजन हेतु विशेष घाटों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अल्पवृष्टि तथा आकस्मिक बाढ़ के कारण पुलियों, सेतुओं तथा उपमार्गों की मरम्मत एवं प्रचलन करना पड़ा था ताकि परियोजना स्थल पर इन उपस्करों का परिवहन किया जा सके। सड़कों की खराब हालत के कारण विशेष निम्नतलीय ट्रेलरों तथा प्राइम

मूबर कई अवसरों पर विफल हो गए एवं जर्मनी से पुर्जों को आयात करने के पश्चात इसकी मरम्मत करनी पड़ी अब क्यों कि सभी अपेक्षित सामग्री एवं मशीनरी परियोजना स्थल पर पहुंच गई है अतः कार्य निष्पादन में प्रगति हो रही है।

[हिन्दी]

विदेशी टी०वी० चैनलों द्वारा अश्लील संस्कृति का प्रसार

*28. **श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विदेशी टी०वी० चैलनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर हो रहे हमले और अश्लीलता के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : सरकार ने संसद में पहले ही प्रसारण विधेयक प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी उपग्रह चैनलों को विनियमित करने एवं प्रसारण संहिता सहित उन्हें भारतीय कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत लाने की व्यवस्था की गई है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने एवं अश्लीलता आदि को रोकने की व्यवस्था बनेगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

*29. **श्री मंगत राम शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में प्रधान मंत्री की पहल को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने तथा प्रसारण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इस संबंध में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार ने जनशक्ति तथा वित्तीय कठिनाइयों सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय उपग्रह सेवाओं के अधिकतम उपयोग द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों में कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संबंध में प्रधान मंत्री जी द्वारा रूचि लिए जाने के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में शिलांग, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, अगरतला एवं ईटानगर में उपग्रह अपलिंकिंग सुविधाओं तथा मुख्य चैनल सेवा हेतु विभिन्न क्षमताओं के 37 टेलीविजन ट्रांसमीटरों और डी०डी०-2 सेवा के रिले हेतु 5 ट्रांसमीटरों के कार्यान्वयन को हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में सामने आने वाली मुख्य समस्याएं निम्नानुसार हैं :-

1. प्रशिक्षित जनशक्ति और पर्याप्त संसाधनों की कमी।
2. क्षेत्र में इलाकों की प्रकृति और उपयुक्त परिवहन सुविधा की कमी जिसके कारण हार्डवेयर को आसानी से प्रतिष्ठापित करना संभव नहीं है और इससे कवरेज भी सीमित होता है।
3. क्षेत्र के कुछ भागों में कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति।

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थलीय दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया हैं उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रशिक्षित जनशक्ति की अत्यधिक कमी को पूरा करने की दृष्टि से स्थानीय व्यक्तियों को कैमरामैन के रूप में नियुक्त करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए विशेष स्कीम भी आरंभ की गई है।

(घ) समस्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित देश के सभी भागों में क्षेत्रीय सेवा की पहुंच का विस्तार करने और स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों को रिले करने की अवस्था में क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक साफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय उपग्रह सेवाएं आरंभ की गई हैं। असम और उत्तर-पूर्व के लिए डी०डी०-13 चैनल पर स्थानीय लोगों की रूचि के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु टाइम-स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सभी राज्यों में सभी राज्यों के लिए अच्छे कार्यक्रम आरंभ करने हेतु कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, गुवाहाटी को निधियां भी उपलब्ध कराई गई हैं।

[हिन्दी]

इस्पात की मांग

*30. **श्री नीतिश कुमार :**
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2001-02 तक देश में इस्पात की मांग का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय इस्पात की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इस्पात की कुल कितनी मात्रा के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित लोहा और इस्पात संबंधी कार्यदल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष, 2001-02 तक देश में परिसज्जित कार्बन इस्पात की मांग 326.8 लाख टन (निवल) होने की संभावना है। कार्यदल ने 2001-02 तक 60 लाख टन निर्यात किए जाने का अनुमान भी लगाया है।

(ग) और (घ) कार्यदल द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, 2001-02 तक परिसज्जित कार्बन इस्पात का उत्पादन 380.12 लाख टन (निवल) तक हो जाएगा। उत्पादन में यह वृद्धि मौजूदा एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार करने तथा निजी क्षेत्र में नई क्षमताओं के सृजन करने से होगी। कार्यदल ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात क्षेत्र में कुल लगभग 52498 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र का निवेश लगभग 20,005 करोड़ रुपये होगा। वर्तमान आर्थिक नीति के अनुरूप इस्पात मंत्रालय मांग के वास्तविक अनुमान तैयार करके तथा उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों के साथ पारस्परिक कार्रवाई करके अड़चनों को दूर नई क्षमताएं सृजित करने का प्रयास कर रहा है।

(ङ) वर्तमान नीति के अनुसार 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की 25 कि०मी० की परिधि के भीतर स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रों को छोड़कर नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।

देश में अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 329.7 लाख टन वार्षिक है।

[अनुवाद]

प्राइवेट एजेंसियों द्वारा रेल आरक्षण

*31. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री एन०जे० राठवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों का जोनवार ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1996-97 के दौरान कंप्यूटरीकृत आरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान जिन रेलवे स्टेशनों पर, विशेष रूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में, कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है उनका जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे आरक्षण के लिए प्राइवेट एजेंसियों को भी प्राधिकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यात्रियों को रेलवे काउन्टरों से ही आरक्षण कराने के लिए बाध्य किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्रीयकृत आरक्षण कार्यालय में भीड़ कम करने के लिए कंप्यूटरीकृत आरक्षण टर्मिनलों की स्थापना, जैसाकि एयरलाइन्स द्वारा किया जा रहा है, के लिए प्राइवेट एजेंसियों को अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1996-97 के दौरान उन स्थानों का जोनवार ब्यौरा, जहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराई गए हैं, इस प्रकार हैं :

मध्य रेलवे	
बीना	
अहमदनगर	
सागर	
वर्धा	
घाटकोपर	(मुंबई का सैटेलाइट)
अजनी	(नागपुर का सैटेलाइट)
चिंचवाड़	(पुणे का सैटेलाइट)
शंकरसेठ	-वही-
पुणे छावनी	-वही-
पूर्वी रेलवे	
*बर्धमान	
*बहरामपुर	(कलकत्ता का सैटेलाइट)
*कृष्णानगर	-वही-
*कल्याणी	-वही-
*नैहाटी	-वही-
पटना साहिब	(पटना का सैटेलाइट)
दक्षिण मध्य रेलवे	
कुडापा	
बेंज सर्कल	(विजयवाड़ा का सैटेलाइट)
पूर्वोत्तर रेल	
*लाल कुआं	
दरभंगा	
इज्जतनगर	
*सोनपुर	
हाजीपुर	
*वाराणसी सिटी	(सैटेलाइट)
इलाहाबाद सिटी	(सैटेलाइट)
लखनऊ सिटी स्टेशन	(सैटेलाइट)

खगड़िया	
सहरसा	
उत्तर रेल	
ऋषिकेश	
पानीपत	
लाजपतनगर	(दिल्ली का सैटेलाइट)
इंदिरा गांधी हवाई अड्डा	-वही-
*गुड़गांव	-वही-
प्रयाग	(इलाहाबाद का सैटेलाइट)
दक्षिण रेल	
शेनकोट्टाह	
अलेप्पी	
मैट्टुपालयम	
नागरकोइल	
कन्याकुमारी	
मदुरै सिटी	(मदुरै का सैटेलाइट)
यशवंतपुर	(बेंगलूरू का सैटेलाइट)
मल्लेश्वरम	-वही-
कोरामंगला	-वही-
बाणशंकरी	-वही-
पश्चिम रेल	
भडूच	
नाडियाड	
*साबरमती	
सीकर	
गांधी नगर	(जयपुर का सैटेलाइट)
दक्षिण पूर्वी रेल	
*गोंदिया	
शालीमार	(कलकत्ता का सैटेलाइट)
बोकारो स्टील सिटी	(बोकारो का सैटेलाइट)
एम०वी०पी० कालोनी	(विशाखापत्तनम का सैटेलाईट)
विशाखापत्तनम नौसेना अड्डा	-वही-
गुजवाका	-वही-
इतवारी	(नागपुर का सैटेलाइट)
*चंद्रशेखरपुर	(भुवनेश्वर का सैटेलाइट)

(गैर रेल-शीर्ष वाले राज्यों की राजधानियां)

अगरतला	
*कोहिमा	
गंगतोक	
*आइजोल	
*ईटानगर	
इम्फाल	

*1996-97 की वार्षिक योजना में शामिल की गई और 30.6.97 से शुरू की गई।

(ख) पिछले वर्ष के कुछ चालू कार्यों सहित उन कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों का ब्यौरा जिन्हें वार्षिक योजना 1997-98 में अनुमोदित किया गया है, इस प्रकार है :-

मध्य रेल	
बांदा	
रीवा	
चन्द्रपुर	
बल्हारशाह	
वाशी	(मुंबई का सैटेलाइट)
चेम्बूर	-वही-
गिरगांव सीबीओ	-वही-
अम्बरनाथ	-वही-
पूर्वी रेल	
बंदेल	(कलकत्ता का सैटेलाइट)
बारासात	-वही-
खिदिरपुर	-वही-
बेहाला	-वही-

श्यामबाजार	(कलकत्ता का सैटेलाइट)
बैरकपुर	-वही-
राजेन्द्रनगर	(पटना का सैटेलाइट)

दक्षिण मध्य रेल

हास्पेट

रेणिगुंटा

चिराला

सामलकोट

सेन्ट्रल यूनीवर्सिल कैम्पस, हैदराबाद

ए०पी० एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी कैम्पस, हैदराबाद

पूर्वोत्तर रेल

नैनीताल

रक्सौल

उत्तर रेल

मोदीनगर

सोनीपत

मिर्जापुर

होशियारपुर

मुजफ्फरनगर

कोटद्वार

शकूरबस्ती	(दिल्ली का सैटेलाइट)
गुड़गांव	-वही-
सराय रोहिल्ला	-वही-
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	-वही-
अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल, दिल्ली	-वही-
मन्डी मण्डी, दिल्ली	-वही-
चारबाग	(लखनऊ का सैटेलाइट)
लखनऊ विश्वविद्यालय	-वही-
टूरिस्ट ब्यूरो जोधपुर	(जोधपुर का सैटेलाइट)
महामंदिर जोधपुर	-वही-

दक्षिण रेल

तिरूर

तिरूवला

शिवाकाशी

मद्रास लज कॉर्नर	(मद्रास का सैटेलाइट)
मद्रास सैंट थॉमस माउंट	-वही-
मद्रास माउंट रोड	-वही-
आईआईएम बेंगलूरू	(बेंगलूरू का सैटेलाइट)
येलहंका	-वही-
त्रिची पोर्ट	(त्रिची का सैटेलाइट)

एर्णाकुलम में सैटेलाइट स्थल

त्रिवेन्द्रम में सैटेलाइट स्थल

पश्चिम रेल

मऊ

नवसारी

वलसाड

पोरबंदर

सुरेन्द्रनगर

झुंझुनु

बांद्रा	(मुंबई का सैटेलाइट)
वसई रोड	-वही-
विरार	-वही-
मलाड	-वही-
उधना	(सूरत का सैटेलाइट)
अल्कापुरी पश्चिम	(बड़ौदा का सैटेलाइट)
जयपुर विश्वविद्यालय सीबीओ	(जयपुर का सैटेलाइट)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	(इंदौर का सैटेलाइट)

दक्षिण पूर्व रेल

बांकुड़ा

आद्रा

विजयनगरम

झारसुगुडा

बालासोर

उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

सम्बलपुर रोड

रांची विश्वविद्यालय

मिदनापुर

विशाखापत्तनम सिटी बुकिंग आफिस

राउरकेला में सैटेलाइट स्थल

पुरी में सैटेलाइट स्थल

(गैर रेल-शीर्ष वाले राज्यों की राजधानियां)
कावारत्ती, अंदरोथ और मिनीकॉय द्वीप)–लक्षद्वीप

कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था एक सतत् प्रक्रिया है और ये सुविधाएं मानदण्डों के अनुसार तथा धन की उपलब्धता के आधार पर स्टेशनों पर मुहैया कराई जाती हैं।

(ग) और (घ) उन यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट खरीदने के लिए जो रेल आरक्षण कार्यालय में नहीं जा सकते, रेल मंत्रालय ने *'रेल यात्री सेवा एजेंट प्राधिकार'* नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत नियुक्त रे०या०से०, एजेंट, यात्रियों की ओर से, एक साधारण यात्री की तरह लाइन में लगकर रेल आरक्षण कार्यालयों से उनके लिए यात्रा की टिकट खरीदने और उसका आरक्षण करवाने का काम करते हैं।

(ङ) और (च) कारण इस प्रकार हैं :-

(i) भीड़-भाड़ वाली व्यस्त अवधि के दौरान मांग और पूर्ति के बीच अंतर होने से उनके द्वारा स्थान घेरने की आशंका हो सकती है।

(ii) अनधिकृत दखल से कम्प्यूटर प्रणाली और सॉफ्टवेयर को बचाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत निधियों पर निगरानी

***32. श्री विद्यासागर सोनकर : क्या ग्रामीण और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों की निगरानी प्रभावी ढंग से की जाती है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार मिला है और सरकार की योजनाओं के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति सुनिश्चित रोजगार योजना के समग्र पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी है। राज्यों से भी अपेक्षा है कि वे सुनिश्चित रोजगार योजना में शामिल प्रत्येक जिले में एक जिला सुनिश्चित रोजगार योजना समिति तथा विकास खण्डों में एक विकास खण्ड सुनिश्चित रोजगार योजना समिति का गठन करें। कार्यान्वयन एजेंसियों के जिला स्तर के अधिकारी, संसद सदस्य, विधायक तथा गैर-सरकारी संगठन समिति के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर, कार्यान्वयन एजेंसियों के विकास खण्ड स्तर के अधिकारी, संसद सदस्य, विधायक तथा गैर सरकारी संगठन आदि समिति के सदस्य होते हैं। इन समितियों से अपेक्षा है कि वे सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करें और योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने के बारे में अपने सुझाव दें। केन्द्रीय स्तर पर मासिक, छमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए योजना की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी राज्यों तथा जिलों का दौरा करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य सतत् रोजगार सृजन हेतु आर्थिक आधारभूत ढांचे तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करने के अलावा उन ग्रामीण गरीबों, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, और जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, को अकुशल स्वरूप के शारीरिक श्रम हेतु 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। 100 दिनों के रोजगार का आश्वास 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और महिलाओं को दिया जाता है। एक परिवार के अधिक से अधिक दो बालिगों को, जब भी वे गैर-कृषि मौसम के दौरान इसकी मांग करें, इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5577.22 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। इसके शुरू होने से लेकर मई 1997 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 269.92 लाख लोगों ने अपना नाम पंजीकृत कराया है। योजना के प्रारम्भ होने से लेकर मई, 1997 तक 10953.33 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुसंधान और विकास कार्य हेतु धनराशि

*33. श्री टी० गोपाल कृष्ण :
श्री सुन्दर लाल पटवा :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसंधान और विकास कार्यों का आधुनिकीकरण करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है तथा नौवीं योजना के दौरान और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कितने वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान पेटेन्ट किये गये है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी हां, सीएसआईआर ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपने अनुसंधान एवं विकास को आधुनिक एवं सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है इसने प्रस्ताव पर विचार किए जाने के लिए इसे योजना आयोग को प्रस्तुत किया है। अन्य बातों के साथ-साथ नौवीं योजना के लिए इसकी सुविधाओं और उपस्कर के आधुनिकीकरण के वास्ते 250 करोड़ रुपए और सीएसआइआर में नई सुविधाएं स्थापित करने के लिए 360 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की आवश्यकता है जो अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के जरिए बजटीय अनुदान सहायताओं की कमी पूरी करेगी। वर्ष 1997-98 के लिए आधुनिकीकरण हेतु योजना आवंटन 50 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सीएसआईआर को वर्ष 1996-97 में पैदा किए गए बढ़ते हुए वाणिज्यिक रुपये के बराबर उपयुक्त अनुदान दिया जाएगा।

(ख) योजना आयोग द्वारा सीएसआईआर के आवंटनों सहित नौवीं पंचवर्षीय योजना के आवंटनों पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआईआर द्वारा फाइल किए गए पेटेन्टों की संख्या निम्नवत् है :-

	1994-95	1995-96	1996-97
भारतीय पेटेन्ट फाईलिंग	241	260	209
विदेशी पेटेन्ट फाईलिंग	29	58	70

[हिन्दी]

डाकघरों की स्थापना

*34. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं, आठवीं और नौवीं योजनाओं के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी, ग्रामीण, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघरों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में शेष कार्य को पूरा करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सातवीं योजना के दौरान 6000 डाकघरों के लक्ष्य की तुलना में 4305 डाकघर मंजूर किए गए और 4003 डाकघर खोले गए। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है। खोले गए 4003 डाकघरों में से 3875 ग्रामीण क्षेत्र में और 128 शहरी क्षेत्र में थे। पहाड़ी क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा विभागीय उप डाकघर खोलने संबंधी लक्ष्यों की सर्किलवार जानकारी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मंजूर किए गए डाकघरों की जानकारी संलग्न विवरण-III में दी गई है।

1997-98 की योजना के दौरान, जो कि 9वीं योजना का पहला वर्ष भी है, 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 50 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

जनजातीय तथा अन्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान डाकघर खोलने के लिए लक्ष्यों के सर्किलवार आवंटन की जानकारी विवरण-IV में दी गई है।

(ख) और (ग) डाकघर, मानदंड के आधार पर औचित्य सिद्ध होने तथा लक्ष्यों व संसाधनों के उपलब्ध रहने पर ही खोले जाते हैं। वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान समूचे देश के लिए 50 विभागीय उप डाकघर तथा 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पहाड़ी रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए रियायती मानदंड हैं। मानदंडों की प्रतिलिपि संलग्न विवरण-V पर दी गई है।

विवरण-I

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90), के दौरान निर्धारित लक्ष्य मंजूर किए गए डाकघर तथा खोले गए डाकघरों का डाक सर्किलवार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	निर्धारित लक्ष्य	मंजूर किए गए डाकघर	खोले गए डाकघर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	259	145	143
2.	असम	327	308	258
3.	बिहार	484	384	384
4.	दिल्ली	21	—	—
5.	गुजरात	215	67	57
6.	हरियाणा	93	45	33
7.	हिमाचल प्रदेश	135	125	109
8.	जम्मू और कश्मीर	129	100	97
9.	कर्नाटक	214	135	134
10.	केरल	165	207	206
11.	मध्य प्रदेश	419	436	364
12.	महाराष्ट्र	478	300	300
13.	उत्तर-पूर्व	351	285	285
14.	उड़ीसा	334	275	187
15.	पंजाब	12	32	5
16.	राजस्थान	309	214	213
17.	तमिलनाडु	219	76	76
18.	उत्तर प्रदेश	641	845	839
19.	पश्चिम बंगाल	445	326	313
	कुल	5350	4305	4003

विवरण-II

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90), के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों का डाक सर्किलवार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल का नाम	जनजातीय क्षेत्रों में खोले गए डाकघरों की संख्या										कुल
		1985-96		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		
		ग्रा०	श०	ग्रा०	श०	ग्रा०	श०	ग्रा०	श०	ग्रा०	श०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	11	—	28	1	14	—	54
2.	असम	—	—	—	—	—	—	6	—	8	—	14
3.	बिहार	—	—	—	—	23	—	38	—	—	—	61
4.	दिल्ली	कोई जनजातीय क्षेत्र नहीं										
5.	गुजरात	—	—	—	—	1	—	26	—	34	—	61
6.	हरियाणा	कोई जनजातीय क्षेत्र नहीं										
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	कोई जनजातीय क्षेत्र नहीं										
9.	कर्नाटक	—	—	—	—	4	—	14	—	—	—	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	केरल	—	—	—	—	2	—	—	—	13	—	15
11.	मध्य प्रदेश	28	—	1	—	34	—	6	—	77	—	146
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	5	—	5	—	27	—	37
13.	उत्तर-पूर्व	—	—	—	—	31	—	95	—	89	—	215
14.	उड़ीसा	—	—	—	—	11	—	81	—	12	—	104
15.	पंजाब	कोई जनजातीय क्षेत्र नहीं										
16.	राजस्थान	कोई जनजातीय क्षेत्र नहीं										
17.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
18.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	21
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	21	—	11	—	8	—	—	—	40
	कुल	28	—	22	—	133	—	307	1	298	—	789

श. : शहरी

ग्रा. : ग्रामीण

विवरण-III

आठवीं पंचवर्षीय योजना के गैर-सर्किलवार लक्ष्य और मंजूर किए गए डाकघर

		लक्ष्य		स्वीकृत डाकघर			
क्र.सं.	सर्किल का नाम	*शाखा डाकघर	**उप डाकघर	शहरी	ग्रामीण	जनजातीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	42	25	26	19	9	54
2.	असम	63	18	10	26	42	78
3.	बिहार	183	49	19	107	83	209
4.	दिल्ली	1	41	25	शून्य	शून्य	25
5.	गुजरात	59	49	25	31	35	91
6.	हरियाणा	28	40	18	40	शून्य	58
7.	हिमाचल प्रदेश	53	29	6	126	5	137
8.	जम्मू और कश्मीर	12	8	3	24	4	31
9.	कर्नाटक	34	42	32	30	17	79
10.	केरल	35	36	30	55	7	92

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	महाराष्ट्र	163	51	48	113	73	234
12.	मध्य प्रदेश	113	33	16	47	67	130
13.	उत्तर-पूर्व	82	18	शून्य	14	72	86
14.	उड़ीसा	87	21	9	30	67	106
15.	पंजाब	27	19	17	26	शून्य	43
16.	राजस्थान	105	13	21	65	44	130
17.	तमिलनाडु	30	24	19	22	2	43
18.	उत्तर प्रदेश	206	73	40	225	19	284
19.	पश्चिम बंगाल	117	27	6	87	9	102
	कुल	1440	650	370	1087	555	2012

*शा०डा० : अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

**उ०डा० : विभागीय उप डाकघर

विवरण-IV

वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान डाकघर खोलने के लिए लक्ष्यों का आवंटन

		विभागीय उप-डाकघर			अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		
क्र.सं.	सर्किल का नाम	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	2	7	3	10
2.	असम	1	1	2	17	8	25
3.	बिहार	3	2	5	27	13	40
4.	दिल्ली	2	—	2	5	—	5
5.	गुजरात	2	—	2	17	8	25
6.	हरियाणा	2	—	2	15	—	15
7.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2	7	3	10
8.	जम्मू व कश्मीर	1	—	1	11	4	15
9.	कर्नाटक	5	—	5	23	7	30
10.	केरल	2	—	2	10	—	10
11.	मध्य प्रदेश	1	1	2	25	12	37

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	महाराष्ट्र	3	—	3	26	9	35
13.	उत्तर-पूर्व	1	2	3	17	8	25
14.	उड़ीसा	1	1	2	18	9	27
15.	पंजाब	2	—	2	17	—	17
16.	राजस्थान	1	1	2	22	11	33
17.	तमिलनाडु	2	—	2	16	5	21
18.	उत्तर प्रदेश	6	—	6	53	17	70
19.	पश्चिम बंगाल	3	—	3	38	12	50
	कुल	40	10	50	371	129	500

विवरण-V

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1.1 जनसंख्या :

(क) *, सामान्य क्षेत्रों में :*

एक ग्राम समूह की आबादी 3000 (इसमें उन गांवों की आबादी भी शामिल है जहां डाकघर खोला जाना है)

(ख) *पहाड़ी, जनजातीय रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :*

किसी एक गांव की आबादी 500 अथवा गांवों के एक समूह की आबादी 1000

1.2 दूरी :

(क) *सामान्य क्षेत्रों में :*

नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि०मी० होगी।

(ख) *पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :*

दूरी की सीमा वही होगी सिवाय पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर। निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट अपेक्षित है जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 प्रत्याशित आय :

(क) *सामान्य क्षेत्रों में :*

न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33-1/3 प्रतिशत होना चाहिए।

(ख) *पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :*

न्यूनतम प्रत्याशित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

2.1 ग्रामीण क्षेत्र में :

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400 रु० प्रतिवर्ष तथा जनजातीय व पहाड़ी क्षेत्र में 4800 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में :

शहरी क्षेत्र में डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाए रखे जाने हेतु पात्र हो सके।

2.2 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि०मी० तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाकघर है तो निकटतम वितरण डाकघर से इसकी दूरी 5 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

2.3 शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

[अनुवाद]

प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश

*35. **श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिक प्रसार माध्यमों के कार्यकरण पर प्रतिबंध लगाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबंध किस सीमा तक होंगे;

(ग) क्या सरकार का प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रसार भारतीय विधेयक के कब तक पारित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने प्रसारण विधेयक, 1997 दिनांक 16.5.97 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घर-पहुंच टेलीविजन सेवाओं के विनियमन और इनके लिए लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है। संसद द्वारा यथा-पारित प्रसारण कानून के लागू होने से विदेशी हस्तियों द्वारा पहले पूर्वक्रय-अधिकार प्राप्त करने को रोकने की दृष्टि से संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16.7.97 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 4800 मीटर हर्वज के आवर्तिता बैन्ड से अधिक सिग्नल प्राप्त करने की क्षमता वाले उपस्करों की स्थापना, उनके अनुरक्षण, प्रचालन तथा स्वामित्व पर रोक लगा दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रसारण विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित विषय पर विचार किया गया है। फिलहाल, यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है।

(ङ) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990, दिनांक 15 सितम्बर, 1997 से प्रभावी होगा। इस संबंध में दिनांक 22.7.97 को एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सौर ऊर्जा का विकास

*36. **श्री विजय पटेल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा के उपयोग को और अधिक जन-उन्मुखी और प्रभावी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सौर ऊर्जा के विकास के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान राज्यवार विशेष रूप से गुजरात को केन्द्रीय अनुदान की कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) देश में सौर ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं :-

(I) सौर लालटेन, ग्रामीण घरेलू रोशनियां, ग्रामीण सड़क रोशनियां, छोटे ग्रामीण विद्युत संयंत्र और जलपंप जैसी सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के उपयोगकर्त्ताओं को आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराना।

(II) सौर जल तापक, शुष्क और सौर भभके जैसी सौर तापीय प्रणालियों के उपयोगकर्त्ताओं को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से उदार ऋण उपलब्ध कराना। कई शहरों में सौर जल तापन प्रणालियों के व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं को कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध हैं।

(III) सौर कुकरों का बड़ी संख्या में उपयोग करने वाले उपयोग-कर्त्ताओं और बिचौलियों को इरेडा के माध्यम से तथा कैनरा बैंक एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।

(IV) उपयोगकर्त्ताओं को सौर उत्पादों की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख शहरों में सोलर दुकानों की स्थापना करना।

(V) वाणिज्यिक संगठनों को आयकर उद्देश्यों के लिए 100% ह्रास, उत्पाद शुल्क से छूट, कई राज्यों में बिक्री-कर से छूट और आयातित सामग्रियों पर सीमा शुल्क की रियायती दरों का प्रावधान है।

(VI) प्रशिक्षण कार्यक्रमों प्रदर्शन और प्रचार कार्यकलापों को सहायता देना।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के बजट में 58.50 करोड़ रु० की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इस बजट के एक भाग का इस्तेमाल राज्यों को संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों हेतु अनुदान देने के लिए किया जाता है। तथापि, राज्यवार वित्तीय आवंटन नहीं किए गए हैं।

ग्रामीण विकास के लिए आबंटित केन्द्रीय निधियों का अन्यत्र उपयोग

*37. **श्री शिबु सोरेन :**
श्री राम नाईक :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों

के लिए आवंटित केन्द्रीय निधियों का अधिकांश भाग अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पश्चिम बंगाल संबंधी रिपोर्ट सं० 3 (सिविल) सं० 4 (सिविल) में वित्तीय सौदों और पश्चिम बंगाल सरकार के विभागों की लेखा परीक्षा के साथ-साथ स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय सहायता संबंधी लेखा परीक्षा के परिणामों से उठने वाले अनेक सवालों का जिक्र किया गया है। इनमें से कुछ बातें सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की यह रिपोर्ट 10.6.1997 को पश्चिम बंगाल विधान सभा में प्रस्तुत की गई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अब पश्चिम बंगाल लोक लेखा समिति के विचार-विमर्श का विषय है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय से संबंधित दो जनहित याचिकाएं माननीय पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय में लंबित हैं और मामला न्यायाधीन है।

खनिजों पर रायल्टी की संशोधित दर

*38. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में खनिजों पर रायल्टी की संशोधित दरें घोषित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रायल्टी की संशोधित दरें गुजरात सरकार द्वारा राज्य में उत्पादित अनेक खनिजों पर मांग की गई रायल्टी की दरों से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने रायल्टी की दरों में और संशोधन करने पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) पर रायल्टी की दरों में संशोधन से संबंधित दिनांक 11.4.97 की सरकारी राजपत्र अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 214 (ई०) दिनांक 8.5.97 को लोक सभा के सभा पटल पर रख दी गई है।

(ग) प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) पर रायल्टी दरों में संशोधन को इस प्रयोजन के लिए गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर प्रभावी किया गया जिसमें गुजरात की राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया गया था। अध्ययन दल ने राज्य सरकारों, खनिज उद्योग और अन्य एजेंसियों के साथ विस्तारपूर्वक परामर्श किया। निवेश संवर्धन, रायल्टी घटक का स्थायित्व, अंतर्राष्ट्रीय दरों में समता, और राज्य सरकारों को राजस्व लाभ रायल्टी दरों में संशोधन के बुनियादी मानदण्ड हैं।

(घ) और (ङ) खनन एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के उपबंध के अनुसार रायल्टी दरों में किसी भी तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

कार्यक्रम का चयन

*39. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के चयन हेतु कोई मानदण्ड प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कार्यक्रमों का चयन करने के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यमान प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क), (ख) से (ग) जी, हां। बाहरी निर्माताओं से प्राप्त कार्यक्रमों की जांच, कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और प्रसारण संहिता के अनुरूप उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति द्वारा की जाती है दूरदर्शन के कमीशंड कार्यक्रमों संबंधी स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रमों के चयन हेतु मोटे तौर पर निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :-

1. दूरदर्शन की आवश्यकताओं के अनुसार कथा, उद्देश्य या विषय की प्रासंगिकता;
2. विषय/कथानक का निरूपण;
3. निदेशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक, कर्मीदल आदि का कार्य संबंधी रिकार्ड आदि।

जहाँ तक प्रायोजित कार्यक्रमों का संबंध है दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों को अनुमोदित करने पर बल देता है जो स्वस्थ मनोरंजन के साथ उच्च सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं।

(घ) इस संबंध में मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोंकण रेल परियोजना

*40. **श्री के०एच० मुनियप्पा :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कोंकण रेल परियोजना के कब तक पूरा हो जाने और चालू कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है और इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 760 कि०मी० में से 710 कि०मी० पूरी हो गई है।

(ख) परियोजना की समूची लम्बाई को दिसंबर, 97 तक पूरा करने और उसे शुरू कर देने की संभावना है।

(ग) परियोजना को पूरा करने में हुए विलंब के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :-

(i) पहले तीन वर्षों तथा पुनः फरवरी, 1995 से लेकर अक्तूबर 1996 तक, करमुक्त बंधपत्रों के जरिए धन जुटाने में आने वाली कठिनाइयों के कारण निगम धनराशि की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है।

(ii) सुरंगों में आने वाली प्रतिकूल भूगर्भीय परिस्थितियां विशेषकर गोवा और कर्नाटक क्षेत्र में।

(iii) गोवा क्षेत्र में मार्च और नवंबर, 1993 के बीच की 8 महीने की अवधि के दौरान कार्य का रूकना।

(घ) वित्तीय लागत और निर्माण चरण के दौरान परिचालनों पर हुए खर्च के 774.00 करोड़ रुपए सहित परियोजना की कुल लागत 3174.00 करोड़ रुपए है। 30.6.1997 तक परियोजना पर कुल खर्च निम्नानुसार हुआ है :-

निर्माण कार्यों पर	:	2385.16 करोड़ रु०
वित्त पोषण प्रभार	:	773.25 करोड़ रु०
		कुल 3158.41 करोड़ रु०

[हिन्दी]

पन-विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षण

215. श्री सुशील चन्द्र : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी से पन विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन विभिन्न स्थानों पर कितनी उत्पादन क्षमता हो सकती है जहां पर पन विद्युत उत्पादन किया जा सकता है;

(ग) क्या ब्रह्मपुत्र नदी से पन विद्युत उत्पादन के संबंध में अन्य राज्यों से परामर्श कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) 1978-87 की अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में जल विद्युत शक्यता के बारे में विधिवत रूप से व्यापक सर्वेक्षण कार्य किया था जिसके अनुसार 60% भार अनुपात पर देश में कुल मिलाकर 84044 मेगावाट जल विद्युत शक्यता विद्यमान है। उपरोक्त अध्ययनों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की जल विद्युत शक्यता 226 स्कीमों से 34920 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बेसिन में विशेष स्कीमों के अन्वेषण कार्य संबंधित राज्य एजेंसियों, उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम एवं ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन की नदियों के नव संसाधनों के समुपयोजन संबंधी मास्टर/विकास योजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की जा रही हैं जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है।

विवरण

ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को जल विद्युत शक्यता का मूल्यांकन सम्बन्धी ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/स्कीम का नाम	नदी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	60% भार अनुपात पर शक्यता (मेगावाट)
1	2	3	4	5
अरूणाचल प्रदेश				
1.	लंगचांग	तिरप	21	13.3
2.	तिपांग	तिरप	80	50.5

1	2	3	4	5
3.	यांगमान	बरही डिहिंग	60	38.8
4.	पॉपनोंग	बरही डिहिंग	16	10.8
5.	डियून बांध	नोयडी हिंग	25	17.0
6.	चेम्बा	टेंगापाम	12	5.8
7.	टोयाम	टेंगापाम	13	4.5
8.	कालाई	लुहिट	2550	1122.7
9.	डुटोंग	लुहिट	950	425.8
10.	डेमवे	लुहिट	5765	2509.8
11.	लिमलियांग	दाऊ	31	14.0
12.	डुलियांग	दाऊ	25	11.2
13.	रैगन	डेलाई	32	15.8
14.	टिडिंग-1	टिडिंग	31	14.2
15.	टिडिंग-2	टिडिंग	22	11.0
16.	मिहुंडन	दिबांग	145	32.2
17.	अमूलिन	माटून	235	60.8
18.	इमिनि	माटून	295	65.2
19.	अगोताइन	दिवांग	235	52.7
20.	मुलाइनी	टांगन	335	74.8
21.	अट्टुनली	टांगन	175	45.8
22.	इटालिन	दिबांग	3045	681.2
23.	इमरा-1	इमरा	275	60.8
24.	इमरा-2	इमरा	870	180.3
25.	इलांगो	अही	180	37.3
26.	दिवांग स्टोरेज	दिबांग	2355	1570.2
27.	यांग सेंग	यांग सेंग	70	29.2
28.	रिगोंग	रिगोंग	130	50.8
29.	मिराक	सिगोंग	160	64.2
30	मिनाइंग	सिंगोंग	195	56.0
31.	पौक	यारनप	50	22.0
32.	हेओ	यारजप	90	39.8
33.	जारोंग	सियोम	85	45.5
34.	हिरोंग	सियोग	180	79.3
35.	टाटो-2	सियोम	360	157.2
36.	टाटो-1	यारजप	80	33.2
37.	गेनेंज	साइक	37	16.3
38.	नैंग	सियोम	495	218.7
39.	जमू	यामने	60	34.3
40.	येसीन	यामने	95	60.3
41.	पेरगिंग	यामने	60	35.3
42.	पासीघाट	दिहांग	14685	9788.3
43.	सेसेरी	सेसेरी	55	23.5
44.	ओजू-2	सुबानसीरी	1925	680.3
45.	ओजू-3	सुबानसीरी	2580	912.7
46.	नैंग	सुरबासीरी	1405	560.5
47.	नाबा	सुबानसीरी	1290	514.2
48.	तम्मू	सियू	55	37.0
49.	मिल्ली	कुरंग	75	29.2
50.	सापे	कुरंग	38	16.8
51.	चोमी	कुरंग	80	35.0
52.	चेला	कुरंग	75	32.2
53.	नेपिन	पायाम	32	14.0
54.	हिया	पायाम	41	17.8
55.	कुरंग बांध-1	कुरंग	200	130.3
56.	कुरंग बांध-2	कुरंग	115	74.3
57.	हीजियो	कुरंग	250	166.0
58.	तामेन	कमाला	175	98.7
59.	सीरी	जिया धोल	16	10.7
60.	सुबानसीरी बांध	सुबानसीरी	4520	3011.7

1	2	3	4	5
61.	टागो-1	काले	55	24.0
62.	टागो-2	काले	13	6.3
63.	याजाली स्टोरेज	रंगा	95	62.3
64.	किमिन	पानयोर	22	14.8
65.	पार	डिकरंग	65	29.0
66.	याजाल डिवीजन (रंगानदी-1)	रंगा	415	276.3
67.	दारदी	डिकरंग	60	27.0
68.	डुडमुख	डिकरंग	170	111.3
69.	चन्दा	कामेंग	110	26.8
70.	बाडास	कामेंग	120	31.2
71.	रेब्बे	पारा	30	7.8
72.	पारा	पारा	55	13.7
73.	टालोंग	कामेंग	150	36.2
74.	टाबे	पाचुक	24	9.5
75.	साटुक	पाचुक	47	18.2
76.	कापक लेयाक	पाचुक	195	49.8
77.	लाचुंग	पाची	41	10.8
78.	पाचुंग	पाची	90	22.8
79.	उटंग	बिचोम	110	51.0
80.	नाजोंग	बिचोम	65	30.5
81.	डिब्बिन	बिचोम	95	44.8
82.	डूम	डिजेन	4	2.8
83.	डिरांग	संगति	6	4.0
84.	थेमबांग	डिजेन	20	11.8
85.	खुईटम	डिजेन	29	15.5
86.	बूट	डिजेन	26	14.0
87.	मेथिथिंग	डिजेन	40	19.7
88.	बिचोम स्टोरेज-1	बिचोम	190	124.7
89.	बिचोम-2	बिचोम	205	134.7
90.	पिचांग	कुरू	31	20.5
91.	टारंग वारंग	पाचा	65	15.7
92.	सेपला	पाचा	46	12.0
93.	चौरेट	पापू	25	8.2
94.	पापू	पापू	160	104.3
95.	पासार	पासार	32	21.0
96.	कापेंय बांध	कामेंग	280	184.5
97.	टेंगा	टेंगा	275	181.3
98.	किमी	बिचोंम	535	356.5
99.	भारेली लिफ्ट बांध-1	कामेंग	240	144.2
100.	धारेली लिफ्ट बांध-2	कामेंग	330	198.8
101.	पाक्के	पाक्के	120	29.0
102.	सेपा	पाक्के	105	26.5
	असम			
103.	डिल्ली	डिसांग	33	21.8
104.	डिसाई बांध पी/एच	डिसाई	15	10.2
105.	कल्याणी	कल्याणी	15	9.7
106.	जमुना बांध पी/एच	जमुना	28	19.0
107.	डियांग बांध पी/एच	डियुंग	47	31.5
108.	कोपिली-1 (खाण्डोंग)	कोपिली	50	21.8
109.	कोपिली-2	कोपिली	265	91.0
110.	अमरिंग	अमरिंग	40	26.5
111.	अपर बोरपानी	बोरपानी	60	37.7
112.	लेंगे	बोरपानी	37	24.3
113.	लोअर बोरपानी	बोरपानी	90	57.5
	नागालैण्ड			
114.	डिखू लिफ्ट बांध	डिखू	125	81.8
115.	डिखू बांध पी/एच	डिखू	470	310.5
116.	यांग्न्यू	यांग्न्यू	135	90.2

1	2	3	4	5
117.	झांझी स्टोरेज	झांझी	75	49.0
118.	झांझी लिफ्ट बांध	झांझी	21	12.3
119.	दोयांग वी	दोयांग	55	35.3
120.	डिपहूपानी	डिपहू	9	6.3
121.	रिंगमा	रिंगमा	12	8.0
122.	दोयांग IV	दोयांग	18	12.0
123.	दोयांग III	दोयांग	13	8.7
124.	दोयांग II	दोयांग	14	9.3
125.	दोयांग I	दोयांग	16	10.7
126.	सखाई I	तिजू	8	5.3
127.	सखाई II	तिजू	31	20.3
128.	सखाई III	तिजू	11	7.0
129.	खुणामी	तिजू	32	21.5
130.	रूरर	जांकी	36	24.0
131.	जुन्की	जुन्की	48	32.3
132.	लारूरी	तिजू	80	52.0
133.	तिजू	तिजू	365	243.0
मणिपुर				
134.	लेनिय II	लेनिय	27	18.0
135.	लेनिय I	लेनिय	34	22.5
136.	खोनगंम छेखा I	बराक	7	4.7
137.	खोनगंम छेखा II	बराक	90	58.2
138.	खोनगंम छेखा III	बराक	48	31.5
139.	खोनगंम छेखा IV	बराक	16	10.7
140.	इरंग	इरंग	75	47.8
141.	पबेरम	बराक	232	155.0
142.	नुंगनाग	इरंग	70	44.0
143.	नुंगलीबान	लिमाटाक	85	56.8
144.	खुनोउ	लिमाटाक	115	73.7
145.	लोकतक	लोकतक	105	70.0

1	2	3	4	5
146.	थिनघाट	तुईवाई	41	27.2
147.	सिंजाल	तुईवाई	39	25.8
148.	बुगंपुलोंग	तुईवाई	80	52.1
149.	तुईवाई	तुईवाई	210	139.0
150.	तिपाईमुख	बराक	510	339.0
मिजोरम				
151.	सोनाई	सोनाई	55	35.0
152.	घलेश्वरी I	घलेश्वरी	8	5.2
153.	तुपाल	तुईपाई	23	15.3
154.	तुईकुगलई	तुईकुगलई	24	16.0
155.	लुंगलांग	तयेव	690	459.0
156.	मात	मात	90	59.8
157.	बोईनु	केलदान	635	420.7
158.	केलदान	केलदान	545	362.2
159.	डेह	डेह	26	17.0
160.	घलेश्वरी II	घलेश्वरी	10	6.5
161.	भाईराबी	घलेश्वरी	90	58.7
त्रिपुरा				
162.	गुमती	गुमती	15	9.5
मेघालय				
163.	सुथेन	मयंतडू	150	30.0
164.	सिलीम	मपंतडू	125	37.5
165.	उमनगोट	उमनगोट	265	125.5
166.	नोंगपेडू	उमनगोट	24	16.2
167.	उमजाउत	उमत्रिव	85	9.5
168.	उमडुमा	उमत्रिव	95	13.0
169.	माउहू	उमत्रिव	90	16.2
170.	नोंगथांगकिन	उमत्रिव	47	11.7
171.	उमनगी स्टोरज	उमंगी	35	23.3
172.	रेंजमाव	उमंगी	42	16.0

1	2	3	4	5
173.	नोंगकोलेईट	उमंगी	180	55.8
174.	नोंगनेम	उमंगी	36	9.0
175.	मेवपत	उमंगी	55	10.5
176.	कयांशी II	उमरिलांग	175	116.2
177.	उमकराम	कयांशी	11	7.3
178.	कयांशी I	कयांशी	295	196.8
179.	नांगमेवानर	कयांशी	29	7.7
180.	मेवेसरपत	कयांशी	45	11.7
181.	मेवेथापा	कयांशी	70	26.3
182.	मेवबनई स्टोरज	कयांशी	100	44.2
183.	सिमसांग डैम पावर हाऊस	सोमश्री	65	40.8
184.	सिडुगिरी	रोंगधी	19	12.7
185.	अमागम स्टोरेज	रोंगधी	35	23.5
186.	उमरिना	कुलसी	14	8.2
187.	सुमर I (उमईअम-I)	उमिआम	11	7.5
188.	सुमर II (उमियाम-II)	उमत्रू	6	3.7
189.	उमियाम उमत्रू III (कर्यदाम कुलाई)	उमत्रू	41	27.0
190.	उमियाम उमत्रू IV	उमत्रू	38	25.2
191.	उमियाम उमत्रू V	उमत्रू	27	18.0
192.	उमियाम उमत्रू VI	उमत्रू	145	95.7
193.	उमत्रू (इक्सटिंग)	उमत्रू	11	9.3
194.	उमलामफांग	उमईअम	28	14.2
सिक्किम				
195.	केलीप	तिस्ता	41	11.3
196.	तालिम	तिस्ता	65	17.0
197.	जेदांग	लह्येनेक	185	50.8
198.	जिना	तिस्ता	125	33.5
199.	सिरुम	सिबोकुंग	50	33.3
200.	लचुंग	लचुंग	30	20.0
201.	छुनथांग	तिस्ता	830	283.5
202.	रिंगपाई	रिंगपई	160	32.8
203.	लिंगजा	रिंगपई	160	32.8
204.	स्क्केल	तोलुंग	90	18.8
205.	रेंगयोंग	तोलुंग	175	36.2
206.	पेनाना	तोलुंग	230	47.3
207.	सिंगहिक	तिस्ता	685	306.3
208.	मेंगन	तिस्ता	445	94.3
209.	दिकचू	दिकचू	90	17.8
210	समडोंग	तिस्ता	280	58.5
211.	लोवर लेगयाप	रोंगनी	40	8.2
212.	छहोटा पथिंग	रोंगपो	55	11.0
213.	छुजाछिन	रोंगपो	13	2.8
214.	सुनतलीतार	रोंगपो	25	5.2
215.	रोंगनी स्टोरज	रोंगनी	95	56.0
216.	मेना	जी. रंगीत	37	7.7
217.	योकसाम	रेथोंग	44	29.5
218.	मेमलुम	जी. रंगीत	175	35.7
219.	गोमपा	जी. रंगीत	46	9.5
220.	लिंगझ्मि	जी. रंगीत	115	23.0
पश्चिमी बंगाल				
221.	रामम I	रामम	70	17.0
222.	रामम II	रामम	85	23.5
223.	रामम III	रामम	100	27.2
224.	तिस्ता हाई डैम	तिस्ता	2505	16.70
225.	जलधाका I	जलधाका	36	31.7
226.	जलधाका II	जलधाका	12	10.2
		कुल	66065	34919.8

[अनुवाद]

खेल कार्यक्रमों का प्रसारण

216. श्री विजय गोयल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टोबैको" कम्पनियों द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तथा अन्तर राष्ट्रीय स्तर के किन-किन खेल कार्यक्रमों को गत तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया है अथवा दूरदर्शन द्वारा विदेशी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण की अनुमति दी गयी है;

(ख) क्या इन प्रसारणों के दौरान इन टोबैको कम्पनियों के विज्ञापन होर्डिंगों में सांविधिक चेतावनी दी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो दोषी कम्पनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) क्या सरकार की टोबैको कम्पनियों द्वारा प्रायोजित किए जा रहे खेल कार्यक्रमों को हतोत्साहित करने की कोई योजना है ताकि युवक तम्बाकू के सेवन से दूर रहे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा विल्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट, गोल्ड फ्लैक ए टी पी टेनिस टूर्नामेंट, गोल्ड फ्लैक बिलियर्डस एवं स्नोकर टूर्नामेंट एवं सीजर्स कप फुटबाल टूर्नामेंट का प्रसारण किया गया।

(ख) और (ग) स्टेडियम में लगाए जाने वाले होर्डिंग्स के बारे में विनियमन लागू करना, उन राज्य/जिला प्राधिकारियों का विषयगत मामला है जहां संबंधित आयोजन होता है।

(घ) खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग का विचार है कि तम्बाकू कम्पनियों द्वारा खेल आयोजनों, आदि कि प्रायोजकता को इस तथ्य के मद्देनजर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि भारत सहित समस्त विश्व में कुछ बड़े खेल प्रायोजक सिगरेट कम्पनियां हैं। उस विभाग का मत है कि तम्बाकू कम्पनियों की प्रायोजकता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और दूसरी तरफ, वास्तविक उत्पाद के प्रदर्शन के बिना लोगों का उपयोग करने तथा ब्राण्ड के नाम पर चैम्पियनशिप का नाम रखने के माध्यम से अप्रत्यक्ष विज्ञापन की अनुमति देना, खेलों को बढ़ावा देने के हित में नहीं होगा।

केरल से हावड़ा तक रेल सेवाएं

217. श्री ए० सम्पत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि केरल से हावड़ा के मध्य तेज रफ्तार वाली ट्रेन न होने के कारण केरल के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार हावड़ा–त्रिवेंद्रम तथा हावड़ा–कोचीन एक्सप्रेस को तेज रफ्तार वाली गाड़ी में परिवर्तित करने का है ताकि उनके दूरी तय करने के समय में कमी आ सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके आवागमन के बढ़ाने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) केरल और हावड़ा के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

गर्मी की छुट्टियों में विशेष रेलगाड़ियां चलाना

218. श्री बाजू बन रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्मी की छुट्टियों में मंडल-वार कुल कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं; और

(ख) गर्मी की छुट्टियों में चलाई गई इन विशेष रेलगाड़ियों में मंडल-वार अब तक कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अलग-अलग गाड़ियों/विशेष गाड़ियों द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस

219. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन बार के स्थान पर प्रतिदिन चलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं;

(ख) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे प्रतिदिन चलाने में सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार इस रेलगाड़ी को उत्तर सीमांत रेल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 26.1.96 से 2423/2424 गुवाहाटी राजधानी की बारंबारता सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन कर दी गई थी। 1997-98 के दौरान इसे सप्ताह में एक बार डिब्रूगढ़ टाउन तक भी बढ़ाया जाएगा। बहरहाल, परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसे प्रतिदिन चलाना संभव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सप्ताह में दो दिन चलने वाली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस के साथ सप्ताह में तीन दिन चलने वाली नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस का अनुरक्षण नई दिल्ली में होता है। चूंकि दोनों गाड़ियां प्रतिदिन नहीं चलती हैं, नई दिल्ली में साझा अनुरक्षण केंद्र होने से सुविधाओं का अधिकतम उपयोग होता है तथा सवारी डिब्बों को अतिरिक्त अनुरक्षण के रूप में भी रखा जाता है। इसलिए, इस समय गुवाहाटी राजधानी का अनुरक्षण कार्य गुवाहाटी में स्थानांतरित करना वांछनीय नहीं समझा जाता है।

केरल में ट्रेनों का चलना

220. श्री टी० गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में रेलगाड़ियां अनियमित रूप से चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) केरल में चल रही गाड़ियों का समयपालन संतोषजनक है। तथापि, चल रही गाड़ियों का समय दुर्घटनाओं, आंदोलनों, खतरे की जंजीर खीचें जाने, शरारती गतिविधियों, उपस्कर की खराबियों, मानवीय विफलताओं कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब मौसम आदि जैसे कारणों से प्रभावित हो जाता है।

(ख) विभिन्न स्तरों पर गहन जांच और दैनिक निगरानी सहित सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा समय पालन अभियान भी चलाये जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश को नए टेलीफोन कनेक्शन देना

221. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य को 2.15 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना क्षेत्र कवर किए जाने की संभावना है;

(ग) इस पर कुल कितना राशि खर्च होगी, और

(घ) इस राज्य द्वारा वास्तव में कितने टेलीफोन कनेक्शनों की मांग की है और चालू वर्ष के दौरान 2.15 लाख कनेक्शन प्रदान कर राज्य सरकार की मांग किस सीमा तक पूरी हो जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। 1997-98 के दौरान विभाग ने आन्ध्र प्रदेश में 2.15 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के सभी 23 जिलों में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(ग) 2.15 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में लगभग 522.6 करोड़ रुपए की धनराशि लगेगी।

(घ) 31.3.97 तक की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 242592 व्यक्ति दर्ज हैं। 1997-98 के दौरान 2.15 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करके, 31.3.97 की स्थिति के अनुसार 88 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची निबटा दी जाएगी बशर्ते कि उपस्कर और अन्य संसाधन उपलब्ध हों।

कर्नाटक में दूरदर्शन केन्द्र

222. श्री बी०एल० शंकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में स्थानवार दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या कितनी है और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा 1996-97 के दौरान और 30 जून, 1997 तक कितने कार्यक्रम तैयार किए गए;

(ग) क्या स्थानीय प्रतिभाओं द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को इन केन्द्रों द्वारा प्रसारित नहीं किया गया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) कर्नाटक में दो केन्द्र हैं–10 कि०वा० क्षमता का बंगलौर में तथा 1 कि०वा० क्षमता का गुलबर्गा में।

(ख) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर : 1575
दूरदर्शन केन्द्र, गुलबर्गा : 91

(ग) इन केन्द्रों द्वारा स्थानीय प्रतिभाओं को शामिल करके/उनके सहयोग से तैयार किए गए कार्यक्रमों को कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं और उपयुक्त समय स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर प्रसारित किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मौला अली रेलवे स्टेशन पर परिवहन सुविधाएं

223. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जुलाई, 1997 से मौला अली रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी से दूसरी पर माल-लदाई बंद करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों की कमी और चावल तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवाजाही रूक जाने के कारण राज्य के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार को मौली अली रेलवे स्टेशन पर निजामाबाद से आने वाली और जाने वाली गाड़ियों में माल-लदाई जारी रखने के संबंध में आभ्यावेदन प्राप्त हुए है जब तक कि इस खंड पर लाइन परिवर्तन का काम पूरा नहीं हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) फिलहाल इस प्रस्ताव को छह महीने के लिए लंबित कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) फिलहाल यानांतरण सुविधा को अगले छह महीनों के लिए जारी रखने का विनिश्चय किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की कमी

224. श्री संदीपान थोरात : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में विद्युत को कोयले की आपूर्ति में भारी कमी से विद्युत उत्पादन प्रभावित होने और विद्युत आपूर्ति में बाधा आने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विद्युत स्टेशनों को कोयला आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त और समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित ऐजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) कोयला आपूर्ति की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में सामान्यतः कोई व्यवधान नहीं होता है। फिर भी, विभिन्न कारणों से कई ताप विद्युत केन्द्रों में समय-समय पर कोयले की स्टाक में गिरावट आई है जिसका कारण कोयले तथा रेलवे भाड़े के भुगतान में चूक होना है जिसके कारण कुछ प्लांट में विद्युत उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है।

(ख) जून, 1997 मास के दौरान विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ताप विद्युत केन्द्रों को की जा रही कोयला आपूर्ति की मोनीटरिंग दैनिक आधार पर करता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों को कोयले की आपूर्ति की मोनीटरिंग सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय की बैठक में अधिकारियों के समूह द्वारा किया जाता है जिसमें कोयला मंत्रालय, विद्युत, भूतल परिवहन इस्पात, उद्योग एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, एन०टी०पी०सी० एवं सी०आई०एल० के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में नियमित रूप से की जाती है।

विवरण

(मात्रा : 000 मी० टन में)

केन्द्र/राज्य	मासिक लिंकेज	प्राप्ति	अंतशेष स्टाक दिनों में
1	2	3	4
टीपीएस का नाम			
उत्तरी क्षेत्र/दिल्ली			
बदरपुर	350	322	2
आई०पी० स्टेशन (डीवीबी)	95	111	17
राजघाट (डीवीबी)	65	57	15
हरियाणा			
फरीदाबाद	70	52	9
पानीपत	240	150	5
पंजाब			
भटिंडा	190	208	19
रोपड़	500	466	23

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
अनपारा	550	513	11
हरदुआगंज	40	57	32
ओबरा	360	294	22
पनकी ओल्ड	10	0	3
वपकी तिरूतसा	50	67	13
परीचा	40	46	25
टाण्डा	80	74	46
ऊंचाहार	220	165	35
रिहन्द	435	361	21
सिंगरौली (एंसटीपीएस)	700	642	17
एनसीटीपीपी (दादरी)	450	385	25
हरिद्वार (भेल)	0	0	0
कुल उत्तरी क्षेत्र	3300	4885	18
पश्चिमी क्षेत्र/गुजरात			
अहमदाबाद	150	93	15
गांधी नगर	240	227	9
सिक्का	75	80	34
उकाई	275	268	5
वानाकबोरी	400	524	11
मध्य प्रदेश			
अमरकंटक	100	29	30
बीरसिंगपुर	100	105	29
कोरबा ईस्ट	190	206	6
कोरबा वैस्ट	310	280	14
सतपुरा	495	428	16
कोरबा एंसटीपीएस	900	917	2
विन्ध्याचल	450	371	18
पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र			
भुसावल	200	206	21
चन्द्रपुर	590	737	21
कोराडी	480	403	9
खोपरखेड़ा	200	185	23
नासिक	250	334	25
पार्ली	350	243	13
पारस	15	19	70
ट्राम्बे	35	13	29
धानू	180	245	62
कुल पश्चिमी क्षेत्र :	6245	5913	15
दक्षिणी क्षेत्र/आन्ध्र प्रदेश			
कोंढागुंडम	400	361	5
रामागुंडम	30	22	40
विजयवाड़ा	700	620	12
रामागुंडम एसटीपीएस	60	824	12
नेल्लोर	10	16	42
मुदन्नूर	230	91	10
कर्नाटक			
रायचूर	500	368	1
तमिलनाडू			
एन्नोर	190	108	2
मेत्तूर	400	324	6
तूतीकोरिन	500	439	10
उत्तरी मद्रास	90	190	7
कुल दक्षिणी क्षेत्र :	3970	3363	7
पूर्वी क्षेत्र/बिहार			
बरौनी	50	0	43
मुजफ्फरपुर	35	18	90
पतरातू	105	305	39
कहलगांव एसटीपीएस	390	237	15
पटना	5	0	12
तेनूघाट	110	50	10

1	2	3	4
डीवीसी			
बोकारो	130	228	75
चन्द्रपुर	170	135	78
दुर्गापुर	120	128	46
मेजिपा	80	27	1
उड़ीसा			
तलचर	170	162	15
इब वैली	245	205	6
तलचर एसटीपीएस	250	185	18
पश्चिम बंगाल			
बंदेल	130	92	11
संथालडीह	75	42	14
कोलाघाट	400	314	15
कलकत्ता (सीईएससी)	85	84	7
टीटागढ़ (सीईएससी)	105	94	14
साउथ जन० (सीईएससी)	50	42	5
दुर्गापुर (डीपीएल)	110	42	9
फरक्का एसटीपीएस	600	393	10
बजबज	20	0	0
कुल पूर्वी क्षेत्र :	3440	2561	21
एन०आर० क्षेत्र बांगेगांव	50	28	28
जोड़ : अखिल भारतीय	18590	16263	15

[हिन्दी]

कनाड़ा द्वारा विद्युत क्षेत्र में निवेश

225. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बिजली की भारी कमी को देखते हुए कनाडा सरकार से विद्युत क्षेत्र में निवेश किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) कनाडा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ग) केरल की इनर्जी स्ट्रैक्चर प्रोजेक्ट के लिए तीन वर्षों की अवधि से अधिक 13.8 मि० कैनेडियन डालर की स्वीकृति के लिए दिनांक 8.1.1997 को भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना का उद्देश्य :-

1. संगठनात्मक संरचना और विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित नीतिगत सुधारों के लिए केरल की सहायता करना।
2. विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने एवं एक उपयुक्त स्वतंत्र नियामक तंत्र की आवश्यकता की जांच करना।
3. मानदंडों, प्रक्रियाओं और विद्युत उद्योग के विभिन्न घटकों के विकास में सम्बद्ध निजी क्षेत्र के लिए संबंधित प्रलेखन विकसित करना।
4. दक्षिण क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्डों के बीच क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना।
5. अन्य राज्य बिजली बोर्डों के लिए परियोजना अवधारणा (संरचना और नीतिगत सुधार) को लागू करने संबंधी संभावनाओं का पता लगाना।

इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नीति के अंतर्गत कैनेडियन कंपनी विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

भारतंडम में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर में पूर्णकालिक कार्यक्रम

226. **श्री एन० डेनिस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतंडम में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर पूर्णकालिक कार्यक्रम प्रसारित करने का है जिनके लिए उस क्षेत्र के लोगों द्वारा पुरजोर मांग की जा रही है और अभ्यावेदन भी दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) हालांकि स्टाफ की स्वीकृति के लम्बित रहते भारतंडम में स्थिति अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर 9.12.95 को चालू किया गया था और वर्तमान में, इसे दूरदर्शन नेटवर्क में अन्यत्र तैनात दौरे पर जाने वाले स्टाफ को तैनात करके चलाया जा रहा है जिससे यह केवल अंशकालिक प्रसारण उपलब्ध करवा रहा है। तथापि, अल्प शक्ति ट्रांसमीटर से पूर्णकालिक प्रसारण, परियोजना के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु स्टाफ स्वीकृति की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

कारोबार पर प्रतिबंध

227. श्री सुरेश प्रभु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग, सीमेंन्स, बिरला एरिक्शन, आर०पी० जी०, स्टेरलाइट और विकास हाइब्रिड जैसी कंपनियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में इन कंपनियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी इन कंपनियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है चूंकि ये कंपनियां, कंपनियों के समूह का एक भाग थी, जिन्होंने आप्टीकल फाइबर केबल की सप्लाई के लिए 21.5.96 को खोली गई निविदा के लिए उत्पादक संघ (कार्टल) बना लिया था।

(ग) जी हां।

(घ) विभाग द्वारा एक जांच अधिकारी नामित किया गया है ओर कंपनियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की अभी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मालगाड़ियों का पटरी से उतरना

228. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 फरवरी, 1997 को भावरटैंक रेलवे स्टेशन (कटनी-बिलासपुर सेक्शन, मध्य प्रदेश) के निकट मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दुर्घटना की जांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी जिसका निष्कर्ष यह है कि दुर्घटना सीबीसी ऊंचाई और सख्त आमान के अत्यधिक अंतर के कारण हुई।

हातमाबाद में रेलवे फाटक बनाना

229. श्री अशोक प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले के हातमाबाद गांव में रेलवे फाटक बनाने के लिए संसद सदस्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरसंचार सलाहकार समिति

230. श्री एस० अजय कुमार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालघाट, केसूलू केरल में दूरसंचार सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) चलक्कड़ और केरल दूरसंचार सर्किल की दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन क्रमशः दिनांक 30.6.1997 तथा 31.12.1998 तक के लिए पहले ही किया जा चुका है। केसूलू के लिए अलक से कोई दूरसंचार सलाहकार समिति नहीं है और ऐसे क्षेत्रों की देख-भाल समान्यतया सर्किल की दूरसंचार सलाहकार समिति द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

अश्लील विज्ञापनों पर प्रतिबंध

231. श्री विनय कटियार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे अश्लील विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का इरादा है।;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने अश्लील विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापनों संबंधी संहिता में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारित करता है। इस संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ अभद्र एवं अश्लील विज्ञापनों की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

टेलीविजन कार्यक्रमों का महत्व

252. श्री विजय गोयल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दर्शकों के लिए विदेशी टी०वी० चैनलों के प्रसारण आरम्भ होने के बाद टी०वी० कार्यक्रमों के संबंध में हुई प्रगति के विषय में सरकार ने कोई अध्ययन सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को दर्शकों से ऐसी जानकारी मिली है कि विदेशी चैनल उपभोक्ता वस्तुओं के लिए विज्ञापन कार्यक्रमों में सुधारने में अग्रणी रहे हैं, परन्तु इन चैनलों के शुरू होने से मनोरंजक कार्यक्रमों की गुणवत्ता में बहुत कम सुधार आया है क्योंकि इनमें अधिकाशंतः लोकप्रिय दूरदर्शन कार्यक्रमों का पुर्नप्रसारण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अपनी नीति में कोई ऐसा परिवर्तन करने पर विचार कर रही है जिससे केवल उन विदेशी टेलीविजन चैनलों को अनुमति दी जाए जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, शिक्षा और अभिरुचियों के अनुरूप हों; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) इस संबंध में दूरदर्शन द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) विदेशी चैनलों के कार्यक्रमों के बारे में अलग-अलग मत हैं। सरकार ने प्रसारण विधेयक, 1997 संसद में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में सभी टी०वी० चैनलों के लिए एक विनियामक प्राधिकरण का प्रावधान है। फिलहाल संसद की एक प्रवर समिति द्वारा इस विधेयक की जांच की जा रही है।

पोर्टेबल सेटेलाइट कम्युनीकेशन सर्विस

253. श्री के०पी० नायडू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु एम नये पोर्टेबल सेटेलाइट कम्यूनीकेशन सर्विस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस सेवा की प्रति मिनट काल दर क्या है;

(ग) क्या सभी आवेदकों को कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इनमारसैट-फीन मिनी-एम नई ग्लोबल मोबाइल फोन सेवा है जिसके माध्यम से 2.4 के बी०पी०एस० पर वायस टेलीफोनी, फैक्स और डाटा सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमारसैट फोन-एम टर्मिनल अब तक का बना सबसे छोटा और सबसे हल्का (लगभग 2.4 कि० ग्राम) सेटेलाइट फोन है।

इस टर्मिनल की कीमत सभी शुल्क और करों को मिलाकर लगभग 2.75 लाख रुपये हैं।

(ख) प्रति मिनट काल प्रभार लगभग 116/- रुपये हैं।

(ग) आवेदकों को दूरसंचार विभाग में उनके आवेदनों की तकनीकी जांच कर लिए जाने तथा संचार मंत्रालय के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यू पी सी विंग) में उस मामले में अनुमति मिल जाने के पश्चात ही कनेक्शन दिए जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा–नागपुर आजाद हिन्द एक्सप्रेस की बारंबारता में वृद्धि

254. श्री बादल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा-नागपुर आजाद हिन्द एक्सप्रैस की बारंबारता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) फिलहाल, 1029/1030 हावड़ा-पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस बारास्ता नागपुर की बारम्बारता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

खड़गपुर तथा सियालदह के बीच ई०एम०यू० ट्रेन चलाना

255. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खड़गपुर तथा सियालदाह के बीच सी०सी० कोर्ड सैक्शन होते हुए ई०एम०यू० ट्रेन चलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सारी सुविधाओं के उपलब्ध होने के बाबजूद इस तरह की सेवा को आरंभ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि यदि इस तरह की सेवा आरंभ की जाती है तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पर कार्य का दबाव काफी कम हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) परिचालनिक तथा तकनीकी कठिनाई के कारण अंडुल-कलकत्ता कोर्ड के रास्ते खड़गपुर और सियालदह के बीच सीधी पैसेंजर गाड़ियां चलाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। तथापि, खड़गपुर-डानकुनी-सियालदह सेक्टर के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है।

स्टाफ की कमी

236. श्री महबूब जहेदी :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाफ की कमी के कारण चुनींदा रेलगाड़ियों में रेलगाड़ी अधीक्षकों की तैनाती में विलम्ब हुआ है;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार कनिष्ठ स्टाफ को रेलगाड़ी अधीक्षक के रूप में पदोन्नत करने तथा नये पद सृजित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चुनिंदा रेलगाड़ियों में गाड़ी अधीक्षकों को तैनात करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) उपयुक्त इच्छुक कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कुछ गाड़ियों में गाड़ी अधीक्षकों की तैनाती में विलंब हुआ है। चुनी हुई गाड़ियों में इच्छुक कर्मचारियों की तैनाती तथा अतिरिक्त पदों का सृजन करके गाड़ी अधीक्षकों को तैनात करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

हावड़ा और कन्या कुमारी के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करना

237. श्री ए० सम्पत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाबड़ा और कन्या कुमारी के बीच एक सुपरफॉस्ट रेलगाड़ी चलाने के लिए केरल तथा कलकत्ता के लोगों की मांग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दोनों स्थानों के बीच सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसी रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त दोनों स्थानों पर (ब्रेक जर्नी) सविराम यात्रा के द्वारा पहुंचने के लिए लोगों को मजबूर करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) 6315/6316 हावड़ा-कोचीन एक्सप्रेस को तिरूवनंतपुरम तक चलाने का विनिश्चय किया गया है। हावड़ा और कन्याकुमारी के बीच सीधी सेवा की व्यवस्था करना फिलहाल परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

ई०एम०यू० कार शेड की क्षमता

238. श्री अनिल बसु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा, सियालदाह और खड़गपुर मंडलों के अंतर्गत ई०एम०यू० कार शेडों में ई०एम०यू० इंजनों को खड़ा करने की कार शेड-वार क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी कार शेड ई०एम०यू० के 12 कोच रेकों का हस्तन करने के लिए सुसज्जित हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या इन कार शेडों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें ई०एम०यू० के कोच रेकों का हस्तन करने योग्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) हावड़ा, सियालदह और खड़गपुर मंडलों के अधीन ई०एम०यू० कार शेडों की खड़ा करने की क्षमता निम्नानुसार हैं :-

1.	हावड़ा	22 रेक
2.	बंडेल	18 रेक
3.	नरकेलडांगा	17 रेक
4.	सोनारपुर	21 रेक
5.	बारासात	28 रेक
6.	टिकियापाड़ा	22.5 रेक
7.	पांसकुरा	9.5 रेक

(ख) जी नहीं।

(ग) कलकत्ता क्षेत्र में फिलहाल कोई 12 कार ई०एम०यू० सेवाएं नहीं है और इसलिए कारशेड को 12 कोच ई एम यू रेक सम्हलाने के लिए उपयुक्त बनाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इन शेडों में ई एम यू रेकों के रख-रखाव के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। चूंकि कलकत्ता में 12 कार ई एम यू रेक चलाऐ जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए इन शेडों को 12 कोच ई एम यू रेलों की सम्हलाई के लिए उपयुक्त बाना आवश्यक नही है।

बर्दवान में टेलीफोन एक्सचेंज

239. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में इस समय कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की एक्सचेंजवार क्षमता कितनी है;

(ख) उनकी वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) वर्तमान क्षमता 73790 लाइनें है।

(ग) जी हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

वर्धमान जिले (प० बंगाल) में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
1	2	3
1.	अदल	400
2.	आसलोक	11000
3.	बार्मूरा	368
4.	बहुला	1000
5.	बाराकार	3000
6.	दुरूनपुर	2000
7.	चिंचुरिया	88
8.	चितरंजन	3000
9.	दोमोहानी	184
10.	जमुरियाघाट	1000
11.	झुंगूरा	415
12.	कोजारा	416
13.	नियामतपुर	2000
14.	नुतनडैंगा	208
15.	पांडवेसवर	416
16.	पनुरिया	184
17.	रानीगंज	4000
18.	उकरा	1000
19.	अग्रद्विप	184
20.	अमरून	184
21.	अगुनो	184
22.	बदला	368
23.	वैद्यपुर	208
24.	बालगोना	178
25.	बरदीघी	184
26.	भटर	336
27.	भेदिया	184
28.	बोन पास	184
29.	बोरसुल	336
30.	चुलकुलीताला	184
31.	बरदवान	7750
32.	चाकदीघी	184
33.	चन्द्रापुर	88

1	2	3
34.	दैनहाट	88
35.	चुरपुनी	88
36.	देवीपुर	184
37.	धात्रीग्रांम	368
38.	डिगनगर	184
39.	गल्सी	336
40.	गंगाटीकुरी	184
41.	गंगपुर	184
42.	कुस्कारा	1000
43.	सतगोविन्दपुर	336
44.	जमालपुर	336
45.	जौग्राम	184
46.	कलना	1400
47.	कमारपारा	184
48.	केदरा	184
49.	कोरालाघाट	184
50.	कासीमनगर	184
51.	कटवा	3000
52.	केटुग्राम	88
53.	खुदरून	176
54.	कोएचार	176
55.	कुचुट	88
56.	कुरमुन	88
57.	मध्यग्राम	184
58.	मनटेश्वर	336
59.	मेमारी	1400
60.	मंदलग्राम	88
61.	नबग्राम	152
62.	नंदनघाट	88
63.	नूतनहाट	
64.	ओरग्रम	184
65.	पालसीट	176
66.	पंचनअंताला	184
67.	पराज	184
68.	पास्लिया	184
69.	पुतली	88
70.	रैना	184
71.	रामगोपालपुर	184
72.	रामनगर	184
73.	रसूलपुर-II	884
74.	साहेबगंज	884
75.	शक्तिगढ़	884
76.	समुद्रगढ़	304
77.	सतगछिया	1000
78.	शेहरबाजार	384
79.	श्याम सुन्दर	184
80.	सिमलोन	184
81.	श्रीखंडा	184
82.	बंकती	152
83.	विघननगर	2000
84.	बुडग-बुडग	368
85.	दुर्गापुर (सी०सी०)	9000
86.	दुर्गापुर (आई)	4000
87.	दुर्गापुर (शहर)	5000
88.	गोपालमठ	152
89.	गोपालपुर	152
90.	पानागढ़ बाजार	1000
91.	राजबंध	152
	जोड़	73790

विवरण-II

पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में क्षमता बढ़ाने की योजना (एक्सचेंजवार)

क्र०सं०	टेलीफोन एक्सचेंज का नाम	वर्तमान क्षमता (लाइन में)	1997-98 के दौरान प्रस्तावित निवल विस्ता
1	2	3	4
1.	आसनसोल	11000	6000
2.	दुरनापुर	2000	500
3.	बलगोना	176	160
4.	विधान नगर	2000	1000
5.	कुर्दवान	7750	2000
6.	वैधपुर	208	128
7.	चित्तरंजन	2000	1000
8.	देवोहाट	184	152
9.	दामोहानी	184	152
10.	दुर्गापुर—आई	4000	1000
11.	दुर्गापुर एस	5000	2000
12.	दुर्गापुर सी०सी०	3000	1000
13.	गंगाटीकोरी	88	64
14.	जौग्राम	184	152
15.	कलना	1400	600
16.	कासीमनगर	192	144
17.	केवोद्रा	88	64
18.	कुदरून	88	216
19.	कुचगुट	88	64
20.	कुरमुन	88	64
21.	मेंमारी	1400	768
22.	नदनघाट	88	64
23.	नूतनडंगा	184	152
24.	पतूली	88	64
25.	पनुरिया	184	152
26.	पस्कुलिया	184	152
27.	पंचननताला	184	152
28.	पानागंज	1000	1000
29.	साहेबगंज	88	64
30.	सीमलौन	184	152
31.	श्यामसुन्दर	184	152
		43,556	19,332

मध्य प्रदेश में विकास कार्य

240. श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री पवन दीवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में दूरसंचार और डाक के क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान ऐसे विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कार्यान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछ कार्य अधूरे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यों को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) चालू वर्ष 1997-98 के दौरान, मध्य प्रदेश में दूरसंचार तथा डाक क्षेत्र में जिन विकास कार्यों को निष्पादित करने का निर्णय किया गया है उनके ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) दूरसंचार तथा डाक क्षेत्र में चालू वर्ष 1997-98 में जिन विकास कार्यों की योजना है उन्हें वार्षिक योजना अवधि के दौरान 31.3.98 तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

चालू वर्ष 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश में दूरसंचार क्षेत्र में योजनाबद्ध महत्वपूर्ण विकास कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र० सं०	मद का नाम	1997-98 की वार्षिक योजना के लक्ष्य
1	2	3
1.	निवल स्विचन क्षमता	88000 लाइनें

1	2	3
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	70000 अदद
3.	टीएएक्स क्षमता (सकल)	26000 लाइनें
4.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	5500 अदद

विवरण-II

चालू वर्ष के दौरान, मध्य प्रदेश में डाक क्षेत्र में अभिज्ञात महत्वपूर्ण विकास कार्यों के ब्यौरे।

1. 2 विभागीय उप डाकघर तथा 37 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

   डाकघर खोलने की मंजूरी, आय, जनसंख्या तथा दूरी संबंधी मानदण्ड पूरा करने पर दी जाती है। वर्ष के दौरान अकेले मध्य प्रदेश में ही 3 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई है।

2. मध्य प्रदेश में 45 डाकघरों में 80 बहु-उद्देशीय काउन्टर मशीनें लगाए जाने की परिकल्पना है।

3. मनी आर्डरों के आन-लाइन प्रापण तथा पारेषण हेतु इन्दौर में उपग्रह मनी आर्डर के 10 विस्तार केन्द्रों को अत्यन्त लघु उपचर टर्मिनल (वी सैट) के साथ जोड़ा जाना है।

4. चालू वर्ष में डाक भवनों तथा कर्मचारी आवासों के निर्माण के संबंध में अनवरत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। चालू वर्ष के दौरान अभी तक कोई नई परियोजना शुरू नहीं की गई है।

अंडाल सैथियां खंड की उपयोग क्षमता

241. डा० रामचन्द्र डोम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के अंडाल-सैथिया खंड की उपयोग क्षमता कितनी है;

(ख) अंडाल-सैतिया डीएमयू की बारम्बारता में वृद्धि करने हेतु रेलवे की क्या योजना है;

(ग) क्या सरकार इस खंड में दोहरी लाइन बनाने तथा इसका विद्युतीकरण करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार किस प्रकार इस खंड का बेहतर उपयोग करने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अंडाल-सैथिया खंड की उपयोग क्षमता निम्नलिखित है :-

अंडाल–उखरा	(12.01 कि०मी०)	–100%
उखरा–पंडाबेश्वर	(8.33 कि०मी०)	–65.2%
पंडाबेश्वर–सैंथिया	(53.06 कि०मी०)	–78.6%

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) अंडाल से पंडाबेश्वर तक दोहरी लाइन पहले से ही है। इस समय पंडाबेश्वर – सैंथिया लाइन के दोहरीकरण पर विचार नहीं किया जा रहा है। अंडाल – सैंथिया लाइन को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि उपयोग परिवहन की मांग पर निर्भर करता है अतः इसमें तभी वृद्धि होगी जब कि यहां से आरंभ होने वाले परिवहन अथवा इस मार्ग से गुजरने वाले परिवहन में वृद्धि होगी।

असम में प्रतीक्षा सूची

242. श्री उद्धव बर्मन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में टेलीफोन कनेक्शन के लिए एक्सचेंज-वार कुल कितने लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) क्या सरकार ने इस सूची मे शामिल लोगों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) असम में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार असम में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या 24827 है। एक्सचेंज-चार प्रतीक्षा सूची की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान 35,000 नए कनेक्शन तथा 44000 लाइनों की अतिरिक्त स्विचिंग क्षमता प्रदान करने की योजना बनाई गयी है। 31.3.97 की स्थिति के अनुसार इससे 1997-98 के दौरान अधिकांश एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची के निपटा लिये जाने की संभावना है।

विवरण

क०सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अभयपुरी	95

1	2	3
2.	आगोमोनी	16
3.	अलगापुर	10
4.	अंगूरी	98
5.	अमीन गांव	102
6.	अरुणाचल	31
7.	(I) बी० चरियाली	5
	(II) बी० चरियाली	0
8.	बदरपुर	162
9.	बदुलीपार	7
10.	भाईझटा	7
11.	बकुलिया	2
12.	बालीपाढ़ा	3
13.	बामुनबारी	8
14.	बैरागराम	70
15.	बबाना	29
16.	बबरूआ	12
17.	बड़पथर	9
18.	बरपेटा आर०डी०	80
19.	बबपेटा टी०एन०	60
20.	बसकन्डी	28
21.	बासूगांव	2
22.	बाजारी चेरा	36
23.	बेबेजिया	67
24.	बाजारे घाट	22
25.	बेडिटी	8
26.	बेहाराबाजार	0
27.	बरगटोल	24
28.	भंगाबाजार	63
29.	भुटिया चुंग	0
30.	बिहपुरिया	63
31.	बिजनी	33
32.	विजयनगर	80
33.	विलाभी पाढ़ा	124
34.	वोगरी बारी	1
35.	बोकाजान	31
36.	(I) बोकाखाट	0
	(II) बोकाखाट	142
37.	बोको	15
38.	(I) बोंगईगांव	580
	(II) बोंगईगांव	0
39.	बाबगंज	12
40.	बोभापजान	35
41.	बोरहोल्ला	12
42.	बोरजोन	6
43.	बोड़जरापुर	2
44.	बोड़झार	8
45.	बोड़खोला	10
46.	बोड़कुला	16
47.	छबुंआ	71
48.	चहटा	10
49.	चन्द्रपुर	16
50.	चपखोआ	18
51.	चापड़	27
52.	चाय गांव	3
53.	दानचेरा	0
54.	दंरगा	1
55.	डेन्दू	65
56.	देवनमारनोइगांव	3
57.	देरगांव	236
58.	देहान	0

1	2	3
59.	धकुआखाना	13
60.	धोलीगांव	63
61.	(I) धैकियाजुली	0
	(II) धैकियाजुली	60
62.	(I) धेमाजी	62
	(II) धेमाजी	0
63.	ढ़ीग	38
64.	ढ़ोलाईबाजार	13
65.	ढ़ोलाईबिल	0
66.	घुबरी	428
67.	घुपघारा	13
68.	(I) डिबूगढ़	0
	(II) डिबूगढ़	680
69.	डिगबोई	160
70.	डिकोम	23
71.	डिकरोग	30
72.	दिनजान	34
73.	(I) दीफू	155
	(II) दीफू	0
74.	डोबोका	15
75.	डोनकनोकुम	6
76.	डुमडुमा	35
77.	डोटमा	6
78.	डी०बी० यूनिवर्सिटी	40
79.	दुआरबन्द	14
80.	दुडनोई	3
81.	दुलियाजान	132
82.	दुल्लावचेरा	8
83.	फकीराबाजार	59
84.	फकीराग्राम	13
85.	फुरकटिंग	0
86.	गहीगांव	10
87.	गरमूर	4
88.	गोरीपुर	88
89.	गोरीसागर	34
90.	(I) जी०एच० अदाबरी	247
	(II) जी०एच० दिसपुर	2996
	(III) जी०एच० नूनमदी	50
	(IV) जी०एच० पानबाजार	0
	(v) जी०एच० पानबाजार	3751
	(VI) जी०एच० उलुवारी	0
91.	घिलामाड़ा	0
92.	घोड़ाभाड़ा	21
93.	(I) गोलपाड़ा	224
	(II) गोलपाड़ा	0
94.	गोगामुख	5
95.	गोहपुर	54
96.	गोलाघाट	193
97.	गोलकगंज	0
98.	गोरईमाड़ी	87
99.	गोरेश्वर	1
100.	गोसाईगांव	10
101.	गुईजान	6
102.	(I) हाफलांग	188
	(II) हाफलांग	0
103.	हैलाकन्ड़ी	90
104.	हाजो	17
105.	हमरेन	4
106.	हरनगजाओ	2
107.	हतासिंहीनार	7

1	2	3
108.	होजाई	180
109.	हुगरीजान	5
110.	ह्मवली	57
111.	हैराघाट	3
112.	इटाखोला	0
113.	(I) जागीरोड़	97
	(II) जागीरोड़	0
114.	जगुन	9
115.	जयपुर	3
116.	जजोरी	40
117.	जामागरी	7
118.	जमुनामख	15
119.	जीरी घाट	3
120.	जोगी गोपा	15
121.	जोगीजान	22
122.	जोनाई	3
123.	जोरबाट	40
124.	जोरहाट	575
125.	जुरिया	33
126.	काकाजान	19
127.	काका पठार	21
128.	काकी	16
129.	कलग	19
130.	कलई गांव	0
131.	कलाइन	22
132.	कलगाछिया	0
133.	काली गजबा	40
134.	कमलावारी	51
135.	कानपुर	94
136.	कनिकरगांव	3

1	2	3
137.	(I) करीमगंज	0
	(II) करीमगंज	679
138.	कायलगुरी	0
139.	कटली चेरा	44
140.	काजी रंगा	7
141.	खैरा बावी	0
142.	सारूपेहिया	0
143.	खटखही	5
144.	खैतरी	31
145.	खोवंग	10
146.	खुमतई	6
147.	कोकराझार	107
148.	कोरचेंग	17
149.	कोटाभोनी बाजार	4
150.	कोठिया होली	15
151.	कृष्णाई	0
152.	कुर्नसना	2
153.	कुहम	1
154.	कुवारीताल	25
155.	लाहेल	00
156.	लाहोरी घाट	10
157.	लाखीपुर	64
158.	लाखीपुर	40
159.	लकोवा	27
160.	(I) लाल्म	0
	(II) लाल्म	62
161	लामुक	10
162.	लोगहिंग	1
163.	लेका	117
164.	लेडो	19

1	2	3
165.	लखोपनी	0
166.	लुमाडिंग	147
167.	मंचखोवा	6
168.	मधुरमुख	0
169.	महियमरान	54
170.	महग	2
171.	मैरेला	14
172.	मरगिं	12
173.	माकुम	47
174.	मंगलदापी	5
175.	मानिकपुर	22
176.	मनीपुर बग्गा	16
177.	मांजा	5
178.	मनकाचार	40
179.	मरघी रीटा	107
180.	मरीयानी	166
181.	मरीगांव	50
182.	मजबात	2
183.	मिस्मामरी	2
184.	मोहन बाड़ी	16
185.	मोइरा बाड़ी	26
186.	मोनाबग	0
187.	मोनाचेर्रा	7
188.	मोराझार	40
189.	(I) मोरनहाट	0
	(II) मोरनहाट	147
190	मोतीनगर	7
191	मुकलमुआ	4
192.	मुराकुलानी	0

1	2	3
193.	(I) एन० लखीमपुर	0
	(II) एन० लखीमपुर	10
194.	(I) नेगांव	1262
	(II) नेगांव	0
195.	(I) नाहरकटिया	0
	(II) नाहरकटिया	66
196.	नाकाचारी	12
197.	नलबाडी	24
198.	नामरूप	180
199.	नामती	32
200	नतुन बाजार	24
201.	(I) नाजीरा	0
	(II) नाजीरा	251
202.	नेल्ली	25
203.	निपको केयल	0
204.	नीलाम बाजार	119
205.	नील बाजार	6
206.	एम०आर०एल०	21
207.	नुमाली गढ़	46
208.	ओरंग	12
209.	पलोग घाट	8
210.	पानी खेटी	11
211.	पानी टोला	30
212.	पाटाचार कुच	72
213.	पठार काड़ी	130
214.	पठारमाली	79
215.	पवोईचरल	2
216.	फिलोबाड़ी	7
217.	पुनगांव	16

1	2	3
218.	पुरहीगुड्म	79
219.	आर० के० नगर	75
220.	राहा	730
221.	राजा बाजार	0
222.	राज गढ़	35
223.	रजनागर	2
224.	रंगा चकुआ	2
225.	(I) रंगपरा	38
	(II) रंगपरा	0
226.	(I) रंगिया	24
	(II) रंगिया	95
227.	रोवटा	56
228.	रूपाही	6
229.	एस० देव नगर	5
230.	सैखराघाट	20
231.	सेलागटी	5
232.	मालचपेरा	11
233.	मलोना	7
234.	मामागरी	35
235.	शपथग्राम	35
236.	साफेखाओी	3
237.	मारावारी	2
238.	मरतेबारी	4
239.	मरूपथार	15
240.	मरूपेटा	16
241.	सेपान	20
242.	शिवसागर	1091
243.	मिलापठार	60
244.	(I) सिल्वर	2519
	(II) सिल्वर	0
245.	मिनोरी	0
246.	सीपाझार	0
247.	सीलकुची	30
248.	सोनाबारी घाट	3
249.	सोनाईमुख	8
250.	सोनापुर	55
251.	सोनारी	71
252.	सूतिया	55
253.	सोरभोग	22
254.	तलप	21
255.	तामाभात्	0
256.	तामूलपुर	0
257.	तंगला	5
258.	तराबरीहाटं	30
259.	टैंगोघाट	55
260.	टेओक	53
261.	(I) तेजपुर	0
	(II) तेजपुर	652
262.	ठेलामात	4
263.	तिहू	23
264.	तिलिकीओम	49
265.	टिंग्वोंग	7
266.	(I) तिनसुकिया	528
	(II) तिनसुकिया	0
267.	टीआबाड़	38
268.	उदलगुरी	20
269.	उधार बांड	22
270.	उमरांग्भू	46
271.	उरियामघाट	0

झाड़ग्राम से बांकुड़ा रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

243. श्री रूप चन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई रेल लाइन का निर्माण कर झाड़ग्राम को बांकुड़ा से जोड़ने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी रेलों को इस प्रकार की मांग प्राप्त होगी तब झारग्राम को बांकुरा से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण पर विचार किया जाएगा।

मांग पर फोन

244. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 1997 के इंडियन एक्सप्रेस में "फोन आन डिमांड टू रिमेन अ ड्रीम" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में 1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें निजी क्षेत्र, दूरसंचार विभाग के प्रयासों की अनुपूर्ति करेगा। तथापि, बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश में विलम्ब हो गया है और इसलिए 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं है। दूरसंचार विभाग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव अनुमोदनार्थ योजना आयोग को भेजे हैं, जिनमें 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है और इसमें निजी क्षेत्र सरकार के प्रयासों की अनुपूर्ति करेगा।

गलत टेलीफोन बिल

245. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरी जिले में 718 और 719 कोड वाली फोन लाइनों पर कुछ उपभोक्ताओं को 1995 से नए टेलीफोन नम्बरों के बजाए उनके पुराने टेलीफोन नम्बरों के अनुसार बिल प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) क्या इन उपभोक्ताओं को हजारों टेलीफोन कॉल के गलत बकाया बिल प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) इसके क्या कारण है और इस गलती को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या ऐसे गलत बिलों को तात्कालिक संशोधित नहीं किया जाता है और उपभोक्ताओं को ए०ओ० (उत्तर) द्वारा परेशान किया जाता है और केशवपुरम् एक्सचेंज के कर्मचारी वास्तविक मीटर रीडिंग लाने के नाम पर कुछ नहीं करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उपभोक्ताओं को उनके पुराने नम्बर के लिए एक बिलिंग चक्र में उक्त नम्बर को काटे जाने तक की तिथि के लिए उनके द्वारा देय या सामान्य बिलिंग चक्र के लिए वैसे नम्बर जो काटे जाने की तिथि अर्थात् 26.5.1996 तक कार्य कर रहे थे के लिए, बिल प्राप्त हुए थे।

(ख) पुराने नम्बर के काटने की तिथि से नए नम्बरों के लिए प्रथम बिलिंग चक्र तक के बालों के लिए वास्तविक मीटर रिडिंग के आधार पर सही प्रभार लिए गये थे तथा उससे संबंधित असाधारण रूप से अधिक काल प्रभारों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) चूंकि कनेक्शन काटने से पूर्व उस बिलिंग चक्र में पुराने नम्बर कार्य कर रहे थे अतः उपभोक्ताओं को उक्त बिलिंग चक्र में पुराने हेतु बिल प्राप्त हुए थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है और उपभोक्ताओं को केवल नए नम्बरों के लिए बिल प्राप्त हो रहे हैं।

(घ) ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है और जहां कहीं भी संशोधन की आवश्यकता थी वहां संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा तुरन्त संशोधन कर लिये गये।

(ङ) पुराने नम्बरों की बिलिंग को रोकने के लिए कनेक्शन काटने के शीघ्र बाद कंप्यूटर में डाटर भरने के लिए अग्रिम तौर पर कार्रवाई की गई है।

कर्नाटक में बंजरभूमि विकास परियोजना

246. श्री विजय संकेश्वर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लम्बित होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ङ) राज्य में इस समय कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) बंजरभूमि विकास विभाग में समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ख) और (ग) कर्नाटक राज्य का समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना का कोई प्रस्ताव विभाग में स्वीकृति हेतु लंबित नहीं पड़ा हुआ है।

(घ) बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पांच परियोजनायें विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित की गई है।

(ङ) और (च) केनेडियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी बंजरभूमि विकास के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में 1.12.93 से 31.12.99 तक के लिए वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 45.99 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मुहैया करा रही है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र०सं०	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	भौतिक लक्ष्य (हैक्टेयर में)	परिव्यय (लाख रु० में)	रिलीज की गई निधियां 1992-93 (लाख रु० में)	रिलीज की गई निधियां 1993-94 (लाख रु० में)	रिलीज की गई निधियां 1994-95 (लाख रु० में)	रिलीज की गई निधियां 1995-96 (लाख रु० में)	रिलीज की गई निधियां 1996-97 (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**राज्य : कर्नाटक**								
	1. टुमकुर-1	91-92 से 95-96	6780	436.20	71.00	90.00	100.00	60.00	0.00
	2. टुमकुर-2	91-92 से 95-96	1500	120.00	13.50	26.00	30.00	15.00	0.00
	3. मांडवा	93-94 से 97-98	7453	372.91	0.00	45.49	51.00	140.00	67.50
	उपयोग		15733	929.11	84.50	161.49	181.00	215.00	67.50
	योग		15733	929.11	84.50	161.49	181.00	215.00	67.50

हबरा और बोगांव के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाना

247. श्री तरित वरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेल के सियालदह डिवीजन के अंतर्गत हबरा और बोगांव सेक्शन के बीच दोहरी रेल लाइन का निर्माण कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त कार्य के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है; और

(घ) इस विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (घ) हबरा और बोंगाव के बीच दोहरीकरण के लिए तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण प्रगति पर है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

कर्नाटक में ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान

248. श्री बी०एल० शंकर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में जिलावार कितने ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान कार्यरत थे; और

(ख) वर्ष 1997-98 और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य के किन जिलों में ऐसे संस्थान खोले जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क)

और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन द्वारा प्रोसेसिंग फी में वृद्धि

249. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने "कमीशन्ड" श्रेणी के अन्तर्गत फिल्मों/टेलीफिल्मों/धारावाहिकों, इत्यादि के निर्माण हेतु निजी निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों के लिए "प्रोसेसिंग फी" में वृद्धि कर इसे 2000 रुपए से 5000 रुपया कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो "प्रोसेसिंग फी" में वृद्धि करने के क्या कारण/औचित्य हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोसेसिंग शुल्क में वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए केवल सही ओर विचारशील निर्माताओं से स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव प्राप्त हों। दूसरा कारण यह है कि सभी स्तरों पर दूरदर्शन कार्मिकों द्वारा लगाए जाने वाले समय के संदर्भ में किसी प्रस्तावों की प्रोसेसिंग की लागत में भी वृद्धि हुई है।

तपुरहट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

250. प्रो० जितेन्द्र नाथ दास : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तपुरहट इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के लिए तपुरहट टेलीफोन उपभोक्ता एसोसिएशन, कूच बिहार के सचिव से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) पारेषण उपस्करों का संस्थापन-कार्य चल रहा है। और 30.9.97 तक विश्वसनीय मीडिया के जरिए एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर दिए जाने की आशा है।

टेलीफोन लगाना

251. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ओ०बी०" संख्या जारी करने के बाद भी कई महीनों तक न तो टेलीफोन लगाए जाते है और न ही उन्हें स्थानांतरित किया जाता है;

(ख) यदि हां तो सरकार का किन अधिकारियों के खिलाफ जो विलंब के लिए दोषी हैं, क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) लंबित टेलीफोनों को कब तक लगाने/स्थानांतरित करने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। कुछेक ऐसे मामलों, जिनमें संबंधित क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य न हो या उपभोक्ताओं की ओर से कोई कमी हो, को छोड़कर ओ०बी० जारी होने के पश्चात सामान्तया दूरसंचार विभाग के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार टेलीफोन लगाए जा रहे हैं और शिफ्ट किए जा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जैसे ही संबंधित क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो जाता है और ओ०बी० जारी कर दी जाती है वैसे ही टेलीफोन लगाने/शिफ्ट करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंज

252. श्री भक्त चरण दास : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जिलेवार अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं।

(ख) 1996-97 के दौरान इन राज्यों में जिलेवार और स्थानवार कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं; और

(ग) गत दो वर्षो के दौरान उक्त राज्यों में जिलेवार कितने ग्राम पंचायतों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करायी गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

उड़ीसा तथा आन्ध्र-प्रदेश में अब तक (3.6.97 की स्थिति के अनुसार) स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या

(क) उड़ीसा

क्र०सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालासोर	51

1	2	3
2.	भदरक	21
3.	मयूरभनजा	35
4.	गनजम	72
5.	गजापती	17
6.	फुलबनी	21
7.	बौद्ध	10
8.	खुरदा	45
9.	नयागढ़	16
10.	पुरी	27
11.	बोलानगीर	22
12.	सोनेपुर	9
13.	कालाहान्दी	16
14.	नौपादा	8
15.	कटक	41
16.	जगतसिंहपुर	30
17.	केन्दरापारा	20
18.	जाजपुर	31
19.	कैनझार	31
20.	अनगुल	29
21.	डेनकनाल	29
22.	कोरापुट	25
23.	मलकनगीरि	7
24.	नोवरंगपुर	12
25.	रायागढ़ा	21
26.	सम्भलपुर	27
27	झरसुगूदा	12
28.	बारगढ़	32
29.	देवगढ़	3
30.	सुन्दरगढ़	39
	योग	799

(ख) आन्ध्र प्रदेश

1.	आदिलाबाद	55
2.	अंनतपुर	131
3.	चित्तौड़	132
4.	कोड़ापाह	88
5.	ईस्ट गोदावरी	107
6.	गनतूर	114
7.	हैदराबाद	48
8.	रंगारैडी	68
9.	करीमनगर	107
10.	खामाम	78
11.	क्रीश्नना	121
12.	करनौल	121
13.	महबूबनगर	100
14.	मेंदक	92
15.	नलगौंडा	78
16.	नेल्लौर	90
17.	निजामाबाद	82
18.	प्रकाशम	78
19.	श्रीकाकुलम	50
20.	विशाखापट्नम	66
21.	विजानागरम	47
22.	वरानगल	75
23.	वेस्ट गौदावरी	138
	जोड़	2066

कुल जोड़ : (ए) + (बी) = 799 + 2066 = 2805

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या

(क) उड़ीसा

क्र० सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	क्र० सं०	एक्सचेंजों के अवस्थिति
1	2	3	4	5
1.	बालासोर	1	1.	बिशनूपुर
2.	भदरक	1	2.	धमरा
3.	बौद्ध	1	3.	अदीनगढ़
4.	गनजम	4	4.	दुनकापारा
			5.	दूरा
			6.	सरंनगोपाली
			7.	सोराला
5.	गुजरात	1	8.	नारायनपुर
6.	खुरदा	3	9.	कान्ताबादा
			10.	सोरन
			11.	भुवनेश्वर
7.	नयागढ़	3	12.	बानामालीपुर
			13.	मध्याखण्ड
			14.	मालीसाही
8.	कालाहान्दी	2	15.	कालामपुर
			16.	कोकसारा
9.	सोनेपुर	1	17.	सुबाल्या
10.	कटंक	2	18.	कटंक (ओ०एम०पी०)
			19.	कानपुर
11.	जगतसिंहपुर	2	20.	मछागांव
			21.	तारापुर
12.	केन्दरापारा	2	22.	आन्ध्रा
			23.	बीरनीलाकंठपुर
13.	अंगुल	4	24.	कुकुदंगा
			25.	माधोपुर
			26.	साकासिंह
			27.	बदतगीरिहेदा
14.	डेन्कनाल	2	28.	धालापुर
			29.	सीमिनाई
15.	कोरापुट	1	30.	अल्मुन्दा
16.	रायागादा	1	31.	चलखमभा
17.	बरगढ़	2	32.	जगदलपुर
			33.	कादालीमुन्दा
18.	झरसुगुदा	2	34.	कुलाबिरा
			35.	राजपुर
19.	सम्बलपुर	5	36.	गोलाबन्धा
			37.	लापानग
			38.	नकतिदैल

(ख) आन्ध्र प्रदेश

1.	गुनटूर	4	1.	मेन गुनटूर
			2.	गुनटॅर (के० पेटा)
			3.	पटनम बाजार
			4.	पालापाटू
2.	हैदराबाद	14	5.	चारमीनार
			6.	द्वारकापुरी
			7.	मासब टेंक
			8.	रानी कोटी
			9.	ईरागाद्दा
			10.	मुर्शिदाबाद
			11.	जिदीमेटला
			12.	कवाड़ीगुद्दा
			13.	एल०बी० नगर
			14.	नचारम
			15.	सन्तोसनगर
			16.	लिनगुमपाली
			17.	मियापुर
			18.	सतनीकिन्री

1	2	3	4	5
3.	प्रकाशम	1	19.	ओनगोले
4.	पूर्वीगोदावरी	1	20.	राजामुनदरी
5.	अदीलाबाद	6	21.	बेला
			22.	जेनाद
			23.	कुन्याला
			24.	कापारला
			25.	पिप्पारावाद
			26.	रेपाल्लेवादा
6.	अन्नतपुर	1	27.	निलकंटापुरम
7.	खम्माम	1	28.	निमाली
8.	नालगोन्दा	3	29.	दामारचेंला
			30.	येल्लोंकी
			31.	वी०के० पाहाद
9.	निजामाबाद	1	32.	भावानीपेटा
10	कुद्दापाह	1	33.	सेट्टीगुन्टा
11.	कृष्णा	1	34.	चारटकपादू
12.	कुरनूल	1	35.	राचेरला
13.	मेदाक	1	36.	गनेशपाली
14.	विशाखापटनम	1	37.	दूमबरिगुदा
15.	विजयानगरम	2	38.	कोमारादा
			39.	कोरुकनदा
16.	वारानगल	1	40	अप्पाराजुपाली

विवरण-III

टेलीफोन सुविधा प्राप्त ग्राम पंचायतों की संख्या

(क) उड़ीसा

क्र०सं०	जिला	95-96	96-97	अभी तक की स्थिति 30.6.97 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	अंगुल	—	—	177
2.	बालासोर	5	—	251
3.	बारगढ़	—	2	184
4.	भदरक	1	—	161
5.	बोलानगीर	2	1	221
6.	बौद्ध	5	—	66
7.	कटक	—	—	247
8.	देवगढ़	—	1	46
9.	धेनकानाल	1	1	165
10.	गाजापटी	2	—	99
11.	गनजम	—	—	443
12.	जेगतसिंहपुर	—	—	177
13.	जाजपुर	—	—	237
14.	झरसुगुदा	1	7	54
15.	कालाहान्दी	2	2	177
16.	केन्दरापारा	—	—	203
17.	केनझार	—	—	239
18.	खुरदा	—	—	153
19.	कोरापुट	6	1	172
20.	मालकानगीरि	—	—	49
21.	मयूरभनज	5	—	301
22.	नायागढ़	—	—	138
23.	नोवापारे	2	1	78
24.	नवरंगपुर	1	1	129
25.	फुलबानी	1	—	116
26.	पुरी	—	—	204
27.	रायागादा	5	5	136
28.	सम्बलपुर	1	—	120
29.	सोनेपुर	—	—	79
30.	सुन्दरगढ़	—	—	166
	योग	40	22	4970

1	2	3	4	5
(ख) आन्ध्र प्रदेश				
1.	अदीलाबाद	114	26	575
2.	अनंतपुर	11	28	797
3.	चितौड़	75	105	1074
4.	कोडापाह	54	46	653
5.	ईस्ट गोदावरी	02	05	860
6.	गुनतूर	—	-	959
7.	करीमनगर	107	145	922
8.	खामाम	11	17	549
9.	क्रीशना	17	06	933
10.	करनौल	09	41	804
11.	महाबूबनगर	58	72	1059
12.	मेदक	107	25	773
13.	नलगोंडा	32	67	941
14.	नेल्लोर	50	35	819
15.	निजामाबाद	48	56	531
16.	प्रकाशम	115	44	846
17.	रंगारैडी	22	27	575
18.	श्रीकाकुलम	91	93	921
19.	विशाखापत्तनम	47	20	696
20.	विजयानगरम	131	93	795
21.	वरांगल	21	—	680
22.	वेस्ट गोदावरी	01	07	804
	जोड़	1123	958	17572

प्रौद्योगिकी का आयात

253. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन देशा से कितनी प्रौद्योगिकियां आयात की गई;

(ख) उन पर कुल कितना खर्च किया गया; और

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी की अनुमानित लागत कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) वर्ष 1995 और 1996 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत ऐसे विदेशी सहयोगों जिनमें प्रौद्योगिकी आयात, सेवाएं और अन्य शामिल हैं, की संख्या क्रमशः 2337 और 2303 है। ये विदेशी सहयोग 81 देशों के साथ किए गए हैं जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, यू०के०, यू०एस०ए० और अन्य शामिल हैं।

(ख) इन सहयोगों के संबंध में स्वीकृत एकमुश्त भुगतान वर्ष 1995 के दौरान लगभग 7200 करोड़ रुपए और 1996 के दौरान लगभग 2500 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कंपनियों द्वारा उत्पादन मूल्य के आधार पर रॉयल्टी, प्रशिक्षण व्यय आदि जैसी मदों के लिए भी भुगतान किए गए हैं।

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी की अनुमानित लागत का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

आसनसोल में कार शेड का निर्माण

254. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में प्रस्तावित ई०एम०यू० रेल के रखरखाव के लिए कार शेड का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण कार्य फरवरी, 1996 के दौरान शुरू किया गया था।

कार्य में मूलरूप से निम्नलिखित शामिल है :-

(I) सिविल इंजीनियरी संबंधी कार्य जिसमें इमारतें, गर्त और ढके शेड शामिल है;

(II) शिरोपरि उपस्कर की व्यवस्था;

(III) एम०एंड०पी० मदों आदि की खरीद;

(ग) तीन वर्ष के बाद कार्य पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

सेकेन्ड्री स्विचिंग एरिया फैसिलिटी

255. प्रो० ओम पाल सिंह "निडर" : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10,000 टेलीफोन कनेक्शन वाले जिले को सैकेन्ड्री स्विचिंग एरिया फैसीलिटी उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद जिले को इस सुविधा से वंचित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त स्थान पर जिला प्रबंधक का पद लम्बे समय से रिक्त है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त पद कब तक भरे जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) फिरोजाबाद में जिला प्रबंधक का कोई पद नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के मामले

256. श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय से संबंधित भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के क्रय, विक्रय तथा निर्यात से जुड़ा मामला हाल ही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय ने "सेल" से संबंधित खरीद, बिक्री और निर्यात संबंधी कोई भी मामला हाल ही में सी०बी०आई० को नहीं भेजा है।

सियालदह तथा लालगोला के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाना

257. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियालदह तथा लालगोला के बीच प्रातः सिराज एक्सप्रेस के नाम से एक नई रेलगाड़ी शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए है चूंकि इन दोनों के बीच इस समय कोई तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सियालदह से लालगोला तक सुबह में एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सुबह में सियालदह से लालगोला की ओर दो जोड़ी पैसेंजर सेवाएं यातायात की आवश्यकता पूरी करती हैं।

(ग) परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी।

विदेशी ऋण

258. श्री आर० सम्बासिवा राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन विद्युत निगम लिमिटेड को अपनी विद्युत परियोजना के लिए विदेशी ऋण के माध्यम से 2500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी ऋण यूनाइटेड किंगडम, जापान, कोरिया, संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस को निर्यात ऋण संस्थाओं से प्राप्त किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी;

(घ) इस परियोजना को वित्तीय आवश्यकता कब तक पूरी होने की संभावना है;

(ङ) इस परियोजना से कुल कितनी विद्युत प्राप्त होगी;

(च) क्या नागार्जुन विद्युत निगम ने कोयले के आयात के लिए बारह कंपनियां चुनी हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ग) नागार्जुन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन पी सी एल) कर्नाटक में मंगलौर के समीप कोयले से जलने वाली एक ताप विद्युत सयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। इस परियोजना के लिए कम्पनी में विदेशी ऋणों का सहारा लेना प्रस्तावित किया है। तथापि परियोजना प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय पैकेज अभी तक सुनिश्चित नहीं किए गए है।

(घ) निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं का वित्तीय समापन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिकी स्वीकृति समेत सभी आवश्यक निवेश लिंकेज और स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही प्राप्त किया जा सकेगा।

(ङ) परियोजना के लिए 1000 मे०वा० क्षमता की परिकल्पना की गई है।

(च) और (छ) कम्पनी ने मई 1997 में सूचिच किया है कि कोयला आयात करने के लिए पूर्व अर्हती प्राप्त पार्टियों के लिए एक प्रेस अधिसूचना जारी की गई है जिसके प्रत्युत्तर में 20 पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

(ज) परियोजना का पूरा होना अपेक्षित निवेश/लिंकेजो के सुनिश्चित किए जाने और आवश्यक स्वीकृतिया प्राप्त करने तथा वित्तीय समापन प्राप्त किए जाने की शर्तों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

खनन हेतु विदेशी सहायता

259. श्री अशोक प्रधान : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से आज तक किन-किन स्थानों पर खनन कार्य चल रहा है;

(ख) इस संबंध में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन कार्यों के लिए विदेशी संस्थानों से तकनीकी सहायता मांगी गई है या मांगे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन विदेशी कंपनियों से सहायता मांगी गई है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सिलिकासैंड, मेग्नेसाइट, डायसपोर और पायरोफाइलाइट का उत्पादन पिछले तीन वर्षों से बढ़ रहा है। इन खनिजों के बढ़ते हुए उत्पादन की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) यह सूचना मिली है कि मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि०, मैसर्स हेपवर्थ खनिज और रसायन लि०, यू०के० के सहयोग से लालापुर गांव इलाहाबाद जिला में एक सिलिकासैंड सज्जीकरण इकाई की स्थापना कर रहा है।

विवरण

(मूल्य 000 रु० में)

खनिज	जिला	इकाई	1994-95		1995-96		1996-97 (अनंतिम)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सिलिका सैंड	इलाहाबाद	टन	55244	3450	66839	5031	79412	7203
	बांदा	टन	6823	374	5481	287	2035	81
	जोड़		62067	3824	72320	5318	81447	7284
मैग्नेसाइट	अल्मोड़ा	टन	25214	22699	30615	27707	32860	29738
	पिथौरागढ़	टन	24902	9538	31000	15888	43358	24022
	जोड़		50116	32237	61615	43595	76218	53760
डायस्पोर	हमीरपुर	टन	250	88	742	371	35	35
	झांसी	टन	601	658	479	599	395	323
	ललितपुर	टन	5077	5994	3880	3615	6012	8643
	जोड़		5928	6740	5101	4585	6442	9001
पायरोफ्लाइट	हमीरपुर	टन	1210	363	2729	819	7324	2197
	झांसी	टन	2334	840	3425	1675	2369	3102
	ललितपुर	टन	1800	517	1320	548	3129	1782
	जोड़		5344	1720	7474	3042	12822	5081

[अनुवाद]

बनगांव से पेटरापोल तक रेल लाईन का निर्माण

260. डा० असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और बंगलादेश के बीच रेल गाड़ियां चलाने के लिए बनगांव से पेटरापोल तक रेल लाइन का निर्माण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) भारत और

बंगलादेश के बीच गाड़ियां चलाने के लिए बनगांव से पेतरापोल तक रेल लाइन के पुनर्स्थापन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

खनन कार्य को पट्टे पर देना

261. श्री संदीपान थोरात : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन कार्य पट्टे पर देने के अनेक प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान नई खनन नीति के अंतर्गत निजी/विदेशी कंपनियों को दिये गये खनन पट्टे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में निजी कंपनियों को खनन कार्य पट्टे पर देने के कतिपय प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) खनिज रियायतें खान और खनिज (विनियमन और विकास अधिनियम 1957 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। उक्त अधिनियम की अनुसूची-I के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते है और विधि के उपबन्धों के अनुसार ही उनपर कार्रवाई करके उनका निबटान किया जाता है। केन्द्र सरकार का अनुमोदन शीघ्र प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान 332 मामले निपटाए गए हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अधूरे होते हैं। ऐसे मामलों में, राज्य सरकारों से कहा जाता है कि वे निबटान के लिए पूर्ण सूचना भेजें।

(ग) देश में खनन कार्य ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा किया गया है। दिनांक 1.1.95 की स्थिति के अनुसार देश के निजी क्षेत्र में 8.567 खनन पट्टे और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार खनन अधिकार किसी भारतीय राष्ट्रिक या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उपधारा (I) में परिभाषित कंपनी को ही दिए जा सकते हैं। लेकिन प्रथम सूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में कोई पूर्वोक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा।

(घ) और (ङ) खनिज रियायत प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और मध्य प्रदेश में संबंधित सत्तर मामलों का निबटान वर्ष 1996-97 के दौरान किया गया है।

बिजली परियोजना को मंजूरी

262. श्री ए०जी०एस० राम बाबू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में किसी भी बिजली परियोजना को मंजूरी दी है/दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी अनुमानित लागत तथा भागीदारों के नाम क्या हैं तथा इन परियोजनाओं को किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) अभी तक 14100 मे०वा० की क्षमता के लिए 25 मिनी विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, के०वि०प्रा० तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए उन निजी विद्युत परियोजनाओं पर विचार करती है जिन्होंने अन्य आवश्यक निवेश/स्वीकृतियों समेत पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) उन निजी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में है जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जब तक तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

विवरण

उन प्रस्तावों का ब्यौरा जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है

जल विद्युत स्कीमें
(9.7.1997 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता मे०वा०	लागत (करोड़ रु०)	स्थल
1	2	3	4	5
1.	बासपा चरण एचईपी (मैसर्स जे०आई०एल०)	300	949.23	हिमाचल प्रदेश
2.	विष्णुप्रयाग एच०ई०पी० (मैसर्स जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि०	400	1614.6	उत्तर प्रदेश
3.	महेश्वर एच०ई०पी० (मैसर्स एस० कुमार्स लि०)	400	1500	मध्य प्रदेश
	तापीय स्कीम पश्चिमी क्षेत्र			
4.	पगुथन सी०सी०जी०टी० (मैसर्स जी०टी०ई० सी०एल०)	655	2298	गुजरात

1	2	3	4	5
5.	हाजी सी०सी०जी०टी० (मैसर्स एस्सार पावर लि०)	515	1666.56	गुजरात
6.	बड़ोत सी०सी०पी०टी० (मै० जी०आई०पी० सी०एल)	160	364.21	गुजरात
7.	सूरत लिगनाईट टी०पी०पी० (मै० जी०आई०पी० सी०एल)	250	1151.60	गुजरात
8.	दाभोल सीसीजीटी (मै० दाभोल पावर कं० मै० एनरान, यूएसए की)	2015	9051.60	महाराष्ट्र
9.	भद्रावती टीपीएस (मै० सेंट्रल इंडिया पावर कं० लि० निघन डेनरो इस्पात लि० द्वारा प्रवर्तित)	1072	3630.90	महाराष्ट्र
10.	कोरवा (ईस्ट) टीपीएस (मैसर्स दाएवू पावर इंडिया लि०)	1070	4600.00	मध्य प्रदेश
11.	बीना टीपीएस (मैसर्स बीना पावर सप्लाई कं० लि०)	578	2443	मध्य प्रदेश
12.	नरसिंहपुर सी०सी०पी०पी० (मैसर्स जी०बी०एल० पावर इंडिया लि०)	165	531.24	मध्य प्रदेश
	दक्षिणी क्षेत्र			
13.	जेगुरूपाडू सी०सी०जी०टी० (मे० जी०वी०के० इंडस्ट्रीज)	216	816	आन्ध्र प्रदेश
14.	गोदावरी सी०सी०जी०टी० (मै० एस०पी०जी०एल०)	208	748.43	आन्ध्र प्रदेश
15.	विजाग टी०पी०एस० (मै० हिन्दुजा नेशनल कारपो० प्रा० लि०)	1040	4297.80	आन्ध्र प्रदेश
16.	रामागुडम एक्स० (आई०सी०बी० रुट पर)	520	2384.57	आन्ध्र प्रदेश
17.	तोरनगल्लू टी०पी०एस० (मै० जिंदल टैक्टबेल पावर कं० लि०)	260	1093.86	कर्नाटक
18.	मंगलौर टी०पी०एस० (मैसर्स मंगलौर पावर कं० कोजेन्ट्रिक्स इनर्जी इनकार० यूएसए तथा जनरल इलैक्ट्रिक कैपीटल कारपोरेशन की सहायक कंपनी)	1000	3948.33	कर्नाटक
19.	नेवेली टी०पी०एस० जीरो यूनिट (मै० एस०बी०-सी०एम०एस० इलैक्ट्रिक कंपनी)	250	1200	तमिलनाडु
20.	पिल्लैपेरूमालनेल्लूर सी०सी० जी०टी० (मैसर्स डाइना मेकोवस्की पावर कंपनी)	330.5	1121.70	तमिलनाडु
21.	नार्थ मद्रास टी०पी०एस० (मैसर्स वीडियोकोन पावर लि०)	1050	4423.80	तमिलनाडु
22.	बेसिन ब्रिज डी०जी० पी०पी० (मैसर्स जी० एल०आर० वसाबी पावर कारपोरेशन लि०)	200	725.32	तमिलनाडु
23.	तूतीकोरिन टी०पी०पी० चरण-4 (मै० एस०पी० आई०सी० इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०)	525	2326.27	तमिलनाडु
	पूर्वी क्षेत्र			
24.	इब वैली टी०पी०एस० (इकाई 3 और 4) (मै० आई०वी०पी०एल०)	420	1993.63	उड़ीसा
25.	बालागढ़ टी०पी०एस० (मैसर्स बी०पी०सी०एल०)	500	2234.69	पश्चिम बंगाल
	योग= बल + तापीय = 14100 मेगा वाट			

नेशनल काउंसिल फार एप्लाइड इकॉनोमिक्स रिसर्च द्वारा ग्रामीण जनता की स्थिति सुधारने के लिए किया गया अध्ययन

263. श्री सनत कुमार मंडल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक्स द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि 39 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है जबकि ग्रामीण भारत में 4485 रुपये प्रति व्यक्ति आय की तुलना में औसत घरेलू आय 1900 रुपये प्रति माह से भी कम है;

(ख) क्या आंकड़ों से वह भी पता चला है कि भारत की ग्रामीण आबादी का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा अपनी स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा संबंधी सभी न्यूनतम आवश्यकताओं और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल 6 रुपए प्रतिदिन प्राप्त कर पाता है; और

(ग) यदि हां, तो कम आय वाले राज्यों में ग्रामीण जनता की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी दी जाएगी।

पत्रिकाएं

264. श्री समीक लाहिड़ी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भाषा-वार कुल कितनी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं और समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) :

विवरण

31.12.1996 की स्थिति के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक समाचारपत्रों/पत्रिकाओं (भाषा तथा आवर्तितावार) की कुल संख्या।

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक	मासिक
1	2	3	4	5
अंग्रेजी	320	751	557	2384
हिंदी	2004	7799	2441	2631
असमिया	12	64	37	56
बंगला	90	547	438	620
गुजराती	86	380	135	406
कन्नड़	268	321	204	481
कश्मीरी	–	1	–	–
कोंकणी	–	3	1	1
मलयालम	204	159	144	630
मणिपुरी	11	5	5	7
मराठी	261	674	148	412
नेपाली	3	13	6	7
उड़िया	57	110	72	240
पंजाबी	100	315	70	216
संस्कृत	3	7	4	15
सिन्धी	8	35	9	34
तमिल	327	378	206	629
तेलुगु	107	219	155	382
उर्दू	473	1198	340	472
द्विभाषी	53	485	284	1008
बहुभाषी	15	87	58	182
अन्य	51	77	26	107
कुल	4453	13628	5340	10920

[हिन्दी]

गुमला में दूरभाष केन्द्र

265. श्री ललित उरांव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार बिहार में गुमला जिले के बशीमा गांव में दूरभाष केन्द्र कब तक स्थापित करने का है;

(ख) क्या दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में गांववासियों से कोई आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार के गुमला जिले में बशीमा नाम की कोई जगह नहीं है। सूचना, संभवतः बसिया के बारे में मांगी गई है जहां 1997-98 के दौरान 128 पोर्ट सी-डॉट आर०ए०एक्स० स्थापित करने की योजना है।

(ख) अभी तक बसिया में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 22 आवेदकों के नाम दर्ज हैं।

(ग) बसिया में एक टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बना ली गई है जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है।

[अनुवाद]

बिजली नीति

266. श्री अनंत गुढ़े : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1.7.97 के "फाइनेशियल एक्सप्रेस" में "एनर्जी पॉलिसी पैनल फॉर रिवाम्प आफ एस०ई०बी०एस० ऑन कमर्शियल लाइन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन की आवश्यकता लंबे अर्से से महसूस की जा रही है तथा क्या विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर इस दिशा में उठाए गए कदमों से कोई परिणाम नहीं निकले हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य विद्युत बोर्डों का निर्धारित समय सीमा में पुनर्गठन करने संबंधी नीति और पैकेज में अंतर का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा संघटित ऊर्जा नीति समिति (ई०पी०सी०) ने अभी तक इस मामले में कोई भी सिफारिश नहीं की है।

(ग) से (ङ) राज्य विद्युत बोर्डों की बढ़ती अव्यवहार्यता को दृष्टि में रखते हुए सरकार राज्यों से लगातार अपनी प्रचालनात्मक कार्य-कुशलता सुधारने के लिए तथा टैरिफों को संगत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य क्षेत्र (निजी क्षेत्र समेत) में, जबकि क्षमता 1990-91 में 49,291 मे०वा० से बढ़कर 1996-97 में 58,808 मे०वा० हो गई है, राज्य क्षेत्र में संयंत्र भार अनुपात 1990-91 में 51.3% से सुधरकर 1996-97 में 60.3% हो गया है। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए औसत टैरिफ जो आठवीं योजना के प्रारंभ में 105.4 पैसे/कि०वा० घं० था, 1995-96 में 143.4 पैसे/कि०वा०घं० हो जाने का अनुमान है। उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात, कर्नाटक, बिहार जैसे अनेक राज्यों ने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान रा०बि०बो० की पुनर्संरचना तथा विद्युत उद्योग के लिए नए नियामक तंत्रों पर विचार करने के लिए उपाय करने भी शुरू कर दिए हैं।

पंचायतों का विस्तार

267. श्री गिरिधर गमांग : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को केन्द्रीय अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात, पंचायतों के विस्तार के लिए कानून बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों को जारी दिशा-निर्देशों का सारांश क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार (संशोधन) अधिनियम के अनुसार कानून बनाया है; और

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996" के अनुरूप निर्दिष्ट समय सीमा अर्थात् 24 दिसम्बर, 1996 से एक वर्ष के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों के विस्तार के लिए कानून बनायें।

(ख) इस संबंध में राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप अपने कानून पारित करें।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित राज्यों ने पंचायती राजसंस्थाओं का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए कदम उठा लिए है। इन राज्यों से निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर शीघ्रता से आवश्यक कानून बनाने का अनुरोध किया गया है।

अमरीका के साथ "शिप ब्रेकिंग" करार

268. डा० एम० जगन्नाथ : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात तट से परे "शिप ब्रेकिंग" कार्य हेतु अमरीका के दो जहाजों को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या आपत्ति उठाई गई है; और

(ग) इस क्षेत्र के पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं पर "शिप ब्रेकिंग" कार्य का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात मंत्री खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन फैरस स्क्रैप समिति के

तत्वाधान में हाल ही में पोतभंजन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि स्थानीय पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं पर इसका कोई सुस्पष्ट प्रभाव देखनें में नहीं आया है।

रिले केन्द्रों का कार्य न करना

269. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अट्टापेडी, अगली और पालघाट में स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्रों के कार्य न करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिले केन्द्रों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) हालांकि केरल में पालघाट में लगे अल्प शक्ति टी०वी० केन्द्र के संतोषजनक रूप से काम करने की सूचना मिली है तथापि, अट्टापडी, जो पालघाट जिले के अगली उपनगर में है, एक ट्रांसमीटर स्टाफ मंजूरी का प्रस्ताव लंबित रहते हुए 31.3.97 को चालू किया गया था। फिलहाल, दूरदर्शन नेटवर्क में कहीं और से दौरे पर स्टॉफ लगाकर उक्त ट्रांसमीटर को चलाया जा रहा है जिससे मात्र थोड़ा-सा प्रसारण कराया जा रहा है। अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर से पूर्णकालिक, प्रसारण, परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्टॉफ की स्वीकृति मिलने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

अश्लील फिल्मों पर प्रतिबंध

270. श्री जयसिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन के कार्यक्रमों के स्तर में गिरावट आने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली अश्लील फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) दर्शकों से दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें/सुझाव नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। दूरदर्शन में ऐसी शिकायतों/सुझावों का कोई केन्द्रीयकृत रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, दूरदर्शन दर्शकों की रूचि को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् रूप से प्रयास करता है।

(घ) दूरदर्शन प्रसारण से पूर्व फिल्मों सहित सभी कार्यक्रमों का यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वदर्शन करता है कि वे पारिवारिक दर्शकों के लिए उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त फिल्मों पर ही सभी के देखने के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए विचार किया जाता है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ढाका और कलकत्ता के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाना

271. श्री बीर सिंह महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ढाका-कलकत्ता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

असम में पेयजल की कमी

272. श्री केशव महन्त : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पेयजल की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान में इसकी आपूर्ति में कुल कितनी कमी है;

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या राज्य में पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक ने कोई विशेष सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लिटर के मानदण्ड के अनुसार असम में ग्रामीण आबादी के लिए (1991 की जनगणना) पेयजल की कुल आवश्यकता प्रतिदिन 7970.60 लाख लीटर की है।

(ख) 1.4.1997 को असम में 10115 "कवर न की गई" और 36809 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें थीं।

(ग) राज्य सरकार ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमि आवंटन

273. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री भूमि आवंटन के बारे में 18-12-1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) से (ग) श्री आर०एम० वत्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत) की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का 10.12.1994 को गठन किया गया था। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दिए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। बिक्री/अन्तरण के किसी भी मामले की अभी तक प्राधिकारियों को कोई सूचना नहीं मिली है। किन्तु हो सकता है कि ऐसी जमीनों का बेनामी सौदा हुआ हो। चूंकि समाज के कमजोर वर्गों जिनके पास कोई आवास नहीं है को आवास स्थल केवल नौ वर्ष के लिए बहुत मामूली पट्टा किरायें पर और जमीन की कीमत वसूली किए बिना आवंटित किए जाते हैं। इसलिए उनको इन भूखण्डों की बिक्री या अन्तरण करने की अनुमति देकर सरकार उनको फिर बेघर नहीं होने देना चाहती है। इसलिए बिक्री/अन्तरण की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

बिहार की जल विद्युत परियोजनाएं

274. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौंवी पंचवर्षीय योजना में शामिल बिहार के उत्तरी छोटा नागपुर की जल विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) उक्त परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी और उन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	परियोजना का नाम क्षमता (मेगावाट)	3/97 तक व्यय	अद्यतन लागत	चालू किए जाने का लक्ष्य
1.	उत्तरी कोयला (24) (पलामू जिला)	35.99	47.34	1998-99
2.	चांडिल एलबीसी (8) (सिंहभूम जिला)	17.89	32.49	1998-99

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा नीजि निर्माताओं को अनुबंधित करना

275. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने समाचार बुलेटिनों के लिए 'न्यूज कैपसूल' तैयार करने हेतु निजी निर्माताओं को अनुबंधित करने की दूरदर्शन की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

276. श्री अजमीरा चन्दूलाल :
श्री अयन्ना पटरूघु :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1997 के "न्यूज टाईम" में "फ्रेश रो ओवर एनटीपीसी सिमाद्रि प्लांट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) विशाखपट्नम में प्रस्तावित विद्युत संयंत्र के निर्माण में क्या प्रगति की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार ने अब इस परियोजना को स्थापित करने के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) परियोजना के मुख्य सयव क्षेत्र हेतु भूमि अधिग्रहण के उपाय आरम्भ कर दिये गये हैं।

आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण

277. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री ने रतनगढ़ और डेगना और रतनगढ़ तथा रेवाड़ी के बीच जैसा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था आमान परिवर्तन संबंधी सर्वेक्षण कार्य की शीघ्र पूरा करने की हिदायतें दे रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त खंडों को ब्रॉड गेज में कब तक बदल दिए जाने की संभावना है और मार्ग परिवर्तित जोधपुर मेल अपने चार दशक पूर्व मार्ग पर कब से चलने लगेगी ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उत्तर रेलवे द्वारा उपर्युक्त लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

उत्तर प्रदेश में ट्रंक एक्सचेंज

278. श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितने कम्प्यूटरीकृत ट्रंक एक्सचेंज शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में रिमोट लाइन एक्सचेंज शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो प्रसतावित स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य में विस्तार के लिए प्रस्तावित दूरभाष केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में चालू किए जाने वाले प्रस्तावित कम्प्यूटरीकृत ट्रंक मैनुअल एक्सचेंजों की स्थान-वार संख्या इस प्रकार है :—

लखनऊ	—	1 अदद
कानपुर	—	1 अदद
वाराणसी	—	1 अदद
इलाहाबाद	—	1 अदद
गोरखपुर	—	1 अदद
झांसी	—	1 अदद
आगरा	—	1 अदद
देहरादून	—	1 अदद
गाजियाबाद	—	1 अदद
मेरठ	—	1 अदद
सहारनपुर	—	1 अदद
मुरादाबद	—	1 अदद

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे सलंग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) राज्य में 1997-98 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे सलंग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

1997-98 के दौरान अनंतिम रूप से चालू किए जाने वाले प्रस्तावित दूरस्थ लाइन एक्सचेंजों की सूची

क्र०सं०	स्थान का नाम	जिला	क्षमता
1	2	3	4
1.	बेहराना	इलाहाबाद	2.0 के
2.	झासी	इलाहाबाद	2.0 के
3.	फतेहपुर	बाराबंकी	2.0 के
4.	रन्दौलो	-वही-	2.0 के
5.	सिरौलीगंसपुर	-वही-	1.0 के
6.	अयोध्या	फैजाबाद	1.0 के
7.	गोसाईगंज	-वही-	2.0 के
8.	गोरखनाथ	गोरखपुर	2.0 के
9.	लाजपत नगर	कानपुर	2.0 के
10.	पनकी पावर हाउस	-वही-	1.0 के
11.	शाहगंज	आगरा	4.0 के
12.	अरहनगर	-वही-	2.0 के
13.	अलीगढ़ (दिल्ली गेट)	अलीगढ़	4.0 के
14.	समनीगेट	-वही-	2.0 के
15.	प्रेम नगर	बरेली	2.0 के
16.	सुभाष नगर	-वही-	1.0 कि
17.	ट्रांसपोर्ट नगर	-वही-	1.0 के

1	2	3	4
18.	यूनिवर्सिटी	-वही-	1.0 के
19.	बरेली कॅंट	-वही-	2.0 के
20.	खुर्जा	गाजियाबाद	5.0 के
21.	सिकदराबाद	-वही-	2.0 के
22.	गोविंदपुरम्	-वही-	3.0 के

विवरण-II

1997-98 के दौरान विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे।

क्र०सं०	स्थान	उपस्कर में जोड़ी जाने वाली निवल क्षमता
1	2	3
जिला : इलाहाबाद		
1.	अजुहा	64
2.	अल्लाहपुर	1000 आर०एल०यू०
3.	भारवाड़ी (विसरा)	576
4.	जारी	64
5.	जसरा	64
6.	झुन्सी	1632 256 पोर्ट सी-डॉट-2
7.	मऊ-आईमा	704
8.	सिरसा	144 256 पी० पोर्ट सी-डॉट
	उप जोड़	4248
जिला : अंबेडकर नगर		
9.	अकबरपुर	1000
10.	बरियावन	64
11.	भीती	64
12.	जहांगीरगंज	112 256 पी० पार्ट सी-डॉट
13.	नेवदा	64
14.	रूकुमपुर कासिमपुर	64
15.	सुरापुर	64
	उप जोड़	1432

1	2	3
जिला : आजमगढ़		
16.	अहिरीबा	64
17.	अंजन साहेद	64
18.	आजमगढ़	2000
19.	आजमगढ़	2000
20.	चांदपट्टी	112 256 पी० पोर्ट सी-डॉट
21.	कंधारपुर	64
22.	कप्तानगंज	64
23.	मेहनागर	64
24.	फूलपुर	552
25.	फूलपुर	552
26.	सरदाहा	64
27.	थकमा	64
	उप जोड़	5544
28.	बहराइच	2000
29.	बाउंदी	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
30.	भींगा	144 256 पी० सी-डॉट
31.	बिशेसरगंज	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
32.	छितौरा	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
33.	चिल्वारिया	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
34.	गिलौला	40 64 पी०एम०आई०एल०टी० 2
35.	गिरजापुरी	64
36.	कैसरगंज	600
37.	मल्हीपुर	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
38.	मनपाड़ा	224 256 पी० सी-डॉट 2
39.	मनपाड़ा	400
40.	मवाबगंज	64
41.	पयागपुर	8 256 पी० सी-डॉट 2
42.	ध्योपुर	64
	उपजोड़	4072

1	2	3
जिला : बलिया		
43.	बलिया	1000
44.	बलिया	1000
45.	बंगदीह	160 256 पी० सी-डॉट
46.	बोकाती	64
47.	जे०पी० नगर	64
48.	लालगंज	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
49.	मनियार	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
50.	नबरतनपुर	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
51.	रसड़ा	272 512 पी०एम०आई०एल०टी० ई०एस०ए०ए०एक्स + 256 पी०
52.	टीला सिसवन राय	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
53.	उजियार भरौली	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
	उप जोड़	3040
जिला : बांदा		
54.	ऐंचवाड़ा	64
55.	बेबरू	512 256 पी० सी-डॉट एक्स + 2+128 पी०
56.	बदौसा	64
57.	भोनरी	64
58.	बिसांदा	64
59.	हरदौनी	64
60.	कालिंजर	64
61.	कम्मसिन	64
62.	करताल	64
63.	करवी	64
64.	करवी	400
65.	खंडहा	256 256 पी० सी-डॉट एक्स 2
66.	खपटिया	64
67.	क्युराहंड	64
68.	कोराली	64
69.	मसौंध	8
70.	ओरान	98 64 पी० मिल्ट
71.	पहाड़ी	96 64 पी० मिल्ट
72.	फैलानी	64
73.	पिहानी	64
74.	रायपुरा	64
75.	राजापुरा	96 128 पी० सी-डाट+मिल्टx2
76.	शरदियुवा	96 64 पी० मिल्ट
77.	सिंहपुर	64
78.	शिवरामपुर	64
79.	टिंडवाड़ी	88 256 पी० सी-डाट
	उप जोड़	2760
जिला : बाराबंकी		
80.	असंघरा	112 256 पी० सी-डाट
81.	बारबंकी	1000 आर०एल०यू०
82.	बुरिवाल	144 256 पी० सी-डाट
83.	दरियावाद	144 256 पी० सी-डाट
84.	देवीबंज	64
85.	देवा	600
86.	हैदरगढ़	600
87.	हरख	64
88.	मसौली	600
89.	राम सेनेही घाट	600
90.	सादतगंज	144 256 पी० सी-डाट
91.	सफदरगंज	144 256 पी० सी-डाट
92.	सिधौर	112 256 पी० सी-डाट
93.	सुजानगंज	64
94.	टिकैत नगर	144 256 पी० सी-डाट
95.	त्रिलोकपुर	64
96.	उदुओली	114 256 पी० सी-डाट
97.	जैदपुर	144 256 पी० सी-डाट
	उप जोड़	4888

1	2	3
जिला : बस्ती		
98.	बाघनगर	64
99.	बस्ती	400
100.	बस्ती	164 2048 पी० आइ०एल०टी०
101.	भानपुर	64
102.	छावनी	64
103.	कलवाडी	64
104.	माघर	96 64 पी० मिल्ट
105.	मेहदावल	64
106.	मुंडेरवा	95 64 पी० मिल्ट
107.	सेमारियावान	64
	उपजोड़	1140
जिला : भदोही		
108.	बसहीपुर	96 64 पी० एम०आई०एल०टी०
109.	भदोही	1000
110.	ज्ञानपुर	600
111.	जेगीगंज	64
112.	महराजगंज	64
113.	मम्हार	64
114.	मोढ़	64
115.	पांरसीपुर	144 256 पी० सी-डाट
116.	पियरोपुर	64
	उपजोड़	2160
जिला : देवरिया		
117.	बघीचघाट	64
118.	भटनी	64
119.	देवरिया	2000
120.	देवरिया	1000
121.	प्रतापपुर	64
122.	सोहौला रामनगर	64
	उपजोड़	3256

1	2	3
जिला : इटावा		
123.	अछल्दा	112, 256 पी० सी-डॉट
124.	औरेया	400
125.	केला	64
126.	भर्थना	232 256 पी० सी-डॉट
127.	भर्थना	400
128.	इटावा	3000 आर०एल०यू०
129.	जसवंतनगर	464 512 पी०आई०एल०टी० + 256 पी० सी-डॉट
130.	उमरैन	64
	उपजोड़	4736
जिला : फैजाबाद		
131.	अयोध्या	1000 1 के० सी-डॉट
132.	फैजाबाद	600 आर०एल०यू० + 1.4 के० सी-डॉट
133.	गोसाईगंज	1616 512 पी० आई०एल०टी०
134.	हैदरगढ़	64
135.	खजूराहट	64
136.	मायाबाजार	64
137.	रामपुर भजन	64
	उपजोड़	3472
जिला : फर्रूखाबाद		
138.	छिबरामऊ	264 512 पी०आई०एल०टी०
139.	छिबरामऊ	64
140.	फर्रूखाबाद	1000
141.	फर्रूखाबाद	176 2018 पी०आई०एल०टी०
142.	फर्रूखाबाद	1000
143.	फर्रूखाबाद	64
144.	फुतेहगढ़	648 256 पी० सी-डॉट
145.	फतेहगढ़	64
146.	जलालाबाद	64

1	2	3
147.	कायमगंज	64
148.	कमालगंज	24256 पी० सी-डॉट + 128 सी-डॉट
149.	कम्पिल	64
150.	कन्नौज	600 1.4 के सी-डॉट + 1 के सी-डॉट
151.	मोहम्दाबाद	64
	उपजोड़	4360
जिला : फतेहपुर		
152.	किंदकी	408 ईएसएएक्स
153.	चौडगरा	112256 पी० सी-डॉट
154.	फतेहपुर	400
155..	फतेहपुर	700 सी-डॉट + एन०ई०ए०एक्स०
156..	फतेहपुर	600
157.	खागा	616 512 पी० आई०एल०टी०
158.	धरियावन	64
	उपजोड़	2900
जिला : गाजीपुर		
159.	बहादुरगंज	64
160.	बारासंड़ा	64
161.	भदौरा	64
162.	भीमापुर	64
163.	दुल्लाहपुर	64
164.	महमर	64
165.	गंगोली	64
166.	गाजीपुर	1000 आर०एल०यू०
167.	हंसराजपुर	64
168.	जखनिया	64
169.	जांगीपुर	64
170.	करीमुद्दीनपुर	64
171.	करेमर	64

1	2	3
172.	मरदाह	64
173.	मोहम्दाबाद	568 256 पी० सी-डॉट
174.	नंदगंज	160 256 पी० सी-डॉट
175.	नानाहरा	64
176.	सैदपुर	600
	उपजोड़	3224
जिला : गोण्डा		
177.	आर्यनगर	64
178.	बलरामपुर	448 1.4 के सी-डॉट + 256 पी० सी-डॉट
179.	कर्नलगंज	448 256 पी० सी-डॉट
180.	डमरिया डीह	96 65 पी० एम०आई०एल०टी०
181.	गोण्डा	1000
182.	गोण्डा	0 आई०एल०टी० + 1 के + 1.2 के० सी-डॉट
183.	कटरा बाजार	64
184.	खड़गपुर	64
185.	मनकापुर	100
186.	पारसपुर	112 256 पी० सी-डॉट
187.	रेहड़ा बाजार	64
	उपजोड़	2760
जिला : गोरखपुर		
188.	बडहल गंज	216 256 पी० सी-डॉट
189.	भखाट	112 256 पी० सी-डॉट
190.	चौरी चौरा	144 512 पी० आई०एल०टी० + 256 पी० सी-डॉट
191.	कम्पीर गंज	96 64 पी० एम०आई०एल०टी०
162.	गोरखनाथ	2000
193.	महादेव बाजार	95 64 पी० एम०आई०एल०टी०
194.	महुवा बाजार	96 64 पी० एम०आई०एल०टी०
195.	हाट बाजार	96 64 पी० एम०आई०एल०टी०

1	2	3
196.	पाली	64
197.	साहजन्हा	416 256 पी० सी-डॉट
198.	उसवा बाजार	64
	उपजोड़	3400

जिला : हमीरपुर

199.	विवार	64
200.	गोहनी	64
201.	हमीरपुर	400
202.	इचना	64
203.	जैदपुर	64
204.	कुरारा	24 256 पी०+128 पी० सी-डॉट
205.	मवानी जार	64
206.	मरिला	64
207.	श्री नगर	64
	उपजोड़	872

जिला : हरदोई

208.	बघौली	96 64 पी० एम०आई०एल०टी०
209.	गोपामऊ	64
210.	हरदोई	200 1.4 के 1.2 के सी-डॉट
211.	हरदोई सी	1048 25 पी० सी-डॉट
212.	हरपालपुर	96 64 पी एम०आई०एल०टी०
213.	माधोगंज	144 256 पी० सी-डॉट
214.	पाली	64
215.	मनोई	64
	उपजोड़	1776

जिला जालौन

216.	आटा	64
217.	बांगरा	64
218.	बावनी (कदौरा)	64
219.	जालौन	400
220.	कालपी	448 256 पी० सी-डॉट
221.	कोटरा	64
222.	कुठौर	64
223.	नदिगांव	64
224.	उरई	296 एन०ई०ए०एक्स०+1 के+ 1.4 के+256 पी०x2
225.	उरई	1000
226.	सामी	64
227.	उमरी	64
	उपजोड़	2656

जिला : जौनपुर

228.	जौनपुर	1000
229.	केराकट	600
	उपजोड़	1600

जिला : झांसी

230.	बारागढ़	64
231.	बरूआ सागर	816 256 पी सी-डॉट
232.	भेल	576
233.	बिजौली	824 208 सी-डॉट
234.	गरौटा	8 54 पी० मिल्ट
235.	गरौठा	144 256 पी० सी-डॉट
236.	मऊरानीपुर	0 आर०एस०यू०
237.	मोठ	632 256 पी० सी-डाटx2
238.	परिच्छा	616 512 पी० आर०ई०ए०टी०
239.	सकार	64
240.	समथार	64
241.	सिंगर्रा	64
242.	टोडी फतेहपुर	64
	उप जोड़	3935

1	2	3
जिला : कानपुर		
243.	कल्याणपुर	0
244.	लाजपतनगर	0 सी०आर०एल०यू०
245.	पनकी आई०ए०	500 सी०आर०एल०यू०
246.	पनकी पावर हाउस	100
247.	विष्णुपुरी	2000
	उप जोड़	5500
जिला : कानपुर देहात		
248.	अकबरपुर	112 1256 पी० सी-डॉट
249.	अरौल	96 54 पी० मिल्ट
250.	भितरगांव	64
251.	बिल्हौर	576
252.	घाटमपुर	24 256 पी सी-डाट – 120 पी० सी-डॉट
253.	मुसनागर	56
254.	मरवल	4
255.	सरसौल	64
256.	सिंकदरा	54
	उप जोड़	1120
जिला : लखीमपुर		
257.	अहरा	64
258.	अलीगंज	96 64पी० मिल्ट
259.	बांकेगंज	64
260.	बेहजम	64
261.	गोला	400
262.	इसा नगर	64
263.	जसनगर	96 64पी० मिल्ट
264.	कबीरगंज	96 64पी० एम०आई०एल०टी०
265.	लखीमपुर	1000
266.	लखीमपुर	1000
267.	लखीमपुर	388 512 पी० सी-डॉट+256 पी०-सीडॉट
268.	निघसन	112 256 पी० सी-डॉट
269.	फरघन	56
270.	फूल बहार	9664 पी० एम०आई०एल०टी०
271.	पियोरियाधानी	9664 पी० एम०आई०एल०टी०
272.	शारदानगर	64
	उपजोड़	3736
जिला : ललितपुर		
273.	बंसी	64
274.	जखोरा	864 पी० एम०आई०एल०टी०
275.	जखलौन	96 एस०आई०एल०टी०
276.	ललितपुर	400
278.	ललितपुर	704
279.	ललितपुर	1000
280.	महरौनी	56 128 पी० सी-डॉट+256 पी० सी-डॉट
281.	पाली	64
282.	राजघाट	64
	उपजोड़	2556
जिला : लखनऊ		
283.	गंगा सिचलपुरम्	1000
284.	इंदिरानगर	0 आर०एल०यू०
285.	मलाहाबाद	88512 पी० आई०एल०टी०
286.	राजाजीपुरम	2000
287.	टी०पी० नगर	2000
	उपजोड़	4912
जिला : महाराजगंज		
288.	कृजभानगंज	56
289.	कोल्हजी	126 256 पी० सी-डॉट
290.	महाराजगंज	83 256 पी० सी-डॉट

1	2	3
291.	पणियारा	64
292.	पुरंदरपुर	64
293.	सिसवा बाजार	520 256 पी० सी-डॉट
294.	थूटीबारी	96 64 पी० एम०आई०एल०टी०
	उप जोड़	1008
जिला : महोबा		
295.	महोबा	368 इ०एस०ए०एक्स
	उपजोड़	368
जिला : मैनपुरी		
296.	आर्थनपुर खेड़ा	64
297.	भोगली	616 2x०एस०ए०एक्स०
298.	कठफोडी	96 64 एम०आई०एल०टी०
299.	किशनी	64
300.	नगला गुलाल	64
301.	शिकोहाबाद	400 1.4 के सी-डॉट+256 पी० सी-डॉट
302.	शिकोहाबाद	1000
	उप जोड़	2304
जिला : मऊ		
303.	घोसी	440 256 पी० सी-डॉट
304.	कुर्थी जफरपुर	64
305.	मऊ	1000
306.	मऊ	1000
307.	मऊ	1000
308.	रतनपुर	96 64 पी० एम०आई०एल०टी०
	उप जोड़	3600
जिला : मिर्जापुर		
309.	चुनार	600
310.	इमिलिया चट्टी	64
311.	जमालपुर	64
312.	कैलाहॉट	64
313.	मिर्जापुर	1000
	उप जोड़	1792
जिला : पडरौना		
314.	रामकोला	144 256 पी० सी-डॉट
	उप जोड़	144
जिला : प्रतापगढ़		
315.	अनिगो	64
316.	दिवानगंज	64
317.	फतनपुर	64
318.	गढ़ी मानिकपुर	64
319.	कोंहदौर	96 64पी० एम०आई०एन०टी०
320.	मानघाता	64
321.	पिथवीगंज	64
322.	प्रतापगढ़	1000
323.	रानीगंज	112 256 पी पोर्ट-सी-डॉट
324.	रानीगंज कंठ	64
325.	सांगीपुर	64
326.	संग्रामगढ़	64
	उप जोड़	1784
जिला : रायबरेली		
327.	डलमाऊ	112 256 पी पोर्ट-सी डॉट
328.	डिहू	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
329.	हरचुदपुर	64
330.	हाथगांव	64
331.	क्राईजुल्ल	64
332.	नसीराबाद	64
333.	रायबरेली	1000

1	2	3
334.	सरैनी	64
335.	सिमरी	64
336.	सिरौसिमरौता	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
337.	शाह	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
338.	शिवगढ़	96 64 पी०एम०आई०एल०टी०
	उप जोड़	1880
	जिला शाहजहांपुर	
339.	खुदागंज	64
340.	पीवायान	464 517 पी० 256 पी० पोर्ट-सी डॉट
341.	शाहजहांपुर	1500
342.	शाहजहांपुर	2000
343.	शेरामऊ	64
344.	सिंडहौली	64
	उप जोड़	4156
	जिला : सिद्धार्थ नगर	
345.	बांसी	600
346.	डुमरियागंज	600
347.	इटवा बाजार	104 ई०एस०ए०एक्स०
348.	सीहरायगढ़	64
	उप जोड़	1368
	****जिला : सीतापुर**	
349.	बिस्वान	664 512 पोर्ट आई०एल०टी० + 256 पोर्ट सी-डॉट
350.	जहांगीराबाद	64
351.	लहरपुर	664 256 पोर्ट सी-डॉट के 2
352.	कछरेहटा	64
353.	नीमसर	56 256 सी-डॉट+128 पोर्ट सी-डॉट
354.	सिधौली	616 512 पोर्ट आई०एल०टी०
355.	सीतापुर	344 256 पार्ट सी-डॉटx3
356.	सीतापुर	1000 पार्ट सी-डॉटx3
357.	सीतापुर	1000
	**उप जोड़	4672
	जिला सोनभद्र	
358.	अनपरा	400
359.	बीना	64
360.	चोपन	64
361.	चुर्क	56
362.	मधुपुर	64
363.	रायगढ़	64
364.	राबर्ट्सगंज	400
365.	शाहगंज	64
	**उप जोड़	1176
	जिला : सुल्तानपुर	
366.	अलीगंज	96 64 पोर्ट एम०आई०एल०टी०
367.	मधुआकला	64
368.	चंदा	64
369.	धम्मापुर	64
370.	गोसाईगंज	64
371.	आई०आई०ए०	600
372.	ककवा	64
373.	कटरा खानपुर	64
374.	सुकुल बाजार	96 पोर्ट एम०आई०एल०टी०
375.	सुल्तानपुर	1000
376.	सुल्तानपुर	1500
	उप जोड़	3676
	**जिला उन्नाव	
377.	अचलगंज	64
378.	अचलगंज	64

1	2	3
379.	बारा	64
380.	भगवंत नगर	64
381.	बीघापुर	64
382.	चकलबंसी	64
383.	एफ–84	64
384.	गंज मुरादाबाद	64
385.	मियागंज	64
386.	सिकंदरपुर कारन	64
387.	सुमेरपुर	64
388.	थाना	64
389.	यूगू	64
390.	उंचयांव	64
391.	उन्नाव	1000 आर०एल०यू०
	उप जोड़	1896
	जिला : वाराणसी	
392.	अयार	64
393.	बाबुरी	64 पार्ट एम०आई०एल०टी०
394.	बाराहुली	9664 पार्ट एम०आई०एल०टी०
395.	चहनिया	64
396.	चंदौली	72256 पी० सी-डॉट एक्स 2
397.	चौबेपुर	64
398.	धानापुर	64
399.	मोराई बाजार	64
400.	जगतपुर	64
401.	जनक्षर	64
402.	कोमलपुर	64
403.	कोटवा	64
404.	मिर्जामुराद	64
405.	नौगढ़	64
406.	पहड़िया	0 आर०एल०यू०
407.	फूलपुर	64
408.	रामनगर सिटी	600
409.	सादलपुरा	64
410.	सिंघोरा	64
	उप जोड़	1584
	जोड़	117484

विवरण-II

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सर्किल की स्थिति

वर्ष 97-98 के दौरान विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों के ब्यौरे

क्र०सं०	केंद्र का नाम	परियोजना का नाम
1	2	3
	आगरा	
1.	फीरोजाबाद	6 हजार लाइनों वाले आर०एल०यू० को बदलकर ई10बी का विस्तार 8 हजार 8 हजार
2.	टैक्स भवन	ई-10बी का विस्तार 11 हजार 12 हजार
3.	आगरा टैक्स भवन	ई-10 डब्ल्यू०एस०डी० का विस्तार 8 हजार 8 हजार
4.	फीरोजाबाद	ई-10 बी का विस्तार 8 हजार 8 हजार
5.	ट्रांसपोर्ट नगर	आर०एल०यू० का विस्तार 2 हजार 3 हजार
6.	खेरागढ़	सी-डॉट का विस्तार 612 पोर्ट 1 हजार
7.	फतेहाबाद	सी-डॉट का विस्तार 612 पोर्ट 1 हजार
8.	टूंडला	सी-डॉट का विस्तार 1 हजार 14 हजार
9.	शमशाबाद	128 लाइनें
10.	सैतपुरकलन	128 लाइनें
11.	बबुहाझर	128 लाइनें
12.	रावत नगर	128 लाइनें
13.	अनवाल खेड़ा	128 लाइनें

1	2	3
14.	बरहान	128 लाइनें
15.	बिचपुरी	128 लाइनें
16.	अकोला	128 लाइनें
17.	धीमश्री	128 लाइनें
18.	खंडोली	128 लाइनें
	अलीगढ़	
1.	अतरौली	सी-डॉट 512 पोर्ट और 256 पोर्ट का एल०एम० द्वारा विस्तार
2.	सिकंदराबाद	सी-डॉट 512 और 256 पोर्ट का एल०एम० 1 द्वारा विस्तार
3.	कसिमपुर	"
4.	खैर	"
5.	अंडाला	128 लाइनें
6.	बेसवान	128 लाइनें
7.	गभाना	128 लाइनें
8.	क्रोमाट	128 लाइनें
9.	हसैन	128 लाइनें
10.	जलाली	128 लाइनें
	बरेली	
1.	राजेंद्रनगर	आर०एल०यू० का विस्तार 4 हजार 6 हजार
2.	अलीगंज	128 लाइनें
3.	देवरानिया	128 लाइनें
4.	भुरिया	128 लाइनें
5.	नवाबगंज	128 लाइनें
6.	रिथौर	128 लाइनें
7.	सेनथाल	128 लाइनें
8.	भुटा	128 लाइनें
9.	केसरपुर	128 लाइनें
10.	देवरनिया	128 लाइनें

1	2	3
	देहरादून	
1.	दिलाराम बाजार	आर०एस०यू० का विस्तार 2 हजार 3 हजार
2.	कृष्णानगर	आर०एस०यू० का विस्तार 3 हजार 5 हजार
3.	दिलाराम बाजार	आर०एस०यू० का विस्तार 3 हजार 4 हजार
4.	नाथूवाला	सी-डॉट का विस्तार 512 पोर्ट 1 हजार
5.	दोईवाला	सी-डॉट का विस्तार 512 पोर्ट 1 हजार
6.	प्रेम नगर	सी-डॉट का विस्तार 1 हजार 1.4 हजार
7.	दोईवाला	सी-डॉट का विस्तार 1 हजार 1.4 हजार
8.	चकराता	128 लाइनें
9.	लालतापापर	128 लाइनें
10.	नयागांव	128 लाइनें
11.	रावाला	128 लाइनें
12.	रानीपोखरी	128 लाइनें
13.	सैया	128 लाइनें
14.	सेलाकुई	128 लाइनें
15.	कोइल	128 लाइनें
16.	श्यामपुर	128 लाइनें
	मथुरा	
1.	कृष्णा नगर	आर०एल०यू० का विस्तार 1 हजार 3 हजार
2.	कृष्णा नगर	आर०एल०यू० का विस्तार 1 हजार 3 हजार
3.	टाउनशिप	आर०एल०यू० का विस्तार 1 हजार 2 हजार
4.	सादाबाद	सी-डॉट का विस्तार 1 हजार 1.4 हजार
5.	बाजना	128 लाइनें
6.	छोटीकारा	128 लाइनें
7.	मुगारारा	128 लाइनें
8.	नक्शील	128 लाइनें

1	2	3
9.	पटलौनी	128 लाइनें
10.	सोंख	128 लाइनें
मुरादाबाद		
1.	सोनाकपुर	आर०एल०यू० का विस्तार 1 हजार से 2 हजार
2.	दिल्ली आर०डी० मझोला	आर०एल०यू० का 1 हजार से 2 हजार
3.	बहजोई	सी-डॉट 512 पोर्ट 1 हजार
4.	कांथे	सी-डॉट 512 1 के
5.	ठाकुरद्वारा	-वही-
6.	पकवारा	-वही-
7.	अमरोहा	512 पोर्ट यू०एम० में यू०एम०आई० से विस्तार
8.	हसनपुर	512 पोर्ट यू०एम० में यू०एम०आई० का विस्तार
9.	धानोरा	-वही-
10.	बिलारी	सी-डॉट का विस्तार 1 हजार 1.4 हजार
11.	पजगेम्बरपुर	128 लाइनें
12.	सरकारी मंडी	128 लाइनें
13.	जमुनाखास	128 लाइनें
14.	राजबपुर	128 लाइनें
15.	सिरसी	128 लाइनें
16.	असमोऊ	128 लाइनें
17.	कैलसा	128 लाइनें
18.	सुरजननगर	128
19.	नराऊ	128
20.	राजाकां मझौला	128
अल्मोड़ा		
1.	अल्मोड़ा	2 हजार से 8 हजार तक विस्तार
2.	धारचुला	सी-डॉट 512 पोर्ट 1 हजार
3.	भरारी	128 सी-डॉट का विस्तार
4.	सोमेश्वर	128
5.	तारीखेत	128
6.	भटराजखान	128
7.	झुलाघाट	128
बिंजनौर		
1.	बिजनौर	सी-डॉट का विस्तार 2 हजार 4 हजार
2.	नेहटौर	सी-डॉट का विस्तार 512 1 हजार
3.	किरतपुर	सी-डॉट का विस्तार 512 पोर्ट 1 हजार
4.	नगीना	-वही-
5.	रायपुर सादात	128 लाइनें
6.	गंज	128 लाइनें
7.	बराहपुर	128 लाइनें
8.	चंडाक	128 लाइनें
9.	मुहावर	128 लाइनें
10.	झालू	128
11.	सहसपुर	128
12.	गुजरौला शिव	128 लाइनें
जिला एटा		
1.	गंजडंडवारा	सी-डॉट 512 पोर्ट हजार विस्तार
2.	नलीगंज	-वही-
3.	जलेसर	-वही-
4.	एटा	2.4 के 2.1 के सी-डॉट
5.	साकीट	128 लाइनें
6.	जंथारा	128 लाइनें
7.	अमापुर	128 लाइनें
8.	ऊंजागांव	128 लाइनें
9.	मरेहरा	128
10.	वगसू	128
11.	निओली	128
12.	पटियाली	128
13.	सिघपुरा	128
14.	निधौलीकालन	128

1	2	3
	जिला गाजियाबाद	
1.	नौंएडा सेक्टर 19	ई०डब्ल्यू०एस०डी० का विस्तार 15 हजार
2.	नौंएडा सेक्टर 18	-वही- 17 हजार
3.	शाहदरा पूर्वी	-वही- 0 हजार से 10 हजार
4.	राजेंद्र नगर	आर०एस०यू० का विस्तार 2 हजार से 4 हजार
5.	राजेंद्र नगर	आर०एस०यू० का विस्तार 6 हजार से 6 हजार
6.	हापुड	एन०ई०सी० का विस्तार 7 हजार 10 हजार
7.	मोदीनगर	5 हजार से 7 हजार
8.	बलुन्दशहर	5 हजार से 8 हजार
9.	पिलखुवा	आर०एस०यू० का विस्तार 3 हजार से 6 हजार
10.	मुरादनगर	आर०एस०यू० का विस्तार 2 हजार से 3 हजार
11.	सिकन्दराबाद	2 हजार से 3 हजार
12.	खुर्जा	2 हजार से 3 हजार
13.	नेहरू नगर	5 हजार से 6 हजार
14.	दादरी	आर०एल०यू० का विस्तार 2 हजार से 3 हजार
15.	नोयडा सेक्टर 39	7 हजार से 10 हजार
16.	कौशम्बी	5 हजार से 7 हजार
17.	प्रताप बिहार	3 हजार से 5 हजार
18.	लोनी	1 हजार से 3 हजार
19.	शिकारपुर	सी-डॉट का विस्तार 512 पोर्ट से 1 हजार
20.	देबई	-वही-
21.	सियाना	-वही-
22.	जहांगीरबाद	-वही-
23.	नरोरा	-वही-
24.	फारूखनगर	128 लाइनें
25.	रौली	128 लाइनें
26.	मंदिनश्याम नगर	128 "
27.	शाहकारी नगर	128 "
28.	अगोता	128 "
29.	केलोन	128 "
30.	मखेना	128 "
31.	जारगांव	128 "
32.	कणवास	128 "
33.	बोबोयाना	128 "
34.	कारोरा	128 "
35.	बी०बी० नगर	128 "
36.	बुगरासी	128 "
37.	खानपुर	128 "
38.	अनूपशहर	128 "
39.	दनकौर	128 "
40.	छेलास	128 "
41.	बहादुरगढ़	128 "
42.	फरीदनगर	128 "
43.	पटाला	128 "
44.	छतरी	128 "
	जिला श्रीनगर	
1.	उत्तरकाशी	सी-डॉट का विस्तार 1.4 हजार से 2 हजार
2.	कोटद्वारा	3 हजार से 4 हजार
3.	श्रीनगर	1.4 हजार से 2 हजार
4.	बी० पुरम	512 पोर्ट 1 हजार
5.	लांसडाउन	512 पोर्ट 1 हजार
6.	रूद्रप्रयाग	512 पोर्ट 1 हजार
7.	जोशीमठ	512 पोर्ट 1 हजार
8.	धाटवाडी	128 लाइनें
9.	टुंडा	128 "

1	2	3
10.	गैरसेन	128 लाइनें
11.	लाम्बगोंडी	128 "
12.	नारायण नगर	128 "
13.	नौगांवखल	128 "
14.	पिपलकोटी	128 "
15.	पोखरी	128 "
16.	थारली	128 "
17.	रानीचौरी	128 "
18.	हिंडोला खल	128 "
19.	मायापुर	128 "
	जिला शरणपुर	
1.	शिवालिकनगर	आर०एल०यू० का विस्तार 2 हजार से 3 हजार
2.	देवबंद	2 हजार से 3 हजार
3.	मंगलोर	1 के - 1.4 के सी-डॉट का विस्तार 1 हजार से 1.4 हजार
4.	रामपुर मानिहारन	128 लाइनें
	जिला नैनीताल	
1.	नैनीताल	सी-डॉट का विस्तार 3 हजार से 4 हजार
2.	लालपुर	512 पोर्ट सी-डॉट का विस्तार 1 हजार
3.	टानकपुर	सी-512 पोर्ट का विस्तार 1 हजार
4.	लालखान	सी-डॉट 512 पोर्ट का विस्तार 1 हजार
5.	शक्तिफार्म	128 लाइनें
6.	भूजवानगला	128 "
7.	केलाखेडा	128 "
8.	कोटाबाग	128 "
9.	बेलपराव	128 "
10.	कालाधुन्गी	128 "
11.	दिनेशपुर	128 "
12.	सिसाया	128 "
13.	ज्ञानीपुरी	128 "
14.	पिपल्या	128 "
	जिला रामपुर	
1.	बदायूं	सी-डॉट का विस्तार 2.4 हजार से 4 हजार
2.	पीलीभीत	सी-डॉट का विस्तार 1 हजार से 2 हजार
3.	मिलाक	सी-डॉट 512 पोर्ट 1 हजार
4.	बिलासपुर	सी-डॉट 512 पोर्ट 1 हजार
5.	पूर्णपुर	सी-डॉट 512 पोर्ट 1 हजार से 1.4 हजार
6.	उझानी	सी-डॉट 512 पोर्ट 1 हजार से 1.4 हजार
7.	भोट	128 लाइनें
8.	गन्नौर	128 "
9.	आलापुर	128 "
10.	उदयकाकानपुर	128 "
11.	सैयदपुरा	128 "
	जिला मेरठ	
1.	बाडंड्री रोड़	ई०डब्ल्यू०एस०डी० का विस्तार 10 हजार से 8 हजार
2.	बहनपुरी	ई०-10वी० (एम) का विस्तार 20 हजार से 22 हजार
3.	गंगानगर	आर०एल०यू० का विस्तार 1 हजार से 2 हजार
4.	पल्लवपुरम	आर०एल०यू० का विस्तार 2 हजार से 9 हजार
5.	शास्त्री नगर	आर०एल०यू० का विस्तार 10 ह० से 11 ह०
6.	छपरावली	सी-डॉट 512 पोर्ट का विस्तार 1 हजार
7.	बामनौला	128 लाइनें
8.	दहा	128 "
9.	डबथुआ	128 "

1	2	3
10.	धनौरा	128 लाइनें
11.	लावर	128 "
12.	सरूरपुर खुर्द	128 "
	जिला मुजफ्फर नगर	
1.	एस०एच०एन०बस स्टैण्ड	आर०एल०यू० का विस्तार 1 हजार 2 हजार
2.	गांधी कालोनी	आर०एल०यू० का विस्तार 2 हजार से 3 हजार
3.	जनसाथ	512 पोर्ट का विस्तार 1 हजार
4.	बेगराजपुर	-वही-
5.	कांधला	-वही-
6.	शाहपुर	-वही-
7.	मिरानपुर	-वही-
8.	गढी पुख्ता	-वही-
9.	बुधाना	सी-डॉट का विस्तार 1 हजार 1.4 हजार
10.	बारला	128 लाइनें
11.	हसनपुर लुहारी	128 "
12.	बसेरा	128 "
13.	चौसाना	128 "
14.	नावल	128 "
15.	उन्न	128 "
16.	छापर	128 "
17.	रोहाना	128 "
18.	करकौली	128 "
19.	मोरना	128 "
20.	बावरी	128 "
21.	बघरा	128 "

[हिन्दी]

बिहार में कम प्रसारण क्षमता वाले दूरदर्शन केन्द्र

279. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कितने कम प्रसारण क्षमता वाले दूरदर्शन केन्द्र हैं जो इस समय संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) कम प्रसारण क्षमता वाले दूरदर्शन केन्द्रों की वर्तमान प्रसारण रेंज और उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी प्रसारण रेंज को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) बिहार राज्य में फिलहाल तेरह अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों (अ०श०ट्रा०) के संतोषजनक रूप से कार्य न करने की सूचना मिली है।

(ख) यू०एच०एफ०/वी०एच०एफ० आवर्तिता बैण्ड पर संचालित मौजूदा अल्प शक्ति ट्रासंमीटरों (110/300 वॉट) का दूरवर्ती सेवा क्षेत्रों सहित लगभग 15.25 मि०मी० का क्षेत्र है जहां संतोषजनक सेवा के लिए ऊंचे एन्टिना और बूस्टर की आवश्यकता होती है।

(ग) से (ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को मंजूरी देने, संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मोतीहारी, जमशेदपुर और देवघर के मौजूदा अल्पशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों को उच्चशक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों के रूप में बदलने का विचार है।

[अनुवाद]

केरल में बिजली की कमी

280. श्री पी०सी० थामस : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में अत्यधिक बिजली की कटौती की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज तक बिजली में कितने प्रतिशत कटौती की गयी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संकट से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें स्वीकृति दिए जाने की लक्षित तिथि क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पुयाललुट्टी परियोजना तथा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) केरल राज्य बिजली

बोर्ड (के०एस०ई०बी०) ने सभी ई०एच०टी० उद्योगों में 9.6.1997 से 100 प्रतिशत विद्युत कटौती लागू की है। एच०टी० और एल०टी० उद्योगों पर दिनांक 12.6.1997 से विद्युत की कटौती 75 प्रतिशत है। अब के०एस०ई०बी० ने दिनांक 1.7.1997 से सभी ई०एच०टी० उद्योगों पर 100 प्रतिशत से 70 प्रतिशत की विद्युत कटौती की छूट दे दी है।

(ख) पिछले एक वर्ष (जुलाई, 1996 से जून, 1997 तक) के दौरान केरल में विद्युत की कटौती संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण क्षेत्र में 15 प्रतिशत अनावंटित केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन से मई, 1997 में 30 प्रतिशत से 12.6.1997 को 50 प्रतिशत तक केरल को विद्युत के आवंटन अभिवृद्धि कर दी है और 1.7.1997 को इसमें 65 प्रतिशत तक की अभिवृद्धि कर दी है।

(घ) के०वि०प्रा० (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण) को प्रस्तुत की गई केवल एक परियोजना (अदिरापल्ली एच०ई०पी०-2x80 मे०वा०) को 22.4.1996 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन स्वीकृति प्रदान की गई है। के०वि०प्रा० के पास कोई अन्य परियोजना लंबित नहीं है। तथापि, केरल से प्राप्त सात स्कीमों को विभिन्न निदेशों जैसे ईंधन और परिवहन लिंकेज के अभाव स्वरूप वापिस कर दी गई है।

(ङ) और (च) पुपामकुट्टी जल विद्युत परियोजना की गहराई से विश्लेषण करने के लिए अक्तूबर, 1996 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है।

विवरण

पिछले एक वर्ष जुलाई, 1996 से जून, 1997 तक के दौरान केरल में विद्युत की कटौती के ब्यौरे निम्नलिखित है :

अवधि	ऊर्जा कटौती/विद्युत कटौती का ब्यौरा
1	2
जुलाई, 1996 से आज तक	समूचे वर्ष के दौरान शाम के व्यस्त घंटों में- 1830 घंटे से 2130 घंटे तक आधे घंटे के लिए साइक्लिक लोड शैडिंग।
जुलाई, 1996	एच०टी० उपभोक्ताओं पर बिजली कटौती – 27.6.96 से 70 प्रतिशत
	एच०टी० उपभोक्तओं पर ऊर्जा कटौती – 15.6.1996 से 50 प्रतिशत
अगस्त, 1996	एच०टी० उपभोक्ताओं पर ऊर्जा कटौती – 1.8.1996 से 30 प्रतिशत।
सितम्बर से दिसम्बर, 1996	एच०टी० और ई०एच०टी० उपभोक्ताओं पर ऊर्जा कटौती – 30 प्रतिशत।
जनवरी, 1997	1.1.997 से 10 किलोवाट भार से अधिक भार वाले ई०एच०टी० और एच०टी० उपभोक्ताओं पर 30% ऊर्जा कटौती।
फरवरी और मार्च, 1997	1. 1.8.996 से 100 कि०वा०ए० से अधिक भार वाले ईएचटी और एल०टी० गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर 30 प्रतिशत ऊर्जा कटौती।
	2. 15.1.1997 से 10 कि०वा० से अधिक भार से सम्बद्ध एल०टी० औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 30 प्रतिशत की ऊर्जा कटौती।
अप्रैल और मई, 1997	1. 18.3.1997 से 100 कि०वा०ए० से अधिक भार वाले ई०एच०टी०, एच०टी० और एल०टी० गैर-घरेलू उपभोक्ताओं पर 50 प्रतिशत की ऊर्जा कटौती।
	2. 18.3.1997 से 10 कि०वा० से अधिक सम्बद्ध भार वाले एल०टी० औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 50 प्रतिशत की ऊर्जा कटौती।
जून, 1997	1. 18.6.1996 से 100 के०वी०ए० से अधिका भार वाले ई०एच०टी० और एल०टी० गैर घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्तओं पर 30 प्रतिशत की ऊर्जा कटौती।
	2. 9.6.1997 से 10 कि०वा० से अधिक सम्बद्ध भार वाले ई०एच०टी०, एच०टी० और एल०टी० उपभोक्ताओं पर 100 प्रतिशत की ऊर्जा कटौती जो 17.6.1997 से एच०टी० और एल०टी० उपभोक्ताओं पर घटाकर 70 प्रतिशत और 1. 7.1997 से सभी ई०एच०टी० उद्योगों पर 70 प्रतिशत कर दी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को नजदीकी रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ना

281. श्रीमती लक्ष्मी पनवाका :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सभी प्रमुख शहरों के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को नजदीकी रेलवे स्टेशनों के साथ जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे विदेशी पर्यटकों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विमानपत्तनों पर बुकिंग कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे में दुर्लभ मुद्रा में किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों के लिए कोई विशेष कोटा है और देश के विमानपत्तनों से यह आशा की जाती है कि वे विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित सीटों का उन्हें भरपूर लाभ दें, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली और मद्रास हवाई अड्डों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध है। कलकत्ता हवाई अड्डे पर कुछ चुनिंदा गाड़ियों में कोटा सहित मैनुअल आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इस समय कोई दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) आवश्यकतानुसार विभिन्न गाड़ियों में कुछ बर्थ विदेशी पर्यटक कोटा के तहत निर्धारित की गई है जो विदेशी पर्यटकों को हार्ड करेंसी के भुगतान पर आवंटित की जाती है। हवाई अड्डों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था होने से इस कोटे में वृद्धि की संभावना है।

[हिन्दी]

लेह स्थिति आकाशवाणी केन्द्र में 'हीटिंग सिस्टम' की स्थापना

282. श्री पी० नामग्याल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह स्थिति आकाशवाणी केन्द्र में 'हीटिंग सिस्टम' की स्थापना कब की गई थी और इसका ठेका किस कंपनी को दिया गया;

(ख) क्या यह प्रणाली उस दिन से निष्क्रिय हो गई जब से इसके चालू होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस हीटिंग प्रणाली को चालू किए बिना ही ठेकेदार को राशि का भुगतान किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है और ठेकेदार को पूरा भुगतान करने के लिए जिम्मेवार अधिकारी के नाम क्या है; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) आकाशवाणी, लेह की तापन प्रणाली अक्तूबर, 1991 में स्थापित की गयी थी। तापन संयंत्र का उपकरण मैसर्स डेल्टा टी० सिस्टम्स द्वारा सप्लाई किया गया था। आकाशवाणी, लेह के स्टूडियो में तापन प्रणाली नवम्बर, 1983 में स्थापित की गयी थी और मैसर्स ब्लू स्टार लि० द्वारा संयंत्र सप्लाई किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

283. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पदों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों पर दूसरी जातियों के व्यक्ति पदासीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और पदवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पिछले सभी खाली पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्री (बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पवन ऊर्जा का विकास

284. कुमारी उमा भारती :
प्रो० ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की अत्यधिक कमी को देखते हुए पवन ऊर्जा के विकास हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पवन ऊर्जा के विकास हेतु कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) देश में कुल 900 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। इन परियोजनाओं से अब तक दो बिलियन यूनिट से भी अधिक विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है और जिसे ग्रिड को दिया गया है। पवन विद्युत की संस्थापना मुख्य

रूप से निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से हुई है। इनके लिए सरकार की ओर से सहायता, पवन संसाधन गूल्यांकन और प्रदर्शन परियोजनाओं के द्वारा की गई है, ये प्रदर्शन परियोजनाएं 50 मेगावाट समग्र क्षमता की हैं जो राज्य एजेंसियों और विद्युत बोर्डों द्वारा संचालित की गई हैं।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण करने तथा देश में पवन विद्युत के विकास के लिए तकनीकी केन्द्र-बिन्दु के तौर पर कार्य करने हेतु एक पवन विद्युत प्रणाली विकास एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस केन्द्र के अभिन्न अंग के तौर पर एक पवन टर्बाइन परीक्षण स्टेशन स्थापित किया जाएगा। डेनमार्क सरकार इस परीक्षण स्टेशन के लिए तकनीकी और आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इस स्टेशन की संस्थापना पर करीब 10 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

रेल लाइन का निर्माण

285. श्री हंस राज अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जैसे उन आदिवासी क्षेत्रों में, जहां खनिज संपदा अपार मात्रा में उपलब्ध है, रेल लाइनों का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) देश के आदिवासी क्षेत्रों जहां खनिज संपदा है, में विभिन्न लाइनें निर्माणाधीन हैं। इनमें दैतारी-बांसपानी, खोरधा रोड़-बोलंगीर शामिल हैं। इस क्षेत्र में दल्ली राजहरा-जगदलपुर लाइन अनुमोदित भी हो गई है तथा आगामी वर्षों में कार्य शुरू किया जायेगा। जहां तक गरचीलोरी का संबंध है, वाडसा से गरचीलोरी तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[अनुवाद]

बिहार को रोजगार आश्वासन योजना के लिए धनराशि

286. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत बिहार के बेगुसराय जिले को धन उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण है; और

(ख) राज्य को धन की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) और (ख) बिहार के बेगूसराय जिले से चालू वर्ष के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित जिले से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। जिसमें पहले जारी की गई राशियों के उपयोग प्रमाणपत्र और खर्च की ब्लाक-वार प्रगति बतानी होती है।

राशियां जारी करने और उपयोग की समय-समय पर निगरानी की जाती है और राज्य सरकारों को स्मरण कराया जाता है कि वे उपयोग प्रमाणपत्र और विधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजें।

गरीबी उन्मूलन के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग

287. श्री जय प्रकाश (हरदोई) :
श्री चित बसु :
श्री शरत पटनायक :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीबी उनमूलन कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किये जा रहे है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उनमूलन कार्यक्रम की पुनरीक्षा का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषता क्या है;

(ङ) क्या गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन हेतु योजनाओं की पुनरीक्षा करने तथा उन्हें युक्ति संगत बनाने के लिए गठित समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(छ) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) और (ख) जी नहीं, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों और क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के स्थल दौरों के मार्फत योजनाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। विभिन्न योजनाओं में नियंत्रण करने का एक तरीका बनाया गया है जिससे योजनाओं की निधियों का सही ढंग से इस्तेमाल हो सके।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) से (छ) जी, हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार है :–

(1) सभी व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए मानक सबसिडी 7500%-रु० हों।

(2) आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा प्रायोजित परियोजना की लागत 25,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच होनी चाहिए।

(3) व्यक्तिगत लाभार्थी की बजाय सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने के पर्याप्त प्रयास किए जायें।

(4) यह भी सिफारिश की गई है कि ट्राइसेम और औजार किट कार्यक्रम को आई०आर०डी०पी० में मिला दिया जाए, जो कि सभी अलग-अलग उप योजनाएं हैं।

मंत्रालय उक्त मुद्दों पर कार्रवाई करने के संबंध में गंभीरता से विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

पनविद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता

288. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पन-विद्युत परियोजनाओं को कुल विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट में कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार अब तक स्वीकृत पन-विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) उन भारतीय और विदेशी फर्मों की संख्या कितनी है जिन्होंने इन परियोजनाओं में पूंजी निवेश किया है;

(घ) किन-किन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) 1995-96 के दौरान राज्यवार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता अनन्तिम रूप से 1785.22 मेगा वाट है।

(ख) अब तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई जल विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) मैसर्स जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि० ने बासपा चरण-2 (5x100 मे० वाट) तथा विष्णु प्रयाग (4x100 मे०वा०) जल विद्युत परियोजनाओं में तथा मेसर्स महेश्वर हाईड्ल पावर कारपोरेशन ने महेश्वर (10x40 मे०वा०) जल विद्युत परियोजना में निवेश किया है।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं के नाम, जिनके लिए राज्य सरकारों से आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं, संलग्न विवरण-II तथा III में दिए गए है।

विवरण-I

क्र०सं०	क्षेत्र/राज्य/केन्द्र	संभावित अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०) (31.3.98 को)
1	2	3
	उत्तरी क्षेत्र	
	केन्द्रीय/सामान्य	
	बी०बी०एम०बी०	
1.	भाखड़ा (एल एण्ड आर)	1200.00
2.	गंगवाल और कोटला	154.50
3.	देहर	990.00
4.	पोंग	360.00
	कुल बी०बी०एम०बी०	2704.50
	एन०एच०पी०सी०	
1.	बैरा सियूल	180.00
2.	सलाल चरण-1 (जम्मू व काश्मीर)	345.00
3.	सलाल चरण-2 (जम्मू व काश्मीर)	345.00
4.	टनकपुर (उ०प्र०)	120.00
5.	चामेरा चरण-1 (उ०प्र०	540.00
6.	उरी (जम्मू व काश्मीर)	360.00
	उप जोड़ – एन०एच०पी०सी०	1890.00
	कुल केन्द्रीय :	4820.50
	हरियाणा	
1.	पश्चिमी यमुना नहर-फेस क	16.00
2.	पश्चिमी यमुना नहर-फेस ख	16.00
3.	पश्चिमी यमुना नहर-फेस ग	16.00
	कुल हरियाणा	48.00
	जम्मू और काश्मीर	
1.	लोअर झेलम	105.00
2.	अपर सिन्ध-I	22.00
3.	गंडिरबल	15.00

1	2	3
4.	चेनानी	23.30
5.	मोहरा	9.00
6.	स्टाखा और कारगिल	7.75
	जोड़ जम्मू व काश्मीर	182.05
हिमालच प्रदेश		
1.	गिरी बाटा	
2.	बस्सी	6.00
3.	बिनवा	16.00
4.	अनघारा	16.95
5.	बनजाया	120.00
6.	थिरोट	4.00
7.	गाज	10.00
8.	बनेर	12.00
	जोड़ हिमालच प्रदेश	
पंजाब		
1.	शानन	110.00
2.	यू०बी०डी०सी० 1 और 2	91.35
3.	मुकेरियन	
4.	ए०पी० साहिब	
	जोड़ पंजाब	
राजस्थान		
1.	राणा प्रताप सागर	172.00
2.	जवाहर सागर	99.00
3.	महीबाजाज 1 और 2	140.00
4.	अनूपगढ़ 1 और 2	9.00
5.	सूरतगढ़	4.00
6.	मंगरोल	6.00
	जोड़ राजस्थान	430.00

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	रिहन्द	
2.	ओबरा	
3.	ढाकरानी	33.75
4.	ढालपुर	51.00
5.	कुलहल	30.00
6.	चिबरो	340.00
7.	रामगंगा	198.00
8.	चिल्ला	144.00
9.	माताटीला	30.00
10.	खटीमा	41.40
11.	गंगा कैनाल	45.20
12.	खोदरी-I	120.00
13.	मोहरी भाली	90.00
14.	खारा	72.00
	जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	7602.00
पश्चिम क्षेत्र		
गुजरात		
1.	उकाई	300.00
2.	उकाई एल०बी०सी०	5.00
3.	कादना (पी०एस०एस०)	240.00
	जोड़ गुजरात	545.00
मध्य प्रदेश		
1.	गांधी नगर	115.00
2.	बारगी	90.00
3.	पेंच	160.00
4.	वाण सागर टोंस	315.00
5.	बीरसिंघ पुर	20.00
6.	हसदेव बैंगो	120.00
	जोड़ मध्य प्रदेश	820.00

1	2	3
	महाराष्ट्र	
	टाटा हाइड्रो	
1.	भीरा	132.00
2.	भीरा (पी०एस०एस०)	150.00
3.	भीवपुरी	72.00
4.	खोपिली	72.00
	जोड़ टाटा हाइड्रो	426.00
	एम०एस०ई०बी०	
1.	कोयना चरण-1 और 2	560.00
2.	कोयना चरण-3	320.00
3.	कोयना डी०पी०एच०	40.00
4.	वैतरना और डैम पी०एच०	62.00
5.	इलदारी	23.00
6.	वीर	2.00
7.	भटनागर	16.00
8.	पैथन (पी०एस०एस०)	12.00
9.	तिल्लारी	60.00
10.	भीरा तेल	80.00
11.	भडारधारा	10.00
12.	पवन	10.00
13.	राघानगरी और 2	5.00
14.	खड़गवासरा 1 और 2	16.00
15.	भाटसा	15.00
16.	कनहर	4.00
17.	उज्जयिनी	12.00
18.	सूर्या	6.00
19.	मानिकदोह	6.00
20.	धौम (वारना)	2.00
21.	दिम्बहे	5.00
22.	भण्डाराधारा-II	34.00
23.	वारना	15.00
24.	दूधगंगा	24.00
25.	करंजवन	3.00
	उप जोड़ एम०एस०ई०बी०	1350.00
	कुल महाराष्ट्र	1776.00
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	3141.00
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	मचकिंड	120.00
2.	टीबी डैम और रैम्प I	72.00
3.	अपर सिलेरू 1 और 2	300.00
4.	दोनकरनी	20.00
5.	लोअर सिलेरू	400.00
6.	श्रीसैलम	770.00
7.	नागार्जुन सागर (पी०एस०एस०)	815.60
8.	नागार्जुन सागर (आर०बी०सी०)	91.80
9.	नागार्जुन सागर (एल०बी०सी०)	61.00
10.	पेन्ना अहोबिलम	20.00
11.	पोचमपाडू	27.00
12.	निजाम सागर	10.00
13.	सिंगूर	15.00
	जोड़ आन्ध्र प्रदेश	2847.60
	कर्नाटक (के०पी०सी०एल०)	
1.	सरक्ती	1035.00
2.	सिंगनामक्की	55.00
3.	वराही	230.00
4.	मणि डैम पी०एच०	9.00
5.	भद्रा	33.20
6.	कालिन्दी	825.00
7.	सूपा डैम पी०एच०	100.00
8.	घाटप्रभा	32.00

1	2	3
9.	मल्लापुर	9.00
10.	कादरा	50.00
11.	कोडासाली	40.00
	उप जोड़ के०पी०सी०एल०	2418.00
के०ई०बी०		
1.	जोग	120.00
2.	शिवसामुआराम	42.00
3.	शिमसापुरा	17.20
4.	मनीराबाद	27.00
	उप जोड़ के०ई०बी०	206.20
1.	शिवपुर (प्रा०लि०)	18.00
	कुल कर्नाटक	2642.40
केरल (के०एस०ई०बी०)		
1.	कुट्टिडी	75.00
2.	शेलापार	54.00
3.	पोरिंगलकुत्तू	32.00
4.	पल्लियासल	37.50
5.	बेंगुलम	48.00
6.	पेनियार	30.00
7.	नरियामंगलम	45.00
8.	इडुक्की	780.00
9.	साबरगिरी	300.00
10.	इदमलेयर	75.00
11.	खाल्लादा	15.00
12.	कक्कड़	50.00
13.	पेप्पारा	3.00
14.	लोअर पेरियार	180.00
15.	मल्लारुपाबा	2.50
	कुल के०एस०ई०बी०	1727.00
1.	मनिपार (प्राइवेट)	12.00
	कुल केरल	1739.00

1	2	3
तमिलनाडु		
1.	पायकारा	70.00
2.	कोयार	36.00
3.	कुनदाह 4	555.00
4.	मेत्तूर डैम और ट्यूनल	240.00
5.	लोअर मेत्तूर	120.00
6.	पेरियार	140
7.	सूरीलियार	35.00
8.	पपनासम	26.00
9.	सेरवालर	20.00
10.	सरकारपाठी	30.00
11.	अलियार	60.00
12.	कदमपराई (पी०एस०एस०)	400.00
13.	शोलियार 1 और 2	95.00
14.	कोदायार 1 और 2	100.00
15.	सत्तनूर	7.50
16.	लोअर भवानी (आर०बी०सी०)	8.00
17.	लघु हाइड्रो	18.00
	(क) पाइकारा डैम	
	(ख) भवानी सागर	
	(ग) वैगाई	
	(घ) पूनादरी	
	जोड़ तमिलनाडु	1962.50
	जोड़ दक्षिणी क्षेत्र	1991.50
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार		
1.	कोयी	20.00
2.	सुवर्णरेखा	130.00
3.	सोन वैस्ट कैनाल	6.60
4.	पूर्वी गंडक	15.00
5.	सोन ईस्ट कैनाल	3.30
	जोड़ बिहार	174.90

1	2	3
डी०वी०सी०		
1.	मैथोन	60.00
2.	पंचेत एण्ड विस्तार (पी०एस०एस०)	80.00
3.	तिलइया	4.00
	जोड़ डी०वी०सी०	144.00
उड़ीसा		
1.	रंगाली	250.00
2.	अपर कोलाब	320.00
3.	हीराकुड 1 और 2	307.50
4.	बालीमेला	360.00
5.	पोत्तेरू	6.00
	जोड़ उड़ीसा	1243.50
पश्चिम बंगाल		
1.	जलढाका 1 और 2	35.00
2.	रम्माम 2	50.00
3.	हसनजोक	4.00
4.	तीस्ता कैनाल फाल्स	22.50
	जोड़ पश्चिम बंगाल	111.50
सिक्किम		
1.	लोअर लेग्याप	12.00
2.	मेंगचू	4.00
3.	अपर रोंगचू	8.00
	जोड़ सिक्किम	24.00
	जोड़ पूर्वी क्षेत्र	1697.90
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
मेघालय		
1.	उमियम-1	36.00
2.	उमियम-2	18.00
3.	उमियम-3	60.00
4.	उमियम-4	11.20
	जोड़ मेघालय	125.20

1	2	3
त्रिपुरा		
1.	गुमटी	15.00
अरुणाचल प्रदेश		
1.	टागो	4.00
मणिपुर		
1.	लोकटेक (एन०एच०पी०सी०)	105.00
नीपको		
1.	खंडोंग	50.00
2.	कोपिली	200.00
	उप जोड़ नीपको	250.00
	जोड़ उत्तर-पूर्वी	559.70
	जोड़ अखिल भारतीय	22199.12
	केन्द्रीय क्षेत्र	5119.30
	निजी क्षेत्र	606.00

विवरण-II

30.6.97 की स्थिति के अनुसार

निजी क्षेत्र की स्कीमों (जिनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं) परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण सूचना प्राप्त होनी शेष है, की संक्षिप्त स्थिति

क – निजी क्षेत्र

क्र० सं०	परियोजना का नाम/ राज्य निष्पादन एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मे० वाट)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	मलाना जल विद्युत परियोजना हिमालच प्रदेश मेसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	2 X 43 = 86
पश्चिमी क्षेत्र		
	शून्य	
दक्षिणी क्षेत्र		
	शून्य	

1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
	शून्य	
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र		
	शून्य	

विवरण-III

30.06.1997 की स्थिति के अनुसार

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र को स्कीमों की स्थिति

क्र० सं०	परियोजना का नाम/ राष्ट्रय निष्पादन एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
उत्तरी क्षेत्र		
हिमाचल प्रदेश		
1.	बुधिल हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, चम्बा	2 X 35 = 70
2.	धौलीगंगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (माध्यमिक चरण)	3 X 70 = 210
उत्तर प्रदेश		
	नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	
पश्चिमी क्षेत्र		
	शून्य	
दक्षिणी क्षेत्र		
	शून्य	
पूर्वी क्षेत्र		
	शून्य	
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
असम		
3.	लोअर कोपिनी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, मिजोरम	3 X 50 = 150
4.	तुइवई हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	3 X 70 = 210

रेलवे में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

389. डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रेलवे में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गयी हैं और इन योजनाओं में कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेलवे के किन-किन विभागों में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के मामले में रेल मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जो कि इस प्रयोजन के लिए एक नोडल विभाग है, के अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो कि शारीरिक रूप से विकलांगों के वर्ग "ग" तथा "घ" में सीधी भर्ती के लिए 3% का आरक्षण मुहैया कराता है (नेत्रहीन, बहरे तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्येक के लिए 1%) तथा उनके लिए पहचान किए गए उपयुक्त पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं। इन अनुदेशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्तियों को रेलवे में पहले रोजगार मिला है। 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान रेलों में रोजगार पाने वाले विकलांगों की संख्या तथा इन वर्षों में जिन विभागों में इनकी नियुक्तियां की गई हैं, की सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ध्वनि प्रदूषण

290. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली द्वारा भारतीय सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कोई तकनीक विकसित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) भारतीय सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी०आर०आर०आई०) द्वारा अब तक किसी तकनीक का विकास नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

291. श्री मुरलीधर जेना :
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री पवन दीवान :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से उड़ीसा और मध्य प्रदेश में स्थलवार स्वैच्छिक संगठनों को अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संगठनों के विरुद्ध अब तक प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उड़ीसा और मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को कपार्ट द्वारा अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि के जिलावार ब्यौरे विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) कपार्ट ने सूचित किया है कि कपार्ट ने विभिन्न प्रकार के कृत्याकृत्य के लिए उड़ीसा के चार स्वैच्छिक संगठनों और मध्य प्रदेश के सात स्वैच्छिक संगठनों को कालीसूची में डाला है। साथ ही, कपार्ट ने उड़ीसा के 22 स्वैच्छिक संगठनों और मध्यप्रदेश के 8 स्वैच्छिक संगठनों पर राशि जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है।

(ग) अभी कपार्ट मध्य प्रदेश के एक स्वैच्छिक संगठन के खिलाफ प्राप्त शिकायत की जांच कर रहा है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उड़ीसा के स्वैच्छिक संगठनों को कपार्ट द्वारा अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत राशि के जिलावार ब्यौरे

क्रम सं०	जिला	1996-97		1997-98	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	धेनकल	38	71.42	02	0.76
2.	मयूरभंज	02	0.51	—	—
3.	खुर्दा	08	13.68	02	0.52
4.	क्योंझार	02	0.64	01	3.03
5.	बालेश्वर	01	0.26	—	—
6.	नयागढ़	08	7.36	—	—
7.	सुन्दरगढ़	02	0.52	—	—
8.	पुरी	18	5.26	01	0.26
9.	गाजापटी	04	1.04	—	—
10.	कटक	06	8.43	01	0.26
11.	बारागढ़	03	2.41	—	—
12.	कालाहांडी	01	0.80	—	—
13.	जाजपुर	01	0.26	—	—
14.	बोलांगीर	04	5.95	—	—
15.	रायगढ़	05	101.96	—	—
16.	फूलनी/कांधावाल	03	5.27	—	—
17.	गंजम	02	2.26	01	4.47
18.	नौपारा	06	17.31	—	—
19.	अंगुल	03	1.34	—	—
20.	सम्बलपुर	01	2.70	—	—
21.	जगतसिंहपुर	01	1.63	—	—
22.	कोरापुट	03	3.13	—	—
23.	केन्द्रापाटा	04	3.08	02	3.39
24.	झारसुगुडा	—	—	01	2.89
25.	भुवनेश्वर	02	14.73	—	—
	कुल	128	271.95	11	15.58

विवरण-II

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों को कपार्ट द्वारा अब तक स्वीकृत परिसम्पत्तियों की संख्या और स्वीकृत राशि के जिलावार ब्यौरे

क्र० सं०	जिला	1996-97		1997-98	
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	बिलासपुर	5	12.46	1	3.80

1	2	3	4	5	6
2.	ग्वालियर	9	14.64	—	—
3.	भिंड	1	1.04	—	—
4.	मुरैना	3	5.68	—	—
5.	रायपुर	1	0.27	2	2.86
6.	भोपाल	6	16.86	—	—
7.	जबलपुर	4	7.48	—	—
8.	पन्ना	2	7.89	—	—
9.	सतना	2	7.31	1	3.33
10.	गुना	1	1.37	—	—
11.	इन्दौर	7	18.24	1	2.19
12.	होशंगाबाद	1	4.33	—	—
13.	बालाघाट	2	3.51	—	—
14.	मांडला	1	3.98	—	—
15.	दुर्ग	2	4.73	1	2.24
16.	दातिया	1	1.20	—	—
17.	उज्जैन	1	1.09	—	—
18.	रीवा	3	6.15	—	—
19.	देवास	1	59.78	—	—
	कुल	53	178.01	6	14.42

राज्यों को केन्द्रीय आवंटन

292. श्री छीतुभाई गामीत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों विशेषकर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए धनराशि आवंटन हेतु क्या वर्तमान मानदण्ड अपनाये गये है;

(ख) क्या समस्या के निराकरण के संबंध में वर्तमान व्यवस्था न तो विज्ञान आधारित है और न ही वास्तविक; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुजरात के विभिन्न दूरगम क्षेत्रों को और अधिक धनराशि आवंटित करके समस्याओं का निराकरण करने के लिए इसमें संशोधन करने का है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) अधिकांश गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत संसाधनों को गुजरात राज्य सहित राज्यों को देश में कुल गरीबों में राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात से आवंटित किया जाता है। यह मानदण्ड वैज्ञानिक और यथार्थवादी है। और इसे योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपर्युक्त मानदण्ड में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा उठाई गई हानि

293. श्री राम बहादुर सिंह :
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनुत्पादक और अलाभकारी तांबें की खानों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों से आज तक इसके परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान कापर लि० को अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा खानों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) मोसाबनी खानों में खनन कार्य बहुत खर्चीला है और चूंकि हिन्दुस्तान कापर लि० को इन खानों के प्रचालन में बहुत हानि उठानी पड़ रही है इसलिए एच०सी०एस० के निदेशक मंडल ने मोसाबनी खानों को बन्द करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांत में अनुमोदित कर दिया है और कंपनी ने औद्योगिकी विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अन्तर्गत सरकार से बन्द करने की अनुमति मांगी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मोसाबनी खानों के प्रचालन में हिन्दुस्तान कापर लि० को हुई हानि नीचे दी गई है :—

वर्ष	नेट हानि (लाख रु० में)
1994-95	2350.67
1995-96	2857.17
1996-97	3458.52

[हिन्दी]

उत्तर रेलवे जांच रिपोर्ट

294. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1997 के राष्ट्रीय सहारा में "उत्तर रेलवे जांच रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में" शीर्षक से प्रकाशित

समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों सहित सभी शिकायतों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच/छानबीन की गई है तथा शिकायतों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने सहित निवारक कार्रवाई की गई है। 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 2,407 और 2,252 रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। समाचार पत्र में उल्लिखित विशिष्ट मामले में, उत्तर रेल द्वारा तत्परता-पूर्वक जांच की गई थी तथा प्रथम दृष्टया कोई रेल कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया था।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लि० का निवेश

295. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लि० ने इंडिया टेलीकॉम लि० में कुछ निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निवेश इस संबंध में निर्धारित मानकों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में मौजूदा मानकों की अवज्ञा करने के लिए विदेश संचार निगम लि० के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई की है अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ख) जी नहीं, तथापि, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इरोडियम इंडिया टेलीकॉम लि० को गेटवे उपस्करों को खरीद के लिए 50 करोड़ रु० का सुरक्षित अग्रिम भुगतान किया है।

(ग) से (ङ) मामले की जांच की जा रही है इस स्तर पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान द्वारा मांगी गई निधियां

296. श्री श्याम लाल बंशीवाल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियां मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान राजस्थान को कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई, और

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आंवटित की गई धनराशि राज्य सरकार द्वारा की गई मांग के अनुरूप है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ग) जी, हां। 1995-96 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं में राजस्थान सरकार की मांग पर अतिरिक्त निधियां केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी :–

(I) समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1995-96 के दौरान 792 लाख रुपए तथा 1996-97 के दौरान 215 लाख रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय निधियों की मांग की गई थी। इसकी तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान 342 लाख रुपए उन्हां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी किए गए जिन्होंने अतिरिक्त निधियां जारी करने हेतु निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लिया। 1996-97 के दौरान कोई अतिरिक्त निधि जारी नहीं की गई क्योंकि किसी भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने अतिरिक्त निधियों की रिलीज के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया है।

(II) जवाहर रोजगार योजना

1995-96 के दौरान, आपरेशन "ब्लैक बोर्ड" के अंतर्गत 307 प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण करने के लिए 332.16 लाख रुपए की अतिरिक्त जवाहर रोजागर योजना निधि की रिलीज के लिए एक प्रस्ताव राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ था। अतिरिक्त निधि के रूप में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 332.16 लाख रुपए की यह राशि मार्च, 1996 में जारी की गई थी।

(III) ट्राइसेम

1995-96 के दौरान राजस्थान सरकार की मांग के आधार पर अतिरिक्त निधि के रूप में 35.50 लाख रुपए जारी किए गए थे। 1996-97 के दौरान कोई अतिरिक्त निधि जारी नहीं की गई क्योंकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों ने निधियों की रिलीज के लिए शर्तों को पूरा नहीं किया था।

[अनुवाद]

दिल्ली में पी०सी०ओ० बूथ

297. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी दिल्ली में आज की तारीख तक कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये बूथ सुचारू और संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी दिल्ली में कितनी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बंद किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(च) दिल्ली में विशेषरूप से आई०एम०बी०टी०/रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इन बूथों के सुचारू कार्यकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिल्ली में कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या 32105 है।

(ख) प्रायः ये पी०सी०ओ० बूथ बिना किसी व्यवधान के संतोषप्रद रूप से कार्यकर रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 1502 पी०सी०ओ० बंद किए जा चुके हैं।

(घ) डिसकनेक्ट किए गए पी०सी०ओ० की संख्या	डिसकनेक्शन के कारण
605	भुगतान न होने के कारण
197	दुरुपयोग के कारण
690	पी०सी०ओ० फ्रेंचाटूजी के अनुरोध पर
10	कम राजस्व के कारण

(ङ) कुछ नहीं।

(च) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है तथा खराबियों को तत्काल ठीक कर दिया जाता है। फील्ड स्टाफ इन सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को दिन के दौरान इनके समुचित कार्यकरण के लिए जांच करता है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इन बूथों का आकस्मिक तथा नेमी निरीक्षण करते हैं।

दिल्ली स्थित महानगर टेलीफोन निगम के कार्यालय में आग की दुर्घटना

298. श्री वी०वी० राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 17 जून, 1997 को देश की राजधानी में स्थित चन्द्रलोक भवन में सबसे ऊपर की डेढ़ मंजिल जहां महानगर टेलीफोन निगम लि० का कार्यालय है, में लगी भीषण आग के कारणों के संबंध में करायी गई जांच के क्या परिणाम निकले;

(ख) इस अग्निकांड में किस तरह के रिकार्ड नष्ट हुए हैं और इन्हें पुनः तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भविष्य में आग की दुर्घटना को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं;

(घ) क्या सी०बी०आई० द्वारा जांच किए जा रहे 30 लाख रुपए के निविदा घोटाले से संबंधित कागजात भी नष्ट हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सी०बी०आई० द्वारा उल्लिखित एम०टी०एन०एल० के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है और अब आगे ये जांच कैसे की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) मुख्य इंजीनियर (बी०डब्ल्यू०), अधीक्षक इंजीनियर सिविल (दक्षिण) एवं (केन्द्रीय), अधीक्षक इंजीनियर (इलै०) वरिष्ठ वास्तुकार, मुख्य लेखा अधिकारी (बी०डब्ल्यू०) और कार्यपालक इंजीनियर (इलै०) (केन्द्रीय) के कार्यालय-रिकार्ड नष्ट हो गए हैं। अन्य कार्यालयों से प्रतियां एकत्रित करके फाइलें तथा दूसरे रिकार्ड दुबारा तैयार करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) चंद्रालोक बिल्डिंग नई दिल्ली नगरपालिका (एन०डी०एम०सी०) बिल्डिंग) हैं, महानगर टेलीफोन निगम लि० के विभागीय भवनों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई है तथा अग्नि सुरक्षा और बचाव आवश्यकताओं के अनुसार भवन में अग्नि सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपेक्षित संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और उनकी अभिरक्षा में हैं।

(ङ) सी०बी०आई० अभी भी मामले की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ०

299. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिला-वार कितने एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/पी०सी०ओ० लगाए गए हैं और उनमें से कितने ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं;

(ख) जिलावार कितने बूथ उपयुक्त रूप से काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) इस संबंध में जिलावार कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(घ) इन आवेदन पत्रों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है और सभी ग्राम पंचायतों को कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्य में इस समय कितने टेलीफोन कनेक्शन खराब पड़े हैं और सरकार द्वारा इनकी मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन कनेक्शनों की कब तक ठीक कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) शून्य

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) लम्बित आवेदनों को मार्च, 98 तक उत्तरोत्तर रूप से निपटा दिए जाने की संभावना है। सभी ग्राम पंचायतों को सन् 2000 तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

(ङ) और (च) कुल मिलाकर सभी टेलीफोन कनेक्शन संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। किसी टेलीफोन के खराब होने की सूचना मिलते ही उसे यथाशीघ्र ठीक कर दिया जाता है।

विवरण

दूरसंचार जिला (गौण स्विचन क्षेत्र)	संस्थापित किए गए एस०टी०डी०/ पी०सी०ओ० (क)	लंबित आवेदनों की संख्या (ग)
1	2	3
1. भोपाल	1189	172
2. इन्दौर	1744	—
3. जबलपुर	1272	106
4. ग्वालियर	891	11
5. रायपुर	816	43
6. बिलासपुर	336	—
7. उज्जैन	315	—
8. मंदसार	301	05
9. खरगौन	214	67
10. मुरैना	156	82
11. खण्डवा	285	03
12. होशंगाबाद	230	10
13. दुर्ग	431	—
14. रतलाम	349	11
15. धार	162	12
16. सागर	234	50
17. विदिशा	154	25
18. शाजापुर	91	14
19. राजगढ़	92	17
20. देवास	162	—
21. छत्तरपुर	251	156
22. गुना	118	20
23. शिवपुरी	109	25
24. बालाघाट	139	18
25. नरसिंहपुर	177	28
26. छिंदवाड़ा	172	18
27. बैतुल	94	04
28. शाहदोल	197	—
29. रायगढ़	99	—
30. सतना	262	10
31. रीवा	239	—
32. जगदलपुर	85	49

[अनुवाद]

बंगलौर में डांसिंग म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण

900. **श्री के०सी० कोंडय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में डांसिंग म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण करने के लिए रेलवे और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कुल कितनी राशि निवेश की गई;

(ख) क्या उक्त फाउंटेन रेलवे के नियंत्रणाधीन है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक सरकार डांसिंग म्यूजिकल फाउंटेन को देखने के लिए लोगों से प्रदेश शुल्क वसूल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे को प्रवेश शुल्क में से हिस्सा मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलों ने बेंगलूर में किसी डांसिंग फाउंटेन पर कोई निवेश नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दलालों के कारण उत्पन्न समस्या

301. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 1997 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में "टाऊट्स बिजनेस" कांटीन्यूज "अनअबेटिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल प्रशासन द्वारा असहाय यात्रियों को दलालों के चंगुल से बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) इस समाचार में दिल्ली से चलने वाली गाड़ियों में आरक्षित स्थान को घेर लेने में संलिप्त दलालों पर और इसे अधिक मूल्य पर बेचने पर प्रकाश डाला गया है।

(ग) आरक्षण कार्यालयों में और इनके आस-पास दलालों और अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की जांच करने के लिए रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस के कर्मचारियों की सहायता से वाणिज्यिक और सतर्कता विभाग द्वारा नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। दलालों के विरुद्ध अभियानों में तेजी लाई गई थी और अप्रैल से जून 1997 के दौरान उत्तर रेलवे द्वारा 174 दलाल पकड़े गए। उनके विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त या बढ़ावा देते हुए पाए गए रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता

302. श्री अमर पाल सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना हेतु एक हजार मेगावाट के संबंध में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राज्यों में विद्युत नियामक बोर्ड का गठन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है ताकि राज्यों में विद्युत की दरें कम से कम उस स्तर पर रखी जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र को वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के साथ विस्तृत मशविरा किए जाने के बाद अपनाए गये विद्युत संबंधी साझा न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार भारत सरकार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस०ई०आर०सी०), जिनसे एक ईष्टतम और पारदर्शी तरीके से टैरिफ का निर्धारण किया जा सकेगा, की स्थापना करने संबंधी मुद्दो की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

पुनःप्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजसहायता

303. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अब तक कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ है; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध आर्थिक राज सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) देश में 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार अब तक स्थापित की गई विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, प्रणालियों और युक्तियों की कुल क्षमता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध आर्थिक राज सहायता

क्रमसं०	कार्यक्रम	मंत्रालय से उपलब्ध आर्थिक राज सहायता
1	2	3
1.	**बायोमास कम्बस्टन – आधारित विद्युत :**	
(I)	सहकारी/राज्य संयुक्त क्षेत्र में वरीयतः गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से (प्रदर्शन योजना के अंतर्गत) तालुका स्तरीय बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों (1 मेगावाट और अधिक) के लिए पूंजीगत आर्थिक राज सहायता।	1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट । प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन।
(II)	कैप्टिव बायोमास परियोजनाओं (2 मेवा० और अधिक) के लिए बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता	अधिकतम 30 लाख रुपये प्रति मेगावाट
(III)	कार्यक्षेत्र आधारित बायोमास परियोजनाओं (2 मेवा० और अधिक) के लिए बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता।	अधिकतम 45 लाख रुपये प्रति मेगावाट
2.	**खोई आधारित सह-उत्पादन :**	
(I)	सहकारी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र की चीनी मिलों में पूंजीगत आर्थिक राज सहायता) प्रदर्शन योजना के अंतर्गत)।	प्रति परियोजना अधिकतम 6 करोड़ रु० के अध्यधीन 2 करोड़ रु०/- मेगावाट अतिरिक्त विद्युत, जिसमें 70 लाख रु०/- मेगावाट आर्थिक राज सहायता शामिल है और शेष राशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर उदार ऋण के रूप में।
(II)	अन्य चीनी मिलों में पूंजीगत आर्थिक राज सहायता (प्रदर्शन योजना के अंतर्गत)	70 लाख रु०/- मेगावाट, जो अधिकतम 6 करोड़ रु०/- परियोजना के अध्यधीन है।
(III)	1-4 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की परियोजनाओं के लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता।	ग्रिड को दी गई अतिरिक्त विद्युत का अधिकतम 15 लाख रु०/- मेगावाट
(IV)	4 मेगावाट से अधिक, अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता।	ग्रिड को दी गई अतिरिक्त विद्युत का अधिकतम 35 लाख रु०/- मेगावाट
3.	**लघु जल विद्युत :**	
(I)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में राज्य नोडल एजेंसियों/राज्य सरकार विभागों द्वारा निष्पादित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आर्थिक राज सहायता।	5 करोड़ रु०/- मेगावाट तक अथवा परियोजना की लागत का 50%, इनमें से जो भी कम हो।
(II)	पहाड़ी क्षेत्रों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में राज्य नोडल एजेंसियों/राज्य सरकार विभागों/गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों स्थानीय समुदायों द्वारा निष्पादित 100 किवा० क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत ब्याज आर्थिक राज सहायता।	15,000 रु०/किवा० की दर पर।

1	2	3
	(III) पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीकृत ब्याज आर्थिक राज सहायता।	1.12 करोड़ रु०/प्रति मेगावाट तक
	(IV) अन्य क्षेत्रों में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीकृत ब्याज आर्थिक राज सहायता।	38.30 लाख रु०/प्रति मेगावाट तक
	(V) सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए सहायता	लागत का 100%, जो अधिकतम 1.5 लाख रु० के अध्यधीन है।
	(VI) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता	लागत का 50% जो अधिकतम 1 लाख रु०/- प्रति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अध्यधीन है।
	(VII) पन-चक्कियों के विकास और उन्पयन के लिए आर्थिक राज सहायता	
	(क) यांत्रिक उत्पादन	30,000 रु० तक
	(ख) यांत्रिक और विद्युतीय उत्पादन	60,000 रु० तक
4.	**कुछ छोटे अनुप्रयोगों जैसे ग्रामीण क्षेत्रो में ग्रिड के अंतिम छोर पर वोल्टेज सपोर्ट प्रणाली तथा शहरी केन्द्रों में पीक शेयरिंग प्रणालियों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय ग्रिड सम्बद्ध विद्युत परियोजना**	परियोजना लागत का 2/3 भाग जो अधिकतम 2 करोड़ रु०/- प्रति 100 किवा० है।
5.	**सौर तापीय प्रणालियां :** उपयोगकर्त्ताओं को उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए इरेडा और चुनिंदा बैंकों के माध्यम से ब्याज आर्थिक राज सहायता :	
	(क) घरेलू उपयोगकर्त्ताओं और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लिए	5% वार्षिक ब्याज दर
	(ख) वाणिज्यिक उपयोगकर्त्ताओं के लिए	8.3% वार्षिक ब्याज दर
6.	**सौर कुकर :** बड़ी संख्या में उपयोग करने वाले उपयोगकर्त्ताओं को इरेडा के माध्यम से और व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं को चुनिंदा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध हैं।	ब्याज मुक्त
7.	**सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली**	
	(I) घरेलू रोशनी प्रणालियां	बाहरी कार्य लागत का 50% जो अधिकतम 6,000 रु०/- प्रति प्रणाली है।
	(II) सड़क रोशनी प्रणालियां	बाहरी कार्य लागत का 50% जो अधिकतम 12 हजार रु०/- प्रति प्रणाली के अध्यधीन है।
	(III) लघु सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	बाहरी कार्य लागत का 50% जो अधिकतम 2.0 लाख रु०/- प्रति कि०वा०पी० के अध्यधीन है।
	(IV) सौर लालटेन :	1,500/-रु० प्रति सौर लालटेन

1	2	3
	(V) सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प :	(क) 125 रु० प्रति पीक वाट की आर्थिक राज सहायता जो अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति प्रणाली के अध्यधीन है, और
		(ख) सौर प्रकाशवोल्टीय अर्रे और पम्प की क्षमता पर निर्भर करते हुए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 50,000 रु० से 1,00,000 रुपये का ऋण।
8.	पवन पम्प :	पवन चक्की के डिजाइन पर निर्भर करते हुए 16,000-32,000 रु० प्रति पवन चक्की।
9.	पवन बैटरी चार्जर :	बाहरी कार्य लागत का 80%
10.	शहरी, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा :	
	(I) पूंजीकृत ब्याज आर्थिक राज सहायता	ऋण राशि का 10% जो अधिनियम 1.0 करोड़ रु०/ मेगावाट के अध्यधीन है।
	(II) निवेश आर्थिक राज सहायता	परियोजना लागत में प्रमोटर की प्रत्यक्ष साध्या भागीदारी का 50% जे अधिकतम 1.0 करोड़ रु० मेगावाट के अध्यधीन है।
	(III) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०)/तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टी०ई०एफ०आर०) तैयार करने के लिए सहायता।	लागत का 50% जो अधिकतम 2 लाख रुपये है।
	(IV) स्थल पर ही निरापत्ति देने/नगर-निगम/शहरी स्थानीय निकायों को सुविधा देने के लिए सहायता।	15 लाख रुपये प्रति मेगावाट (समकक्ष)
	(V) स्थल पर ही निरापत्ति प्रदान करने/राज्य नोडल एजेंसियों और/अथवा अन्य उपयुक्त एजेंसियों को सुविधा देने के लिए सहायता,	5 लाख रुपये प्रति मेगावाट (समकक्ष)
	(VI) नवीन प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	परियोजना लागत का 50% तक, जो अधिकतम 3.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट के अध्यधीन है।
	(VII) ऊर्जा प्राप्ति के लिए अपशिष्ट का मूल्याकंन करने के लिए वित्तीय सहायता।	100%
	(VIII) मल-ज़ल शोधन संयंत्रों में ऊर्जा और संसाधन प्राप्ति संघटकों को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता।	लागत का 50%
11.	बायोमास गैसीकरण :	
	(I) तापीय अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीकरण	लागत का 30%
	(II) यांत्रिक और विद्युतीय दोनों ही अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीकरण	लागत का 60%
	(III) सामुदायिक/संस्थागत कुकिंग के लिए बायोमास गैसीफायर प्रणलियां :	
	(क) अनुसूचित जाति/जनजाति स्कूलों के हॉस्टल	लागत का 75%

1	2	3
	(ख) सरकारी हॉस्टलों, धर्मार्थ ट्रस्टों और सेना और अर्द्ध-सैनिक बलों के मैसरूम	लागत का 50%
	(IV) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बायोमास गैसीफायर	परियोजना लागत का 75%
	(ख) बायोमास ब्रिकेटिंग यूनिटों के लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता	10% तक
12.	**बायोगैस संयंत्र :**	
	(I) पारिवारिक बोयोगैस संयंत्र (1-10 घनमी० क्षमता प्रतिदिन)	2,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति संयंत्र।
	(II) सामुदायिक बायोगैस संयंत्र (15-85 घनमीटर क्षमता प्रतिदिन)	44,000 रुपये से 2,00,000 रुपये प्रति संयंत्र।
	(III) संस्थागत बायोगैस संयंत्र (15-85 घनमीटर क्षमता प्रतिदिन)	15,000/-रुपये से 1,50,000 रुपये प्रति संयंत्र।
	(IV) विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र (15-60 घनमी० क्षमता प्रतिदिन)	70,000 रुपये से 8,00,000 रुपये प्रति संयंत्र।
13.	**उन्नत चूल्हा :**	
	(क) स्थिर चूल्हा	
	(I) बिना चिमनी के	20/- रुपये प्रति चूल्हा
	(II) चिमनी के साथ	40/- रुपये प्रति चूल्हा
	(ख) **सफरी चूल्हा :**	सामान्य श्रेणी के लिए 40/- रु० प्रति चूल्हा अनूसूचित जाति/ जनजाति के लिए 50/- रु० प्रति चूल्हा पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम एवं जम्मू कश्मीर के लिए 75/- रुपये प्रति चूल्हा
	(ग) अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए चूल्हा	250/- रुपये प्रति चूल्हा जो लागत का अधिकतम 50% है।
14.	**बैटरी चालित वाहन :**	उत्पाद शुल्क, बिक्री कर आदि को छोड़कर लागत का 50%।

विवरण-II

देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रणालियों व युक्तियों की कुल संस्थापित क्षमता

स्रोत/प्रौद्योगिकी/अनुप्रयोग	यूनिट	संस्थापित क्षमता (31.3.97 तक)
1	2	3
1. बायोगैस संयंत्र	संख्या	25 लाख
2. उन्नत चूल्हा	संख्या	257 लाख
3. बायोमास गैसीफायर (स्टैंडएलोन)	मेवा०	31
4. सौर लालटेन	संख्या	1,31,190
5. घरेलू रोशनी प्रणालियां	संख्या	52,330
6. सड़के रोशनी प्रणालियां	संख्या	31,527
7. सामुदायिक/रोशनी/टीवी० प्रणालियां	संख्या	875
8. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र (स्टैंडएलोन और ग्रिड सम्बद्ध)	संख्या/के० डब्ल्यू०पी०	189/1510
9. जल पंपन् पवन चक्कियां	संख्या	263

1	2	3
10. सौर तापीय प्रणालियां	वर्गमी० संग्राहक क्षेत्र	3,80,000
11. सौर कुकर	संख्या	4,34,754
12. लघु जल विद्युत	मेवा०	144
13. पवनविद्युत	मेवा०	900
14. बायोमास आधारित विद्युत	मेवा०	84
15. सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपिंग प्रणालियां	संख्या	2,153

विवरण-III

वर्ष 1996-97 के दौरान कार्यक्रमवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	1996-97 लक्ष्य	1996-97 उपलब्धियां
1		2	3
ग्रामीण ऊर्जा			
1.	पारिवारिक बायोगैस संयंत्र (लाख)	1.65	1.70
2.	सी०बी०पी०/आई०बी०पी०/एन०बी०पी० (सं०)	250	345
3.	उन्नत चूल्हा (लाख)	25.00	29.30
4.	बायोमास गैसीफायर (स्टैंडएलोन) (मेवा०)	4.00	6.00
5.	अक्षय ऊर्जा पार्क (संख्या)	70	8
सौर ऊर्जा			
6.	सौर प्राकशवोल्टीय कार्यक्रम		
	(क) सौर लालटेन (सं०)	35,000	50,131
	(ख) घरेलू रोशनियां (सं०)	10,000	14,971
	(ग) सड़क रोशनियां (सं०)	500	528
	(घ) एस०पी०वी० विद्युत संयंत्र (के०डब्ल्यू०पी०) स्टैंडएलोन)	50	84
7.	एस०पी०वी० सिंचाई पंप (संख्या)	1000	610
8.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम (वर्गमी० संग्राहक क्षेत्र में)	35,000	40,000
9.	सौर कुकर (सं०)	25,000	26,000
10.	पवन पंप और पवन बैटरी चार्जर (सं०/किवा०)	100/10	99/14
विद्युत उत्पादन			
11.	पवन विद्युत (मेवा०)	100	169
12.	लघु जल विद्युत (मेवा०)	30.00	16.00
13.	बायोमास विद्युत (मेवा०)	55.00	37.00
	(क) बायोमास सहउत्पादन (मेवा०)	45.00	25.00
	(ख) बायोमास कम्बस्टन आधारित विद्युत (मेवा०)	10.00	12.00
14.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत (किवा०) (ग्रिड सम्बद्ध)	250	300
15.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा (मेवा०)	10	3.7 (8.75)*
16.	भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन (सं०)	200	13

* वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित कुल क्षमता।

बहुमूल्य पत्थरों के भंडार क्षेत्रों का आकलन

304. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में महानदी बेसिन और दूसरे स्थानों पर सोना, हीरा और कई बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के भंडार क्षेत्रों का आकलन किया है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में सुव्यवस्थित ढंग से इन धातुओं का उत्खनन नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन बहुमूल्य धातुओं का उचित ढंग से दोहन करने के लिए कोई कदम उठाए गए है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) उड़ीसा राज्य के महानदी बेसिन और अन्य भागों में स्वर्ण और बहुमूल्य/अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों के लिए अन्वेषण कर रहा है।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक अन्वेषण प्राथमिक स्तर पर है और इसलिए इन भण्डारों के दोहन का प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई से हुबली तक सीधी रेल सेवा

305. श्री शिवानन्द एच० कौजलगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुबंई से हुबली के मध्य सीधी रेल सेवा आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है तथा इस रेल सेवा के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) फिलहाल, मुंबई और हुबली के बीच सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मुंबई और हुबली के बीच 1017/1018 मुंबई सी०एस०टी० – बेंगलूर एक्सप्रेस द्वारा सप्ताह में चार दिन की सीधी सेवा पहले से ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों का आधुनिकीकरण

306. श्री पवन दीवान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को सुव्यवस्थित करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा किए जा रहे व्यय की उचित निगरानी के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) 16/10/96 और 3/12/96 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के मतैव्य के आधार पर विद्युत के लिए सरकार के सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दिया है। कार्रवाई योजना में, राज्य बिजली बोर्डों को स्वायतता प्रदान करने, अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रबंधन पद्धतियों एवं भौतिक पैरामीटरों में सुधार करने तथा राज्य बिजली बोर्ड के लिए रा० बि० बोर्ड को विभिन्न स्कीमों के अधीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाने तथा आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय तथा इसके अधिकरण अर्थात के० वि० प्राधिकरण, पावर फाइनैन्स कारपोरेशन तथा ग्रा० बि० निगम रा० बि० बोर्डों की भौतिक प्रगति उनकी वित्तीय नियपत्ति तथा ग्रा० विद्युतीकरण में प्रगति का क्रमशः प्रबोधन करने में संलिप्त है। रा०बि० बोर्डों के योजना कार्यक्रमों का प्रबोधन, योजना आयोग एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वार्षिक लेखे भी विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के तहत के०बि०प्रा० को प्रस्तुत किए जा रहे है।

[अनुवाद]

सी०एस०आई० में निदेशकों का सेवाकाल बढ़ाना

307. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०एस०आई०आर० के संबंध में आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट में कड़ाई से कहा गया है कि सी०एस०आई०आर० प्रयोगशाला के किसी भी निदेश का पहला कार्यकाल अर्थात् 6 वर्षों की अवधि से आगे सेवा विस्तार नहीं बढ़ाया जाएगा; और

(ख) कितने निदेशकों का पहली अवधि के बाद सेवा काल बढ़ाया गया और उसके क्या क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी हां।

(ख) सी०एस०आई०आर० के पदेन अध्यक्ष की हैसियत से फरवरी, 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सी०एस० आई०आर० की सोसाइटी की बैठक में सी०एस०आई०आर० की प्रयोग-शालाओं/संस्थाओं के निदेशकों को सेवा में विस्तार दिए जाने से संबंधित आबिद हुसैन समिति की संस्तुतियों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि अपवाद के मामलों में निदेशकों का सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है और सी०एस०आई०आर० के अध्यक्ष के अनुमोदन से निदेशकों के कार्यनिष्पादन के आधार पर 15 (पन्द्रह) निदेशकों की सेवा बढ़ाई गई है।

ऊपरि पुल का निर्माण

308. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में कोट-कपूरा स्थान पर ऊपरि रेलवे-पुल के निर्माण में असाधारण विलंब के कारण स्थानीय जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस ऊपरि पुल के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) कोट-कपूरा (पंजाब) में मौजूदा समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल 1996-97 के दौरान अनुमोदित किया गया था। रेलवे के हिस्से के कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं, जिसके मानसून के बाद शुरू किए जाने की संभावना है। पहुंच मार्गों पर कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी शुरू किया जाना है।

कोयले पर रायल्टी और जल विद्युत दर में वृद्धि

309. **श्री मधुकर सरपोतदार :**
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा नीति संबंधी अधिकार प्राप्त समिति/दल ने यथा मूल्य आधार पर कोयले पर रायल्टी निर्धारित करने और जलविद्युत दर में वृद्धि करने के संबंध में मौलिक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी रिपोर्ट को सदन के विचारार्थ सभा पटल पर रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक सभा पटल पर रख दिया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) जी, नहीं। (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में टेलीफोन लोक अदालत

310. **श्री गोरधन भाई जावीया :**
डा० वल्लभ भाई कथोरिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात टेलीफोन सर्किल में कोई टेलीफोन लोक अदालत लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटारा किया गया?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गुजरात दूरसंचार सर्किल में टेलीफोन अदालतें आयोजित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) टेलीफोन अदालतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1994-95 से 1996-97 के दौरान गुजरात दूरसंचार सर्किल में आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों के ब्यौरे।

क्र० सं०	जिले का नाम	वर्ष 1994-95	निपटाए गए मामले	वर्ष 1995-96	निपटाए गए मामले	वर्ष 1996-97	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद तथा गांधी नगर	3	285	2	120	4	172
2.	वड़ोदरा	4	68	4	21	4	17
3.	सूरत	1	70	1	86	2	141
4.	राजकोट	4	52	4	44	4	102
5.	खेड़ा	1	10	1	15	2	15
6.	मेहसाना	4	6	2	2	2	52
7.	पाचनगर	—	—	1	44	1	—
8.	जूनागढ़ तथा दिऊ का संघ शासित क्षेत्र	1	4	1	2	—	—
9.	जामनगर	1	4	2	27	2	25
10.	कच्छ-भुंज	1	10	—	—	—	—
11.	बलसाड़, दंग आहवा तथा दमन, खदरा तथा नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्र	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	सुरेन्द्र नगर	—	—	—	—	1	21
13.	पंचमहल	—	—	—	—	—	—
14.	साबर कोठा	—	—	—	—	1	33
15.	बानस कोठा	—	—	1	7	1	7
16.	भरूच	—	—	—	—	1	1
17.	अमेरेली	—	—	1	18	—	—
		20	507	20	386	25	586

गुजरात के डाकघरों में टेलीफोन की सुविधा

311. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**
डा० ए०के० पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कई डाकघरों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाकघरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन डाकघरों में मौलिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) गुजरात में ऐसी कितनी पंचायत हैं जहां अब तक एस०टी० डी० सुविधा वाला एक भी टेलीफोन उपलब्ध नहीं है और सभी गांवों में एस०टी०डी० सुविधा प्राप्त टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात के वे डाक घर जहां अभी तक टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है, उनका जिला-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभागीय उप-डाक घरों में टेलीफोन प्रदान करने की कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए मामला दूरसंचार विभाग के साथ उठाया गया है। तथापि, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घरों में टेलीफोन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) गुजरात में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 13510 है जिसमें से 12456 को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। अभी तक किसी भी पंचायत को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है। तथापि, यह सुविधा मांग होने पर तथा तकनीकी व्यवहार्यता होने पर ही प्रदान की जाएगी।

विवरण

टेलीफोन सुविधा रहित डाक घरों का ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	टेलीफोन सुविधा रहित डाक घरों की संख्या
1.	अहमदाबाद	489
2.	गांधीनगर	57
3.	मेहसाना	356
4.	साबरकांठ	403
5.	बनासकांठ	324
6.	भड़ूच	377
7.	डांग	49
8.	खेड़ा	484
9.	पंचमहल	400
10.	सूरत	505
11.	बदोदरा	536
12.	बलसाड	428
13.	अमरेली	227
14.	भावनगर	332
15.	जामनगर	251
16.	जूनागढ़	345
17.	भुज	343
18.	राजकोट	315
19.	सुरेन्द्रनगर	225
	जोड़	6446

[हिन्दी]

कोयला खानों की भूमि का धंसना और अग्निकांड

312. प्रो० रीता वर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान ने कोयला खानों को भूमि के धंसाव और अग्निकांड से बचाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झरिया खान के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी०एम०आर०आई०) धनबाद द्वारा खानों के धंसाव तथा अग्निकांडों पर नियंत्रण पाने हेतु पृष्ठ भरण एवं आक्सीजन की आपूर्ति रोक पर आधारित प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है।

(ग) सी०एम०आर०आई० ने झरिया में भूमि के धंसाव तथा अग्निकांडों से प्रभावित भूमि तथा भवनों की स्थिरता पर सामान्य अध्ययन किया है। संस्थान ने इस अध्ययन के आधार पर इस क्षेत्र में भूमि के धंसाव तथा अग्निकांडों को नियंत्रित करने की सम्भाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए और अधिक अध्ययन करने हेतु भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी०सी०सी०एल०) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(घ) जब तक इस विषय पर गहन अध्ययन नहीं किया जाता तब तक इसमें लगने वाले व्यय का अनुमान लगाना संभव नहीं दिखता।

[अनुवाद]

सेल्यूलर फोन का टेप किया जाना

313. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सी०बी०आई०" और "रा" सहित विभिन्न सुरक्षा बालों ने सेल्यूलर फोन, टेप कराने की प्रणाली आरंभ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रणाली कानूनी तौर पर और व्यावहारिक दृष्टि से किस हद तक न्यायसंगत है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार रखी गई शर्तों/स्थिति के तहत केन्द्र सरकार अथवा राज्य-सरकार या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी संदेश अथवा बहुत से संदेशों को, बीच में रोक अथवा निरुद्ध कर सकता है। जबकि, आर०एण्ड०ए०डब्ल्यू० का इस विषय से कोई संबंध नहीं है, तथापि केन्द्रीय जांच ब्यूरों (सी०बी०आई०) की प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं के लिए अपराध के संबंध में खुफिया सूचना जिसमें कानून द्वारा बनाई गई उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए फोन/सेल्यूलर फोन की टेपिंग भी शामिल है, एकत्र करने की आवश्यकता होती है।

(ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के सभी लाइसेंस ऊपर "क" में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

(ग) जब तक सेल्यूलर फोन्स को बीच में रोकने/टेप करने अथवा करवाने का कार्यकथित अधिनियम की धारा 5(2) में निहित विशिष्ट प्रावधानों के आधार पर अर्थात् किसी सार्वजनिक आपातकाल के समय, अथवा जनता की सुरक्षा के हित में किया जाता है, तब तक वह कानूनी तौर पर व्यावहारिक और न्यायसंगत होगा।

डॉट — दिवालिया

314. श्री सिद्दय्या कोटा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20.5.97 के "न्यूज टाइम्स" में "ट्राईआर्डर बिल मेक डॉट बैंकरप्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस समाचार में बढ़ाए गए राजस्व के घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिनांक 29.1.1997 का शुल्क आदेश, स्थिर टेलीफोन से सचल टेलीफोन उपभोक्ताओं के काल प्रभारों के लिए था और इसे टी०आर०ए०आई० के निर्णय अनुसार रद्द कर दिया गया था। चूंकि शुल्क के निर्धारण कार्य टी०आर०ए०आई० का है इसलिए सरकार ने टी०आर० ए०आई० के समक्ष समीक्षा याचिका दायर की है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं

315. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेयजल उपलब्ध कराने तथा सफाई संबंधी व्यवस्था हेतु किन-किन देशों से सहायता मिल रही है और उन राज्यों और स्थानों के नाम क्या है जहां ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजनाओं की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	परियोजना का नाम और स्थान (जिला)	योजना को सहायता कर रहे देश/एजेंसी का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	ए०पी०-II कुरनूल प्रकासम मेडक महबूब नगर	नीदरलैंड	लगभग पूरी होने वाली है।
2.	गुजरात	(I) सामी हरीज, मेहसाना	नीदरलैंड	आंशिक रूप से पूर्ण
		(II) संतालपुर-II बनासकांठा	- वही -	- वही -
3.	कर्नाटक	(I) आर०डब्ल्यू०एस०-I धारवाड़ बीजापुर	नीदरलैंड	ठेके की प्रक्रिया पूरी होने वाली है और निर्माण कार्य शुरू होने वाला है।
		(II) आई०आर०एस० एंड डब्ल्यू० एस० फेस-II कोलार चित्रदुर्ग बीजापुर	डानिडा	आरंभिक गतिविधि शुरू की गई हैं।
		(III) आई०आर०डब्ल्यू०एस०एस० बंगलौर (ग्रामीण) मांडया मैसूर शिमोगा बेल्लरी गुलबर्ग दक्षिण कन्नाडा रायचूर बीदर बेलगांव टुमकुर और हसन	विश्व बैंक	पहला चरण जारी और दूसरे चरण के लिए आरंभिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं।
4.	केरल	(I) कुन्द्रा कोल्लम पट्टीनामथिट्टा	नीदरलैंड	पूर्ण होने वाली है।
		(II) आर०डब्ल्यू०एस०एस० पावराट्टी त्रिसूर पालघाट	-वही-	लगभग आधी परियोजना पूरी होने वाली है।

1	2	3	4	5
5.	महाराष्ट्र	(I) एम०आर०डब्ल्यू०एस०ई०एस० थाणे पुणे सतारा—अहमदनगर औरंगाबाद बीड लतूर कुलडाना चन्द्रपुर	विश्व बैंक	लगभग आधी पूरी हो गई है।
		(II) एम०आर०डब्ल्यू०एस०एस० नासिक जलगांव	ओ०डी०ए०	सितम्बर 97 तक तीन में से दो परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं।
6.	उड़ीसा	सामुदायिक प्रबंधित जल आपूर्ति में सुधार कालाहांडी	ब्रिटिश उच्च आयोक्ता के अनतर्राष्ट्रीय विकास विभाग,	जारी
		जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुधार फुलबनी गंजम	जल स्वच्छता कार्यालय ब्रिटिश उच्च आयुक्त (डब्ल्यू०एस०ओ०) यूनिसेफ द्वारा	जारी
7.	राजस्थान	आई०डब्ल्यू०एस०एस० सी०पी०पी० चुरू हनुमानगढ़	के०एफ०डब्ल्यू० जर्मनी	जारी
8.	उत्तर प्रदेश	(I) यू०पी०—एस०पी० IV इलाहाबाद भदोई वाराणसी	नीदरलैंड	जारी
		(II) यू०पी०—पी०-VI लखीमपुर बहराइच गौंडा बस्ती बलिया सिद्धार्थनगर	वही	वही
		(III) यू०पी०एस०पी०-V (फेस-बी) (सफाई और स्वच्छता परियोजना) वाराणसी रायबरेली	वही	वही

1	2	3	4	5
		(IV) यू०पी०-एस०पी०-VIII अलीगढ़ मुरादाबाद बंदायू उन्नाव बलिया, कानपुर	नीदरलैंड	जारी
		(V) आर०डब्ल्यू०एस०ई०एस० नैनीताल पिथौरागढ़ देहरादून चमोली उत्तरकाशी पौड़ी टेहरी ललितपुर जालौन अल्मोड़ा झांसी हमीरपुर (महोबा सहित) बादा ऊधम सिंह नगर	विश्व बैंक	कार्यान्वित की जा रही है।
9.	तमिलनाडु	आई०आर०एस० एण्ड डब्ल्यू०एस० दक्षिण अर्काट विल्लुपुरम	डानिडा	अभी आरंभ हुई है।
10.	पश्चिम बंगाल	जल सप्लाई एवं स्वच्छता में सुधार मिदनापुर	यूनिसेफ के मार्फत ब्रिटिश उच्चायोग (डब्ल्यू०एस०ओ०)	जारी

[अनुवाद]

अपर्याप्त डाक नेटवर्क

316. श्री नारायण आठवले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नये डाक निर्गम कार्यालय स्थापित करने के लिए निर्माण गतिविधियां शुरू करने हेतु जगह तथा विभाग के पास संसाधनों के अभाव की वजह से अपर्याप्त डाक नेटवर्क के कारण मुम्बई और उपनगरीय क्षेत्र के लोगों को हो रही कठिनाइयों से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार डाकघर स्थापित करने की वास्तविक मांग क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान मांग के मुकाबले स्थापित किये गए वास्तविक नये डाकघरों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लोगों की भावी आवश्यकता को देखते हुए अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आधार पर स्थिति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो अपर्याप्त डाक सुविधाओं वाले क्षेत्रों में चल रहे डाकघरों में चल डाकघर स्थापित करने की कार्य सूची क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित स्थानों पर डाकघर खोलने की मांग प्राप्त हुई है :–

क्र०सं०	प्रस्तावित डाकघर का नाम
1.	एवरशाइन नगर, मलाड (पश्चिमम) मुंबई
2.	पूनम नगर, जगेश्वरी (पूर्व), मुंबई
3.	कस्तूरकर पार्क, बोरीवली (पश्चिम), मुबंई
4.	पी०एम०जी० (पी) कालोनी, मुंबई
5.	एस०आर०पी०एफ० कैम्प, डाकघर गोरेगांव (पूर्व) मुंबई।

इनमें से एस०आर०पी०एफ० कालोनी, पी०ओ० गोरेगांव (पूर्व) डाकघर 31.3.97 को खोला गया। अन्य चार डाकघर मंजूर तो किए गए किंतु स्थानाभाव के कारण खोले नहीं जा सके।

(ग) और (घ) जी हां। स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य सिद्ध होने और संसाधन उपलब्ध रहने पर खोले जाते हैं। महानगरों में उचित किराए पर डाकघर के लिए भवन लेना मुख्य समस्या है। वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र डाक सर्किल में तीन विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। फिलहाल चल-डाकघर (मोबाइल पोस्ट आफिस) मुहैया कराने की कोई नीति नहीं है।

डाक विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतें

317. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को पंजीकृत ए०/डी० पत्रों और पंजीकृत पत्रों के प्रेषकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें पावती प्राप्त नहीं होती जिसके लिए वे अतिरिक्त धनराशि अदा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेषकों को पावती दी जाए क्या उपचारात्मक उपाय शुरू किए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) पंजीकृत पत्रों/पावती कार्डों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं और इनका रिकार्ड रखा जाता है। पावती कार्डों की तुरंत पहचान और सरल हैंडलिंग के लिए विभाग ने इनके आकार और मोटाई में सुधार किया है। महत्वपूर्ण नगरों में ग्राहक सेवा केन्द्र (कस्टमर केयर सेंटर) स्थापित किए गए हैं ताकि पावती वाले पंजीकृत पत्रों के वितरण सहित अन्य शिकायतों का तत्परता से निपटान सुनिश्चित किया जा सके और इसकी मॉनीटरिंग की जा सके।

मुंबई स्थित आई०आई०टी०एल० को लाइसेंस

318. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लि० (वी०एस०एन०एल०) ने गत अक्तूबर में मुम्बई स्थित इरीडियम इंडिया टेलीकॉम लि० को 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया है परन्तु दूरसंचार विभाग ने आई०आई०टी० एल० को अब तक लाइसेंस जारी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपस्कर की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान किए जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या इस मामले की जांच की गई है और इसमें उदासीनता के लिए जिम्मेवार अधिकारी की पहचान की गई है तथा उन्हें दंड दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वी०एस०एन०एल० ने इरीडियम इंडिया टेलीकॉम लि० को गटव उपस्कर खरीदने के लिए 50 करोड़ रु० का सुरक्षित अग्रिम भुगतान वी०एस०एन०एल० बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात और आई० आई०टी०एल० के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् किया था।

(ग) मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) और (ङ) इस अवस्था में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं।

टेलीफोन फैक्ट्रियां

319. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन और दूरसंचार संबंधी उपस्करों का उत्पादन करने वाली विभागीय फैक्ट्रियां और एककों के नाम क्या है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन प्रतिष्ठानों में से प्रत्येक द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने मूल्य का उत्पादन किया गया;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ/उन्हें हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन एककों को निगमीकृत अथवा इनका निजीकरण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन यूनिटों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) निम्नलिखित फैक्ट्रियां दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागीय फैक्ट्रियां है :–

1. दूरसंचार फैक्टरी, बुम्बई।
2. दूरसंचार फैक्टरी, अलीपुर, कलकत्ता।

3. दूरसंचार फैक्टरी, गोपालपुर, कलकत्ता।

4. दूरसंचार फैक्टरी, खड़गपुर।

5. दूरसंचार फैक्टरी, राइट टाऊन जबलपुर।

6. दूरसंचार फैक्टरी, रिछई, जबलपुर।

7. दूरसंचार फैक्टरी, भिलाई।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इसमें से प्रत्येक फैक्टरी के उत्पादन का कुल मूल्य विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) दूरसंचार फैक्ट्रियां विभागीय फैक्ट्रियां है, न कि कम्पनियां। अतः कोई लाभ एवं हानि संबंधी विवरण तैयार नहीं किए जाते हैं, जैसा कि पी०एस०यू० के मामले में होता है। तथापि, इकाईयों की परिचालन क्षमता को आंकने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष लाभ एवं हानि संबंधी विवरण के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाता है। इसमें संबंधित तीन वर्षों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले वर्षों के दौरान, कई अप्रचलित उत्पादों को धीरे-धीरे बंद किया गया है और निम्नलिखित नये उत्पादों का उत्पादन किया गया है, जो आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम का एक भाग है।

(घ) 1. एल०एस०ए० प्लस युक्त सी०डी० बॉक्सेज।

2. एल०एस०ए० प्लस माइयूल्स युक्त डी०पी० बॉक्सेज।

3. पे-फोन (सी०बी०टी०-95)

4. एम०ए०आर०आर० प्रणाली हेतु 15 और 40 मीटर के मास्ट।

5. लाइन जैक यूनिटें।

6. सी-डॉट एक्सचेंज के लिए एम०डी०एफ०।

7. टेलीफोन उपस्करों एवं सी-डाट कार्डों की मरम्मत

8. मोडेम्स

9. ट्रंक एक्सचेंजों के लिए इलेक्ट्रोनिक रिले प्लेट्स

10. त्रिकोणीय-नलिकाकार हाईब्रिड टॉवर।

विवरण-I

फैक्ट्रियों के उत्पादन का कुल मूल्य

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	इकाई	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	बम्बई	26.27	43.26	41.44
2.	अलीपुर, कलकत्ता)	47.04	55.72	55.97
3.	गोपालपुर, कलकत्ता)			
4.	x खड़गपुर	2.43	2.98	2.51
5.	राइट टाऊन, जबलपुर	37.15	41.04	44.04
6.	रिछई, जबलपुर	20.50	16.00	27.05
7.	भिलाई	6.27	8.43	10.27
	कुल	139.66	167.43	181.28

x गोपालपुर, कलकत्ता में दूरसंचार फैक्टरी 1995-96 में स्थापित की गई थी।

विवरण-II

दूरसंचार फैक्ट्रियों में लाभ/हानि से संबंधित विवरण

(लाख रु० में)

क्र०सं०	इकाई	1994-95	1995-96	1996-97
1.	बम्बई	(–) 27	(–) 354	(–) 665
2.	अलीपुर, कलकत्ता)	104	271	(–)530
3.	गोपालपुर, कलकत्ता)			
4.	खड़गपुर	अभी तैयार नहीं हुआ है	अभी तैयार नहीं हुआ है	अभी तैयार नहीं हुआ।
5.	राइट टाऊन, जबलपुर	117	413	591
6.	रिछई, जबलपुर	115	07	124
7.	भिलाई	55	26	12

टिप्पणी : 1. दूरसंचार फैक्टरी, बम्बई में हुई हानि का मुख्य कारण विभिन्न भंडार डिपो को आपूरित भण्डारों के लिए पावती चालानों को प्राप्त न करना फालतू कार्मिकों (आइडल वर्क फोर्स को दी गई मजदूरी है। यह उल्लेखनीय है कि दूरसंचार फैक्टरी, बम्बई में 333 फालतू कार्मिक है।

2. 1995-96 के दौरान, दूरसंचार फैक्टरी, कलकत्ता के सामने दर्शाई गई हानि मुख्य रूप से मास्ट के लिए चालान दरों एवं आई०जे० यू० का प्राक्कलित दरों से कम होना तथा फालतू कार्मिकों को मजदूरी देने के कारण हुई। यह उल्लेखनीय है कि 1.4.96 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार फैक्टरी, कलकत्ता में 209 फालतू कार्मिक है।

विज्ञापन पर व्यय की गयी धनराशि

320. श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 1994 से आज तक रेल प्रयोक्ताओं को नए रेल जोन बनाने, हाल ही में आमान परिवर्तित रेल लाइनों के उद्घाटन और राजधानी, शताब्दी आदि रेलगाड़ियां चलाने के बारे में जानकारी देने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) रेलगाड़ियों को रद्द करने/उनका रास्ता बदलने/मार्ग में परिवर्तन करने, और उनके आगमन और प्रस्थान के समय के बारे में रेल प्रयोक्ताओं को सूचित किए जाने संबंधी विज्ञापन पर उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) रेल यात्रियों को गाड़ियों को बार-बार रद्द किए जाने अथवा मार्ग बदलने के संबंध में सूचना दिए जाने के कार्य पर नगण्य अथवा कुछ भी धनराशि व्यय नहीं किए जाने के विशेष कारण क्या हैं जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और विशेषरूप से परीक्षा देने तथा साक्षात्कार का अवसर खोना पड़ा; और

(घ) रेल यात्रियों को सूचना दिए बिना गाड़ियों को अचानक रद्द किएँ जाने और उनका मार्ग बदलने आदि के संबंध में कितनी और किस प्रकार की शिकयतें सरकार को प्राप्त हुई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाकघर/उप डाकघर खोला जाना

321. श्री राधा मोहन सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरीय क्षेत्रों में डाकघर/उप डाकघर खोले जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या साकेत और नई दिल्ली-17 डाकघर/उप डाकघर खोले जाने हेतु आवश्यक मानदंड पूरा करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक डाकघर खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड महानगरीय क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) साकेत, नई दिल्ली-110017 में दिनांक 15.7.1997 को एक डाकघर खोल दिया गया है।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में विभागीय उप-डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. शहरी क्षेत्रों में, डाकघर को आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए और प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए ताकि यह आगे बनाये रखे जाने हेतु पात्र हो सके।

2. 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की न्यूनतम दूरी 1.5 कि०मी० तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह एक वितरण डाकघर है तो निकटतम वितरण डाकघर से इसकी दूरी 5 कि०मी० से कम नहीं होनी चाहिए।

   सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

3. शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में कम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

322. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने वाली पंचायती राज्य प्रणाली अनेक राज्यों में कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में महिला सरपंचों को हो रही विभिन्न समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने का है; और

(घ) पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं की सार्थक भागदारी को सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243 (घ) के प्रावधान के अनुसार पंचायतों में अध्यक्षों के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। ये अनिवार्य प्रावधान हैं जिन्हें ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) महिला सरपंचों की भागीदारी के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की समय-समय पर भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है और पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए राज्यों को सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सार्थक भागीदारी के लिए महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन में कमी

323. श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन की कमी के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ईंधन की कमी से निपटने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ है। तथापि, न्यू कैश एण्ड कैरी स्कीम के अंतर्गत कोयला कंपनियों और आपूर्ति हेतु रेलवे और कोयला की ढुलाई के लिए अग्रिम भुगतान करने में राज्य बिजली बोर्डों की असमर्थता के कारण कुछ केन्द्रों के संबंध में कोयला के स्टाक की स्थिति काफी गंभीर रही है।

(ख) और (ग) नए ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सरकार निजी विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है ताकि कोयले का उत्पादन सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किया जा सके।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजना स्थापित करना

324. श्री सनत मेहता : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जिन विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की सिफारिश की गई है, उनकी कुल संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के लिए किसी प्रकार के ईंधन का सुझाव किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा उनमें से कितनी परियोजनाओं को ईंधन सुविधा प्रदान की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऊर्जा का उपयोग

325. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 1997 के "दैनिक स्टेट्समैन" में "इंडिया एनर्जी कन्जम्पशन लार्ज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में ऊर्जा का अपेक्षाकृत रूप से अकुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नौवीं योजना-वधि के दौरान क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऊर्जा के विभिन्न रूपों के उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए तथा प्रदूषण एवं ऊर्जा उत्पादन, प्रक्रम, रूपांतरण तथा आपूर्ति की अन्य पर्यावरणीय कमियों को परिसीमित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

सुखिंदा क्रोम अयस्क खान

326. श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री प्रमथेस मुखर्जी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सुखिंदा क्रोम अयस्क खान क्षेत्र को निजी क्षेत्र की कंपनियों को पट्टे पर देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से उक्त सिफारिशें अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या निजी कंपनियों को भूमि पट्टे पर देने के लिए भारी रिश्वत दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) खनिज रियायतें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। तात्कालिक मामले में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ओ०जे०सी० सं० 7729/93, 4701/94, 3825/94, 5422/94 और 7054/94 इत्यादि में उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 4.4.95 के निर्णय और एस०एल०पी० सं० 10838/95, 11391/95 11392/95 इत्यादि में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23.7.1996 के निर्णय के अनुसार लेना पड़ता है।

(ग) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार केन्द्र सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सूखे की स्थिति के कारण पश्चिमी उड़ीसा से पलायन

327. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी उड़ीसा में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति और लोगों के रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के समक्ष कौन-कौन से प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में अब तक उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि आंवटित की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में उड़ीसा सरकार की टिप्पणी इस प्रकार है :—

मजदूरी की तलाश में मजदूरों का आसपास के राज्यों में पलायन कोई असामान्य बात नहीं है। इसलिए यह आरोप कि सरकार द्वारा उन्हें कार्य उपलब्ध न कराने के कारण लोगों ने पलायन किया है सही नहीं है। आपदा राहत कोश से महदूरी प्रदान कार्य करवाने के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विशेषकर जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना के जरिए राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अनेक रोजगारोन्मुख कार्य चल रहे हैं।

राज्य सरकार को राज्य की विद्यमान स्थिति की पूरी जानकारी है और पलायन तथा भुखमरी रोकने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। मजदूरी प्रधान कार्यों को अधिक संख्या में शुरू कर रोजगार के प्रर्याप्त अवसर पैदा किए गए हैं। मुख्य राहत, अमरजैन्सी फिडिंग, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, अपंगता पेंशन और कई अन्य फिडिंग कार्यक्रमों का भी प्रावधान किया गया है।

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान मजदूरी रोजगार कार्यक्रम अर्थात जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वरोजगार कार्यक्रम अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम तथा ग्रामीण आवास योजना अर्थात इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार को आवंटित निधि (केन्द्रीय आवंटन) इस प्रकार हैं :—

(1) जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना

	जवाहर रोजगार योजना			सुनिश्चित रोजगार योजना (रिलीज)		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
उड़ीसा	24514.35	11274.49	12597.20	11460.00	16427.55	3164.58
मध्य प्रदेश	40895.57	17611.61	19677.78	22940.00	22670.17	4722.25
बिहार	62878.54	27260.46	30458.60	16230.00	21245.00	4570.00

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इंदिरा आवास योजना (लाख रु० में)

	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			इंदिरा आवास योजना		
उड़ीसा	3381.92	3381.92	3993.81	7873.25	7195.91	6534.30
मैध्ये प्रदेश	5282.69	5282.69	5457.47	14172.99	11240.56	10207.08
बिहार	8109.12	8102.12	8377.41	21349.01	17398.92	15799.23

(3) ट्राइसेम (लाख रु० में)

	(केन्द्रीय रिलीज)		(आवर्ती खर्च) (21.7.97 तक)
	1995-96	1996-97	1997-98
उड़ीसा	202.47	199.51	100.92
मध्य प्रदेश	505.57	360.40	189.45
बिहार	424.99	248.30	17.80

रेल परियोजनाएं

328. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद से किन-किन रेल परियोजनाओं की आधार-शिला रखी गई तथा उद्घाटन हुआ;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक विभिन्न समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों पोस्टरों के प्रकाशन, प्रत्येक परियोजना की

आधारशिला रखने और उद्घाटन समारोह आयोजित करने में कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या उपर्युक्त (ख) के संबंध में कोई भुगतान बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये बकाया भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ओ०सी०बी० एक्सचेंजों का शुरू किया जाना

329. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ई 10-बी एक्सचेंजों को बदल कर ओ०सी०बी० एक्सचेंज शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नए ओ०सी०बी० एक्सचेंजों के लिए स्थान के निर्धारण हेतु क्या मानदंड हैं; और

(घ) सर्किल-वार विभिन्न सर्किलों में कितनी ओ०सी०बी० एक्सचेंजें कार्यरत हैं/स्थापित की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओ०सी०बी० सहित नई प्रौद्योगिकी के एक्सचेंजों की योजना ऐसे स्थानों के लिए बनाई गई है जहां मौजूदा मांग सामान्यतः 10,000 या इससे अधिक है और इसके अगले तीन-चार वर्षों में बढ़कर 50,000 तक हो जाने की संभावना है।

यदि मांग 2000 या इससे अधिक हो तो, मुख्य एक्सचेंज से 30 किमी० के अन्दर मुख्य ओ०सी०बी० एक्सचेंस से जुड़े रिमोट लाइन यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(घ) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार देश में 85 ओ०सी०बी० टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 1997-98 के लिए देश के 65 शहरों में ओ०सी०बी० टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की योजना बनाई गई है। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण-I

31.3.97 को स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे अधिक बड़े ओ०सी०बी० टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या की सूची

क्र०सं०	सर्किल/जिला	एक्सचेंजों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	कलकत्ता	3
3.	चेन्नई	2
4.	गुजरात	1
5.	हिमाचल प्रदेश	4
6.	हरियाणा	1
7.	जम्मू और कश्मीर	4
8.	कर्नाटक	5
9.	केरल	5
10.	महाराष्ट्र	8
11.	मध्य प्रदेश	4
12.	पूर्वोत्तर	1
13.	पंजाब	2
14.	राजस्थान	1
15.	तमिलनाडु	2
16.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5
17.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2
18.	पश्चिम बंगाल	2
19.	मुम्बई	21
20.	दिल्ली	10
	जोड़	85

विवरण-II

1997-98 के लिए जिन ओ०सी०बी० एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है, उनका नगरवार ब्यौरा

	क्र०सं०	स्टेशन
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद
	2.	कलकत्ता
	3.	चेन्नई
	4.	पानीपत
हिमाचल प्रदेश	5.	धर्मशाला
	6.	मंडी
	7.	सोलन

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	8.	श्री नगर
	9.	जम्मू
कर्नाटक	10.	बेलगावं
	11.	हुबली
	12.	बंगलूर
	13.	मैसूर
	14.	तिरूर
	15.	मांजेरी
	16.	तैल्लीचेरी
	17.	त्रिचुर
	18.	त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	19.	भोपाल
	20.	ग्वालियर
	21.	जबलपुर
	22.	रायपुर
महाराष्ट्र	23.	नासिक
	24.	औरंगाबाद
	25.	दोंबीविले
	26.	कोलापुर
	27.	पुणे
	28.	सोलापुर
पूर्वोत्तर	29.	ऐजावल
	30.	लुधियाना
राजस्थान	31.	जोधपुर
	32.	इरोड
	33.	पांडिचेरी
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	34.	गोरखपुर
	35.	वाराणसी
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	36.	देहरादून
	37.	दुर्गापुर
	38.	सिलिगुड़ी
	39.	मुम्बई
	40.	दिल्ली

विवरण-III

1997-98 के लिए जिन नए ओ०सी०बी० एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है, उनका नगर वार ब्यौरा

सर्किल	क्र०सं०	स्टेशन
आंध्र प्रदेश	1.	नैल्लोर
	2.	विशाखापट्टनम
	3.	काकिनाडा
	4.	राजामुंद्री
असम	5.	गुवाहाटी
बिहार	6.	जमशेदपुर
गुजरात	7.	वड़ोदरा
कर्नाटक	8.	दार्वेगेरे
	9.	शिमोगा
केरल	10.	बाडोगारा
	11.	कासारागोड
	12.	इरिनजाल कुडा
	13.	इरनाकुलम
	14.	कन्नैनोर
	15.	मुवाथुपुझा
	16.	नीलेश्वर
	17.	त्रिचूर
महाराष्ट्र	18.	कल्याण
	19.	भिवंडी
पूर्वोत्तर	20.	दीमापुर
तमिलनाडु	21.	वेल्लोर
	22.	पल्लीपालयम
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	23.	फैजाबाद
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	24.	मुजफ्फर नगर
पश्चिम बंगाल	25.	आसनसोल

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीग्राफ सेवा का आधुनिकीकरण

330. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में टेलीग्राम सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई बजट आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टेलीग्राफ सेवाओं का आधुनिकीकरण कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सर्किल में माइक्रो-प्रोसेसर आधारित स्टोर और फारवर्ड मेसेज स्विचन प्रणालियां (एस०एफ०एम०एस०एस०) फारमेटेड टर्मिनल कंसंट्रेटर्स (एफ०टी०सी०) इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसंट्रेटर्स (ई०के०बी०सी०) फैक्स और इलैक्ट्रॉनिक टर्मिनल प्रदान कर दिए गए हैं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तार सेवाओं के लिए अलग से कोई बजटीय आवंटन नहीं किए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के अनुसर आधुनिकीकरण पहले ही आरंभ हो चुका है।

विवरण

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल आधुनिकीकरण संबंधी उपकरणों की जिला वार स्थिति

सं०	जिला	एस०एफ०एम०एस०एस०	ई०के०बी०सी०/ई०के०बी०		फैक्स	एफ०टी०एस०/एफ०टी०एस०	
			कार्य	योजना		कार्य	योजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदनगर	–	1/10	2/22	3	–	1/18
2.	अकोला	–	1/–	2/27	3	–	1/18
3.	औरंगाबाद	1-एस०एफ०एम०एस०एस० 32 लाइनें	1/22	2/37	3	–	1/18
4.	अमरावती	–	–	1/13	2	–	–
5.	बीड़	–	–	–	1	–	–
6.	भंडारा	–	–	2/18	2	–	–
7.	मुंबई	2-एस०एफ०एम०एस०एस०	–/1	4X33	28	–/8	–/8
8.	बुलढ़ाना	–	–/2	1/7	2	–	–
9.	चन्द्रापुर	–	–	1/11	1	–	–
10.	धुले	–	1/4	1/10	1	–	–
11.	गरचिरोल	–	–	–	1	–	–
12.	सतना	–	–/5	1/7	1	–	–
13.	जलगांव	–	1/14	2/40	2	–	1/18
14.	कोल्हापुर	1-एस०एफ०एम०एस०एस० 32 लाइनें	–/1	1/15	3	–	1/18
15.	लातूर	–	–/4	1/25	1	–	–
16.	नागपुर	1-एस०एफ०एम०एस०एस० 64 लाइनें	–	3/24	6	–	–
17.	नांदेड़	–	–/7	1/18	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	नासिक	–	1/–	3/21	4	–	–
19.	उस्मानाबाद	–	–	–	2	–	–
20.	परमनी	–	–/7	1/12	1	–	–
21.	पुने	1-एस०एफ०एम०एस०एस० 64 लाइनें	3/3	4/48	14	–	–
22.	रायगढ़	–	–	1/18	2	–	–
23.	रत्नागिरि	–	–	2/22	2	–	–
24.	सांगली	–	–	1/15	2	–	–
25.	सतारा	–	1/5	2/38	2	–	–
26.	सिंधु दुर्ग	–	1/-	1/4	2	–	–
27.	शोलापुर	1-एस०एफ०एम०एस०एस० 32 लाइनें	–/4	4/38	7	–	1/18
28.	थाणे	–	–	–/4	6	–	–
29.	वर्धा	–	–	1/12	1	–	–
30.	यवतमाल	–	–	1/9	2	–	–

लीजेंड

1. एस०एफ०एम०एस०एस०-स्टोर एंड फारफार्ड मेरोज स्विजन प्रणाली
2. ई०के०बी०सी० – इलैक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसंट्रेटर्स
3. ई०के०बी० – इलैक्ट्रॉनिक की बोर्ड
4. एफ०टी०सी० – फारमेटेड टर्मिनल कंसंट्रेटर्स
5. एफ०टी० – फारमेटेड टर्मिनल
6. डब्ल्यू०के०एन०जी० – कार्य
7. पी०एल०ए०एन०डी० – योजना

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट सुविधाएं

331. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में जिलावार ऐसे कितने डाकघर हैं जिनमें स्पीड पोस्ट सुविधाएं हैं; और

(ख) शेष डाकघरों में यह सुविधा कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जिन डाकघरों में स्पीड पोस्ट सुविधा सुलभ है, उनकी जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अधिक नगरों/शहरों में स्पीड पोस्ट सुविधा मुहैया कराना एक अनवरत प्रक्रिया है। इसे बिजनेस की संभावना तथा प्रचालन संबंधी व्यवहार्यता के आधार पर मुहैया कराया जाता है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में उन डाकघरों की जिलावार संख्या जहां स्पीड पोस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं

जिले का नाम		स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या
1		2
1.	मुंबई	66
2.	थाणे	18
3.	रायगढ़	04
4.	पुणे	58
5.	सतारा	04

1		2
6.	अहमदनगर	02
7.	शोलपुर	02
8.	कोल्हापुर	04
9.	सांगली	03
10.	रत्नागिरी	03
11.	सिंधुदुर्ग	शून्य
12.	औरंगाबाद	03
13.	जालना	शून्य
14.	उस्मानाबाद	01
15.	लातूर	01
16.	बीड	शून्य
17.	नांदेड	01
18.	परभनी	शून्य
19.	नासिक	07
20.	धुले	01
21.	जालौन	02
22.	नागपुर	31
23.	बादंरा	02
24.	चन्द्रपुर	02
25.	वर्धा	01
26.	यवतमाल	01
27.	अमरावती	01
28.	अकोला	01
29.	बुल्धाना	शून्य
30.	गढ़चिरौली	शून्य
	कुल	219

इलाहाबाद में रोजगार के अवसर

332. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री 5 मार्च, 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार 1995-96 और 1996-97 के दौरान आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत कितने रोजगार के अवसर प्रदान किये गये और कितने परिवार लाभान्वित हुए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त शीर्षो में प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों तथा इन योजनाओं पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से III तक में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जिलावार कार्य-निष्पादन

क्र०सं०	जिले का नाम	1995-96			1996-97		
		व्यय लाख रु०	वास्तविक निष्पादन		व्यय लाख रु०	वास्तविक निष्पादन	
			लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तर काशी				1194.16	15.82	16.96
2.	चमौली				989.19	16.17	16.84
3.	टीहरी गढ़वाल	वर्ष 1995-96 के दौरान जिलावार ब्यौरे नहीं रखे गए			949.82	16.16	15.75
4.	देहरादून				384.86	5.86	6.23
5.	गढ़वाल				897.57	16.23	16.30

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पिथोरागढ़				672.73	16.77	10.88
7.	अलमोड़ा				1230.98	17.49	14.70
8.	नैनीताल				131.06	5.17	2.12
9.	बिजनौर				545.28	7.45	6.05
10.	मुरादाबाद				649.08	9.63	9.47
11.	रामपुर				279.08	4.46	4.92
12.	सहारनपुर				463.49	7.29	6.94
13.	हरिद्वार				275.70	3.84	3.30
14.	मुजफ्फरनगर				383.72	5.70	5.71
15.	मेरठ				484.23	6.64	5.95
16.	गाजियाबाद				394.62	5.57	4.80
17.	बुलन्द शहर				591.95	9.22	8.75
18.	अलीगढ़				644.92	11.68	11.97
19.	मथुरा				548.07	7.00	5.46
20.	आगरा				420.10	7.36	6.50
21.	फिरोजाबाद				369.93	5.51	5.63
22.	एटा				684.40	11.25	10.04
23.	मैनपुरी				351.06	5.33	4.58
24.	बाघोन				501.55	8.74	7.37
25.	बरेली				344.63	6.34	4.26
26.	पीलीभीत				287.21	4.00	4.12
27.	शाहजहांपुर				351.97	5.79	5.22
28.	लमीखपुर खेड़ी				649.51	10.68	10.68
29.	सीतापुर				890.21	15.67	13.79
30.	हरदोई				871.96	15.26	15.93
31.	उन्नाव				804.51	13.88	13.64
32.	लखनऊ				600.73	11.25	9.77
33.	राय बरेली				700.56	14.83	12.90
34.	फरूखाबाद				541.81	7.90	7.90
35.	इटावा				608.86	9.77	9.16
36.	कानपुर देहात				667.87	11.06	10.22
37.	कानपुर नगर				645.50	5.34	7.21
38.	जालोन				495.89	7.94	7.40

वर्ष 1995-96 के दौरान जिलावार धारे नहीं रखे गए

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	झांसी				458.37	8.30	7.31
40.	ललीत पुर				520.66	8.35	7.20
41.	हमीर पुर				386.35	6.48	6.49
42.	बान्दा				570.92	11.20	9.37
43.	फतेहपुर				652.89	10.25	9.56
44.	प्रतापगढ़				674.84	11.78	10.90
45.	इलाहाबाद				1266.81	21.07	21.09
46.	बहराइच				752.29	12.95	13.05
47.	गोड़ा				720.53	13.02	13.06
48.	बाराबंकी				846.33	12.95	11.75
49.	फैजाबाद				475.94	13.11	6.82
50.	सुलतानपुर				699.48	12.98	11.10
51.	सिद्धार्थनगर				358.91	6.87	6.58
52.	महराजगंज				445.66		5.97
53.	बस्ती				736.56	10.63	10.98
54.	गोरखपुर				602.66	10.65	9.22
55.	देवरिया				475.75	7.41	6.32
56.	मऊँ				460.54	7.26	6.47
57.	आजमगढ़				771.79	13.52	12.80
58.	जोनपुर				877.24	13.38	13.82
59.	बलिया				1011.65	17.65	15.89
60.	गांजीपुर				1102.62		18.07
61.	वाराणासी				1265.30	21.62	18.50
62.	मिर्जापुर				701.29	17.34	11.08
63.	सोनभद्र				1027.27	17.89	16.58
64.	पडरोना				502.35		7.59
65.	भदुई				795.08		16.27
66.	महोबा				409.74		5.8
67.	अम्बेदकर नगर				287.23		6.7
68.	उधमसिंह नगर				169.46		2.44
	एमड एमाउंट हिल्स				0.00		
	एडम एम० स्टेट हिल्स				58.21		
	कुल	84562.16	1320.56	1532.46	42123.49	709.73	658.18

वर्ष 1995-96 के दौरान जिलावार ब्यौरे नहीं रखे गए

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में 1995-96 और 1996-97 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन

क्र० सं०	जिले	1995-96		1996-97	
		प्रयुक्त निधियां (लाख रु० में)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	प्रयुक्त निधियां (लाख रु० में)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	—	—	0.00	0.00
2.	अलीगढ़	—	—	251.51	3.08
3.	इलाहाबाद	74.80	1.37	523.04	8.19
4.	अलमोड़ा	869.92	15.87	503.50	10.67
5.	अम्बेडकरनगर	—	—	198.62	4.63
6.	आजमगढ़	677.53	9.16	593.70	8.69
7.	बदायू	—	—	15.81	0.21
8.	बहराइच	1174.24	18.34	1209.23	22.58
9.	बलिया	0.00	0.00	328.00	6.85
10.	बांदा	1081.05	16.39	816.77	9.75
11.	बाराबांकी	339.22	8.27	241.35	4.50
12.	बस्ती	468.37	8.52	427.15	6.48
13.	भदोई	179.17	4.94	286.28	4.37
14.	बिजनौर	—	—	45.38	0.50
15.	बुलन्दशहर	—	—	23.33	0.47
16.	चमौली	572.66	11.81	631.17	8.78
17.	देहरादून	348.88	6.05	357.80	4.36
18.	देवरिया	384.49	7.89	296.35	3.79
19.	एटा	—	—	38.47	0.63
20.	इटावा	—	—	66.12	1.10
21.	फैजाबाद	286.89	6.16	331.50	4.23
22.	फर्रुखाबाद	—	—	22.66	0.23
23.	फतेहपुर	—	—	3.10	0.01
24.	फिरोजाबाद	—	—	10.01	0.14
25.	गाजीपुर	0.00	0.00	696.10	18.17
26.	गाजियाबाद	—	—	22.00	0.27
27.	गोंडा	807.23	18.97	756.78	12.99
28.	गोरखपुर	576.25	10.80	221.79	3.42
29.	हमीरपुर	143.47	3.52	297.47	4.11
30.	हरदोई	0.00	0.00	777.85	10.98
31.	हरिद्वार	—	—	178.89	2.11
32.	जालौन	241.54	4.17	522.50	6.93
33.	जौनपुर	374.20	9.52	447.92	8.02
34.	झांसी	382.01	6.85	391.20	6.87
35.	कानपुर देहात	—	—	0.00	0.00
36.	कानपुर नगर	—	—	38.60	0.52
37.	लखीमपुर खेरी	336.01	8.15	159.57	3.12
38.	ललीतपुर	157.19	3.04	218.16	3.20
39.	लखनऊ	—	—	95.49	2.14
40.	महराजगंज	313.75	5.07	211.88	3.95
41.	महोबा	133.86	2.03	104.17	1.60
42.	मथुरा	—	—	10.30	0.04
43.	मऊ	228.32	4.12	237.00	3.55
44.	मेरठ	—	—	0.00	0.00
45.	मिर्जापुर	249.94	5.58	407.47	6.20
46.	मुरादाबाद	—	—	4.00	0.03
47.	मूजफ्फर नगर	—	—	24.00	0.31
48.	नैनीताल	703.85	13.10	258.53	4.02
49.	पदरोना	382.30	7.01	434.40	7.60
50.	पौड़ी गढ़वाल	611.34	10.11	409.30	7.20
51.	पीलीभीत	—	—	21.06	0.30
52.	पिथोरागढ़	422.46	7.68	665.78	10.74
53.	प्रतापगढ़	340.86	6.95	346.80	6.58
54.	रायबरेली	402.35	8.20	503.42	7.01
55.	रामपुर	—	—	41.35	0.51
56.	सहारनपुर	—	—	102.11	1.25
57.	शाहजहांपुर	—	—	12.19	0.09

1	2	3	4	5	6
58.	सिद्धार्थनगर	522.61	9.51	320.32	6.46
59.	सीतापुर	260.90	5.67	647.69	9.91
60.	सोनभद्र	543.53	11.74	632.08	10.67
61.	सुलतानपुर	383.63	6.64	540.78	8.73
62.	टिहरी गढ़वाल	649.72	12.18	448.05	6.70
63.	उधमसिंहनगर	—	—	261.46	3.74
64.	उन्नाव	378.89	8.69	484.09	7.02
65.	उत्तराकाशी	278.84	5.49	251.62	2.60
66.	वाराणासी	446.71	8.67	408.09	6.04
	कुल	16731.98	318.23	19833.03	319.94

1995-96 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यान्वित नहीं की गई।

विवरण-III

उत्तर प्रदेश में 1995-96 और 1996-97 के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसीवार सहायता प्राप्त परिवार और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत

क्र० सं०	डी०आर०डी०ए० का नाम	1995-96 सहायता प्राप्त कुल परिवार सं०	1995-96 खर्च की गई कुल राशि	1996-97 सहायता प्राप्त कुल परिवार सं०	1996-97 खर्च की गई कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	5634	313.19	7120	404.11
2.	अलीगढ़	7364	377.88	7833	782.33
3.	इलाहाबाद	11938	650.52	11050	705.34
4.	अलमोड़ा	3444	188.01	3223	185.55
5.	अम्बेडकरनगर	*	*	3955	220.35
6.	आजमगढ़	8893	502.16	8821	454.39
7.	बदायू	6263	352.55	6970	388.92
8.	बहराइंच	7874	400.59	7673	436.21
9.	बलिया	6026	399.53	5565	366.21
10.	बांदा	4826	263.53	4827	300.26
11.	बाराबांकी	8518	438.68	9610	482.98
12.	बरेली	5464	273.67	5076	344.25
13.	बस्ती	7970	388.21	7640	441.74
14.	भदोही	2648	165.88	3188	189.01
15.	बिजनौर	5059	304.50	5054	309.69
16.	बुलन्दशहर	6606	360.44	6663	379.01
17.	चमोली	2207	123.46	2000	133.26
18.	देहरादून	2066	120.24	2410	136.81
19.	देवरिया	6328	323.60	5543	309.19
20.	ऐटा	5753	328.67	6765	396.55
21.	इटावा	5926	340.32	6043	352.35
22.	फैजाबाद	6564	344.88	4653	299.17
23.	फरूखाबाद	5599	279.60	5174	299.15
24.	फतेहपुर	5832	289.72	5512	383.40
25.	फिरोजाबाद	3524	228.36	3466	201.49
26.	गाजीपुर	5882	331.50	6237	390.30
27.	गाजियाबाद	4335	237.91	5032	268.41
28.	गोंडा	10052	528.06	10476	735.17
29.	गोरखपुर	7491	384.01	7497	400.54
30.	हमीरपुर	2449	137.52	2510	173.32
31.	हरदोई	7785	388.88	9453	543.74
32.	हरिद्वार	2517	133.12	2349	126.44
33.	जालोन	3289	176.70	3313	220.39
34.	जौनपुर	9042	551.59	9212	586.46
35.	झांसी	3497	199.44	3493	232.23
36.	कानपुर देहात	7521	41.04	7520	500.70
37.	कानपुर नगर	981	55.43	977	69.66
38.	लखीमपुर खेडी	6188	344.75	7223	425.57
39.	ललीतपुर	1631	116.36	1858	109.14
40.	लखनऊ	4728	252.20	4477	245.93
41.	महराजगंज	5967	303.76	5320	282.70
42.	मोहबा	1734	138.39	1502	89.07
43.	मैनुपरी	3367	182.90	3408	201.10
44.	मथुरा	4279	234.36	4466	258.36
45.	मऊ	3910	222.57	3636	227.67
46.	मेरठ	7661	382.96	8710	415.56

1	2	3	4	5	6
47.	मिर्जापुर	4845	265.60	6401	359.27
48.	मुरादाबाद	6856	378.20	7198	464.59
49.	मूजफ्फर नगर	6828	335.26	6282	325.03
50.	नैनीताल	4211	228.94	2319	102.70
51.	पडरोना	5118	235.54	5510	279.72
52.	प्रतापगढ़	6858	319.31	6518	327.14
53.	पौड़ी गढ़वाल	2666	147.22	2499	8.64
54.	पीलीभीत	3094	178.99	2897	183.13
55.	पिथौरागढ़	2540	153.98	2634	179.07
56.	रायबरेली	7886	402.58	7344	403.81
57.	रामगढ़	2425	146.26	2347	156.47
58.	सहारनपुर	4883	304.84	5027	314.14
59.	शाहजहांपुर	5885	321.14	5850	330.79
60.	सिद्धार्थनगर	4875	289.90	4920	239.77
61.	सीतापुर	8918	474.05	8514	588.64
62.	सोनभद्र	3338	211.44	3379	220.43
63.	सुलतानपुर	10391	492.08	10090	471.14
64.	टिहरी गढ़वाल	2336	125.76	2677	136.84
65.	उधमसिंहनगर	*	*	2244	124.80
66.	उन्नाव	6580	331.11	6750	403.89
67.	उत्तराकाशी	1288	72.45	1169	89.10
68.	वाराणासी	7475	441.68	7481	494.26
	कुल	355916	19266.97	364552	21456.55

* ये नए डी०आर०डी०ए० जो 1996-97 के दौरान बनाए गए।

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजना हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा

333. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 30 अगस्त, 1996 को नवीनगर स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गयी थी;

(ख) क्या डेवलपर द्वारा उक्त निविदा में उल्लिखित कोयले की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत दर्ज करायी गयी थी;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 2000 मेगावाट वाली नवीनगर ताप विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अन्य योजना है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए पावरग्रिड ने नवीनगर विद्युत परियोजना हेतु परियोजना विकासकर्ताओं की "पूर्ण अर्हता" के लिए निविदा आमंत्रित की थी। 30 अगस्त, 1996 को नोटिस जारी किया गया था।

(ख) जी, नहीं। तथापि, कुछेक संदर्शी विकासकर्ताओं द्वारा लिंक खान से कोयले की उपलब्धता और लिंक खान ब्लाक की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। तदुपरांत परियोजना हेतु एक नए खान ब्लाक का आवंटन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) परियोजना का वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव है कि परियोजना की क्षमता का पुनर्निर्धारण, परियोजना हेतु अब आवंटित किए गए खान ब्लाक के कोयले के भण्डार के अनुरूप किया जाए।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खनिज भंडार

334. श्री के०पी० सिंह देव : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने उड़ीसा में विभिन्न खनिजों के सभी भंडारों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में जी०एस०आई० द्वारा किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) सर्वेक्षण से विभिन्न खनिजों के कुल कितने भंडारों का पता चला है; और

(घ) उक्त राज्य में खनिजों के समुचित खनन हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण क्षेत्र और पता लगाए गए भण्डारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) कोई भी गवेषण/विदोहन अभिकरण खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार और राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के परिप्रेक्ष्य में पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खनिज भंडारों के विदोहन के लिए स्वतंत्र है।

विवरण

क्षेत्र	अयस्क भण्डार/संसाधन	औसत ग्रेड
उड़ीसा		
I. सुकिन्दा		
कोमाइट	145.03 एमटी	30 से 43% 203 सी०आर०
अल्ट्रामेटिक काम्प्लैक्स		
कटक जिला		
II. मैग्नीज		
(क) सुन्दरगढ़ और कुंझर जिलों में एक बोनई–कियोन्झर बैल्ट	2.9 मी० टन संबंधित संसाधन। कुल भण्डार 33.377 मी० टन के है।	24 से 40% एमएन
(ख) रायगढ़ औकालाहाडी और बोलांगिरि जिलों में कटिंगा निशीखोल कालाहांडी–पटना क्षेत्र।		
(ग) टालशोडशी ब्लाक कोरापुट जिला		
(घ) घोरिया झोर मनोमुण्डा, सुन्दरगढ़ जिला।		
(ङ) बाईयरपल्ली तवालभांझी–खगसाभाल–उत्तर डंग्रीपल्ली ब्लाक, बोलांगिर जिला	0.162 एम०टी०	20% एम०एन०
प्लेटिनम–पल्लाडियम		
(क) नीललगिरि-बाउला नूसई क्षेत्र	6 मिलियन टन (सम्भावित + संभाव्य भण्डार)	2 ग्राम टन
सोना		
गोरूमहीसनी बैल्ट	निम्न खनिजीकरण	–
हीरा		
सकटल उदंती क्षेत्र	परिणाम उत्साहजनक नहीं है।	–
पदामपुर जिला		
आयामी पत्थर		
गंजम, कटक और किओन्झर जिला	1.1 मिलियन क्यूबिक मीटर (6 मी० गहराई तक)	–
कोयला		
तलचर–चंडीपाड़ा (डब्ल्यू) और पट्टापाड़ा ब्लाक, अखरापल	2633 मिलियन टन	–
और श्रीरामपुर का उत्तरी, बंगाहीआ-औनली कोसला (पूर्वी)	1318 मिलियन टन	–
	गवेषण कार्य प्रगति पर है भण्डारो का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया	–
आई०बी–नदी टंगारडीह पूर्व, बूधाझोरिया	74 मिलियन टन	–
	गवेषण कार्य प्रगति पर है। भण्डारो का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया।	–

[हिन्दी]

टी०टी०ए० के रिक्त पद

335. डा० बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग में विभिन्न डिवीजनों में 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार टी०टी०ए० के रिक्त पदों की संख्या क्या है;

(ख) इन रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वरिष्ठता के आधार पर फोन मैकेनिक को टी०टी०ए० के पद पर प्रोन्नति देने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों को धीरे-धीरे प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा भर्ती नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

सर्किल का नाम	30.6.97 की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या
1	2
अण्डमान एवं निकोबार	21
आन्ध्र प्रदेश	87
असम	99
बिहार	476
कलकत्ता जिला	152
गुजरात	865
हरियाणा	314
हिमाचल प्रदेश	शून्य
जम्मू एवं कश्मीर	41
कर्नाटक	1609
केरल	66
चेन्नई	शून्य
महाराष्ट्र	996
मध्य प्रदेश	191
महानगर टेलीफोन निगम लि० बम्बई	शुन्य
महानगर टेलीफोन निगम लि०, नई दिल्ली	556
पंजाब	1009
उत्तर-पूर्व	99
उड़ीसा	57
राजस्थान	886
तमिलनाडु	1370
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	293
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	519
पश्चिम बंगाल	105

गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

336. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन पर कुल कितना धन व्यय किया गया;

(ग) क्या इस संबंध में संतोषजनक उपलब्धियां रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इसकी समय-समय पर समीक्षा करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत समीक्षा के क्या परिणाम रहे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय गुजरात राज्य सहित देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन और उसका उपयोग करने के लिए काफी सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें-एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (आई०आर०ई०पी०), बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, बायोमास गैसीकरण और ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना, घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के सौर तापीय जल तापन, सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू रोशनी, लालटेन, सिंचाई के लिए जल पम्प

और ग्रामीण स्तर के विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा से ग्रिड-संबद्ध–विद्युत, लघु जल विद्युत, वायोमास कंबस्टन, खोई आधारित सह-उत्पादन और सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा तथा शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत आदि के कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल धनराशि 2,257.81 लाख रु० है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां। मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(च) गुजरात राज्य में मंत्रालय के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1996-97 की वास्तविक उपलब्धियां का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात राज्य में वर्ष 1996-97 में प्रमुख अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	बायोगैस		
	(I) एन०पी०बी०डी० (सं०)	19,000	18,019
	(II) सी०बी०पी०/आई०बी०पी० (सं०)	5	2
2.	उन्नत चूल्हा (सं०)	43,000	71,176
3.	बायोमास गैसीफायर (किवा०)	लक्ष्य निर्धारित नहीं	160
4.	सौर लालटेन (सं०)	2000	1400
5.	एस०पी०वी० जल पंपन प्रणलियां (सं०)	लक्ष्य निर्धारित नहीं	15
6.	जल पंपन पवन चक्कियां (सं०)	लक्ष्य निर्धाति नहीं	96
7.	पवन ऊर्जा (मेवा०)	लक्ष्य निर्धारित नहीं	31.137

एन०पी०बी०डी० = राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना

सी०बी०पी० = सामुदायिक बायोगैस संयंत्र

आई०बी०पी = संस्थागत बायोगैस संयंत्र

किवा० = किलोवाट, मेवा० = मेगावाट

एस०पी०वी० = सौर प्रकाशवोल्टीय

बिहार में इंदिरा आवास योजना निधियों का दुरूपयोग

337. श्रीमती सुभावती देवी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि संवितरित की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य के कुल जिलों में आज तक एक भी मकान का निर्माण नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में इंदिरा आयोजना का निधि के दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बिहार की 157.38 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य विद्युत बोर्डों से संबंधित समिति का गठन

338. श्री राम कृपाल यादव : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा उनमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य विद्युत बोर्डों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि 16.10.96 और 3.12.96 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मतेक्य के आधार पर सरकार ने विद्युत हेतु सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (सी०एम०एन०पी०पी०) को अंतिम रूप दिया है। कार्रवाई योजना में राज्य बिजली बोर्डों को स्वायत्ता प्रदान करने, प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने और राज्य बिजली बोर्डों के लिए भौतिक पैरामीटरों का प्रावधान किया गया है। कार्रवाई योजना में निहित प्रस्तावों के क्रियान्वयन

के लिए इसे सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पहले ही परिपत्रित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में कम शक्ति के ट्रांसमीटर को बदलकर उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर बनाना

339. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में रायचुर दूरदर्शन केन्द्र के कम शक्ति के ट्रांसमीटर को बदलकर उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसका अनुमोदन तथा क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को मंजूरी देने, संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए कर्नाटक में रायचुर में मौजूदा अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर (अ०श०ट्रां०) के स्थान पर एक उच्च शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर (उ०श०ट्रां०) स्थापित करने का विचार है इस प्रकृति की परियोजना के कार्यान्वयन में स्थल पर सिविल कार्य शुरू करने की तारीख से लगभग 2-3 वर्ष का सामान्य समय लगता है।

उपग्रह संचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलना

340. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इनसेट को निजी क्षेत्र में देने के साथ-साथ उपग्रह संचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) इनसेट क्षमता को पट्टे पर देने वाली भारतीय पंजीकृत कंपनियों द्वारा क्लोस्ड प्रयोक्ता समूहों के लिए उपग्रह संचार प्रदान किया जा रहा है। इनसेट सरकार द्वारा शासित एक उपग्रह प्रणाली है और इनसेट पर ट्रांसपोंडर का प्रयोग सरकार और निजी प्रयोक्ताओं दोनों द्वारा किया जा रहा है।

दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय पंजीकृत कंपनियों को इनसेट उपग्रह प्रणाली पर वी-सेट (वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल) का प्रयोग करते हुए "64 के०बी०पी०एस० डोमेस्टिक डाटा नेटवर्क क्लोस्ड प्रयोक्ता समूह सेवा" प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिए जा रहे हैं। दिनांक 3.8.94 से अब तक विभिन्न कंपनियों को तेरह लाइसेंस प्रदान किए जा चुके हैं। नौ कंपनियों ने सेवा आरंभ कर दी है।

राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम

341. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान के लगभग 39.28 प्रतिशत ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनकी जीवन यापन संबंधी स्थितियों में सुधार लाने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) क्या सरकार मरूस्थल क्षेत्र की बस्तियों, तथा धाडियों को राजस्व गांव घोषित करने पर विचार कर रही है ताकि इन गांवों को उन विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके जो इस समय केवल राजस्व गांवों तक ही सीमित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी अनुमान के अनुसार राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण गरीबों का अनुपात 26.46 हैं।

(ख) क्रैश प्रोग्राम संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) और (घ) यह विषय केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

चेन्नई टेलीफोन एक्सचेंज में आग

342. श्री कोडी कुनील सुरेश : : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई टेलीफोन एक्सचेंज में भीषण आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी लाइनें प्रभावित हुई तथा कितने धन का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा तथा कारण क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। दिनांक 23.6.97 को चेन्नई में अन्ना रोड टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में भीषण आग लगी थी।

(ख) इस आग के कारण अगभग 32,357 टेलीफोन लाइनें प्रभावित हुई थीं। इस दुर्घटना की वजह से अनुमानित हानि लगभग 6.5 करोड़ रु० है।

(ग) जी, हां।

(घ) तकनीकी तथा विकास परिमण्डल जबलपुर द्वारा इस आग के कारण की जांच की जा रही है तथा जांच अंतिम चरण में है।

(ङ) भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय यूनिटों को इस विषय के स्थायी अनुदेशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु दोहराया गया है।

दिल्ली टेलीफोन डायरेक्ट्री

343. श्री थामस हंसदा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन डायरेक्ट्री पिछली बार 1994 के अंत में जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो डायरेक्ट्री के जारी होने के पश्चात् दिल्ली में उपभोक्ताओं को कितने नये टेलीफोन दिए गए हैं;

(ग) क्या टेलीफोन डायरेक्ट्री के न होने पर उपभोक्ताओं को सेवा पदान करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) नयी टेलीफोन डायरेक्ट्री कब तक जारी किए जाने का विचार है; और

(ङ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछली डायरेक्टरी जारी होने से लेकर 31.3.1997 तक दिल्ली में उपलभोक्ताओं को 556320 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

(ग) जी हां। उपभोक्ताओं को डायरेक्टरी सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं :–

(I) गेर मीटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा – 197 दिल्ली में छह डायरेक्टरी पूछताछ केन्द्रों में प्रचालित है।

(II) कम्प्यूटर और आई नेट प्रायोक्ताओं के लिए डायरेक्टरी डायल-अप सेवा।

(III) आई०वी०आर०एस० के माध्यम से 195 पर (हिन्दी और 1952 (अंग्रेजी) में कम्प्यूटरीकृत परिवर्तित नंबर घोषणा (गैर-मीटरीकृत) सेवा उपलब्ध है।

(Iv) मुख्यालय और एरिया कस्टमर सर्विस सेंटर्स (सी०एस०सी०) में वॉक इन डायरेक्टरी इंक्वायरी (पूछताछ)।

(v) सी०डी०आर०ओ०एम० में टेलीफोन डायरेक्टरी दरियागंज, के०एल० भवन, शक्ति नगर, भीकाजी कामा प्लेस, नेहरू प्लेस मायापुरी, राजौरी गार्डन, और लक्ष्मी नगर टेलीफोन एक्सचेंज/ग्राहक सेवा केन्द्रों (सी०एस०सी०) में विक्री हेतु उपलब्ध है।

(घ) निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। दिल्ली के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी मार्च, 1998 तक जारी किए जाने की संभावना है।

(ङ) ठेकेदारों की समस्याओं के कारण दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित होने में विलम्ब हुआ।

[हिन्दी]

भोपाल-झांसी मार्ग पर रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि

344. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भोपाल मार्ग पर रेल दुर्घटनाओं की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस मार्ग पर दुर्घटनाओं की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 1995-96 के दौरान 9 रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की तुलना में 1996-97 के दौरान भोपाल-झांसी मार्ग पर 13 रेलगाड़ी दुर्घटनाएं हुई।

(ग) संरक्षा में सुधार और दुर्घटना से बचाव के लिए किए जा रहे कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

(I) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(II) दुर्घटना में मानवीय चूक के कारणों को न्यूनतम करने के लिए सिगनल सरकिटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(III) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैम्पिंग और गिट्टी क्लिनिंग मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(Iv) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशिष्टताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य एक्सेलेरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(v) कई डिपुओं में सवारीडिब्बों और मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और ग्रेडोन्नयन किया गया है।

(vi) धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में पड़नें वाली दरारों का पता लगाने के लिए नेमी

ओवरहाल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाएं गए हैं।

(vii) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डो/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(viii) किस तरह से समपार सुरिक्षत ढंग से पार किया जाए इसके लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए आडियो-विजुअल प्रचार-प्रसार अभियान चलाए जाते हैं।

(ix) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(x) ड्राइवरों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग सहित ड्राइवरों, गार्डो और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है।

(xi) निर्धारित अंतरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(xii) गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है और जिन कर्मचारियों में कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xiii) कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता जागृत करने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

गुड़गांव में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

345. श्री आर० देवदास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुड़गांव में 1 जनवरी, 96 तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा-सूची में दर्ज सभी लोगों को टेलीफोन उपलब्ध करा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है जिन्होंने 1 जनवरी, 96 के बाद पंजीकरण कराया है;

(ग) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 96 के बाद पंजीकृत लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने का काम रोक दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो 1 जनवरी, 96 के बाद पंजीकृत व्यक्तियों को कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए हैं और सूची में दर्ज सभी लोगों को टेलीफोन कब तक दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। कुछ तकनीकी रूप से अव्यवहार्य मामलों के अलावा दिनांक 1.1.96 तक की प्रतीक्षा सूची का निपटान किया जा चुका है।

(ख) विभिन्न श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची के निपटान की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र०सं०	श्रेणी	तारीख, जिस तक निपटान किया जा चुका है।
1.	ओ०वाई०टी०	15.7.1997
2.	गैर-ओ०वाई०टी० (विशेष)	10.7.1997
3.	गैर-ओ०वाई०टी० (सामान्य)	1.1.1996

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिनांक 1.1.96 के बाद पंजीकृत आवेदकों को 2200 टेलीफोन प्रदान कर दिए गए है। शेष आवेदकों को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं तथा वास्तविक प्रतीक्षा सूची को दिनांक 31.3.98 के पहले निपटा दिए जाने की आशा है।

विद्युत आवंटन सूत्र

346. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय क्षेत्र के सभी विद्युत घरों को विद्युत का समान आवंटन करने के लिए विद्युत सूत्र का पालन करती है;

(ख) यदि नहीं, तो सूत्र का पालन न करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से दर्शाई गई विद्युत की कमी के आधार पर केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आवंटन के सूत्र की समीक्षा करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उक्त राज्य को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कब तक स्थिति की पुनरीक्षा कर पाएगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ग) कुल मिलाकर विद्युत आवंटन का फार्मूला सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय सेक्टर पावर स्टेशनों द्वारा अनुपालन की गई है केवल केरल में कायमकुलम, आन्ध्र प्रदेश में सिमहाद्री और हरियाणा में फरीदाबाद को छोड़कर जो कि सभी राज्यों को समर्पित है। एन०टी०पी०सी० के पास पर्याप्त परियोजना यूनिटों के न होने के विभिन्न कारणों से कुछेक परियोजनाएं प्रत्येक राज्य में जैसेकि कायमकुलम, समहाद्री और फरीदाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि एन०टी०पी०सी० की सहयोगी कंपनियां स्थापित की जाएं जिसमें संबंधित राज्य सरकार/रा०वि० बोर्डों की इक्विटी शामिल हो।

(ग) जी, हां।

(घ) के०वि०प्रा०, सी०पी०एस०यू०एस० और राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के परामर्श से वर्तमान फामूला की जांच की जा रही है।

मेहता समिति का प्रतिवेदन

347. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में मेहता समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ग) अस्वीकृति के कारणों सहित स्वीकृत तथा अस्वीकृत सिफारिशों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडु) : (क) जी, हां। समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी हैं।

(ख) अंतरिम रिपोर्ट की मुख्य बातें और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज सस्था को अधिक भागीदरी।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए गरीबी रेखा से नीचे के उन्हीं परिवारों का चयन किया जाना चाहिए जिनके पास परिसम्पत्ति के संबंध में कौशल, रूचि और अनुभव हो। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य लोगों को भी सहायता दी जाएगी बशर्ते कि वे ट्राइसेमम या अन्य संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल अर्जित करें या उसमें सुधार करें।

(3) विद्यमान फंट एंड सब्सिडी की बजाय बैंक एंड सब्सिडी शुरू करना।

(4) आई०आर०डी०पी० ऋण की बेहतर वसूली के लिए उपाय करना।

(5) ऋण चुकौती का यथार्थ का कार्यक्रम और प्रतिभूति मुक्त सीमा में वृद्धि।

(6) कार्यशील पूंजी को जरूरत पूरी करने की आवश्यकता

(7) अवसंरचना की बेहतर आयोजना और विकास पर बल।

(8) अधिक ऋण और ज्यादा सर्बासिडी देकर प्रति परिवार सहायता के लिए स्तर में वृद्धि।

(9) सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन।

(10) परम्परागत लक्ष्योंन्मुखी दृष्टिकोण में संशोधन।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिश और उन पर की गई कार्रवाई

क्र०सं०	सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	परिसम्पत्तियों की देखभाल करने में अनुभवहीन और अकुशल निर्धनों को अलग करके एक अलग श्रेणी उस समिति द्वारा बनाई जानी चाहिए जिसमें ब्लाकों, पंचायत, अग्रणी बैंकों, स्कूल शिक्षकों, डाकपालों, प्रमुख ग्रामीणों और निचले स्तर के गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधिगण शामिल हों। ऐसे निर्धन लोगों को मुख्य रूप से जवाहर रोजगार योजना और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों को रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्हें बेहतर सामाजिक उपभोग व्यय के लिए भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जानी चाहिए बशर्ते कि वे कुशलता हासिल करें या उसमें सुधार करें, निर्धनों को दूसरी श्रेणी अर्थात निर्धनता में से निर्धन से ऊपर के परिवारों, जिन्होनें कुशलता और अनुभव कुछ हद तक हासिल कर रखा है, को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीधे तौर पर सहायता दी जानी चाहिए। रोजगार बाजार में अपेक्षाकृत नए आए लोगों को ट्राइसेम अथवा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जना चाहिए, तत्पश्चात उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जानी चाहिए।	मंत्रालय का यह विचार है कि गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जब भी अपेक्षित हो, लाभार्थियों को उनकी कुशलता और रुझान के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षितशिक्षा, प्राप्त युवाओं को एक नई श्रेणी का पता लगा लिया गया है, जिन्हें अधिक सबसिडी दी जायेगी।

1	2	3
2.	लीकेज और अनाचारों से निपटने के लिए समिति द्वारा फ्रन्ट-एण्ड के स्थान पर बैंक एण्ड सबसिडी का लाभ उन ऋणधारियों को भी मिलेगा जो कार्यकारी पूंजी के लिए वित्त लेना चाहते है।	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।
3.	वसूली में सुधार लाने के लिए, सरकार द्वारा सबसिडी आवंटन के कुछ प्रतिशत को वसूली निष्पादन से जोड़ा जा सकता है। सरकार द्वारा विशेष वसूली अधिकारियों की नियुक्ति की जाये। तलवार समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार माडल बिल के अधिनियम को शेष बची राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र निपटाया जाये। ऋण त्यागने की घोषणा नहीं की जानी चाहिए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा स्व-सहायता समूहों को वसूली में बैंक की सहायता करनी चाहिए। उपयोगिता रिपोर्टर-सह-वसूली मददगारों की कमीशन के आधार पर नियुक्ति की जाये।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकारों से भी उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
4.	निवेश के अवसरों का पता लगाने तथा परियोजना प्रोफाईल तैयार करने से संबंधित कार्यों को उस जिलास्तरीय तकनीकी समूह द्वारा शुरू किया जा सकता है, जिसका गठन डी०आर०डी०ए० द्वारा किया जाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा भी पृथक निर्देश जारी किए गए हैं।
5.	डी०सी०सी० और बी०एल०बी०सी० के परामर्श से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आवसंरचना की एक भावी योजना तैयार करनी चाहिए। अवसंरचना तैयार करने के लिए व्यय की सीमा बजट आवंटन के 20% तक बढ़ाई जा सकती है। निर्धन ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक लघु-आई० टी०आई० अथवा ग्रामीण पालिटेक्नीक की स्थापना की जाए। ऐसी संस्थाओं की स्थापना के कार्य में निजी क्षेत्र को सम्बंध किया जाए। सभी आई०टी०आई० और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्राइसेम के लिए अलग शिफ्टों की व्यवस्था की जानी चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निदेश जारी कर दिए गए हैं। लघु आई० टी०आई० की स्थापना करने के लिए तथा ट्राइसेम हेतु अलग शिफ्टों की व्यवस्था करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को भी मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं। अवसंरचना विकास की सीमा को सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में 25% तक और अन्य राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 20% तक बढ़ा दिया गया है।
6.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लोकतांत्रिक स्वरूप को बहाल किया जाना चाहिए और पंचायतों तथा ग्रामीण आबादी को बेहतर भागेदारी देने के साथ-साथ लाभार्थियों का पता लगाने की प्रक्रिया में अधिकाधिक पारदर्शिता लाते हुए इन्हें सुदृढ़ किया जाना चाहिए।	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नियमावली में प्रावधान पहले ही विद्यमान हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को पृथक अनुदेश जारी किए गए हैं।
7.	भारत सरकार से लक्ष्यों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही बैंकों को पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर 10% तक की घट-बढ़ को जोड़ते हुए सेवा क्षेत्र का योजनाओं के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में लक्ष्यों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया जाए।	इस मंत्रालय द्वारा इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।
8.	बैंकों द्वारा यथार्थपूर्ण पुर्नभुगतान कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए और जहां अपेक्षित हो, वहां पनपने की अवधि की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां नगद ऋण सीमाओं के रूप में चालू पूंजी सहायता भी दी जा सकती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 5 वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए। बैंकों के द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए सामूहिक ऋणों को प्रोत्साहन	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

1	2	3
	दिया जा सकता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गतिविधियों के लिए रेहन की नान-आवटेंशन की सीमा को 25,000/- रुपए पर निर्धारित किया जा सकता है। 50,000/- रुपए तक के ऋणों के लिए समपार्श्विक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। बैंकों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे प्राद्योगिक आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे की सूची में से लाभार्थियों का चयन कर सकें।	
9.	अधिक ऋण और ज्यादा मात्रा में सबसिडी देकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति परिवार/उद्यम निवेश के स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए।	सभी संबद्ध पक्षों को निर्णय की सूचना दे दी गई है कि वे सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दें तथा प्रशिक्षित शिक्षा प्राप्त ग्रामीण युवाओं के लिए अधिक मात्रा में सबसिडी का प्रावधान करें। ऋण जुटाने पर भी बल दिया गया है।
10.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-कृषि लघु/छोटे उद्यमों और सेवाओं के क्षेत्र को प्रवर्तित किया जाए।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।
11.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को पेशेवरों और तकनीकी विशेषज्ञों के सुसंबद्ध दल में पुनर्गठित किया जाना चाहिए।	इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदेश जासी कर दिए गए हैं।
12.	स्वैच्छिक संगठनों और स्व-सहायता समूहों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जोड़ा जाए, कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में कुछेक स्वैच्छिक संगठनों को प्रौद्योगिक आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में दी जा सकती है, जिससे वे उधारकर्त्ताओं का पता लगा सकें, बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकेजों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकें और ऋण के अन्तिम उपयोग का सत्यापन कर सकें।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने हेतु प्रावधान पहले ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नियमावली में विद्यमान हैं।
13.	भूमि के अधिग्रहण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाना चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।
14.	सम्बन्धित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण वितरण को देशभर में लागू किया जाएं परिवार ऋण योजना को आगे भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।
15.	जिन लाभार्थियों ने मूलसहायता से गरीबी की रेखा को पार नहीं किया हैं, उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक सहायता की किस्तें भी प्रदान की जाए।	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नियमावली में प्रावधान विद्यमान हैं।
16.	निचले अथवा मध्य स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए।	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नियमावली में पहलें ही विद्यमान हैं।
17.	सूचना, शिक्षा और प्रचार के माध्यम से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में एक नया आयाम जोड़ा जाना चाहिए जिसके लिए एक पृथक् बजट प्रावधान किया जाना चाहिए।	पृथक् बजट प्रावधान पहले से ही विद्यमान है।

उड़ीसा में रेल सुविधाएं

948. श्री रनजीब बिसवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप तथा कटक के बीच बेहतर रेल संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ

की गयी हैं; और

(ग) चलायी जा रही परियोजनाओं के पूरे होने का संभावित समय क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) तालचेर-कटक-पारादीप खंड के दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) नौवीं योजना अवधि में।

विद्युत का उत्पादन

349. श्री जगमोहन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना की तुलना में आठवीं योजना में विद्युत का कम उत्पादन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए लक्ष्य की तुलना में कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया और यदि लक्ष्य की तुलना में कम उत्पादन हुआ है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में उक्त योजना के असफल होने के क्या कारण है; और

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस सफलता को पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) जी, नहीं। आठवीं और सातवीं योजना के दौरान क्रमशः 1750.5 बिलियन यूनिट और 1025.8 बिलियन यूनिट का कुल विद्युत उत्पादित की गई।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल मिलाकर 1750.5 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। पंचवर्षीय योजना में केवल अंतिम वर्ष के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य और विद्युत उत्पादन लक्ष्य दर्शाए जाते हैं, न कि पांच वर्षों के लक्ष्य दर्शाए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य में कमी के मुख्य करण संसाधनों में बाधाएं, कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित समस्याएं, परियोजना प्रबंधन में कमियां और निजी क्षेत्र के मामले में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लेने में विलंब होना है।

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निम्नवत् नीति सुझायी गई है :–

1. निर्माणधीन और अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, नई परियोजनाओं के लिए कदम उठाना।

2. निजी पार्टियों के चयन हेतु सुस्पष्ट नीति अपनाना तथा निजी क्षेत्र की भागदारी को महत्वपूर्ण पद्धति के द्वारा शामिल किए जाने के लिए त्वरित रूप से निर्णय लेना।

3. निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतम संभव समयावधि में पूरा किए जाने के लिए जल विद्युत क्षेत्र हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना। नई योजना संबंधी चयन के मामलों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण समेत मेगा परियोजना बनाम लघु परियोजना के अपेक्षाकृत लाभ संबंधी लागत लाभ का विश्लेषण करना, राजकोषीय प्रोत्साहनों के प्रावधानों पर विचार करना और जल विद्युत परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने के लिए छूट देना, निजी पार्टियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकारों को जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में सभी प्रकार के अन्वेषण सुनिश्चित किया जाना।

4. न्यूक्लीयर विद्युत संबंधी अतिरिक्त नई क्षमता की ओर समुचित ध्यान देना।

5. विद्युत उपस्कर हेतु स्वदेशी निर्माता क्षमता को प्रोत्साहन देना।

तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन का सर्वेक्षण

350. श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल्लीचेरी-मैसूर रेल लाइन संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इस सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस रेल लाइन को प्राथमिकता के आधार पर सरकार की परियोजनाओं में शामिल करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण का फील्ड कार्य लगभग पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 30.9.97 तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की संभावना है। दुर्गम भू-भाग का होना रिपोर्ट में विलम्ब का कारण था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद कार्रवाई की जा सकेगी।

हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड को भुगतान

351. श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 30.6.1997 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड. (एच०सी०एल०) को कुल कितना धनराशि का भुगतान किया जाना था और इसके कारण क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने एच०सी०एल० को क्रयादेश नहीं दिए है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है और रूके पड़े क्रयादेशों का स्वरूप क्या है एवं कितनी राशि के क्रयादेश रूके पड़े हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मौजूदा वर्ष के दौरान दिए गए आर्डरों को छोड़कर कोई स्वीकार्य दावा सम्मिलत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पैसेंजर गाड़ियों का चलाया जाना

352. श्री बादल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न भागों से कलकत्ता के लिए पैसेंजर गाड़ियां चलाकर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की मांग को पूरा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहले कदम के रूप में सरायघाट एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर, अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया हे बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों, परिचालनिक व्यवहार्यता हो और यातायात का औचित्य बनता हो। 1997-98 के दौरान 5659/5660 कामरूप एक्सप्रेस के डिब्रूगढ़ तक तथा 6511/6512 बेंगूलरू-हवड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस के गुवाहाटी तक विस्तार से पूर्वोत्तर राज्यों से कलकत्ता तक अतिरिक्त सेवाएं मुहैया हो जाएंगी। बहरहाल, सरायघाट एक्सप्रेस को दैनिक रेलगाड़ी के रूप में चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

ऊपरि पुलों का निर्माण

353. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल फाटकों को हटाने और कुछ ऊपरि पुलों का निर्माण करके हावड़ा और बंडेल और हावड़ा तथा खड़गपुर के बीच रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री रामे विलास पासवान) : (क) और (ख) तीन व्यस्त समपार ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल से बदले जाने के लिए स्वीकृत हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार को दो व्यस्त समपार अर्थात् बगनान और रामराजतला के लिए प्रस्ताव प्रायोजित करने के लिए कहा गया है।

(ग) (I) 1995-96 में स्वीकृत कोननगर में निचला सड़क पुल पर 50% प्रगति हुई है।

(II) 1988-89 में लिलुआ में ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया था परन्तु राज्य सरकार ने कार्य शुरू करने की शर्तें पूरी नहीं की है।

(II) 1997-98 के दौरान मौरीग्राम में ऊपरी सड़क पुल स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्थल की पुष्टि की जानी है ताकि रेलवे कार्य आरम्भ करने में समर्थ हो सके।

विभागेत्तर कर्मचारियों को वेतन

354. श्री ए० सम्पत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने 27 नवम्बर, 96 को आदेश जारी कर विभागेत्तर कर्मचारियों सहित डाक कर्मचारियों की दिनांक 23.10.96 से 29.10.96 तक की अनुपस्थिति की अवधि को माफ कर दिया है;

(ख) क्या विभागीय कर्मचारियों को उनकी अनुपस्थिति की अवधि को अवकाश की मानने के बाद वेतन का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) क्या अनुपस्थिति की अवधि को माफ कर दिए जाने के बावजूद विभागेत्तर कर्मचारियों को उक्त अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों को अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार विभागेत्तर कर्मचारियों को अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किए जाने संबंधी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) मौजूदा अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण एवं सेवा) नियम, 1964 के अंतर्गत अतिरिक्त विभागीय एजेंट ड्यूटी से अनुपस्थिति, अन्य कारणों से छुट्टी पर होने आदि की अवधि के लिए वेतन के पात्र नहीं हैं। अतः अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उनकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना ड्यूटी पर वेतन देने के सामन होगा।

(ङ) और (च) इस मामले में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ कर्मचारी न्यायालय भी गए हैं और इस समय यह मामला न्याया-धीन है।

सेवड़ाफुली और तारकेश्वर के बीच दोहरी रेल लाइन का निर्माण

355. श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवड़ाफुली और तारकेश्वर सेक्शन में रेल लाइन क्षमता का उपयोग इसकी अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सेक्शन के बीच दोहरी लाइन का निर्माण कराने का निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हे ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शेवड़ाफली – तारकेश्वर खंड की लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था लेकिन इस खंड के दोहरीकरण की सिफारिश नहीं की गई थी। बहरहाल, कुछ ई०एम०यू० गाड़ियों की क्षमता 9 से बढ़ाकर 10 डिब्बे की जा रही है और आगे ई०एम०यू० गाड़ी की संरचना 2 डिब्बे अधिक होने की संभावना है, जिससे गाड़ी की यात्री वहन क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हो जाएगी। इस खंड पर मुश्किल से ही कोई माल यातायात होता है।

वर्धमान में टेलीफोन कनेक्शन

356. श्री बलाई चन्द्र राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धमान टेलीफोन एक्सचेंज के अंतर्गत रसूलपुर में कई व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन हेतु अपना पंजीकरण कराया है लेकिन लम्बे समय से उन्हें टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रसूलपुर की प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। 30.6.97 की स्थिति के अनुसार रसूलपुर टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत प्रत्याशी उपभोक्ताओं की संख्या केवल 83 है।

(ख) जी हां।

(ग) 368 लाइनों की क्षमता वाले रसूलपुर के मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज में 319 चालू कनेक्शन हैं और मौजूदा प्रतीक्षा सूची तथा टेलीफोन कनेक्शन की भावी मांगों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे 1000 सी-डॉट एक्सचेंज से बदलने की योजना है।

त्रिपुरा पश्चिम बंगाल में दूरसंचार सेवाएं

357. श्री बाजू बन रियान :
डा० रामचन्द्र डोम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा की बदहाल दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सेवाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(क) त्रिपुरा :

(I) त्रिपुरा में 47 इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं। 44 एक्सचेंजों में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है। शेष तीन एक्सचेंजों कंचनपुर तथा मानूबाजार में वर्ष 1997-98 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की जाएगी।

(II) अगरतला में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में 4000 अतिरिक्त लाइनें जोड़कर और विस्तार किया जा रहा है।

(III) 55 प्रतिशत ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। शेष ग्रामों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी।

(IV) अगरतला से सिल्चर के बीच वर्तमान एनालॉग माइक्रोवेव लिंक

को डिजीटल माध्यम से बदलने की योजना बनाई गई है ताकि एस०टी०डी० सेवा में और अधिक विस्तार किया जा सके।

(ख) बीरभूम

वर्ष 1997-98 के दौरान निम्नलिखित विकास कार्य करने की योजना बनाई गई है।

(I) 5000 लाइनों द्वारा कुल क्षमता का विस्तार।

(II) 4500 नए टेलीफोन कनेक्शनों का प्रावधान।

(III) 550 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था।

(IV) 150 एस०टी०डी० पी०सी०ओ० तथा 80 स्थानीय पी०सी०ओ० की व्यवस्था।

(V) 8 नए टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करना।

(VI) 11 और एक्सचेंजों में विश्वसनीय माध्यम के जरिए एस०टी०डी० सुविधा का विस्तार।

दूरदर्शन पर मैचों का प्रसारण

358. डा० रामचन्द्र डोम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा देश के फुटबाल तथा हाकी मैचों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों के प्रसारण को कम महत्व दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मैचों के प्रसारण हेतु अधिक समय दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) दूरदर्शन हाकी और फुटबाल मैचों सहित उन सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को प्रसारित करने का प्रयास करता है जिनके संबंध में इसे प्रसारण-अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं। भारतीय हाकी संघ के साथ करार किए जाने और प्रसारण अधिकारी प्राप्त किए जाने के फलस्वरूप, दूरदर्शन हाल में देश में आयोजित लगभग सभी प्रमुख हाकी मैचों/टूर्नामेंटों का प्रसारण कर सका है। दूरदर्शन द्वारा अखिल भारतीय फुटबाल संघ और अन्य खेल संघों के साथ प्रकार के करार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आमान परिवर्तन

359. श्री उद्धव बर्मन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-सीमांत रेलवे के किन-किन सेक्शनों की संकरी/छोटी लाइनों को अब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है तथा उनकी लंबाई कितनी है;

(ख) क्या सभी परिवर्तित लाइनों को माल गाड़ी और यात्री गाड़ी चलाए जाने की स्वीकृति दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन सेक्शनों पर मालगाड़ियों तथा यात्री गाड़ियां चलने लगी हैं;

(ङ) क्या सरकार इन सेक्शनों से देश के अन्य भागों के लिए यात्री आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) (I) गुवाहाटी–डिब्रुगढ़ (559 कि०मी०)

(II) तिनसुकिया–लेखापानी (64 कि०मी०)

(III) चापरमुख–हैबरगांव (25 कि०मी०)

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सभी परिवर्तित खंडों पर माल गाड़ियां चल रही हैं। केवल गुवाहाटी–डिब्रुगढ़ तथा चापरमुख–हैबरगांव खंडों पर ही यात्री गाड़ियों चल रही हैं।

(ङ) जी हां।

(च) (1) 4055/4056 दिल्ली–बीमापुर ब्रह्मपुत्र मेल का चालन क्षेत्र डिब्रुगढ़ टाउन/तिनसुकिया तक बढ़या गया है।

(2) 2423/2424 गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र भी सप्ताह में एक बार डिब्रुगढ़ टाउन तक बढ़ाया जाएगा।

(3) 5659/5660 हबड़ा–गुवाहाटी कामरूप एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र डिब्रुगढ़ तक बढ़ाया जाएगा।

(4) गुवाहाटी तथा तिनसुकिया के बीच रात्रिकालीन सेवा शुरू की जाएगी।

हावड़ा-चेन्नई मेल में द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे जोड़ा जाना

360. श्री रूप चंद मुर्मू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा-चेन्नई मेल में द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के लिए कलकत्ता स्टेशन पर आरक्षण कोटा कम होने के कारण यात्रियों को पर्यटन स्थान नहीं मिल पाता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस रेल गाड़ी वातानुकूलित 3 डिब्बा जोड़कर और रेक्स और एअर ब्रेक में बदलकर मांग पूरी करने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 1.8.97 से 6003/6004 मेल में वातानुकूल 2-टियर शयनयान के एक सवारी डिब्बे की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रहते हैं।

(घ) से (च) लम्बी दूरी की गाड़ियों को बात-ब्रेक में परिवर्तित करने तथा वातनुकूल 3 टियर शयनयान लगाने का कार्य चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है। उत्तरवर्ती वर्षों में ऐसी मांगों के साथ 6003/6004 मेल की बात-ब्रेक में परिवर्तित करने तथा इस गाड़ी में 3-टियर शयनयान लगाने पर विचार किया जाएगा।

टेलीफोन बिल

361. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है 1995-96 के दौरान महाप्रबंधन (उत्तर) एम०टी०एन०एल० द्वारा टेलीफोन खराब होने के कारण माफ किए गये किरायी छूट, आर०एन०पी० प्रभार और अधिभार अब तक टेलीफोन बिल में समयोजित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कमद उठाने का विचार है; और

(ग) उस अवधि के टेलीफोन बिलों में घटाई गई निःशुल्क काला की राशि को शामिल करने के क्या कारण हैं जबकि टेलीफोन महीनों से खराब पड़ा था ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) रिकार्डों के अनुसार किराए में छूट प्रदान करने का कोई मामला लंबित नहीं है। माफ किए गए आर०एन०पी० प्रभार और अधिभार के कुछ मामले समायोजन के लिए लंबित हैं।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, किराए में छूट प्रदान करने संबंधी कोई मामला लंबित नहीं है। माफ किए गए आर०एन०पी० प्रभारों तथा अधिभारों से संबंधित केवल कुछेक मामले लंबित हैं। इन मामलों में, मुहर लगाने के लिए या तो उपभोक्ता से घोषणा मांगी जाती है अथवा मूल बिल की मांग की जाती है ताकि सरकारी राजस्व का घाटा न हो। इन मामलों को भी एक माह के भीतर निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रत्येक द्वैमासिक बिलिंग चक्र के लिए निःशुल्क कॉलों की अनुमति दी जाती है। छूट की अवधि की निःशुल्क कॉलों को कुल निःशुल्क कॉलों में से यथानुपात घटा दिया जताा है अथवा दूसरे शब्दों में, इन निःशुल्क कॉलों की राशि को, किराए में अनुमत्य छूट की राशि में से घटा दिया जाता है।

रेल पटरियों का बदला जाना

362. श्री टी० गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कसारगोड़ और कन्नानूर सेक्टर के बीच बहुत पुरानी और मियाद समाप्त हो चुकी खस्ता हाल रेलगड़ियां चलाए जाने की जानकारी है जिससे अक्सर रेल गाड़ियां पटरी से उतर जाती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पटरियों को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों में कण्णौर-कासरगोड खंड पर रेलपथ की खराबियों के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यह खंड 85.6 कि०मी० लम्बा है तथा रेलपथ 90 आर पटरियों से सी०एस०टी०-9 स्लीपरों पर बिछाया गया है। इन पटरियों पर 300 सुरक्षा सीमा की तुलना में केवल 164 जी०एम०टी० ढोया गया है।

(ख) बहरहाल, हालत के आधार पर 34 कि०मी० पटरियों का नवीकरण तथा 31 कि०मी० स्लीपरों के नवीकरण स्वीकृत किया गया है। 1997-98 के दौरान, 17 कि०मी० पटरियों तथा स्लीपरों के नवीकरण की योजना है।

धारवाड़ जिले में टेलीफोन सेवा

363. श्री विजय संकेश्वर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गई है और कितने गांव टेलीफोन सेवा से नहीं जुड़े हैं;

(ख) क्या इस जिले में संचार सेवाओं के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 1221 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है और 123 गांवों में टैलीफोन सुविधा नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान शेष 123 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

ई०एम०यू० डिब्बों की खरीद

364. श्री तरित चरण तोपदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेलवे द्वारा कुल कितने ई०एम०यू० डिब्बों की खरीद की गई;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, मंडलवार कितने डिब्बों का वितरण किया गया;

(ग) क्या सरकार पूर्व रेलवे को और अधिक ई०एम०यू० डिब्बे देने के बारे में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों में खरीदे गए ई०एम०यू० कोचों की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

1994-95	161
1995-96	269
1996-97	228

(ख) पिछले तीन वर्षों में ई०एम०यू० कोचों का रेलवेवार वितरण निम्नानुसार है :–

	1994-95	1995-96	1996-97
मध्य रेल	54	82	33
पूर्व रेल	57	57	84
उत्तर रेल	15	30	44
दक्षिण रेल	9	27	29
दक्षिण पूर्व रेल	24	27	38
पश्चिम रेल	22	46	कुछ नहीं

(ग) जी हां।

(घ) पूर्व रेल को वर्ष 1997-98 के लिए 177 ई०एम०यू० कोच आबंटित किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

365. श्री एन०जे० राठवा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30, जून, 1997 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय, विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) यह पद कब से रिक्त है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) और (ख) 30.6.1997 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय प्रमुख, इसके सम्बद्ध कार्यालयों और स्वशासी निकायों सहित, में अनूसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या संलग्न विवरण में दी जाती है। ये पद विभिन्न कारणों से रिक्त हैं जैसे त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति, नये पदों का सृजन आदि।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

विवरण

30.6.97 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, इसके सम्बद्ध कार्यालयों और स्वशासी निकायों सहित अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या बताने वाला विवरण

समूह	रिक्त पद		कब से रिक्त हैं
	अनु० जाति	अनु० जनजाति	
समूह "क"	09	03	1992 से 2 1993 से 3 1994-95 से 5 1996-97 से 2
समूह "ख"	25	11	1993 से 1 1994 से 4 1995 से 8 1996 से 4 1997 से 19
समूह "ग"	19	16	1993 से 6 1995 से 4 1996 से 21 1997 से 4
समूह "घ"	07	05	1993 से 1 1996 से 7 1997 के दौरान 4
कुल :	60	35	95

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पेयजल की समस्या

366. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :
श्री के०एस० रायुडु :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :
श्री येल्लैया नंदी :
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावारी जिले सहित उन गांवों का ब्यौरा क्या है जिनमें पीने के पानी की समस्या है;

(ख) शुरू की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा राज्य में इस समस्या को दूर करने के लिए किन-किन जिलों को उनके अन्तर्गत लाया जाएगा;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उन पर कितनी राशि व्यय की गई और वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी राशि व्यय की जाएगी और उसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना होगा;

(घ) राज्य में पेयजल आपूर्ति के लिए लगाई गई एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश के सभी गांवों में पेयजल कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) पूर्वी गोदावरी जिले सहित आंध्र प्रदेश में कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटो के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम मूलभूत सेवाएं और राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में योजनाएं/परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। राज्य सरकारें अपने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार इन योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयुक्त निधियों की मात्रा का ब्यौरा निम्नप्रकार था :–

(करोड़ रु० में)

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (केन्द्र)	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य)	कुल
1994-95	40.65	67.08	107.73
1995-96	60.27	60.27	120.54
1996-97	80.335	88.950	169.285

वर्ष 1997-98 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक कार्यक्रम पर 79.64 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

(घ) राज्य में कार्यान्वयन विभाग को राज्य भूजल विभाग, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, राज्य दूर संवेदी एजेंसी, राष्ट्रीय जियोफिजीकल अनुसंधान संस्थान, गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आदि द्वारा सहायता दी जाती है।

(ङ) सभी न कवर की गई बसावटों के 1997-98 तक और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराएं जाने की संभावना है।

विवरण

क्रमांक	जिला	बसावटों की संख्या	
		कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर की गई
1.	भीकांकूलम	–	1595
2.	विजयनगरम	13	989
3.	विशाखापटनम	–	2602
4.	पु० गोदावरी	24	1492
5.	प० गोदावरी	–	891
6.	कृष्णा	–	1199
7.	गुंटूर	57	862
8.	प्रकाशम	–	763
9.	निलौरी	–	1679
10.	चितौड़	99	2816
11.	कुडडप्पा	8	769
12.	अनंतपुरम	–	1031
13.	कुरनूल	–	1263
14.	महबूबनगर	–	1590
15.	रंग्गारेड्डी	–	1171
16.	नलगोंडा	4	2132
17.	मंडक	17	1073
18.	निजामाबाद	57	1229
19.	वारंगल	62	1904
20.	खम्मम	99	1288
21.	करीमनगर	–	1231
22.	अदीलाबाद	–	1051
		380	30600

कर्नाटक में दूरसंचार केन्द्र

367. श्री बी०एल० शंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार जिले-वार कुल कितने दूरसंचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने दूरसंचार केन्द्रों को चौबीस घंटे कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का 1997-98 के दौरान कर्नाटक में कुछ और दूरसंचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 30.6.97 तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कार्य कर रहे दूरसंचार केंद्रों की जिलेवार संख्या में इस प्रकार है :-

जिला	दूरसंचार केन्द्रों की संख्या
बंगलौर	02
बेलगाम	08
धारवाड़	07
मैसूर	01
दक्षिण कन्नड़	01
बेलेरी	01
गुलबर्गा	01
रायचूर	01
कुल	22

(ख) से (घ) जी नहीं।

कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए। तथापि, जहां जनता की मांग हो और वित्तीय व्यवहार्यता हो वहीं दूरसंचार केंद्र 24 घंटे खुले रहते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां।

1997-98 के दौरान चार दूरसंचार केंद्रों अर्थात् दक्षिण कन्नड़, धरवाड़, मैसूर तथा बंगलौर जिलों में प्रत्येक में एक-एक केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है।

टेली फिल्मों के निर्माण हेतु दूरदर्शन द्वारा धनराशि का आवंटन

368. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कमीशन्ड" श्रेणी के अन्तर्गत टेली फिल्मों, जिन्हें पारित/स्वीकृत किया जा चुका है, के निर्माण हेतु दूरदर्शन द्वारा धनराशि के आवंटन की क्या प्रक्रिया है तथा इस संबंध भारत सरकार में संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा कितने बजट का आवंटन किया जाता है;

(ख) इन टेलीफिल्मों के लिए धनराशि के आवंटन में दूरदर्शन द्वारा कितना समय लिया जाता है;

(ग) कितने मामलों में दूरदर्शन द्वारा 31 मार्च, 1997 को स्वीकृत पत्र जारी किए गए थे परन्तु 15 जून, 1997 तक का धनराशि का आवंटन नहीं किया गया;

(घ) धनराशि के आवंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन टेली फिल्मों के निर्माण हेतु कब तक धनराशि आवंटित कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की निधियों के आवंटन हेतु महानिदेशक, दूरदर्शन की अध्यक्षता वाली दूरदर्शन की लागत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की टेली-फिल्मों के निर्माताओं के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत बजट ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए तथा लागत समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार उन्हें धनराशि आवंटित की जाती है।

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराने पर निधियां आवंटित की जाती हैं।

(ग) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 31.3.1997 को दूरदर्शन द्वारा कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल अधीक्षकों की तैनाती

369. प्रो० जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर सीमान्त रेलवे में रेल अधीक्षकों की नियुक्ति करने के लिए गाड़ियों का चयन न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार उत्तर सीमान्त रेलवे में अब कुछ रेल अधीक्षकों का चयन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) गाड़ी अधीक्षकों की तैनाती के लिए भारतीय रेलों पर 50 गाड़ियों को नामित किया गया है जिसमें से 5 गाड़ियों अर्थात् 4055/4056 ब्रह्मपुत्र मेल, 5645/5646 दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस, 6519/6520 बेंगलूर-गुवाहाटी एक्सप्रेस, 6321/6322 तिरुवनंतपुरम-गुवाहाटी एक्सप्रेस और 6313/6314 कोचीन-गुवाहाटी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर चलती हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

निविदाएं आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन

370. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद दूरसंचार विभाग ने लाखों रुपए के निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने हेतु एक अंग्रेजी दैनिक के विभिन्न संस्करणों में विज्ञापन दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञापन प्रकाशित होने पर निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह आरोप लगाया गया है कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर लाखों रुपए के सिविल निर्माण कार्यों के ठेके अपने आदमियों को देने की दूरसंचार विभाग की एक सोची समझी चाल है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह पता लगाने के लिए कोइ जांच की गई है कि तारीख निकल जाने के बाद निविदाएं कैसे दी गई;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला, और

(च) दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विज्ञापन विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों में विशिष्ट अनुबंध सहित जारी किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि तथा निविदा प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के बीच एक उपयुक्त सूचना उपलब्ध न होने जैसी विशेष परिस्थितियों में निविदा प्राप्ति की तिथि को अस्थगित करने पर विचार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तदनुसार आवश्यक सार्वजनिक अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रियायती दर पर एस०टी०डी० कालें

371. श्री भक्त चरण दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एस०टी०डी० कालों की दरों में रियायत दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सीमान्त जिलों में तैनात सशस्त्र बलों और अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों को उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमावर्ती जिलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण जवान इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो जवानों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। परियात संकुलन कम करने के लिए दिनांक 15.2.97 से एस०टी०डी० शुल्क दर का पुनः निर्धारण किया गया था।

(ख) और (ग) पुनर्निधारित एस०टी०डी० शुल्क दर उत्तर पूर्व क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों सहित सम्पूर्ण देश में लागू है।

(घ) और (ङ) सात उत्तर पूर्व राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है।

वर्ष 1997-99 के दौरान उत्तर पूर्व राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी उप-मण्डल मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों को एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी बशर्ते कि उपस्कर की उपलब्धता हो।

[हिन्दी]

टुंडला जंक्शन पर रेल गाड़ियों का हाल्ट

372. प्रो० ओमपाल सिंह "निडर" : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए नीलांचल (टुंडला) एक्सप्रेस, जलेश्वरपूर्ण एक्सप्रेस, फिरोजाबाद मरुधर एक्सप्रेस, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस को टुंडला जंक्शन, जलेश्वर रोड स्टेशन और फिरोजाबाद स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर ठहराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 4863/4864 मरुधर एक्सप्रेस और 2553/2554 वैशाली एक्सप्रेस पहले से ही टुंडला में रूक रही हैं। 4863/4864 मरुधर एक्सप्रेस और 2307/2308 जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस जलेसर रोड से नहीं गुजरती हैं। बहरहाल, नीलांचल एवं जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस को टुंडला में; नीलांचल एवं वैशाली एक्सप्रेस को जलेश्वर रोड में और पूर्वा, मरुधर, जोधपुर–हावड़ा एवं वैशाली

एक्सप्रेस को फिरोजाबाद में ठहराव देने की जांच की गई है परन्तु इसे फिलहाल औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र कल्याण योजनाएं

373. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कौंसिल फार एडवांसमेन्ट आफ पीपुल्स ऐक्शन एंड रूरल टेक्नालाजी" ने आंध्र प्रदेश, विशेषकर गुंटूर जिले में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो जिले में सफाई, पेयजल की आपूर्ति और आवास योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) जिले में इन योजनाओं के कब तक पूरी तरह लागू किये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) कपार्ट ने बताया है कि आंध्र प्रदेश में इसके द्वारा स्वयंसेवी संगठनों की स्वीकृत परियोजनाओं जिनमें गुंटूर जिले की परियोजनाएं भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन से यह कुल मिलाकर संतुष्ट है। किन्तु कपार्ट द्वारा आंध्र प्रदेश में 23 स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है और 31 स्वयंसेवी संगठनों को वित्तपोषित करने पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिये हैं। इनमें से काली सूची में डाले गए 3 संगठन और 5 स्वयंसेवी संगठन जिनको वित्तपोषित करने पर अस्थाई प्रतिबंध लगाया गया है, गुंटूर जिले में है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :-

योजना	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	55
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	22
ग्रामीण आवास	16

स्वीकृत की गई परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

इस्पात की आवश्यकता और उत्पादन

374. श्री संदीपान थोरात : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय इस्पात की आवश्यकता और उत्पादन कितना है तथा कितना इस्पात आयात किया जा रहा है;

(ख) देश में आगामी पांच वर्षों के लिए इस्पात की मांग और उत्पादन के संबंध में प्रमाणिक अनुमान क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात क्षेत्र में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नए एककों/वर्तमान परियोजनाओं से क्षमता में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान इस्पात के संबंध में स्वीकृत मुख्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और परियोजना के निष्पादन के संबंध में उनकी मौजूदा स्थिति क्या है;

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के आधुनिकीकरण सहित वर्ष 1997-98 के दौरान पूरी की जाने वाली परियोजनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) महाराष्ट्र में चालू तथा 30-6-97 तक अनुमोदित नयी इस्पात परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजना-वार उनकी स्थिति क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान परिसज्जित इस्पात की अनुमानित मांग और उपलब्धता नीचे दी गई है :-

(दस लाख टन)

मांग	उपलब्धता
24.72	23.84

भारत प्रतिवर्ष औसतन लगभग 15 लाख टन परिसज्जित इस्पात का आयात करता है।

(ख) नौवीं योजना से संबंधित कार्यदल ने योजना के अंतिम वर्ष 2001-02 तक परिसज्जित इस्पात की मांग और उपलब्धता का अनुमान लगाया है जो निम्नलिखित है :-

(दस लाख टन)

वर्ष	घरेलू मांग	निर्यात मांग	उपलब्धता	अन्तर
2001-02	32.68	6.00	38.01	0.67

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्पात क्षेत्र की नई इकाइयों/विद्यमान परियोजनाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात की क्षमता में लगभग 46.35 लाख टन की वृद्धि की गई।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार उन मामलों जिनमें प्रस्तावित संयंत्र कतिपय स्थानों पर स्थापित किए जाने हों, को छोड़कर नए इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए उनके द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों की अनुमति दी गई है :

क्र० सं०	इकाई का नाम	मद	क्षमता (एल०टी०पी०ए०)	स्थिति
1.	नीलाचंल इस्पात निगम लि०, डवरी, जाजपुर, जिला-उड़ीसा	इस्पात	6.20	कार्यान्वयनाधीन
2.	भुवालवा इंडस्ट्रीज लि०, वेल्लारी, कर्नाटक	इस्पात बिलेट	2.7	कार्यान्वयनाधीन

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण सहित 1997-98 में पूरी होने वाली परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

क्र० सं०	इकाई/संयंत्र का नाम	क्षमता/वर्धित क्षमता (लाख टन)
सरकारी क्षेत्र		
सेल		
1.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (आधुनिकीकरण)	18.2
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र (आधुनिकीकरण)	19.00
3.	बोकारो इस्पात संयंत्र (आधुनिकीकरण)	43.60
निजी क्षेत्र		
1.	राजेन्द्र स्टील लिमिटेड (नवीन)	3.00
2.	नोवा उद्योग लिमिटेड (नवीन)	2.00
3.	मालविका स्टील लिमिटेड	6.00
4.	जिन्दल विजयनगर (नवीन)	15.70
5.	साउदर्न आइरन एंड स्टील कंपनी लि० (नवीन)	2.20
6.	कुमार मेट कार्पोरेशन लिमिटेड (नवीन)	1.25
7.	इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नवीन)	30.00

(च) महाराष्ट्र में 30.6.1997 तक स्वीकृत नवीन इस्पात संयंत्र इस प्रकार हैं :-

क्र० सं०	इकाई का नाम	प्रक्रिया/पद्धति उत्पादन	क्षमता (लाख टन)	निवेश (करोड़ रु०)
1.	इंडियन सीमलैस स्टील एंड एलोंएज, पुणे	ई०ए०एफ० बी०एंड०आर०/ सीमलैस बार	1.50	175.00
2.	लायड्स स्टील इंडस्ट्रीज लि०, वर्धा	ई०ए०एफ० एच०आर०सी०/ सी०आर०सी०/ जी०पी०सी०सी०	4.00	1100.00
3.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि०, रायगढ़, महाराष्ट्र	ई०ए०एफ० एच०आर०सी०	30.00	4792.00
4.	ऊपा इस्पात लि० सतरढ़ा, महाराष्ट्र	बी०एफ०-बी०ओ०एफ० एल०पी०	6.00	1400.00
5.	ग्रांड फाउन्ड्री लि०, पुणे	ई०ए०एफ० बी० एण्ड आर० डब्ल्यू०आर०	1.20	260.00

जीन पेटेंटिंग का आयात

375. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1997 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" नई दिल्ली में "साइंटिस्ट कन्सर्ड ओवर इथिकल इम्पेक्ट ऑफ जीन पेटेंटिंग" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले की सच्चाई क्या है;

(ग) जैवविविधता सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित विज्ञान के संबंध में नई दिल्ली में 10 जून, 1997 को हुई विशेषज्ञों की बैठक में की गई चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) जीन पेटेंटिंग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी हां।

(ख) गोवा में 22-25 मई, 1997 के दौरान राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद द्वारा आयोजित "नीति-विषयक, कानूनी सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं को उजागर करने संबंधी जीनोम अनुसंधान पर बिमल के० बछावत संगोष्ठी" शीर्षक के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत

के प्रमुख जैव चिकित्सा तथा सामाजिक वैज्ञानिकों, वकीलों, पत्रकारों और कई विदेशी विशेषज्ञों ने भाग लिया।

जीनोम अनुसंधान के उद्देश्यों उद्भव, वर्तमान, उपलब्धियों तथा समाजिक विवक्षाओं पर विचार-विमर्श किया गया। प्रमुख बल, क्लिनिकीय विषयों पर जीनोम अनुसंधान का प्रभाव तथा अलग-अलग देशों के विशिष्ट संदर्भ के साथ उनकी जनसंख्या से संबंधित मामलों; तथा लाभों को प्राप्त करने या अनुसंधान उपलब्धियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए मार्ग-निर्देश कैसे बनाएं जाएं, पर था।

संगोष्ठी की सिफारिशें संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखी जाएंगी। इस विषय पर आम जागरूकता पैदा करना भी एक उद्देश्य था।

(ग) और (घ) जैव-विविधता संबंधी कानून के विकास से संबंधित मामलों पर एक साथ विचार-विमर्श करने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने 10 जून, 1997 को नई दिल्ली में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों तथा अन्यों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श का आयोजन किया। विचार-विमर्श के दौरान इस विषय पर कानून का विकास करने संबंधी जटिलताओं की ओर ध्यान दिया गया तथा यह सुझाव दिया गया कि प्रदत्त कानून की सम्भावनाओं के साथ जैव-विविधता के संबंध में एक स्पष्ट तथा सरल कानून बनाया जाए। यह कानून नम्यता तथा पारदर्शिता के साथ छत्र कानून होना चाहिए। इसमें जीन पेटेंटिंग, परिभाषाएं तथा अन्य आई०पी०आर० से संबंधित मामले के पहलु शामिल होंगे।

पंचायतों का विकास

376. श्री गिरिधर गमांग : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुच्छेद 243 और पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित केन्द्रीय अधिनियम के अनुसूचित क्षेत्रा में पंचायतों के सम्पूर्ण विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार विशेष रूप से पांचवें अनुसूचित क्षेत्र के सभी स्तरों पर कुल कितनी पंचायत है; और

(ग) अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार की गई विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों के चतुर्दिक विकास के लिए कानून बनाएं और उस पर कार्रवाई करें। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार की गई योग्यताओं के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

ओजोन परत

377. श्री सुशील चन्द्र : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दल द्वारा 1981 से अंटार्कटिक क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से ओजोन परत में किसी परिवर्तन का संकेत मिलता है;

(ख) क्या ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं जिससे पराबैंगनी विकिरण का खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ग) अंटार्कटिक क्षेत्र में किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और भारत ने अब तक उन पर कितनी राशि व्यय की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) जी, हां। ओजोन अवलोकन से पता चलता है कि अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर सितम्बर-अक्तूबर के दौरान प्रतिवर्ष 12 से 21 कि०मी० के बीच स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन में कमी हो रही है। चूंकि ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को जज्ब करती है अतः ओजोन छिद्र के कारण पृथ्वी पर सौर पराबैंगनी विकिरण की बढ़ी हुई मात्रा पहुंच रही है।

(ग) भारत मौसम विभाग सन् 1981 से अंटार्कटिक के भारतीय वैज्ञानिक अभियान में भाग लेता रहा है। अंटार्कटिक के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन का ऊर्ध्व पार्श्वचित्र भारतीय ओजोनसोंड्स का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। इन अवलोकनों के विश्लेषण ने ओजोन छिद्र के अस्तित्व की पुष्टि की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सन् 1981 से अंटार्कटिक में ओजोन-मापन सहित अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए खर्च की कुल राशि करीब 50.0 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

खनिजों की खोज और उत्खनन

378. श्री सत्यदेव सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिजों की खोज और उत्खनन को बढ़ावा देने हेतु हवाई सर्वेक्षण कार्य में तेजी लायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिजों की खोज का कार्य कुछ विदेशी कंपनियों को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हाइड्रोकार्बन और भूजल सहित खनिज भंडारों के गवेषण को बढ़ाने के लिए हवाई भू-भौतिकी सर्वेक्षण में लगा हुआ है। हवाई सर्वेक्षण मानचित्रों का प्रयोग भूवैज्ञानिक मानचित्रों को सुधारने के लिए भी किया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का टिवन ओटर एयरक्राफ्ट का प्रयोग करके तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के भागों में 1988 से जून, 96 तक कुल 1,91,929 लाइन कि०मी० क्षेत्र में बहुसंवेदी और एयरोमेगनेटिक सर्वेक्षण किया गया

है। जी०एस०आई० द्वारा तीन प्रकार का हवाई सर्वेक्षण किया गया है– (i) जी०एस०आई० के टिवन ओटर का प्रयोग करके चुनिन्दा खण्डों में बहुसंवेदी सर्वेक्षण (ii) जी०एस०आई० के टिवन ओटर एयरक्राफ्ट द्वारा भूवैज्ञानिक डाटा बेस के परिशोधन और तेल गवेषण के लिए एयरो-मेगनेटिक सर्वेक्षण और (iii) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय एयरो मेगनेटिक सर्वेक्षण।

हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से गवेषण कार्य और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अक्टूबर, 1996 में दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसके अंतर्गत एकल पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए 5000 कि०मी० तक के बड़े क्षेत्र की अनुमति दी जा सकती है लेकिन किसी एक कंपनी के पास कुल क्षेत्र सम्पूर्ण देश में 10000 वर्ग कि०मी० से अधिक नहीं होगा ऐसे हवाई पूर्वेक्षण के लिए बड़े क्षेत्र की मंजूरी को परित्याग की योजनाओं और न्यूनतम व्यय की प्रतिबद्धता या विशिष्ट वास्तविक लक्ष्यों से संबद्ध किया गया है। सरकार ने हाल ही में 3 कंपनियों (एचजैडएल/बहुराष्ट्रीय कंपनियों) को बड़े क्षेत्रों के लिए 9 पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किए हैं।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

379. श्री एन० डेनिस :
श्री प्रभु दयाल कठोरिया :
प्रो० पी०जे० कुरियन :
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद निजी विद्युत उत्पादन ऐजेंसियों द्वारा विद्युत उत्पादन की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा वास्तव में कितना विद्युत उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन में तेजी लाने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने के लिए राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पास संसाधनों की कमी के संदर्भ में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु 1991 में नीति का निर्धारण किया गया था और वर्तमान में यह क्रियान्वयनाधीन है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) निजी विद्युत नीति का किसी प्रकार का ओवरहालिंग करने का सरकार का इस समय कोई इरादा नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जर्मनी की सहायता से विद्युत परियोजना की स्थापना

380. श्री सुरेश प्रभु :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :
श्री आर० साम्बासिवा राव :
श्री यैल्लैया नंदी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख जर्मन विद्युत कंपनियों ने प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क तथा ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर जर्मन निर्यात ऋण द्वारा भारत में 1000 मे०वा० की दो "शोकेस" विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इनसे विद्युत उत्पादन आरंभ हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी हां,

(ख) से (ङ) जर्मन कम्पनियों द्वारा रखा गया प्रस्ताव जांचाधीन है।

रेल दुर्घटनाएं

381. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रूपचंद पाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, 1997 माह के दौरान मंडलवार कितनी रेल दुर्घटनाएं और गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाएं हुई;

(ख) इन रेल दुर्घटनाओं और गाड़ियों के पटरी से उतरने के क्या-क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) मई और जून 1997 के दौरान हुई परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या के संबंध में जोनवार सूचना इस प्रकार हैं :-

मध्य	–	21 (17)
पूर्व	–	6 (5)
उत्तर	–	12 (6)
पूर्वोत्तर	–	5 (3)
पूर्वोत्तर सीमा	–	1 (1)
दक्षिण	–	10 (8)
दक्षिण मध्य	–	12 (10)
दक्षिण पूर्व	–	14 (12)
पश्चिम	–	6 (6)
कोंकण	–	2 (2)
जोड़	–	89(70)

नोट :- कोष्टक में दिए गए आंकड़े गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं से संबंधित हैं।

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण मानवीय चूक, उपस्कर की खराबी, तोड़फोड़ और अन्य आकस्मिक कारक थे।

(ग) संरक्षा में सुधार और दुर्घटना से बचाव के लिए किए जा रहे कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

(i) ट्रक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटना में मानवीय चूक के कारणों को न्यूनतम करने के लिए सिगनल सरकिटरी में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) बम्बई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को "खतरे के सिगनल' की अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैम्पिंग और गिट्टी क्लिनिंग मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(v) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशिष्टताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य एक्सेलेरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(vi) कई डिपुओं में सवारी डिब्बों और मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और ग्रेडोन्नयन किया गया है।

(vii) धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में पड़ने वाली दरारों का पता लगाने के लिए नेमी ओवरहाल डिपुओं में पराश्रव्य परीक्षण उपस्कर लगाएं गए हैं।

(viii) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधकों और सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(ix) किस तरह से समपार सुरक्षित ढंग से पार किया जाए इसके लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए आडियो-विजुअल प्रचार-प्रसार अभियान चलाए जाते हैं।

(x) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(xi) ड्राइवरों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग सहित ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है।

(xii) निर्धारित अंतरालों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(xiii) गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है और जिन कर्मचारियों में कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xiv) कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता जागृत करने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

विश्व बैंक ऋण

382. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक विद्युत हिस्सेदारी के लिए भारत को नए सिरे से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत की कमी से निपटने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक का भारत को कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ग) एशियाई विकास बैंक ने भारत और बंगलादेश के बीच विद्युत के आदान प्रदान की संभावनाओं के संबंध में एक व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु वित्त पोषण करने के लिए क्षेत्रीय तकनीकी सहायता (रेंटा) प्रदान की हैं पाकिस्तान से भारत को विद्युत की बिक्री करने का एक प्रस्ताव प्राप्त कर लिया गया है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित कुछ विद्युत परियोजनाएं पाकिस्तान में क्रियान्वित हो रही हैं। कराची के समीप हब रिवर पावर प्रोजेक्ट की विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 1300 मे०वा० की अंतिम यूनिट को चालू कर लिया गया है। इस परियोजना तथा, प्रचालन कर रही अन्य

परियोजनाओं से पाकिस्तान द्वारा अधिशेष विद्युत प्राप्त करने की संभावना है। उपलब्ध विद्युत की सही-सही मात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए पाकिस्तान से भारत को विद्युत की बिक्री करने संबंधी कोई व्यवहार्यता अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। वर्तमान में यह मामला गारंटी प्राप्त विद्युत की न्यूनतम मात्रा, भारत और इसके प्रस्तावित स्थलों में विद्युत प्रदान करने वाले स्थानों की संख्या, भारत और पाकिस्तान में विद्युत प्रणालियों की संगतता, विद्युत की लागत तथा विद्युत क्रय समझौतों आदि जैसे मामलों से संबंधित आधारभूत तकनीकी सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित है।

[हिन्दी]

ईंधन प्रभार में वृद्धि

383. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने ईंधन प्रभार समायोजन राशि को वर्तमान 51 पैसे प्रति यूनिट की दर से 80 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त वृद्धि का व्यापक रूप से विरोध किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सितम्बर, 96 समेत पूर्ण तिमाही के लिए 50.91 पैसे/यूनिट के ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) प्रभार की तुलना में अक्टूबर से दिसम्बर, 96 की तिमाही के लिए 79.83 पैसे यूनिट के ईंधन लागत समायोजन प्रभार को अंतिम रूप प्रदान किया है।

(ख) ईंधन लागत समायोजन (एफसीए) प्रभार में वृद्धि का कारण ताप विद्युत स्टेशनों के वर्क्स में सुपुर्द किए गए ईंधन की ईंधन लागत एवं ईंधन संबंधित लागत में वृद्धि का होना तथा मानसून अवधि की मौसमी दशाओं के कारण ताप विद्युत स्टेशन में सुपुर्द ईंधनों की किलो केलौरी में कुल उष्मा मूल्य में कमी का होना है।

(ग) अधिकतर उपभोक्ताओं ने जिन पर ईंधन लागत समायोजन प्रभार वसूल किया जाना था, 79.83 पैसे/यूनिट की दर से ईंधन लागत समायोजन की राशि का भुगतान कर लिया है। तथापि कुछ ही उपभोक्तओं और उनको एसोसिएशन ने उपरोक्त वृद्धि का विरोध किया है और उनमें से कुछ उपभोक्तओं ने लंबित मामले में वृद्धि को चुनौती देते हुए जबलपुर में उच्च न्यायालय में लिखित याचिका दायर की है।

(घ) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसार ईंधन लागत समायोजन प्रभार समेत बिजली की दर निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/रा०बि०बो० की है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में टी०वी० ट्रांसमीटर

384. श्री अशोक प्रधान :
डा० बलिराम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम साफ-साफ दिखायी/सुनाई नहीं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चालू नौवीं योजना के दौरान ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इस केन्द्र की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। जबकि उत्तर प्रदेश में स्थलीय टी०वी० कवरेज 80.4% क्षेत्र में उपलब्ध है, उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ पहाड़ी क्षेत्र सन्तोषजनक रेडियो संकेत प्राप्त नहीं करते हैं।

(ख) से (घ) रेडियो/टी०वी० कवरेज की अनुपलब्धता, मुख्य रूप से भूभागीय परिस्थितियों आदि के कारण है। राज्य में रेडियो एवं टी०वी० कवरेज दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन	पूरा करने की लक्षित तारीख
1	2
आकाशवाणी	
चमोली	1997-98
उत्तरकाशी	1997-98
दूरदर्शन	
उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर	
उ०श०ट्रा०	
बांदा	1998-99

1	2
मसूरी (डी०डी०-II)	1999-2000
अ०ज्ञ०ट्रा०	
अल्मोड़ा	1997-98
हल्द्वानी	1997-98
रुद्रौली	1997-98
बाराकोट	1997-98
धुनाघाट	1997-98
नरोरा	1997-98
रुथौली	1997-98
राट	1997-98
तालबेहाट	1997-98
महरौनी	1997-98
छिबरामऊ	1997-98
अमरोहा	1997-98
कार्वी	1997-98
दुधिनगर	1997-98
कोसी	1997-98
खेतीखान	1997-98
मऊ (डी०डी०-II)	1998-99
अ०अ०ज्ञ०ट्रा०	
चमोली	1997-98
बिन्सर	1997-98
बसोट/भिखियासेन	1997-98
फतेह पर्वत	1997-98
राजगढ़ी	1997-98
सिराकोट/बैकुण्ठधाम	1997-98
साहिया	1997-98
मानेश्वर	1997-98
धौसी	1997-98
मनीला	1997-98
थराली	1997-98
रुद्रप्रयाग	1997-98
मानिकपुर	1997-98
नौगांवखाल	1997-98
केदारनाथ	1997-98
बद्रीनाथ	1997-98
गौरीकुण्ड	1997-98
दुगड्डा	1997-98

विद्युत परियोजना को स्वीकृति

385. **श्री मंगत राम शर्मा :**
डा० गिरिजा व्यास :
श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र का विकास करने के लिए राज्यवार कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि अलग से रखी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के साथ-साथ समग्र विद्युत क्षेत्र को शामिल करते हुए एक नई विद्युत नीति विकसित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस नीति को बनाने में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा निवेश की दृष्टि से स्वीकृत की गई विद्युत परियोजनाएं निम्नवत् हैं :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम (क्षमता मे०वाट में)	राज्य	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1.	रायलसीमा टी०पी०एस० चरण-2 (2210)	आन्ध्र प्रदेश	1273.00
2.	पुरूलिया पी०एस०एस० (900)	प० बंगाल	1456.56

1	2	3	4
3.	कोठागुडम टी०पी०एस० चरण-5 (2250)	आन्ध्र प्रदेश	1890.00
4.	डीजल जनरेटिंग पावर स्टेशन, कोजीकोड	केरल	355.00
5.	मुजफ्फरपुर टी०पी०एस० एक्सटेंशन (2250)	बिहार	1452.13

जहा तक राज्य परियोजनाओं का संबंध है, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूला के अनुसार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए सदन वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात सरकार द्वारा अपनायी गई विद्युत संबंधी समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार लाने और इसे व्यवहारिक बनाने के लिए नए उपाय किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को अंतिम रूप देना।
- युक्तिसंगत टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्यों में नियामक आयोगों का गठन करना।
- परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन को सुविधाजनक बनाने के लिए केन्द्रीय एजेन्सियों की भूमिका की समीक्षा करना।
- निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहन देना।
- राज्य बिजली बोर्डों को उनके कार्यकरण और वास्तविक पैरामीटरों में सुधार हेतु स्वायत्यता प्रदान करना।
- सह उत्पादन/कैप्टिव और वृहत विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन।
- जल विद्युत संबंधी एक राष्ट्रीय नीति का विकास करना।

(ङ) और (च) जी, हां। योजना आयोग में स्थापित समिति द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है। समिति में विभिन्न ऊर्जा संबंधी संस्थानों के प्रतिनिधि तथा विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। विद्युत संबंधी नीति के ब्यौरे विद्युत मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति में विचार विमर्श किए जाने का भी कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

386. श्री नीतीश कुमार :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों के परिणामस्वरूप किन-किन कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तैयार किये गए; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) "सेल" के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान सेल के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सर्तकता संबंधी 3329 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 603 शिकायतों के संबंध में नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे, उनके नाम और शिकायतों, के संबंध में मांगी गई जानकारी एकत्र करने में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा जो प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

रेल कर्मचारियों को रेल पास

387. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में अनुभाग अधिकारी और सहायक दोनों समूह "ख" के कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल पास नियमों के अनुसार समूह "ख" के सभी कर्मचारियों को सुविधा पासों के 6 सेट दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो अनुभाग अधिकारियों को सुविधा पासों के 6 सेट और सहायकों को तीन सेट जारी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस असमानता को दूर करने तथा अनुभाग अधिकारियों की तरह सहायकों को भी सुविधा पासों के 6 सेट दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां, अनुभाग अधिकारी ग्रुप "बी" (राजपत्रित) होते हैं तथा सहायक ग्रुप "बी" (अराजपत्रित) होते हैं।

(ख) से (घ) केवल ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" राजपत्रित अधिकारियों को पासों के 6 सैट जारी किए जाते हैं। चूंकि सहायक ग्रुप "बी" (अराजपत्रित) कर्मचारी है। अतः वे सुविधा पासों के 6 सैटों के लिए हकदार नहीं है।

टेलीफोनों का कार्यकरण

388. श्री विद्यासागर सोनकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में लगाए गए ऐसे टेलीफोनों का प्रतिशत कितना है जो ठीक से कार्य कर रहे हैं;

(ख) विभाग द्वारा कितने सेटों की मरम्मत की गई है अथवा उनका अनुरक्षण किया गया है;

(ग) क्या एम०ए०आर०आर० टेलीफोनों की प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्राथमिकता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ङ) ग्रामों में पी०सी०ओ० लगाने के मानदण्ड और उनके कार्यकरण की स्थिति क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

किराये के भवनों में डाकघर

389. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री हरिन पाठक :
डा० बल्लभ भाई कथीरिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलेवार कितने डाकघर किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें निजी भवनों से स्थानान्तरित किया गया है;

(ग) राज्य में डाकघरों के लिए भवन निर्माण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने निजी भवनों को किराए पर लेने के लिए 1996 के दौरान कितना किराया अदा किया;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार निर्माण के लिए ली गई और पूर्ण की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) निर्माण हेतु मंजूर योजनाओं को अब तक शुरू न किए जाने के कारणों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) डाकघरों/उप डाकघरों के भवनों के निर्माण हेतु जिलेवार मंजूर सभी योजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ख) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

(ग) संलग्न विवरण-III के अनुसार।

(घ) प्राइवेट भवन किराए पर लेने पर सरकार द्वारा वर्ष 1996 के दौरान 55,62,233.64 रु० (पचपन लाख बासठ हजार दो सौं तैंतीस रुपये और चौंसठ पैसे) के किराए का भुगतान किया गया।

(ङ) संलग्न विवरण-IV के अनुसार।

(च) संलग्न विवरण-V के अनुसार।

(छ) सभी परियोजनाओं में एक बार जब निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है तो उसकी समाप्ति धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण-I

(क) गुजरात में किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र०सं०	जिले का नाम	कुल
1	2	3
1.	अहमदाबाद	164
2.	गांधीनगर	16
3.	साबरकांठा	49
4.	बनासकांठा	29
5.	महेसाणा	68
6.	भरूच	61
7.	डांग	5
8.	खेड़ा	118
9.	पंचमहल	46
10.	सूरत	104
11.	वड़ोदरा	90
12.	वलसाड	62
13.	अमरेली	33
14.	भावनगर	61
15.	जामनगर	57
16.	जूनागढ़	72
17.	कच्छ	54
18.	राजकोट	80
19.	सुरेन्द्रनगर	38
	संघ शासित क्षेत्र	
20.	दीव/दमण	5
21.	दादर नगर हवेली	1
	कुल :	1203

विवरण-II

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन प्राइवेट भवनों में शिफ्ट किए गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

जिले का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान खाली किए गए डाकघर
1.	2
अहमदाबाद	
1. एयर पोर्ट डाकघर भवन	
2. गुजरात विद्यापीठ डाकघर भवन	
3. मेमनगर डाकघर	
4. मणि नगर डाकघर	
5. छलोदा डाकघर	
6. एल०बी०आर०एस० डाकघर	
7. जलिया डाकघर	
8. सानंद डाकघर	
9. चौकसी बाजार डाकघर	
गांधीनगर	
1. सेक्टर-16 डाकघर	
2. सेक्टर-22 डाकघर	
3. सेक्टर-17 डाकघर	
4. सेक्टर-28 डाकघर	
5. सेक्टर-29 डाकघर	
6. सेक्टर-30 डाकघर	
7. सेक्टर-6 डाकघर	
8. सेक्टर-7 डाकघर	
9. रूपाल डाकघर	
महेसाणा	
शून्य	
पालनपुर	
1. पालनपुर डी०ओ०	
2. पालनपुर प्लेस रोड	
3. पालनपुर प्रधान डाकघर	
4. पालनपुर किरतिस्तम्भ	
5. कानोदारा	
6. वडगाम	
7. दन्ता भवनगढ़	
हिम्मतनगर	
1. तिनतोई	
2. चितरोदा	
3. खादब्रह्मा आर०एस०	
4. संथाबा	
वदोदरा	
1. चानी रोड	
2. रेसकोर्स डाकघर	
3. समलाया आर०एस०	
4. साबली टाउन डाकघर	
5. बोदेली डाकघर	
6. वदोदरा डी०ओ०	
सुरेन्द्र नगर	
शून्य	
सूरत	
1. करछेलिया	
2. शूगर फैक्ट्री	
3. ब्यारा आर०एस०	
आणंद	
1. बोरिया	
2. वाडासिनोर	
भरूच	
1. हंसोत	
2. भरूच नगर	
3. अमोद	
4. कोरा	
5. डेदियापाडा	
गोदरा	
शून्य	
खेड़ा	
1. समुन	
2. दभान	
वलसाड	
1. वलसाड डी०ओ०	
2. नवसारी प्रधान डाकघर	
3. चिखली डाकघर	
अमरेली	
धारी डाकघर	
भावनगर	
1. बोताड आर०एस०	
2. बोताड प्रधान डाकघर	
3. निगाला	
4. सनोसारा	
5. भावनगर प्रधान डाकघर	
राजकोट	
जैतपुर	
जामनगर	
1. जामवंथली	
2. जाम जोधपुर डी०जी०	
जूनागढ़	
जूनागढ़ डी०जी०	
वेरावल प्रधान डाकघर	
कच्छ	
गुडहाडा खादिर डाकघर	
बिट्टा डाकघर	
गांधीधाम	

विवरण-III

राज्य में डाकघरों के लिए भवन-निर्माण की योजनाओं का विवरण

(ग) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार सर्किल में निम्नलिखित डाकघर भवन निर्माणाधीन हैं :-

डाकघर भवन का नाम	जिले का नाम
1.	2
1. डाकघर भवन मोराली बाजार	वलसाड़
2. डाकघर भवन रायगढ़	साबरकांठा
3. डाकघर भवन बापूनगर	अहमदाबाद
4. डाकघर भवन वीरमगम	अहमदाबाद

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान पूरी हुई योजनाओं का जिलावार ब्यौरा

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्ण हुए विभागीय भवन डाक नेटवर्क :-

क्र० सं०	डाकघर भवन	जिले का नाम	पूरा होने की तारीख
1	2	3	4
1.	अम्बावाड़ी विस्तार	अहमदाबाद	4.7.94
2.	सेक्टर-16 गांधीनगर	गांधीनगर	14.6.94
3.	सेक्टर-22	गांधीनगर	12.10.94
4.	वर्टिकल एक्स. मोडासा	साबरकांठा	15.10.94
5.	वडगाम	बनासकांठा	1.9.94
6.	पालनपुर हैड आफिस	बनासकांठा	5.8.94
7.	जागुदान	महेसाणा	15.9.94
8.	नारदीपुर	महेसाणा	23.9.94
9.	उनावा	महेसाणा	14.10.94
10.	डाडिया पाडा	भरूच	6.2.95
11.	बोरिया	खोड़ा	23.8.94
12.	मोसाली	सूरत	9.8.94
13.	रेसकोर्स डाकघर	वडोदरा	30.1.95
13.क.	सामलया	वडोदरा	9.11.94
14.	भिलाड	वलसाड	8.9.94
15.	खुम्बा	अमरेली	10.10.94/ 17.1.94
16.	बोटाड हैड आफिस	भावनगर	17.6.94
17.	भावनगर हैड आफिस	भावनगर	02.1995
18.	भचऊ	कच्छ	4.10.94
19.	जेतपुर	राजकोट	17.8.94
20.	कलोल	पंचमहल	25.5.94
21.	संत रोड	पंचमहल	-वही-
1	2	3	4
स्टाफ क्वार्टर 1994-95			
1.	वनकनार टाइप एफ=3, टाइप-II=3	राजकोट	5.7.94
2.	राजकोट टाइप-II=3	राजकोट	15.7.94
3.	केशोड टाइप-I=3, टाइप-II=3	जूनागढ़	14.8.94

वर्ष 1995-96 के दौरान जिन डाकघर भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ।

डाक नेटवर्क

1.	सेक्टर-29 गांधीनगर	गांधीनगर	17.4.95
2.	सेक्टर-17 -वही-	-वही-	-वही-
3.	सेक्टर-28 -वही-	-वही-	-वही-
4.	चालोडा -वही-	-वही-	10.8.95
5.	महेसाणा हैड आफिस	महेसाणा	25.9.95
6.	वाडासिनोर	खेड़ा	3.4.95
7.	डाबन वर्टिकल एक्स०	-वही-	9.2.96
8.	मांडवी (बारदोली)	सूरत	17.6.95
9.	दलपाड	-वही-	4.9.95
10.	चिखली	वलसाड	11.3.96

वर्ष 1996-97 के दौरान जिन डाकघर भवनों का निर्माण कार्य पूरा हुआ।

डाक नेटवर्क

1.	सेक्टर-30 गांधीनगर	गांधीनगर	30.4.96
2.	लोथाल भुरखुई	-वही-	11.11.96
3.	डांटा बी०जी०	बनासकांठा डिवीजन	22.4.96
4.	वसई डावला	महेसाणा	22.4.96
5.	लंगाज	-वही-	27.4.96
6.	नवसारी हैड आफिस	वलसाड	19.8.96

(ख) स्टाफ क्वार्टर

1.	किम 3 टाइप-II	सूरत	4.2.97

1	2	3	4
(ग)	अन्य भवन		
1.	सेपुतरा हालीडे होम	आहवा-डांग	15.4.96

विवरण-V

उन योजनाओं के जिलेवार ब्योरे जो मंजूर होने के पश्चात भी अभी तक शुरू नहीं की जा सकी हैं तथा शुरू न किए जाने के कारण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	जिले का नाम	निर्माण आरंभ न करने का कारण
1	2	3	4
1.	पाल्दी	अहमदाबाद	धनराशि की
2.	आनंदनगर डाकघर	"	अनुपलब्धता
3.	मणिनगर डाकघर	"	के कारण
4.	एम०एम०एस० अहमदाबाद	"	"
5.	सी०एस०डी० अहमदाबाद	"	"
6.	एलिसब्रिज डाकघर	"	"
7.	गांधीनगर डाकघर	गांधी नगर	"
8.	सेक्टर 19 डाकघर गांधीनगर	"	"
9.	सेक्टर 20 डाकघर गांधीनगर	"	"
10.	सेक्टर 23 डाकघर गांधीनगर	"	"
11.	सेक्टर 9 डाकघर गांधीनगर	"	"
12.	ऊन डाकघर	बनासकांठा	"
13.	छापी डाकघर	"	"
14.	वाव डाकघर	"	"
15.	सामी डाकघर	मेहसाणा	"
16.	पाटन सिटी	"	"
17.	जी०आई०डी०सी० महेसाणा	"	"
18.	अंकलेश्वर डाकघर	भरूच	"
19.	विजया डाकघर	"	"
20.	राजपीपला डाकघर	"	"
21.	सरभान डाकघर	"	"
22.	वघर्ठ डाकघर	डांग	धनराशि की
23.	सरसा डाकघर	खेड़ा	अनुपलब्धता
24.	थमना डाकघर	"	के कारण
25.	लीमखेड़ा डाकघर	पंचमहल	"
26.	गरवडा डाकघर	"	"
27.	संजोली डाकघर	"	"
28.	देलोल डाकघर	"	"
29.	लमड़ी डाकघर	"	"
30.	नानपुरा प्रधान डाकघर	सूरत	"
31.	बरदोली प्रधान डाकघर-विस्तार	"	"
32.	कुकरमुंडा डाकघर	"	"
33.	बडोदरा प्रधान डाकघर-विस्तार	बडोदरा	"
34.	पावागढ़ डाकघर	"	"
35.	सुभानपुरा डाकघर	"	"
36.	कायाबोरोहन डाकघर	"	"
37.	चानी डाकघर	"	"
38.	बलसाड़ प्रधान डाकघर विस्तार	वलसाड़	"
39.	दमण डाकघर	"	"
40.	किल्ला पारदी डाकघर	"	"
41.	अतुल डाकघर	"	"
42.	सरीराम डाकघर	"	"
43.	छिकली डाकघर	"	"
44.	डुंगरी डाकघर	"	"
45.	नारमोल डाकघर	"	"
46.	खांबा डाकघर	अमरेली	"
47.	लिलिया डाकघर	"	"
48.	धारी डाकघर	"	"
49.	बेगसारी डाकघर	"	"
50.	छितल डाकघर	"	"

1	2	3	4
51.	गरियाधार डाकघर	भावनगर	धनराशि की
52.	भावनगर चित्ररा डाकघर	"	अनुपलब्धता
53.	गोधा डाकघर	"	के कारण
54.	दासा जोन डाकघर	"	"
55.	पालीतान डाकघर	"	"
56.	गिरगइडा डाकघर	जूनागढ़	"
57.	सासनगोर डाकघर	"	"
58.	रानावाव आर०एस०	"	"
59.	भासन डाकघर	"	"
60.	आदित्याना डाकघर	"	"
61.	कुकमा डाकघर	कच्छ	"
62.	खावड़ा डाकघर	"	"
63.	मोतहरा डाकघर	"	"
64.	करा डाकघर	"	"
65.	के०एफ०टी० जोन कच्छ	"	"
66.	पी०एस०डी० राजकोट	राजकोट	"
67.	कालावाडू रोड डाकघर	"	"
68.	मलिया मियाना डाकघर	"	"
69.	धोराजी डाकघर	"	"
70.	राजकोट प्रधान डाकघर विस्तार	"	"

केरल में जल विद्युत परियोजना

390. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल की जल विद्युत परियोजनाओं का जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है;

(ख) क्या सरकार आकस्मिकता से निपटने के लिए केन्द्रीय पूल के आवंटित न किए गए हिस्से से राज्य की विद्युत की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान देय हिस्सेदारी के अलावा केन्द्रीय ग्रिड प्रतिदिन 6 मिलियन इकाइयां अतिरिक्त विद्युत आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह वृद्धि कब तक कर दी जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) केरल में प्रमुख जलाशयों के स्तर तथा भंडारण नीचे दिए गए हैं :-

स्तर	13.7.1997 के अनुसार (मीटर)	13.7.1997 के अनुसार (मीटर)
इद्दुकी	700.56	700.91
साबिरीगिरी	932.28	941.76
भण्डारण	मि०यू०	मि०यू०
इद्दुकी	203.42	217.07
काकी	61.63	115.10

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, इद्दुकी में स्तर तथा भंडारण पिछले वर्ष जैसे ही हैं जबकि काकी में स्तर तथा भंडारण पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ कम हैं।

(ख) से (घ) केरल को दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की 15 प्रतिशत अनावंटित विद्युत से 30 प्रतिशत आवंटन किया गया था जो 8.5.97 से प्रभावी था। इस हिस्से को 12.6.97 से बढ़कर 60 प्रतिशत तथा 1.7.97 से इसे और बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया।

ई० मेल सेवाएं

391. श्री विजय पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ई-मेल सेवाओं को और अधिक जनोन्मुखी तथा प्रभावी बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। सोलह सेवा-प्रदाताओं की ई-मेल प्रचालन के लिए गैर-विशिष्ट आधार पर लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इन लाइसेंस धारकों को परिभाषित अधिकतम (सीलिंग) टैरिफ के अंदर ही सेवा प्रधान करनी होगी तथा सेवा, में गुणवत्ता भी बरकरार रखनी होगी।

(ख) सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के जरिए भारतीय जनता को किफायती तथा अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा उपलब्ध होगी।

(ग) उपरोक्त "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० बूथों का आवंटन

392. श्री शिबु सोरेन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० बूथों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गई प्राथमिकताओं/आरक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : आवेदकों को प्राथमिकता देने संबंधी अन्य श्रेणियों के साथ-साथ एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० आवंटन समितियों द्वारा एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० आवंटित करने पर विचार हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक भी प्राथमिकता श्रेणी में आते हैं। तथापि, आवेदकों की किसी भी श्रेणी के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

केरल में बार्ज पावर जेनेरेटिंग यूनिट

393. श्री पी०सी० थामस : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में बार्ज पावर जेनेरेटिंग यूनिटों को मंजूरी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केरल सरकार ने ऐसे उद्देश्यों के लिए ईंधन का और अधिक कोटा देने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं को कोचीन शिपयार्ड अथवा अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ग) केरल सरकार ने राज्य में बार्ज माउंटेड विद्युत संयंत्रों के लिए तरल ईंधन के आवंटन हेतु अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

(घ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए (यदि केरल सरकार के अनुरोध को मान लिया जाता है। एजेंसियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

इस्पात की उत्पादन लागत

394. श्री नवल किशोर राय :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न प्रकार के इस्पात की उत्पादन लागत अन्य देशों के मुकाबले अधिक है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस्पात की औसत उत्पादन लागत कितनी है और यह औसत विश्व की उत्पादन लागत औसत से कितनी अधिक है;

(ग) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस उत्पादन लागत का कम करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्पादन लागत को कितना कम किए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) इस्पात की उत्पादन लागत मुख्य रूप से आदानों, जैसे लौह अयस्क, कोयला, इस्पात स्क्रैप और ऊर्जा के मूल्यों, भाड़ा और श्रम की लागत तथा वित्तीय प्रभारों पर निर्भर करती है। इस्पात उद्योग के लागत अध्ययन संबंधी बी०आई०सी०पी० की दौरा रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न देशों में 1994 के आंकड़ों के आधार पर, विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लिए औसत लागत प्रणाली नीचे दी गई है :-

देश	लागत (अमरीकी डालर प्रति टन)
संयुक्त राज्य अमरीका	503
यूनाइटेड किंगडम	423
फ्रान्स	504
जर्मनी	530
भारत (सेल)	410

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उत्पादन लागत से कमी करने और निष्पादन में सुधार करने के लिए सेल द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

- अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन।
- गुणता में सुधार, उत्पाद-मिश्र और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन।
- तकनीकी-आर्थिक घटकों में सुधार अर्थात कोक दर, ऊर्जा खपत, धात्विक आदान में कमी, उत्पादन में सुधार आदि।
- प्रभावी अनुरक्षण के जरिए उपस्करों की उपलब्धता में सुधार।
- कड़ा नियन्त्रण और उत्पादन लागत में कमी।

1997-98 के दौरान विक्रेय इस्पात के नियन्त्रणयोग्य उत्पादन लागत में लगभग 7-8% तक कमी करने के लिए सेल ने योजना बनाई है।

[अनुवाद]

रिलायंस टेलीकॉम द्वारा सेल्यूलर सेवा

395. श्रीमती लक्ष्मी पनवाका : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने सात सर्किलों में सेवा का लाभ पहुंचाने के लिए मोवाइल कम्यूनीकेशन नेटवर्क को विश्व्यापी प्रणाली वनाने का है;

(ख) क्या रिलायंस टेलीकॉम भारत में सबसे बड़ी सेल्यूलर सेवाओं में से एक है;

(ग) यदि हां, तो इसे किन-किन राज्यों में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(घ) रिलायंस टेलीकॉम ने देश में किसी हद तक ऐसी सेवाएं अधिलुपित की है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कम्पनी के पास सात दूरसंचार सर्किलों के लिए सेल्यूलर मोवाइल टेलीफोन सेवा के लाइसेंस हैं, जो किसी एक कम्पनी के पास रहने वाले लाइसेंसों में अधिकतम है। सेल्युलर मोवाइल टेलीफोन सेवा के लिए दूरसंचार सर्किलों को कुल 33 लाइसेंस और 4 मैट्रो शहरों को 8 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। कम्पनी को दिए गए दूरसंचार सर्किल (i) असम (ii) विहार (iii) हिमाचल प्रदेश (iv) मध्य प्रदेश (v) पूर्वोत्तर (vi) उड़ीसा और (vii) पश्चिम बंगाल हैं।

(घ) किसी भी सर्किल में कम्पनी ने व्यावसायिक सेल्युलर मोवाइल टेलीफोन सेवाएं अभी तक आरंभ नहीं की हैं।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

396. **श्री के०एच० मुनियप्पा :**
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बिजली की कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए देश में एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने के मामले में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया है;

(ग) इस संबंध में उनके क्या विचार हैं तथा इस पर अंतिम निर्णय कब तक के लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी केन्द्रीय विधान पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे विधान को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) जी, हां। सरकार ने देश में विभिन्न क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को अंतःसंयोजित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं ताकि एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की जा सके। इससे विद्युत की कमी वाले राज्यों की विद्युत आपूर्ति को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

(ख) और (ग) इस समय देश में विद्युत प्रणाली पांच क्षेत्रीय ग्रिडों के अंतर्गत कार्य कर रही है तथा राष्ट्रीय ग्रिड का गठन इन ग्रिडों के अंतःसंयोजन पर निर्भर करता है ताकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विद्युत के अंतरण को सुविधाजनक बनाया जा सके। प्रत्येक पृथक परियोजना को क्रियान्वयन हेतु हाथ में लेने से पहले पावरग्रिड द्वारा राज्य बिजली बोर्डों की स्वीकृति ली जाती है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़ने के लिए किसी भी केन्द्रीय विधान की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं की क्षमता

397. **कुमारी उमा भारती :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत संकट की वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुए विद्युत परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) राज्य सरकारों, भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करके अपनाई गई विद्युत के लिए न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्ययोजना के अनुरूप नौवीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा ये समाविष्ट हैं–

1. संयंत्र भार गुणांक में सुधार लाने हेतु एक समयबद्ध तरीके से विद्यमान विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
2. निधियों के अधिक आवंटन के माध्यम से निर्माणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं की पूर्णता में तेजी लाना।
3. कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष वाले क्षेत्र/राज्य से विद्युत के सुधरे हुए निष्क्रमण में सहायता के लिए जहां पर अंतर तथा अंतः संचारण संयोजन नहीं है, को हाथ में लेना।
4. अल्प प्रारंभिक अवधि वाली परियोजनाओं के लिए तरह ईंधन के आवंटन के साथ-साथ पवन विद्युत तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

(ग) विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि राज्य सरकारों द्वारा इससे

मेल खाती कार्रवाई तथा इन स्कीमों के गहन प्रबोधन पर निर्भर करेगी। नौवीं योजना के दौरान क्षमता में वृद्धि के लिए लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार

398. श्री हंसराज अहीर : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कृषक पैदावार पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए ग्रामीण युवकों को प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण युवकों के हित में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा बड़े-बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा ऐसे उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलाप एक अनुमेय क्रियाकलाप है लेकिन यह किसानों की उपज के साथ नहीं जुड़ा है गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे ग्रामीण युवाओं को ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण के अंतर्गत दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और सरकारी सबसिडी और बैंकों के ऋणों के मार्फत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आय उत्पादन परिसम्पतियां सृजित करने के लिए सहायता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की उपज पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लगाने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहन देने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विस्तार की प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए है जो लघु इकाई को चलाने का अनुभव उपलब्ध कराते हैं। आठवीं योजना के दौरान ऐसे 231 केन्द्रों को सहायता दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में उच्च प्रसारण क्षमता का रेडियो स्टेशन

399. डा० एम० जगन्नाथ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महबूबनगर, आंध्र प्रदेश में उच्च प्रसारण क्षमता का एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है।

निधियों का दुरूपयोग

400. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नालंदा (बिहार) में बिहार शरीफ टेलीफोन के सब-डिविजनल कार्यालय के कर्मचारी आवास के निर्माण में निधियों के दुरूपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा को राजसहायता

401. श्री मुरलीधरन जेना : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में आय स्रोत उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के लिए ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई ऋण या राजसहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ऐसे कितने जनजातीय तथा अन्य परिवारों को ऋण तथा राजसहायता प्रदान की गयी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आय उत्पादक परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए सरकार द्वारा सबसिडी तथा बैंको द्वारा ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के सभी विकास खंड तथा जिले कवर किए गए हैं। लाभार्थियों के लक्षित समूह में गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु तथा सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवकों को शामिल किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों

के लघु किसानों, के लिए 25% सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगरों के लिए 33-1/3 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के लाभार्थी शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिए 50% सबसिडी का निर्धारण किया गया है। सबसिडी पर अधिकतम सीमा, सामान्य क्षेत्रों में 4000 रुपये, सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम/मरू भूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में 5000 रुपये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 6000 रुपये और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों के लिए 7500 रुपये निर्धारित की गयी है।

(ग) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाली जनजातियों और अन्य परिवारों को दिया गया ऋण तथा सबसिडी निम्न प्रकार है :-

परिवारों की संख्या

वर्ष	अनुसूचित जनजाति परिवार	अन्य परिवार
1994-95	41591	98246
1995-96	35843	84826
1996-97	24474	66775

गुजरात और उड़ीसा को पेयजल

402. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और उड़ीसा राज्य में जिलेवार कितने गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है; और

(ख) उड़ीसा राज्य के विशेष रूप से कालाहांडी, नोपौरा, बोलंगीर और कोरापुट जिलों में पर्याप्त जलापूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) 31.5.97 तक उड़ीसा और गुजरात में क्रमशः 110023 और 28823 बसावटों को पूर्णरूप से या आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिलावार ब्यौरे राज्य सरकारो द्वारा रखे जाते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) स्वच्छ पेयजल सुविधा न प्राप्त सभी बसावटों को 1997-98 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है और आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधा प्राप्त बसावटों को सन् 2000 ई० तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है। राज्य सरकारों ने कार्य योजनाएं तैयार की है और केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के अधीन योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं। 1997-98 के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए 41.73 करोड़ रुपये और गुजरात के लिए 49.87 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। 50% आवंटन जारी कर दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

403. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधी प्रगति अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनका नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकरण किए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) जी नहीं। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में 39,354 आवासीय गांवों में से 39,106 गांवों का मार्च, 1989 के अंत तक बिजलीकरण कर लिया गया था। शेष 248 गांवों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट दी है कि यहां विद्युत प्रदान करना व्यवहार्य नहीं होगा।

(ग) और (घ) ग्रामीण बिजलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है तथा बिजलीकरण हेतु लक्ष्यों को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है। नवीं योजना हेतु कार्यक्रम को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली दूरदर्शन से साफ्टवेयर की चोरी

404. श्री रामबहादुर सिंह :
श्री चुनचुन प्रसाद यादव :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली दूरदर्शन में महंगे साफ्टवेयर की चोरी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चोरी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) 31 मई, 1997 को दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के समाचारकक्ष में नौ वैयक्तिक कम्प्यूटरों से हार्ड डिस्क चोरी हुई पाई गई थी।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस के जांच दल ने उसी दिन समाचार-कक्ष की जांच की थी और जांच कार्य अभी प्रगति पर है।

दूरसंचार सेवा सम्बन्धी कृतक बल

405. डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टास्क फोर्स रिकामेंड्स ओपनिंग ऑफ टेलीकॉम सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) टास्क फोर्स ने यह सिफारिश की है कि सरकार की नीति कल्पनाशील तथा भविष्योन्मुखी होनी चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होगी जो प्रतियोगिता को बढ़ावा दें तथा बाजार शक्तियों को मुक्त रूप से कार्य करने दे। यह सिफारिश की गई है कि वित्त मंत्रालय को भी, प्रोत्साहन देना चाहिए जैसाकि दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन के लिए पहले ही किया गया है। सरकार को दीर्घकालिक रणनीति के पहलुओं यथा, कार्य कुशल जनशक्ति को विकास पर केन्द्रित करना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभरना तथा भारतीय घरेलू बाजार का तीव्र विस्तार सभव हो पाएगा।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसरण में सरकार ने पहले ही दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में प्रतियोगित्मक वातावरण में भागीदारी के लिए भारतीय पंजीकृत निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। वित्त मंत्रालय ने भी दूरसंचार क्षेत्र को अवसंरचना क्षेत्र के रूप में घोषित किया है तथा इसके परिणाम स्वरूप इसे वित्तीय प्रोत्साहन मिला है।

[हिन्दी]

दिल्ली में विद्युत की समस्या

406. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री रनजीब बिसवाल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली में विद्युत की समस्या का समाधान करने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक दिल्ली सरकार से कतिपय योजनाएं/प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में दिल्ली सरकार को दी गई वित्तीय सहायता कितनी है;

(घ) दिल्ली सरकार ने सहायता राशि को किन-किन प्रयोजनों हेतु खर्च किया है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ङ) सरकार के विचाराधीन योजनाओं/प्रस्तावों/ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[अनुवाद]

आजीवन निःशुल्क यात्रा पासों को जारी करना

407. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को आजीवन निःशुल्क और प्रथम श्रेणी वातानुकूलित यान में असीमित यात्रा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण और औचित्य क्या है;

(घ) क्या रेलवे अधिकारी संघ ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें रेलवे बोर्ड से प्लेटिनम पास विशेषाधिकार और उसे शीघ्र वापस लेने के प्रश्न पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्यों को मानार्थ कार्ड पास जारी किए जाते हैं जिन पर वे अपने परिवार के पात्र सदस्यों सहित या एक सहचर के साथ इस शर्त पर यात्रा कर सकते हैं कि वे I-वातानुकुल में 2 शायिकाओं या एक्जिक्यूटिव दर्जे में 2 सीटों से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे। वे राजधानी एक्सप्रेस में I-वातानुकूल/वातानुकूल शयनयान में 2 शायिकाओं अथवा III-वातानुकूल में 4 शायिकाओं का उपयोग कर सकते हैं।

(ग) बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा भारतीय रेलों में किए गए योगदान के सम्मान तथा सेवानिवृत्ति के बाद तीन मानार्थ चैक पासों जिनके लिए वे प्रतिवर्ष पात्र थे, के बदले ये सुविधाएं दी गई हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) सभी मामलों पर समुचित रूप से विचार करने के बाद यह

योजना तैयार की गई है। अब इस योजना को रद्द करना वांछनीय नहीं समझा जाता है।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवा के लिए अलग निगम

408. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्पीड पोस्ट सेवा के लिए कोई अलग निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सामान्य डाक वितरण की प्रभाविकता स्पीड पोस्ट पर जोर देने के कारण प्रभावित हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार किस तरीके से नियमित डाक वितरण को सुनिश्चित करेगी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। स्पीड पोस्ट सेवा के लिए अलग से एक निगम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिनांक 01.02.1996 से वाणिज्य विकास निदेशालय की स्थापना की गई है और यह स्पीड पोस्ट सहित प्रीमियम उत्पादों से संबंधित कामकाज देखता है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। स्पीड पोस्ट पर दबाव के कारण सामान्य डाक वितरण प्रभावित नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए राज सहायता

409. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए राजसहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में शामिल किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कुछ राज्यों को इसमें शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना में अपने राज्य में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय व्यवहार्यता अध्ययन करने और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश भर में 3 मेगावाट तक स्टेशन क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के लिए 100% तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 50% की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए 1.12 करोड़ रु०/मेगावाट तक की ब्याज आर्थिक राजसहायता और 100 कि०वा० क्षमता तक की परियोजनाओं के लिए 15,000 रु० कि०वा० की पूंजीगत आर्थिक राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के लिए 3 करोड़/मेगावाट तक की उच्चतर पूंजीगत आर्थिक राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) और (घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों को इन क्षेत्रों के दूरवर्ती होने और इनकी कठिन अवस्थितियों के कारण उच्चतर पूंजीगत लागत को ध्यान में रखते हुए उच्चतर पूंजीगत आर्थिक राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

410. डॉ० कृपासिंधु भोई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय जल-विद्युत द्वारा किन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है।

(ख) ऐसी प्रत्येक जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इनमें कुछ परियोजनाएं 1997-98 के अंत तक पूरा कर ली जाने की संभावना है; और

(घ) अन्य चल रही जल विद्युत परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) वर्तमान में नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन (एन०एच०पी०सी०) द्वारा तीन जल विद्युत परियोजनाएं क्रमशः जम्मू और काश्मीर में दुलहस्ती (3x100 मे०वा०),

सिक्किम में रंगीत (3x20 मे०वा०) तथा उत्तर प्रदेश में धौली गंगा (4x70 मे०वाट) निप्पादित की जा रही हैं। बिहार में कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (710 मे०वा०) पर कार्य निधि की कमियों तथा स्थानीय विरोध के कारण शुरू नहीं किया जा सका है। भूटान में कुरिचू जल विद्युत परियोजना (3x15 मे०वा०) तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना (2x25 मे०वा०) को भी एन०एच०पी०सी० द्वारा जमा आधार पर निप्पादित किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त विद्युत परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना का 1997-98 के दौरान पूरा होना संभावित नहीं है।

(घ) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की प्रचालन अनुसूची निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	परियोजना	संभावित प्रचालन अनुसूची
1.	दुलहस्ती (390 मे०वा०) जम्मू और काश्मीर	2000–2001
2.	रंगीत (60 मे०वा०) सिक्किम	1998–1999
3.	धौलीगंगा चरण-I (280 मे०वा०) उत्तर प्रदेश	2004–2005
4.	कोयलकारो (710 मे०वा०) विहार	चालू होने की तारीख से आठ वर्ष
5.	कुरिचू (3x15 मे०वा०) भूटान	2000–2001
6.	कलपोंग (2.25 मे०वा०) अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह	करार पर हस्ताचर होने की तारीख से 51 महीने जिस पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

[हिन्दी]

टेलीफोन डायरेक्टरी वितरण

411. श्री पवन दीवान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित कर दी गई है और उपभोक्ताओं को वितरित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो सर्किलवार तथा जिलेवार इनमें कब तक संशोधन किया गया है; और

(ग) सर्किलवार और जिलेवार संशोधन सहित अगले संस्करण का प्रकाशन कब तक कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गोपनीय टेलीफोन कनेक्शन

412. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला प्रबंधक, दूरसंचार के पास गोपनीय टेलीफोन कनेक्शन है;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत गोपनीय टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है; और

(ग) जिला प्रबंधक, बरेली दूरसंचार के पास कितने गोपनीय टेलीफोन कनेक्शन हैं और इसके बिल के भुगतान की प्रक्रिया क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि दूरसंचार विभाग के अनुदेशों जिसकी प्रतिसंलग्न विवरण में दी गई है, के अनुसार अनुसत्य एक असूचीबद्ध नम्बर टी०डी०एम० बरेली में कार्यरत हैं।

(ख) एक असूचीबद्ध नम्बर को छोड़कर टी०डी०एस० बरेली के पास कोई अन्य गुप्त टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, सेवा टेलीफोन कनेक्शन होने के कारण, प्रभावी अनुरक्षण के लिए की जा रही कॉलों तथा दूरसंचार सेवाओं के उन्नयन और विकास के संबंध में भुगतान की प्रक्रिया वही है जो दूरसंचार विभाग के अन्य सेवा टेलीफोनों के लिए लागू है।

विवरण

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

संचार भवन
20, अशोका रोड,
नई दिल्ली-110001
दि० 2 अगस्त, 1994

सेवा में,

दूरसंचार सर्किलों/जिलों के सभी मुख्य महाप्रबंधक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एम०टी०एन०एल०, नई दिल्ली-1

मुख्य महाप्रबंधक, एम०टी०एन०एल०, नई दिल्ली/बंबई।

विषय :- दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के आवासीय सेवा टेलीफोन कनेक्शन।

यह देखा गया है कि विभाग के कई अधिकारियों के आवास पर दो सेवा टेलीफोन कनेक्शन है, दूसरा टेलीफोन एक असूचीबद्ध नम्बर है। सेवा टेलीफोन कनेक्शनों के मौजूदा नियमों के अनुसार आवास पर दूसरा टेलीफोन नहीं लगाया जाना चाहिए। यह कनेक्शन केवल वहीं प्रदान किया जा सकता है जहां मांग पर सेवा की आवश्यकता हो।

यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य महाप्रबंधक, सर्किलों/जिलों के

जी०एम० (ओ), टेलीफोन जिलों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक तथा निदेशक, महाप्रबंधक दूरसंचार जिला तथा टी०डी०एम० को छोड़कर कोई भी अधिकारी अपने आवास पर दूसरा सेवा टेलीफोन नहीं रखेगा। अतः मुख्य महाप्रबंधक इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा उक्त अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई अधिकारी अपने आवास पर दूसरा सेवा टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त नहीं करेगा, इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक (पी०एच०टी०) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को तत्काल दिया जाए।

ह०
(जी०एस०एस० मूर्ति)
वरिष्ट उप महानिदेशक (सी०एस०)

[अनुवाद]

फरीदकोट में टेलीफोन प्रणाली

415. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरीदकोट और इसके आस-पास के क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली के घटिया कार्यकरण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस जिले में टेलीफोन प्रणाली को सुचारू बनाने और इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस जिले के ऐसे कितने गांव हैं और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी टेलीफोन प्रणाली से जोड़ा जाना है; और

(घ) फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) फरीदकोट और इसके आसपास के क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फरीदकोट जिले में सभी गांव पहले ही टेलीफोन प्रणाली से जोड़ दिए गए हैं।

(घ) 30.6.97 की स्थिति के अनुसार, फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र की प्रतीक्षासूची में कुल 15902 नाम दर्ज हैं। इस प्रतीक्षा-सूची का दो वर्ष के भीतर निपटान किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र में स्लैबों की चोरी

414. प्रो० रीता वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व बोकारो इस्पात संयंत्र में करोड़ों रुपए मूल्य के स्लैबों की चोरी का मामला सामने आया था;

(ख) यदि हां, तो इस चोरी के मामले में किस स्तर तक के कार्मिक शामिल थे;

(ग) क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) 4/5 मार्च, 1993 की रात्रि को लगभग 3 लाख रुपए मूल्य के 43 टन कट स्लैबों/स्टील कास्टिंगों से लदे हुए 4 ट्रक माल की चोरी के एक मामले की सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) इस चोरी में उप महा निरीक्षक, दो उप निरीक्षक और दो हैड कांस्टेबलों सहित सी०आई०एस०एफ० के 5 कर्मचारी तथा एक वरिष्ठ प्रचालक और छः प्रलाचकों सहित सात कर्मचारी बोकारो इस्पात संयंत्र के शामिल थे।

(ग) सी०आई०एस०एफ० के उप महा निरीक्षक के अलावा बोकारो इस्पात संयंत्र तथा सी०आई०एस०एफ० के सभी कर्मचारियों को निलंवित कर दिया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) जांच कार्य पूरा हो जाने के बाद सी०बी०आई० द्वारा विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय, धनबाद, जहां इस मामले की सुनवाई चल रही है, के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किए गए थे।

दैनिक प्रतीक्षा सूची

415. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बिहार जाने वाली रेलगाड़ियों में विशेष रूप से शादियों के सीजन में दैनिक प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति होते हैं;

(ख) क्या सरकार का ऐसे अवसरों पर विशेष रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का एक लंबी दूरी की आरक्षित रेलगाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें केवल बैठने की व्यवस्था हो ताकि दिल्ली जाने वाले व्यक्ति इसमें बैठ सकें क्योंकि मुंबई, अहमदाबाद सौराष्ट्र, सूरत, और बड़ौदा से हजारों यात्री आते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राजधानी, शताब्दी तथा डीलक्स गाड़ियां चलाकर और

उनमें दिव्वे घटाने के कारण सुविधाओं में आई कमी को देखते हुए सरकार का विचार प्रत्येक जगह के लिए आम यात्रियों हेतु सवारी गाड़ी चलाने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रबंध किए हैं कि यात्रियों को रेलगाड़ियों में खाना, चाय, स्नैक्स और पीने का पानी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें; और

(झ) यदि हां, तो उक्त प्रबंध कब तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) बिहार को जाने वाली अधिकतर गाड़ियों में 15 अप्रैल से 30 जून, 1997 तक कई दिन शयनयान दर्जे में दैनिक, प्रतीक्षा सूची 300 से अधिक थी।

(ख) जी हां।

(ग) ग्रीष्म काल 97 (अप्रैल से जून तक) के दौरान दिल्ली-बरौनी के बीच सप्ताह में दो दिन विशेष गाड़ी, दिल्ली-पटना के बीच सप्ताह में तीन दिन और गया-दिल्ली के रास्ते हवड़ा-जम्मू तवी के बीच सप्ताह में तीन दिन गाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई थी तथा गाड़ियां चलाई गई थीं। व्यस्त अवधि अर्थात 9 से 12 मई, 97 के दौरान, अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली-बरौनी के बीच विशेष गाड़ियों की 12 जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां चलाई गई थीं।

(घ) से (छ) अगस्त'97 से बिहार की जनता को सेवित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है :-

1. दिल्ली-डटिया स्वर्ण जयंती (सप्ताह में दो दिन) जिसमें मुख्यतः दूसरे दर्जे के स्थान होंगे।
2. सूरत-पटना एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन)
3. दिल्ली-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में एक दिन)
4. टाडा-कटिहार लिंक एक्सप्रेस

(ज) जी हां। यात्रियों के लिए संतोषजनक खानपान सेवाओं की व्यवस्था उचित दरों पर की जाती हैं। सभी स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्डों से ऋण की वसूली

416. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथा विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को यह चेतावनी दी है कि यदि निगम, राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया धनराशि की वसूली के बारे में निश्चित आश्वासन नहीं देता, तो भविष्य में इस स्वीकृत किए जाने वाले संभावित ऋणों पर रोक लगा दी जाएगी।

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) जून, 1997 तक विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) ओर (ख) विश्व बैंक ने एनटीपीसी को इंगित किया है कि यदि एनटीपीसी अपने प्राप्यों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक प्रतिकारी कार्रवाई नहीं करती है तो एनटीपीसी के लिए नए ऋण अस्थगित किए जा सकते हैं ओर उसमें वर्तमान ऋणों पर रोक लगाई जा सकती है। एनटीपीसी द्वारा विश्व बैंक के साथ निष्पन्न किए गए प्रसंविदाओं के अनुसार निर्धारित स्तरों तक उसके प्राप्यों का कम करने में भारत सरकार एनटीपीसी की सहायता करती रही है।

(ग) 30.6.97 की स्थितिनुसार विभिन्न रा०बि०बो० पर बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बकाया राश्यिों की मात्रा को कम करने के लिए एनटीपीसी द्वारा चूककर्ता राज्यों/रा०बि०बो० के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। बड़े चूककर्ताओं के मामले में कभी-कभी बिजली आपूर्ति भी नियंत्रित की जाती है। केन्द्रीय सरकार ने भी अक्टूबर, 96 में निर्णय लिया है कि आगे से विद्युत की आपूर्ति केवल अग्रिम भुगतान करने अथवा अपरिवर्तनीय साख पत्र खोले जाने पर ही की जाएगी। भारत सरकार भी केन्द्र से राज्यों को देय अंतरण से समायोजन के जरिए एनटीपीसी को राज्यों से देय राशियों को वसूल करने में उसे सहायता प्रदान करती रही है।

विवरण

30.6.97 के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों और दूसरे लाभभोगियों पर एनटीपीसी की बकाया धनराशि।

(लाख रुपए में)

राज्य विद्युत बोर्ड/संगठन	बकाया धनराशि	बिल में अंकित अधिभार	कुल बकाया धनराशि
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश एस०ई०बी०	84450	32943	117393
राजस्थान एस०ई०बी०	-2945	15714	12769
दिल्ली विद्युत बोर्ड	81538	10450	91988

1	2	3	4
पंजाब एस०ई०बी०	1164	322	1486
हरियाणा एस०ई०बी०	5752	12739	18491
हिमाचल प्रदेश एस०ई०बी०	1503	941	2444
जम्मू और कश्मीर	24879	6386	31265
संघ राज्य क्षेत्र	76	0	76
पावरग्रिड (एन०आर० एंड एन०सी०आर०)	307	23	330
मध्यप्रदेश एस०ई०बी०	16219	22385	38604
महाराष्ट्र ई०बी०	11135	11442	22577
गुजरात ई०बी०	9674	8427	18101
गोआ	417	60	477
दादरा और नगर हवेली	−77	0	−77
दमन और दीव	211	77	288
पावरग्रिड (डब्ल्यू०आर०)	174	60	234
आंध्र प्रदेश एस०ई०बी०	11823	5211	17034
कर्नाटक ई०बी०	5288	3384	8672
तमिलनाडु ई०बी०	2952	5661	8613
केरल एस०ई०बी०	1314	2485	3799
गोआ	216	67	283
पांडिचेरी	−182	2	−180
पश्चिम बंगाल एस०ई०बी०	25939	5786	31725
बिहार एस०ई०बी०	51852	24849	76701
ग्रिडको (उड़ीसा)	17920	0	17920
डी०वी०सी०	11129	9034	20163
सिक्किम	506	55	561
असम	3	0	3
कुल	363237	178503	541740

[अनुवाद]

परती भूमि-विकास के माध्यम से ग्रामीण रोजगार

417. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परती भूमि विकास के माध्यम से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत रोजगार के कितने अवसर सृजित किये गये/किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितना बजट आवंटन निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत बंजरभूमि विकास विभाग समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना नामक बंजरभूमि विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न भूमि आधारित गतिविधियां जैसे वनरोपण, वनीय चारागाह विकास, बागवानी, पौधवितरण, जलाऊ लकड़ी की बचत करने वाले यंत्रों का वितरण, भू-तथा नमी संरक्षण आदि चलाई जाती हैं। इन गतिविधियों से ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

(ग) जुलाई, 1992 में बंजरभूमि विकास विभाग के आस्तित्व में आने के पश्चात् समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के अंतर्गत 6.42 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि विकसित करने के लिए 339.73 करोड़ रुपये की कुल लागत से 3-5 वर्ष की परियोजना अवधि के लिए अब तक देश के 130 जिलों में 160 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। अनुमान है कि इससे 239.84 करोड़ श्रमदिन सृजित हो सकेंगे।

(घ) 1997-98 के लिए समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के लिए 74.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान है।

रेलगाड़ियां रद्द करना

418. श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री रेलगाड़ियों को रद्द करने के बारे में यह दिनांक 12 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं० 2940 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी विशिष्ट कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां, गाड़ियों को रद्द करने के संबंध में दिनांक 12.12.1996 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 2940 से संबंधित आश्वासन 5.5.1997 को पहले ही पूरा कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी उपग्रह चैनल

419. श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को विदेशी उपग्रह चैनलों को विशेष रूप से खेलकूद के लिए ऊर्ध्व संपर्क सुविधा प्रदान करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय की मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय खेलकूद के प्रयोजनों के लिए विदेशी उपग्रह चैनलों को ऊर्ध्व संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए अपना दृष्टिकोण और अधिक उदार करने के बारे में विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में दिनांक 9.2.95 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया है कि वायु तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और इनको एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित किया जाना चाहिए। निर्णय की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 16 मई, 1997 को लोक सभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रसारण विधेयक, 1997 में देश में निजी प्रसारण की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। प्रसारण के प्रयोजनार्थ अपलिंक सुविधा स्पष्ट रूप से तब एक प्राकृतिक उप सिद्धांत होगी जब भी निजी प्रसारण को प्रस्ताक्ति विधेयक के रूप में स्वीकृति दी जाती है। फिलहाल, विधयेक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है।

विवरण

भारत संघ बनाम क्रिकेट एसोसिएशन आफ बंगाल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

उपर्युक्त मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 9.2.95 को दिए गए दो अलग-अलग परन्तु एक जैसे निर्णयों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. वायुतरंगें या आवर्तिताएं सार्वजनिक सम्पत्ति हैं जिनका व्यवस्थापन एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित किया जाना चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गों और हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

2. सूचना प्रदान करने एवं प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करना और इस उद्देश्य के लिए टेलीकास्टिंग तक पहुंच होना एक नागरिक का मूल अधिकार है। तथापि, यह अधिकार निरंकुश नहीं है और इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है :-

   (क) एक सार्वजनिक सम्पत्ति (वायुतरंगें) के उपयोग के अधिकार से और

   (ख) संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों के अनुसार।

3. प्रसारण मीडिया सरकार से भिन्न जनसाधारण के नियंत्रणाधीन होना चाहिए। इसका संचालन यथास्थिति किसी सार्वजनिक सांविधिक निगम या निगमों द्वारा किया जाना चाहिए जिसका/जिनका गठन और संघटन इस प्रकार होना चाहिए कि राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मामलों और सभी अन्य सार्वजनिक मुद्दों के संबंध में उसकी/उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

5. सार्वजनिक प्रसारण संविधान के अनुच्छेद 19(i) (क) में अंतर्निहित है परन्तु निजी प्रसारण शामिल नहीं है।

6. निजी प्रसारण की अनुमति देने या न देने के बारे में संसद द्वारा निर्णय किया जाना अपेक्षित है। यदि निजी प्रसारण की अनुमति दी जाती है तो इस तर्क विभिन्न प्रकार के प्रसारकों की पहुंच को सुनिश्चित करने को बाजार शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अतिरिक्त बिजली उत्पादन हेतु कार्यक्रम

420. श्री पंकज चौधरी :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि हेतु बनाए गए कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) ओर (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य और वास्तविक विद्युत उत्पादन निम्नानुसार हैं :-

(आंकड़े–मि०यू० में)

श्रेणी	1996-97		
	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत उपलब्धि
तापीय	317000	316869	100.0
आणविक	7950	9010	113.3
जल विद्युत	75050	68609	91.4
कुल :	400000	394488	980.6

विद्युत उत्पादन में कमी मुख्यतः कम जल विद्युत का उत्पादन और जलाशयों में पानी की उपलब्धता का कम होना था।

(ग) और (घ) विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं: :- अधिष्ठापित क्षमता का अत्यधिक समुपयोजन करना, गौण विद्युत खपत को कम करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना, आधुनिकीकरण और नवीकरण जीवन अवधि का विस्तार के माध्यम से विद्यमान विद्युत केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन करना, निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतम पूरा करना, प्रणाली सुधार के अलावा नए निवेश और लुप्त पारेषण लाइनों के निर्माण में शीघ्रता लाना।

[अनुवाद]

गुजरात में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

421. श्री सनत मेहता : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में धारंगधाड़ में 1995 में स्थापित किया गया दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र सुविधाओं के अभाव के कारण कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रसारण केन्द्र में विद्युत उत्पादन सेट तथा अन्य आवश्यक सुविधाए कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी ताकि इसे वर्ष भर कार्यरत रखा जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) दिनांक 5 दिसम्बर, 1994 को चालू किये गये धारंगधाड़ में लगाये गये अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर (अ०श०ट्रां०) में बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण बार-बार रूकावट आ रही है। अब अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए एक डीजल जनरेटर सैट ले लिया गया है। अल्प शक्ति ट्रांसमीटर में जनरेटर सैट लगते ही सामान्य बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी होने पर यह एवजी बिजली आपूर्ति करेगा।

इस्पात की निर्यात संबंधी योजनाएं

422. श्री हरिन पाठक : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौंवी योजना के दौरान इस्पात का निर्यात करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्पादन के वांछित लक्ष्यों में आई गिरावट को गैर-सरकारी क्षेत्र से सहायता प्राप्त करके पूरा किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध मं अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों से जुड़े जिन कार्यक्रमों को शुरू किया गया है; उनका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहा और इस्पात उद्योग संबंधी कार्यदल ने 2001-2002, जो नौवीं योजना का अंतिम वर्ष है, तक 60 लाख टन इस्पात का निर्यात किए जाने का अनुमान लगाया है।

इस कार्य दल ने 2001-02 तक 60 लाख टन के निर्यात की संभावना सहित 386.8 लाख टन तैयार कार्बन इस्पात की मांग का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले अनुमानित उपलब्धता 380.1 लाख टन है। इस कमी को आयात के जरिए पूरा किए जाने की आशा है।

(घ) देश में इस्पात उत्पादकों की आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं इत्यादि में भी इस्पात संबंधी अनुसंधान किए जा रहे हैं।

विश्व बैंक की सहायता से असम में सम्पर्क मार्गों का निर्माण

423. श्री केशव महन्त : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राज्य में बुनियादी सुविधा के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या राज्य में प्रस्तावित योजना के अंतर्गत इन सम्पर्क मार्गों का चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में निर्माण किए जाने की सम्भावना है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में इस्पात उद्योग की स्थापना

424. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में इस्पात उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) बिहार में ईस्पात संयंत्र स्थापित करने को केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिल की बकाया राशि

425. श्री के०पी० सिंह देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 को टेलीफोन बिल के रूप में राज्य-वार राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना था;

(ख) 30 जून, 1997 को विभिन्न मंत्रियों के कार्यालयों सहित विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों पर अलग-अलग कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या बहुत से व्यापारी/निजी व्यक्ति भी अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो 30 जून, 1997 तक की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया राशि वसूलने तथा सरकारी टेलीफोनों का दुरूपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सूचना मांगी गई है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सूचना मांगी गई है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

[हिन्दी]

टेलीफोन मेकेनिक

426. डॉ० बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र मंडल के अंतर्गत काम करने वाले उन कर्मचारियों, जिन्होंने टेलीफोन मेकेनिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बावजूद अब तक तैनाती नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने टेलीफोन मेकेनिक के पद की अर्हता प्राप्त कर ली है कब तक नियुक्त कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। अभी तक सभी कर्मचारियों को फोन मैकेनिक के रूप में तैनात नहीं किया गया है।

(ख) मौजूदा पदों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) फोन मैकेनिक के मौजूदा पद पहले ही भरे जा चुके हैं और कार्य-भार के आधार पर किसी नए पद का सृजन करना एक सतत् प्रक्रिया है। फोन मैकेनिक के अतिरिक्त पदों की यथापेक्षा औचित्यता के आधार पर मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अतिरिक्त पदों को शीघ्र सृजन किया जाए और उन्हें शीघ्र ही भर दिया जाए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनिजों का अन्वेषण

427. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनिजों का अन्वेषण करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्वेषण कार्य को शुरू करने के लिए निगम को कोई राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन०एम० डी०सी०) ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में सोने और हीरे तथा बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस हेतु आवेदन किया है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस दिए जाने के बाद एम०डी०एम०सी० नियोजित तरीके से खनिजो का गवेषण करेगा।

(ग) और (घ) प्रस्तावित गवेषण के लिए धनराशि की व्यवस्था एन०एम०डी०सी० अपने स्वयं के संसाधनों से करेगा।

नए टेलीविजन प्रसारण केन्द्रों की स्थापना

428. श्री गोरधनभाई जावीया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोरबंदर टेलीविजन प्रसारण केन्द्र की क्षमता को बढ़ाने और केशाद में नया टेलीविजन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बी०जी०एम०एल० को बंद करना

429. श्री के०सी० कोंड्य्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक निजी सह-सम्वर्धक को शामिल करके संयुक्त उद्यम के माध्यम से कोलार स्वर्ण क्षेत्र स्थित बी०जी०एम०एल० को पुनर्वासित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उक्त कंपनी के बंद होने की कोई संभावना है;

(घ) बी०जी०एम०एल० में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए विकल्प दिया है; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) सरकार ने संयुक्त उद्यम के माध्यम से निजी सह-संवर्धक (संवर्धकों) को शामिल करके भारत गोल्ड माइंस लि० (बी०जी०एम०एल०) को पुनर्स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया है जिसके असफल होने पर कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपवन्ध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत बन्द करने की अनुमती दी जाएगी।

(घ) 16 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार भारत गोल्ड माइंस लि० में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 5011 है।

(ङ) जी, हां।

(च) 16 जुलाई, 1997 तक 3696 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया है।

बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन के बंद होने का खतरा

430. श्री अजित कुमार मेहता : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयले की कम आपूर्ति के कारण बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन के बंद होने का संकट पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इसके बंद होने के संकट से बचने तथा पहले से ही बिजली की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे इस शहर को बिजली की अबोधित आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बी०टी०पी०एस०) के बंद होने की कोई आशंका नहीं है।

(ख) दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की नियमित रूप से मोनीटरिंग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है। सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (जी०एण्डओ०) की अध्यक्षता में एक कृतिम बल का गठन किया गया है जो कि समय-समय पर विद्युत संबंधी आपूर्ति की समीक्षा करती है तथा दिल्ली में पर्याप्त विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु सभी सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा-सूची

431. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1997 को स्थिति के अनुसार गुजरात के प्रमुख शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे; और

(ख) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 28.2.97 की स्थिति के अनुसार गुजरात के प्रमुख शहरों की प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :-

	शहर का नाम	प्रतीक्षा सूची
1.	गांधी नगर (राज्य की राजधानी)	2885
2.	अहमदाबाद	47797
3.	राजकोट	7066
4.	सूरत	16404
5.	वड़ोदरा	23447

(ख) 28.2.97 तक की प्रतीक्षा-सूची का एक भाग मार्च 97 के दौरान निपटा दिया गया है। वर्ष 1997-98 की शेष प्रतीक्षा सूची तथा इसके बाद की प्रतीक्षा सूची के निपटान के लिए उपस्कर और अन्य संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं और मौजूदा एक्सचेंजो का विस्तार किया जा रहा है।

टेलीफोन हेतु प्रतीक्षा सूची

432. श्री काशी राम राणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1997 को देश में राज्यों की राजधानियों में टेलीफोन कनेक्शन हेत प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 28 फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 28.2.97 तक की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के एक भाग का निपटान मार्च, 97 के दौरान कर दिया गया था। वर्ष 1997-98 के दौरान शेष प्रतीक्षा सूची के अधिकांश भाग का निपटान करने के प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

28 फरवरी, 1997 तक की स्थिति के अनुसार राज्य की राजधानियों में प्रतीक्षा सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	राज्य की राजधानी का नाम	28.2.1997 तक की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	37,189
2.	असम	गुवाहाटी	9,587
3.	बिहार	पटना	9,990
4.	गुजरात	गांधीनगर	2,885
5.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	1,438
6.	हरियाणा	चण्डीगढ़	5,324
7.	जम्मू कश्मीर	क. श्रीनगर	17,039
		ख. जम्मू	7,101
8.	कर्नाटक	बंगलौर	41,461
9.	केरल	त्रिवेन्द्रम	8,990
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल	8,598
11.	महाराष्ट्र	मुम्बई	20,387
12.	गोआ	पंजिम	229
13.	उत्तर-पूर्व :		
	(i) अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	951
	(ii) मणिपुर	इम्फाल	1,072
	(iii) मेघालय	शिलांग	1,867
	(iv) मिजोरम	ऐजवाला	714
	(v) नागालैंड	कोहिमा	429
	(vi) त्रिपुरा	अगरतला	3,909
14.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	4,501
15.	पंजाब	चण्डीगढ़	5,324
16.	राजस्थान	जयपुर	40,925
17.	तमिलनाडू	चेन्नई	84,393
18.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	1,600
19.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	59,036
20.	सिक्किम	गंगटोक	602
21.	दिल्ली	दिल्ली	3,783

[अनुवाद]

वाडी गडाग रेल लाइन का सर्वेक्षण

433. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वाड़ी गडाग रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) इस लाइन के लिए सर्वेक्षण 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी

434. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को जोधपुर, डीविजनल रेलवे मुख्यालय तक, जो राजस्थान का महत्वपूर्ण नगर है, बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 9767/9768 मद्रास-

जयपुर एक्सप्रेस को जोधपुर तक चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

विशाखापत्तनम में हिन्दुजा की विद्युत परियोजना

435. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विशाखापत्तनम में हिंदुजा की एक हजार मेगावाट की विद्युत परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री से भेंट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री मुख्य मंत्री द्वारा उल्लिखित सभी परियोजनाओं पर सहमति प्रकट करते हुए इन्हें स्वीकृति प्रदान करने का वादा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एन०टी०पी०सी० की 1000 मे०वा० वाली सिम्हाद्री परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु मई 1997 में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। परियोजना को अब भारत सरकार का निवेश अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

वरीयता के आधार पर टेलीफोन कनैक्शन

436. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान विभिन्न महानगरों में बिना बारी/वरीयता के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार संसद सदस्यों को दी गई सुविधा/विशेष कोटा को उपयुक्त संसाधनों के साथ बहाल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जहां तक, माननीय संसद-सदस्यों को, भारत में किसी भी स्थान पर, बिना बारी के पच्चीस टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने की समय-समय पर प्रदान की गई सुविधा/विशेष कोटे, का संबंध है, इसे पुनः बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यथास्थिति को बनाए रखा जा रहा है।

अप्रयुक्त निधियां

437. श्री अनंत गुढ़े : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों को दूरसंचार परियोजना नेटवर्क के लिए आवंटित धनराशि अप्रयुक्त रही या वह लौटा दी गई;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के प्रत्येक दूरसंचार जिले में पड़ी अप्रयुक्त राशि/लौटाई गई राशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक के अनुभव के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) चालू वर्ष के लिए संशोधित आवंटन का ब्यौरा क्या है और विशेषरूप से विदर्भ क्षेत्र में परियोजना कार्यों के संबंध में 30 जून, 1997 तक कितनी प्रगति हुई है तथा महाराष्ट्र में तार सर्किलवार विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) संबंधित यूनिट से सूचना मांगी गई है। तत्पश्चात, सदन पटल पर रख दी जाएगी।

भाड़ा समानीकरण प्रणाली को समाप्त करना

438. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 1997 के टेलीग्राफ में स्टील "मेजर्स सीक रिमूवल आफ फ्रेट रिइक्वलाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश के विभिन्न भागों में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की खपत, उपलब्धता और उपयोग संबंधी भाड़ा समीकरण योजना को आंशिक रूप से समाप्त करने पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है। प्रमुख उत्पादकों, जैसे सेल, टिस्को और वी०एस०पी० ने समिति, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात हैं, को अभ्यावेदन दिए हैं। समिति की रिपोर्ट सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई है।

ऊर्जा पार्क

439. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा पार्कों की स्थापना की है।

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश

में स्थान-वार स्थापित किए गए ऐसे पार्कों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या लोगों के सहेयाग से इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने देश के 18 राज्यों में 86 अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना की है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1994-95, 1995-96 और 1996-97 प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत अक्षय ऊर्जा पार्क परियोजनाओं का राज्य तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अक्षय ऊर्जा पार्क परियोजनाओं की स्थापना राज्य सरकार की नोडल एजेंसियों द्वारा विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं के जरिए ऐसे स्थानों में की जाती है। जहां बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है।

विवरण

स्वीकृत अक्षय ऊर्जा पार्क परियोजनओं का राज्य तथा वर्षवार विवरण

क्र० सं०	राज्य	वर्ष		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	9	—
2.	असम	—	2	—
3.	दिल्ली	—	6	—
4.	गुजरात	—	3	—
5.	हरियाणा	—	3	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	3	—
7.	कर्नाटक	1	4	3
8.	केरल	—	11	—
9.	मध्य प्रदेश	1	4	2
10.	महाराष्ट्र	—	4	1
11.	मिजोरम	—	1	—
12.	उड़ीसा	—	3	1
13.	पंजाब	—	9	—
14.	राजस्थान	—	3	—
15.	तमिलनाडु	—	5	—
16.	त्रिपुरा	—	1	—
17.	उत्तर प्रदेश	1	2	1
18.	पश्चिम बंगाल	1	1	—
	कुल	4	74	8

कुल : (3) + (4) + (5) : 4+7+48 = 86

राज्यों को बिजली की सप्लाई

440. श्री रनजीव बिसवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूल से राज्यों को बिजली की सप्लाई करने के सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इन राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल से राज्यवार मांग और वास्तविक आपूर्ति कितनी रही ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के विद्युत आपूर्ति के लिए नीति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 1994-95 से 1996-97 तक केन्द्रीय पूल से राज्यों द्वारा विद्युत के वास्तविक आहरण की तुलना में हकदारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय पूल (केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों) से राज्यों को विद्युत आपूर्ति के लिए संघ सरकार द्वारा अपनाई गई नीति

(क) केन्द्रीय क्षेत्र ताप विद्युत/परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत आवंटन के लिए मानदण्ड :-

(I) 15% विद्युत को केन्द्र के निपटान पर अनावांछित रखा गया है। ताकि समय-समय पर प्रत्येक राज्य की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

(II) 10% विद्युत उस राज्य को जिसमें विद्युत केन्द्र स्थित है को आवंटित की जाती है तथा,

(III) शेष 75% विद्युत (गृह राज्य समेत) क्षेत्र के राज्यों के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा के अनुरूप आवंटित की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी समुचित आवंटनों के द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत के आवंटन के लिए मानदंड,

(I) केन्द्रीय सरकार के निपटान पर उत्पादन क्षमता से 15% को आवंटित रखा जायेगा ताकि उसे क्षेत्र के भीतर अलग क्षेत्र से बाहर समग्र आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए वितरित किया जाए।

(II) क्षेत्र के उन राज्यों (वह राज्य की जिसमें जल विद्युत परियोजना स्थिति है) जहां पर विशेष स्थल पर परियोजना की स्थापना के कारण हुए विक्षोभ जैसे जनसंख्या की विस्थाना, को विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा से 12% विद्युत निशुल्क संवितरित की जाएगी। यह आवंटन इस प्रकार के विक्षोभ की सीमा के अनुपात में किया जाएगा। "उत्पादित ऊर्जा के आंकडों के प्रयोग के लिए बस वार स्तर पर परिचालित किया जाएगा अर्थात इसमें अनुपातिक लगाव को नहीं गिना जाएगा लेकिन संचारण द्वारा हानियों को लेखे में लिया जाएगा। 12% के आवंटन के प्रयोग के लिए हुए विक्षोभ की सीमा का निर्धारण संचालित राज्यों से विचार-विमर्श करके के०वि०प्रा० द्वारा किया जायेगा, तथा

(III) शेष विद्युत (73%) को क्षेत्र के राज्यों के बीच राज्यों द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान उपभोग में लाई गई ऊर्जा तथा दी गई केन्द्रीय योजना सहायता, दोनों घटकों को बराबर ध्यान में रखकर वितरित किया जाएगा।

विवरण-II

(आंकड़े मि०यू० में)

राज्य/प्रणाली का नाम	1994-95		1995-96		1996-97	
	हकदारी	आहरण	हकदारी	आहरण	हकदारी	आहरण
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
चण्डीगढ़	180.3	150.0	176.7	181.6	228.4	219.6
दिल्ली	6024.0	5663.0	8067.0	7350.1	9304.8	8144.2
हरियाणा	4136.0	4513.7	5386.8	5961.3	5305.0	5968.6
हिमाचल प्रदेश	1007.4	770.1	1135.7	917.2	1154.3	1028.8
जम्मू और कश्मीर	2436.0	2330.1	2937.5	2428.9	3155.7	3018.1
पंजाब	4980.6	4105.8	5511.8	4465.9	5248.5	5264.0
राजस्थान	5857.9	7076.9	7445.9	9639.1	7996.6	8512.1
उत्तर प्रदेश	12800.7	12813.4	14382.7	14160.0	19913.3	14154.3
नेपाल	17.3	17.3	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	—	68.9	65.8
जोड़	37440.2	37440.2	45044.1	45044.1	46375.5	46375.5
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात	6611.9	7208.2	8633.5	9552.9	8624.2	10151.5
मध्य प्रदेश	8551.5	10267.6	10263.8	11096.4	11224.0	11807.0
महाराष्ट्र	8184.9	6524.6	10197.6	8996.6	10403.7	8787.0
गोआ	1297.0	544.9	1223.3	672.3	1259.6	731.0
जोड़	24545.3	24545.3	30318.2	30318.2	31476.5	31576.5

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	6539.0	8450.2	3274.1	7816.2	7417.5	7296.9
कर्नाटक	4060.0	3395.2	4085.9	4495.6	4681.0	5773.7
तमिलनाडु	3010.3	2351.9	2898.8	2757.1	3283.4	3426.6
गोवा	515.5	465.9	636.0	493.5	600.3	600.3
जोड़	22290.8	22290.8	22726.8	22726.1	24498.9	24498.9
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	1915.3	5712.8	3080.9	4545.9	3391.7	4459.4
डी०वी०सी०	1114.9	1120.7	1392.4	1867.4	1506.8	2109.7
उड़ीसा	1440.6	1399.5	2501.9	1884.9	2852.4	2180.7
प० बंगाल	2079.2	382.2	2935.8	1748.8	2953.4	2000.0
सिक्किम	93.7	28.5	164.4	28.4	180.4	57.9
ए०एस०ई०बी०	—	—	—	—	20.3	42.1
ए०पी०एस०ई०बी०	—	—	—	—	39.9	115.1
जोड़	6643.7	6643.7	10075.4	10075.4	10944.9	10944.9
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
अरूणाचल प्रदेश	78.8	45.1	91.3	54.6	111.1	59.1
असम	563.9	704.9	645.5	834.5	821.3	1090.7
मणिपुर	234.5	266.9	243.3	247.1	286.3	287.3
मेघालय	142.2	11.7	143.8	11.2	171.9	0.7
मिजोरम	103.1	96.0	117.7	114.0	141.2	138.9
नागालैंड	121.5	103.7	131.4	126.0	158.0	142.6
त्रिपुरा	125.0	108.7	136.4	122.0	161.6	132.4
जोड़	1369.0	1369.0	1509.4	1509.4	1851.7	1851.7

[हिन्दी]

दवाइयों के विज्ञापन

441. श्री जय सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर दवाइयों के विज्ञापन बिना किसी रोक-टोक के प्रसारित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन दवाइयों के नाम क्या हैं मुख्यतः जिनके विज्ञापन दिए जाते हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की दवाइयों का दूरदर्शन के विज्ञापनों में उचित श्रेणीकरण किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले पर गंभीरता से विचार करने तथा ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, नहीं। दूरदर्शन केवल ऐसी दवाईयों के विज्ञापन की अनुमति देता है जिनसे सिर-दर्द, बदन दर्द, खांसी तथा ठण्ड आदि से राहत मिलती है। इस प्रकार की कुछ दवाईयां – मेटासिन, क्रोसिन, डिस्प्रिन, एस्प्रो, एस्प्रिन, पेनजॉन, एनासिन, मूव, आयोडेक्स, विक्स वैपोरब, डि-कोल्ड और ग्लायकोडिन हैं।

(घ) किसी अन्य विज्ञापन की तरह दवाइयों के विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के पैरामीटर में ही दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की संभावना

442. श्री जगमोहन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत उत्पादन की संभावना का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसका कुल कितना दोहन किया गया है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर विद्युत निगम और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम में लगभग 30,000 मेगावाट विद्युत के दोहने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या विचार/निर्णय लिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की कुल आर्थिक रूप से दोहन-योग्य जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर 31857 मे०वा० निर्धारित की गई है। 30.6.97 की स्थिति के अनुसार 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 924.3 मेगावाट (1.02%) को विकसित किया जा चुका है तथा इस क्षेत्र में 306.6 मेगावाट (0.96%) विकास के विभिन्न चरणों के तहत है।

(ग) और (घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जल विद्युत शक्यता के विकास के लिए प्रेरणा मुहैया कराने की दृष्टि से विद्युत मंत्रालय ने उत्तर-पूर्व विद्युत शक्ति निगम तथा सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विचार विमर्श करके एक कार्ययोजना तैयार की है। वर्तमान में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 560 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ 11 जल विद्युत स्कीमें प्रचालनाधीन हैं। (विवरण संलग्न) इनके अलावा, 21 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ 30 लघु स्कीमें प्रचालनाधीन हैं। यह परिकल्पना की गई है कि नौवीं योजना के अंत तक 674 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता के साथ 8 जल विद्युत स्कीमें प्रचालित कर दी जाएंगी। इन परियोजनाओं की पूर्णता पर न केवल उत्तर-पूर्व को ही अत्यधिक आर्थिक लाभ मिलेंगे अपितु देश के अन्य क्षेत्रों में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। इसके साथ-साथ पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० न केवल उत्तर-पूर्व क्षेत्र के भीतर अपितु देश के अन्य भागों के लिए भी विद्युत के अंतरण को सुलभ बनाने के लिए संचारण तार-जाल स्थापित करने हेतु कार्रवाई शुरू कर रहा है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र प्रचालनाधीन जल विद्युत स्कीमें

अरूणाचल प्रदेश			
1.	टागो	3X1.5	4.5
	कुल अरूणाचल प्रदेश		4.5
मेघालय			
2.	क्रेमकुलाई	2X30	60
3.	उमियाम चरण-1	2X9+2X9	36
4.	उमियाम चरण-2	2X9	18
5.	उमत्रू	4X2.8	11.2
6.	उमियाम-उमत्रू चरण-4	2X30	60
	कुल मेघालय		185.2
त्रिपुरा			
7.	गुमती	3X5	15
	कुल त्रिपुरा		15
असम			
नीपको			
8.	खाण्डोंग	2X25	50
9.	कोपिली	2X50	100
10.	कोपिली विस्तार	2X50	100
	कुल नीपको		250
मणिपुर			
एनएचपीसी			
11.	लोकतंत्र	3X35	105
	कुल एनएचपीसी		105
	कुल उत्तर-पूर्वी		559.7

केरल में पंचायतों को अनुदान सहायता

443. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सफाई परियोजना के अंतर्गत केरल में किसी पंचायत को अनुदान सहायता के रूप में धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) केरल सफाई परियोजना के अंतर्गत केरल की किसी भी पंचायत को कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया है। परंतु केंद्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत केरल सरकार को संपूर्ण स्वच्छता परियोजनों के लिए सहायता अनुदान जारी किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र सं०	अनुमोदित परियोजना	कुल अनुमोदित	केन्द्रीय सरकार का अंश	जारी निधि 95-96	96-97
1.	निर्मल 2000-कोट्टायम जिला	87.50	35.00	17.50	—
2.	तानूर ब्लाक मल्लपुरम जिला	29.48	11.13	—	5.56
3.	पल्लीवाड पंचायत	—	10.69	—	1.34
4.	मत्वातूर जी०पी०	77.50	28.175	—	14.087
5.	वट्टावड़ा	40.02	16.38	—	8.19
6.	वंदनमेडु इडुकी	—	4.19	2.10	—
7.	वेनगोला	37.725	15.09	—	3.77
8.	पिलीकोड कासरगोड जिला	48.15	19.325	—	9.66
9.	सूरानादू उत्तर	111.794	41.422	2.0965	6.375
10.	पश्चिम कल्लडू	82.294	26.337	2.0965	6.375
11.	तुरायूर	—	9.56	4.78	—
12.	थिकोड़ी	—	10.15	5.07	—
13.	किलीकोलूर	54.294	20.159	10.079	5.04

स्मारक डाक टिकटें

444. श्री राम नाईक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों सहित विभिन्न संगठनों ने स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री सी०डी० देशमुख और प्रथम मराठी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता स्वर्गीय श्री वी०एस० खाण्डेकर की जन्मशती के अवसर पर स्मारक डाक टिकटें जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ऐसी पहली मांग कब-कब की गई थी;

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक टिकटें जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) श्री सी०डी० देशमुख तथा श्री वी०एस० खांडेकर के संबंध में स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए प्रस्ताव क्रमशः 29.8.95 और 6.11.96 को प्राप्त हुए थे ?

(ग) और (घ) विशेष स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्तावों की जांच मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। इसके अलावा फिलैटलिक सलाहकार समिति (पी०ए०सी०) भी ऐसे मामलों में सरकार को परामर्श देती है। मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई शर्तों तथा फिलैटलिक सलाहकार समिति के विचारों पर किसी डाक-टिकट को जारी करने के विषय में निर्णय लेते समय सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है ताकि जब यह डाक-टिकट जारी किया जाए तो इसका पर्याप्त महत्व सुनिश्चित किया जा सके।

स्वर्गीय श्री सी०डी० देशमुख पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव पर फिलैटलिक सलाहकार समिति ने अपनी 15.2.96 को आयोजित बैठक में विचार किया था। किंतु समिति ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया।

श्री वी०एस० खांडेकर की जन्मशती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक-टिकट जारी करने का अनुमोदन कर दिया गया है और यह 19 जनवरी, 1998 को जारी किया जाएगा।

अपराह्न 12.01 बजे

स्थगन प्रस्ताव

बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि मुझे बिहार राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से उत्पन्न राजनैतिक तथा संवैधानिक संकट; इस ज्वलंत समस्या, जिसके गंभीर प्रभाव हैं, के संबंध में केन्द्र सरकार की पूर्ण अक्षमता के बारे में निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव संबंधी तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं :

1. श्री अटल विहारी वाजपेयी

2. श्री प्रमोद महाजन

3. श्री राजीव प्रताप रूडी

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस प्रस्ताव को संशोधित रूप में निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना हूं :-

"बिहार में हाल ही की घटनाओं पर केन्द्र सरकार के उदासीन रवैये से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस हेतु सदन की अनुमति मांग सकते हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा पाइंट आफ आर्डर है। सर, पहले हमारी बात सुन ली जाए। इसके बाद हमें आपका निर्णय मान्य होगा। *(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : स्पीकर सर, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० अजीत कुमार मेहता जी, कृपया मुझे बताइए कि क्या नियम है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों से उद्धृत करना चाहता हूं। नियम 56 में कहा गया है :

"इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा।"

[हिन्दी]

मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है। ···*(व्यवधान)* बिहार के बारे में डेढ़ साल से यह बात चल रही है। इस सदन में भी इस बारे में और इसके विभिन्न मुद्दों पर कई बार बहस हो चुकी है। इसलिए इसमें अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सब-जूडिस हैं और "कौल एंड शकधर" में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के किसी भी भाग में अगर कोई मामला न्यायालय में हो, तो उसे सबजूडिस समझा जाएगा और इस सदन में उस पर चर्चा नहीं होगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि "कौल एंड शकधर" में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर चर्चा में उस राज्य के मुख्य मंत्री या किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री और गवर्नर डिसकशन में आते हैं, तो उनके कंडक्ट पर चर्चा नहीं हो सकती है। एडजर्नमेंट मोशन में स्पष्ट कहा गया है कि–

[अनुवाद]

"बिहार में हाल ही की घटनाओं पर केन्द्र सरकार के उदासीन रवैये से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति।"

[हिन्दी]

तो इसमें अरजेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या हुआ ? गर्वनर ने सेक्शन दी और मामला कोर्ट में है। ···*(व्यवधान)*

न्यायालय में मामला है, तो डिसकशन का सारा बिन्दु यहीं समाप्त हो जाता है और इस सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती है। उसके बाद "कौल एंड शकधर" की बुक के पेज 57 में देखिए क्या लिखा है, मैं उसको यहां कोट कर रहा हूं–

[अनुवाद]

"यह प्रस्ताव किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में न्यायिक क्षेत्र वाले किसी कानून के न्यायालय द्वारा न्यायाधीन है।"

कोई भी मामला तब तक न्यायधीन नहीं होगा जब तक कानूनी कार्यवाही वास्तव में आरम्भ नहीं होती परन्तु जैसे ही कोई शिकायत दर्ज की जाती है अथवा कोई याचिका दायर की जाती है। मामला न्यायालय के विचाराधीन हो जाता है और उस सीमा तक उस मामले पर इस सभा द्वारा चर्चा नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

इसके आगे भी कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"यद्यपि यह सदन की एकमत इच्छा हो सकती है कि न्यायधीन मामले पर चर्चा की जाए तथापि अध्क्ष को इसे अस्वीकृत कराना अनिवार्य है।"

[हिन्दी]

इसके बाबजूद भी पेज 458 पर कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"हालांकि, समय-समय पर अध्यक्षों द्वारा यह निर्णय दिया गया

[प्रो० अजीत कुमार मेहता]

है कि स्थगन प्रस्ताव के द्वारा निम्नलिखित विषय नही उठाये जा सकते :

गवर्नर जनरल (अब राष्ट्रपति का आचरण या उस द्वारा किया गया कोई कार्य;

किसी राज्य के राज्यपाल का आचरण; ओर

अध्यक्ष और अन्यों का आचरण।"

[हिन्दी]

उसके बाद पेज 458 में और आगे भी लिखा है कि :

[अनुवाद]

"अध्यक्ष ने यह कहा है कि सदस्यों को संविहित निकायों के सदस्यों, सम्मानित व्यक्तियों, और किसी राज्य के राज्यपाल मुख्य मंत्री या किसी राज्य सरकार के किसी मंत्री या राज्य विधानमंडल पर कोई आरोप नहीं लगाने चाहिए और न उनके संबंध में कोई आक्षेप करना चाहिए।"

[हिन्दी]

जिस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेम्बली के गवर्नर, वहां के चीफ मिनिस्टर के अलावा और कौन सी बात इस डिस्कशन में आएगी ?

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन बिन्दुओं पर विचार करते हुए इसकी अनुमति नहीं दें। धन्यवाद। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप हमारे अधिकार को कैसे समाप्त कर देंगे ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, प्रारम्भ में यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं ताकि कोई गलतफहमी न हो कि मैं बिहार से संबंधित किसी चर्चा को रोकना नहीं चाहता हूं। इस पर आज ही चर्चा करा ली जाए। मैं तो सिर्फ स्थिति की बात कर रहा था क्योंकि इससे कहीं कोई गलत परम्परा न कायम हो जाए जोकि भविष्य के लिए एक स्वस्थ परम्परा नहीं होगी।

महोदय, जहां तक जो प्रस्ताव आपने पेश किया है उसकी बात है तो इसमें भारत सरकार की किसी असफलता का उल्लेख नहीं है *(व्यवधान)*। कुछ "निष्क्रियता" जैसे बात कही गई है। *(व्यवधान)*

यह सुस्थापित परम्परा रही है कि भारत सरकार की किसी असफलता को लेकर ही इस सभा में स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है।

महोदय, मैं आपकी अनुमति से स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौल और शकधर द्वारा लिखित "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" से एक उदृख देना चाहूंगा मैं उदृख देता हूं :

"सामान्यता किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय भारत सरकार के व्यवहार या उसकी किसी भूल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित होना चाहिये और उसमें भारत सरकार के किसी काम की आलोचना उपलक्षित होनी चाहिये, अर्थात् या तो उसने कोई काम किया है और या कोई ऐसा काम करने में चूक की है, जोकि उस समय करना बहुत आवश्यक था ।"

(व्यवधान)

यदि आप अधीर होंगे तो अन्य सदस्यों का क्या हाल होगा। *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : हम कह रहे हैं कि क्या हो गया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह मत सोचिये कि आप इतनी आसानी से समझ गये।

डा० मुरली मनोहर जोशी : विषय से मत हटिये। *(व्यवधान*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दो। मैं समझता हूं कि मुझे नियमों की अच्छी जानकारी है। चिंता मत करिए, मैं निर्णय ले सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं और आगे उद्धरण देता हूं :

"स्थगन प्रस्ताव तब तक ग्राह्य नहीं होता जब तक कि सरकार संविधान और कानून के अनुसार अपना दायित्व निभाने में असफल न रही हो ।"

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि संविधान के अथवा कानून के अन्तर्गत सरकार की असफलता क्या है जिसके अधीन सरकार को कोई विशिष्ट कार्य करने होते हैं और उनके न करने पर वे स्थगन प्रस्ताव के मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन इसका कोई उल्लेख नहीं है। न तो किसी संवैधानिक असफलता का उल्लेख किया गया है और न ही किसी कानूनी असफलता का उल्लेख किया गया है। इतिहास का छात्र होने के नाते जो कुछ थोड़ा बहुत मैं भारत सरकार के संविधान के बारे में जानता हूं वह यह है कि केन्द्रीय सरकार केवल एक ही कार्य कर सकती है वह यह कि संविधान के आपात स्थिति में यह कुछ निर्देश दे सकती है अथवा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इसमें कुछ भी नहीं बनाया गया है क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रस्ताव के माननीय प्रस्तावक, विपक्ष के नेता किसी आपातकाल या अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत किसी आपातकाल के बारे में नहीं कहते। तब भारत सरकार की क्या असफलता है ?

महोदय प्रथा के बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ऊँचे पद पर बैठे हैं और उनके विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया है तथा गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और बिना

किसी उचित जांच-पड़ताल के; वह अपने पद पर बने रहे या न बने रहे, यह मामला है जिस पर हम यहां चर्चा करना चाहते हैं। यह भ्रष्टाचार का मामला है जो न केवल राजनीतिक, सामाजिक जीवन बल्कि इस देश की अर्थ व्यवस्था को समाप्त कर रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी और प्रत्येक प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा जा सकता है और उस पर संसद में चर्चा की जा सकती है चाहे नियम उनकी अनुमति देते हों या न देते हों।

इसलिए हम सभी को एक उचित प्रस्ताव लाकर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी चाहिए। कृपया ऐसी कोई परम्परा न स्थापित करें जो भविष्य के लिए एक अच्छी परम्परा न हो। यहाँ यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार जब किसी मामले में हस्तक्षेप न कर सकती हो तो उसके विरूद्ध स्थगन प्रस्ताव लाना नियमानुसार नहीं है। अब संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रयोग को छोड़कर और किस प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकता है ? यदि है तो उन्हें वह बताएं। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 को लगाने में असफल रही है। तब कोई समझ सकता है कि फार्म में भी सम्भवतः एक स्वीकार्य स्थगन प्रस्ताव हो सकता है।

इसलिए, महोदय मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस रूप में इस प्रस्ताव को कम से कम तब तक स्वीकार न करें जब तक कि इसमें संशोधन न कर दिया जाय—इसमें आप संशोधन कर सकते हैं या जब तक कोई दूसरा प्रस्ताव न आ जाए। इसे भी नियम 184 या नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव की भाँति माना जाए। फिर हम इस पर यहां चर्चा के लिए तैयार हैं। मेरी आपसे यही अपील है। हम इस पर इस तरह से चर्चा न करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिणी दिल्ली) : इससे पहले मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊँगा। मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : वे तो डिस्कस कर रहे हैं लेकिन मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको अवसर देने से इन्कार नहीं कर रहा हूं।

श्री पी०आर० दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 से 163 तक मैं राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। आगे कुछ कहने से पहले, मैं यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं प्रस्ताव को लाने में बाधा डालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं जो कि अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला है। हम इस बात में रुचि रखते हैं कि इस सदन में मुद्दों पर स्पष्ट रूप और खुले रूप से चर्चा की जाए। इसमें बाधा डालने का मेरा कोई विचार नहीं है।

मेरा केवल यही निवेदन है कि इस सभा में आपके निर्णय को मानना हमारा कर्तव्य है। मैं प्रस्ताव के मुद्दे से सम्बन्धित प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि बिहार से सम्बन्धित पूरा मामला नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की जांच और निष्कर्षों से ऊभर कर आया है और अब जो बिहार की स्थिति है वह इसी मामले से उत्पन्न हुई है। उसी प्रकार से, यदि इस मामले पर राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका पर चर्चा की जा सकती है; जिसके लिए आप निर्णय देने में सक्षम हैं, तो मै कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के पी०एल० घोटाले से संबंधित नियम 184 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव आपकी डेस्क पर रखा हुआ है। यह भी नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की उसी प्रकार जांच पर आधारित है। यह भी उसी प्रकार का मामला है। इसलिए यदि नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक की जांच के आधार पर एक राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिका और आचरण पर इस सभा में चर्चा की जा सकती है, जिसका कि मैं पूरा समर्थन करता हूं, तो दूसरे रूप में 2600 करोड़ रुपये के पी०एल० घोटाले से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार के आचरण पर नियम 184 के अन्तर्गत मेरे प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार किया जाये कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की जांच के बाद प्रकाश में आया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पूरे मामले में एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : यह एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री पी०आर० दासमुंशी : मैंने अपना प्रस्ताव नियम 184 के अन्तर्गत दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, मेरे विचार से अब आप विषय से हट रहे हैं।

श्री पी०आर० दासमुंशी : महोदय, मैं संविधान के दायरे में बात कर रहा हूं। अनुच्छेद 153 से 163 राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आचरण के संबंध में है।

अगर इसे लिया जाता है तो मैं बिहार के संबंध में की जाने वाली चर्चा का पूरी तरह समर्थन करता हूं। *(व्यवधान)* ऐसे ही, नियम 184 के अंतर्गत मेरा प्रस्ताव भी, जो आपके पास है, उसी दायरे में आता है। फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए ? महोदय, मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार न सोचें।

श्री पी०सी० चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, यह भी उसी प्रकार का मामला है।

[हिन्दी]

बिहार में भी सी०ए०जी० का घोटाला, यहां भी सी०ए०जी० का घोटाला, हमने क्या गलत बोला ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर यह है ... *(व्यवधान)* मेरे बाद आप उनका पाइंट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिए। अभी तो बैठो, भइया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह नियम क्या है ?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, अंडर रूल 56 मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर केवल इतना है कि किसी भी मोशन की एडमीसिबिलिटी पर चर्चा तब तक हो सकती है, जब तक मोशन पर आपकी रूलिंग न आ जाये। रूलिंग आने के बाद एडमीसिबिलिटी के पाइंट पर चर्चा नहीं हो सकती है। यदि मोशन आपने विचाराधीन है और आपने विवेक से अभी निर्णय लेना है तो माननीय सदस्य यह बता सकते है कि यह मोशन आपको एडमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस फोरमेट में करना चाहिए या किसी दूसरे फोरमेट में करना चाहिए। लेकिन इस विषय में तो आपने निर्णय ही नहीं लिया, कल ही आपने अपने निर्णय की घोषणा भी कर दी और यह कहा कि आज क्वश्चन ऑवर के तुरन्त बाद आप इस पर चर्चा शुरू करवाएंगे, इसलिए आज इसपर केवल चर्चा शुरू होगी। इसकी एडमीसिबिलिटी पर कोई प्रश्नचिन्ह लगाया नहीं जा सकता।

दूसरी मेरी आपके माध्यम से सोमनाथ दॉ और पी०आर०डी० को अपील है कि यदि वे यह कर रहे हैं कि वे स्वयं चर्चा कराने में इण्टरैस्टिड हैं, विषय अहम है चर्चा को स्टाल करना नहीं चाहते तो मैं पूरी विनम्रता के साथ अपील करना चाहूंगी कि फिर किन्तु, परन्तु लगाये बिना वो सीधे चर्चा को शुरू करवायें, ताकि इतने अहम मसले पर जो देश सुनना चाहता है, यह समय बर्बाद किये बिना चर्चा प्रारम्भ हो। इतना ही निवेदन मुझे आपसे करना है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं नियम 58 की उप-धारा सात को उद्धृत कर रहा हूं। प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में नहीं होगा, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अन्तर्गत हो। विस्तारपूर्वक चर्चा हमारे माननीय सांसद श्री अजीत कुमार मेहता जी ने की है और सोमनाथ दादा ने की है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यह बात सही है। कि लोक सभा में कोई प्रथम बार बिहार के मामलों को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। कई दफा आपने इस बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। पिछले सैशन में ही किया था और बार-बार उसी बात की चर्चा कर रहे हैं, सदन का समय जाया कर रहे हैं। उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, वह अपनी सफाई में ... *(व्यवधान)* मैडम, बोलने तो दीजिए। आपके बोलते वक्त मैंने नहीं बोला, आपके बोलते वक्त मैंने इण्टरप्ट नहीं किया। आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अध्यक्ष जी सर्वोपरि हैं, वे जो निर्णय देंगे, वह हम लोग मानेंगे।

सबसे पहली बात कि जिस व्यकित की चर्चा करना चाहते हैं, वह व्यक्ति सदन में नहीं है। आप उस पर आरोप लगाना चाहते हैं, जो अपना पक्ष नहीं रख सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जैन जी मैं नहीं समझता कि इसकी आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : रूल 58 में चूंकि मामला सब-जूडिस है, न्यायालय में मामला चल रहा है और यही नहीं, कॉल एंड शकधर ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी मुख्य मंत्री, किसी भी गवर्नर के कण्डक्ट के विषय में आप सदन में चर्चा नहीं कर सकते। अगर आप इस नियम को तोड़ना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना।

माननीय मैडम ने बताया कि आप इसपर निर्णण ले चुके हैं, बिना मेरे कन्सर्न के आप ले चुके हैं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना समय बर्बाद न करें। इस पर बहुत गंभीर बहस किए जाने की आवश्यकता है। मैं इन बातों से अधिक गंभीर बहस किए जाने के लिए अधिक समय देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महादेय : आपने अपनी बात कह ली है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप नेताओं की बात सुनेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अगर नियम की धज्जियां उड़ाते हुए अगर ये लोग चर्चा करना चाहते हैं, सदन का समय लेना चाहते हैं तो सभी इम्पोर्टेंट मामले हैं। मुंबई की चर्चा आप नहीं करा रहे हैं, जहां दलितों पर गोली फायर किया गया और भी कई ज्वलन्त समस्याएं हैं, बाद है, कई तरह की समस्याएं हैं, उसपर आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, एक ही बात की चर्चा करना चाहते हैं। बार-बार एक ही बात पर चर्चा कराकर सदन का समय जाया न किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप

सदन का समय जाया न करें। जो व्यक्ति सदन में नहीं है, सब-जुडिस मामला है, इस पर कैसे सदन में चर्चा की जा सकती है। कोल एंड शकधर की किताव में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सदन सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेता है तो आप उसको रूल आउट कर सकते हैं। चूंकि मामला सव-जुडिस है *(व्यवधान)* मैं इसी पर बोल रहा हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप ऐसा नहीं करने का काम करें और ऐसी रूलिंग न दें कि भविष्य में आपको सदन चलाने में दिक्कत हो। यही निवेदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इसको रूल आउट कर दें और इस स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कीजिए तथा इन सारी बातों पर और विहार पर चर्चा सदन में न कराएं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं विहार की स्थिति के संवंध में चर्चा को किसी प्रकार टालने का इच्छुक नहीं हूं। परन्तु मैं यह अनुरोध करता हूं कि आप इस पर विचार करें कि अगर संदन में किसी राज्य के आंतरिक प्रशासन के वारे, इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो में इसका क्या प्रभाव होगा। यह संसद संसद नहीं रहेगी। फिर इस संसद को राज्य विधान सभाओं से संवंधित मामलों पर विचार करना होगा। मेरे मित्र श्री पी०आर० दासमुंशी ने पहले ही यह संकेत दिया है कि सदन में उन सव वातों पर चर्चा हो सकती है जो सामान्यत तथा विशेपरूप से राज्य विधान सभा से संबंधित होते हैं। *(व्यवधान)*। आप बोल चुके हैं और मुझे भी बोलने का अधिकार है।

वास्तव में, यह फैसला करना आपका अधिकार है। मैं आपको फंसला लेने से नहीं रोक सकता। नियम आपको यह फैसला करने की शक्ति देते हैं कि क्या यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या नहीं। इसलिए, अगर आप चर्चा की अनुमति देते हैं तो यह आपका विशेपाधिकार है। यह आपका अधिकार है। लेकिन यह मेरा भी अधिकार है कि मैं आपको याद दिला दूं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। संसद सभी राज्यों के लिए विधानसभा बन जाएगी। यहां सभी राज्यों के वारे में विचार किया जाएगा और इससे न तो संविधान को बल मिलेगा और न ही देश की एकता मजबूत होगी।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करें। आप अपना विशेपाधिकार प्रयोग कर सकते हैं तथा चर्चा के लिए एक अलग तरीका निकाला जा सकता है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (वरहमपुर) (प०वं०) : मैं चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा हो। परन्तु मुझे केवल चर्चा के तरीके से आपत्ति है और मैं आपका निर्णय मानूंगा। मैं स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के संबंध में आपसे कुछ कहना चाहता हूं।

मैं केन्द्रीय विधान सभा की कार्यवाही से उद्धृत करना चाहूंगा। यह मामला पहले भी उठाया गया था और इस सदन के अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के विशेष मुद्दे पर एक वार अपना फैसला दिया था। यह बहुत ही सामान्य मामला है। इस वात का यहां स्पष्ट व्याख्या दी गई है :-

"यह मामला महत्वपूर्ण हो सकता है। यह मामला स्पष्ट हो सकता है। यह मामला सार्वजनिक महत्व का हो सकता है। फिर भी यह अध्यक्ष का अधिकार है कि वह स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे या न दे।"

यहां मैं केन्द्रीय विधान सभा की कार्यवाही के पृष्ठ 152 से उद्धृत करता हूं :-

"कोई मामला आवश्यक हो सकता है यह स्पष्ट हो सकता है यह सार्वजनिक महत्व का मामला हो सकता है फिर भी अध्यक्ष चाहे तो सही मामले में ऐसे कि प्रस्ताव को अनुमति देने से मना कर सकता है।"

यह आपकी सूचनार्थ है।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 56 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। विरोधी दल के माननीय नेता द्वारा स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है; उसके ढांचे के बारे में हमें आपत्ति है। बहस बिहार के बारे में और वहां की स्थिति के बारे में हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का संवैधानिक संकट हो गया है, गवर्नर और मुख्य मंत्री के बीच में, और वहां की सरकार जिस प्रकार से किसानों के ऊपर गोलियां चला रही है, बबराला कांड उसी का नतीजा है *(व्यवधान)* गम्भीर मामला है। *(व्यवधान)* दवाव और पैसा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कहां बिहार, कहां यू०पी०।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं यह काफी है। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए व्यवस्था के सभी मुद्दों को बड़े ध्यान से सुना है। नियम 56 से 63 तक स्थगन प्रस्ताव से संबंधित मामलों के बारे हैं। परन्तु इस नियम के अंतर्गत क्या-क्या चर्चा की जा सकती है इसे नियम पुस्तिका में व्यापक रूप से नहीं समझाया गया है। यह केवल प्रतिबंधों के बारे में है तथा नियम 58 में यही बताया गया है कि किस किस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अब क्या चर्चा हो सकती है ? यह कोई भी मामला होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक महत्व का हो ? बस यही बात है। अब सवाल यह है कि सार्वजनिक महत्व का मामला क्या है ? इसका निर्णय कौन करेगा ? इसका विश्वास कोन दिलाएगा कि यह सार्वजनिक महत्व का मामला है ? स्पष्ट है कि यह कार्य अध्यक्ष का है। इस प्रकार केवल दो शर्तें हैं कि यह आवश्यक सार्वजनिक महत्व का मामला होना चाहिए तथा इसका फैसला अध्यक्ष ने किया हो तथा इसे अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो। इसलिए जहां तक न्यायाधीन मामले का संबंध है मुझे इसके वारे में पूरा पता है। इसी कारण से मैंने श्री जॉर्ज फर्नांडीस और श्री सरपोतदार के स्थगन प्रस्तावों को अनुमति नहीं दी है क्योंकि उन्होंने घोटाले के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से कहा है। वे सी०वी०आई० के मामलों

का संदर्भ देते हैं। इसलिए, मैं उन प्रस्तावों को बिल्कुल अनुमति नहीं देता। परन्तु मैं प्रस्तावों के प्रतिपादन से पूरी तरह संतुष्ट हूं और मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सदन की अनुमति तथा सदन की स्वीकृति देने पर अपनी सहमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय मैं सदन की अनुमति चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी : मेरे मामले का आधार भी यही है आपके विनिर्माण के उसी आधार पर पूरी शालीनता और शिष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल घोटाले से संबंधित मेरे प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को बाद में उठा सकते हैं।

श्री पी०आर० दासमुंशी : मैंने उस विषय पर नोटिस दिया है। इसलिये, यह विनिर्णय मेरे मामले में भी लागू होगा *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सारे प्रस्ताव मेरे पास हैं। मैं इसी तरह से उन्हें निपटा दूंगा।

अब मैं प्रस्ताव को अनुमति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस (इडुक्की) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा लगता है कि एक व्यक्तिगत मामला भी लोक महत्व का मामला बन सकता है। आप व्यक्तिगत मामले पर भी चर्चा कर सकते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह सही है।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का अब कोई प्रश्न नहीं है। हम इसे पूरा कर रहे हैं। क्या सदन अनुमति दिये जाने के पक्ष में नहीं है? चूंकि किसी ने भी अनुमति दिये जाने का विरोध नहीं किया है, अतः सभा की अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हम इसका विरोध कर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ऐसा नहीं कहा। मैंने दो बार पूछा था। तब क्या आप सो रहे थे।

श्री राम कृपाल यादव : हम इसका विरोध करते हैं। यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? व्यवस्था का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। मैंने दो बार कहा था। मैंने यह दो बार दोहराया था। पर आपने कुछ नहीं कहा। यह विषय अब इसी समय उठाया जायेगा।

श्री राम कृपाल यादव: हम इसका विरोध करते हैं। *(व्यवधान)*

श्री पी०एम० सईद (लक्ष्यद्वीप) : महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को सबसे पहले सदन की अनुमति लेनी चाहिये *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सदन की अनुमति पहले ही ले ली है। मैंने तो इसे सदन में रखा है।

(व्यवधान)

श्री पी०एम० सईद : उन्होंने सदन की अनुमति नहीं ली है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जानता हूं। आप क्यों चिंता करते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सचमुच नहीं जानता। क्या आपने इसे नहीं देखा ?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : हमने उसे नहीं देखा। वे कृपया खड़े हों और अपना प्रस्ताव पेश करें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं, मैंने देखा है। वे एक बार फिर से इसे पेश कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। मैं आपसे बैठने के लिये कह रहा हूं। आप बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं और सदन के लिये अनावश्यक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। जब मैंने श्री वाजपेयी जी से

सदन की अनुमति लेने को कहा था, तो मैंने दो बार घोषणा की थी कि क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विरोध में कोई है ? तब आपने कुछ नहीं कहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानपूर्वक मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं ? अब आप बैठ जाएं। मैं इस संबंध में सारी कार्यवाही दोहरा रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं दुबारा कर रहा हूं। वाजपेयी जी जैसे ही लीव के लिये मूल करेंगे तो मैं पूछूंगा कि कोई अपोजिशन है या नहीं, तब आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं हैं तो मैं क्या करूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय मैं सदन की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति के विरोध में कोई है ?

कुछ माननीय सदस्य : हाँ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि अनुमति का विरोध हुआ है, अतः जो सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।

कुछ माननीय सदस्यगण खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं। कि खड़े हुए सदस्यों की संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक है। अतः अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा पटल पर पत्रों को रखने तथा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करने के तुरंत बाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ की जाएगी।

अपराह्न 12.32 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1. पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 2174/97]

2. पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 2175/97]

3. (एक) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) ऊर्जा प्रबंध केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 2176/97]

अपराह्न 12.33 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 11 अप्रैल, 1997 को सभा को दी गई सूचना के बाद पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1997

(2) वित्त विधेयक, 1997

(3) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1997

(4) उप-राष्ट्रपति पेंशन विधेयक, 1997

(दो) मैं पिछले सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियाँ भी सभा पटल पर रखता हूं।

(1) विशेष न्यायालय (प्रतिभूमि संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक, 1997

(2) औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1997

(3) निक्षेपागार संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 1997

(4) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण विधेयक, 1997

(5) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1997

(6) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1997

(7) धान कुटाई उद्योग (विनियमन) निरसन विधयेक, 1997

(8) नाविक भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, 1997

अपराह्न 12.34 बजे

[अनुवाद]

रेल संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुश) : मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के "रेलवे की बजट सहायता" संबंधी पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.34½ बजे

[अनुवाद]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

डा० ए०के० पटेल (मेहसाना) : मैं परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का भारत से पोत-निर्माण और पोत मरम्मत संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में चूंकि समय बहुत सीमित है इसलिए हम किसी उलझन से बचने के लिए इस प्रस्ताव को अपराह्न 2 बजे उठायेंगे।

(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : जापान के विदेश मंत्री 2 बजे आ रहे हैं। मैं दो बजे उपस्थित नहीं रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री 2 बजे जापान के विदेशी मंत्री के साथ व्यस्त रहेंगे। जब श्री वाजपेयी चर्चा करेंगे तो हो सकता है वह यहां न हों।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : क्या प्रधानमंत्री बाद में आयेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह आयेंगे। गृह मंत्री वहां होंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपका क्या निर्णय है, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। जैसे ही आपका काम खत्म होता है, आप आ जाइए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : नहीं महोदय, क्या मैं इस बात को स्पष्ट करूं। मैं यह निवेदन क्यों कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महादेय : कृपया सभा में व्यवस्था बने रहने दीजिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कृपया मुझे अपना अनुरोध दोहराने दीजिए।

मैं विपक्ष के माननीय नेता से सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि जापान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है। मैंने उनके लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया है। वह 1 बजकर 45 मिनट पर आ रहे हैं। उसमें मुझे दो घंटे लगेंगे। यदि नेता सहमत होते हैं तो उनके बाद में स्वयं भी बोलना चाहूंगा। इसलिए यह ठीक नहीं होगा कि जब वह बोल रहे हों तब मैं अनुपस्थित रहूं क्योंकि मैं उनकी बात सुन नहीं सकूंगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया 4 बजे अथवा 4.30 बजे चर्चा करें, जो भी आपको ठीक लगे।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार हम 4 बजे यह चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, वास्तव में नियमानुसार यह मामला 4 बजे ही उठाना चाहिए जब तक कि अध्यक्ष महोदय कोई निर्णय नहीं लेते। अब, चूंकि प्रधान मंत्री व्यस्त रहेंगे, अतः मैं समझता हूं यदि सभा सहमत होती हैं तो हम इस चर्चा को 4 बजे कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, उस मामले में नियम 184 के अधीन हमारा प्रस्ताव सोमवार को उठाया जाना चाहिए क्योंकि यह चर्चा 6 बजे तक समाप्त नहीं होगी। कल आपने कहा था कि यह चर्चा 6 बजे भी शुरू हो सकती है *(व्यवधान)* कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए।

अतः नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा को सोमवार तक स्थगित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इस चर्चा को सोमवार को उठायेंगे।

अब, हम आज 4 बजे श्री वाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। मेरे विचार में, प्रधानमंत्री की उपस्थिति की आवश्यकता होगी।

अपराह्न 12.36 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं प्रस्तुत करता हूं :

(i) भारतीय तेल निगम लिमिटेड के हल्दिया और बरौनी दोनों एककों के "स्लेक" मोम के अंतरण मूल्यों में कटौती करने संबंधी श्री बीरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष मोम निर्माण संघ, कलकत्ता द्वारा हस्ताक्षरित याचिका;

(ii) अगरवा, मोतिहारी जिला पूर्वी चम्पारन, बिहार के श्री राय शिव रंजन शर्मा हस्ताक्षरित याचिका, जिसमें उन्होनें जिला चम्पारन से लोगों के पलायन को रोकने और बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में केन्द्रीय सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन और इनका लाभ आशयित हिताधिकारियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

अपराह्न 12.37 बजे

[हिन्दी]

समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

लोक लेखा समिति

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री एन० गिरि प्रसाद, जिनका देहावसान हो गया है और श्रीमती कमला सिन्हा, जिन्हें मंत्री नियुक्त किया गया है, के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए इस समिति से संबद्ध होने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्देशित करने हेतु सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों के नामों की जानकारी इस सभा को दें।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, श्री एन० गिरि प्रसाद, जिनका देहावसान हो गया है और श्रीमती कमला सिन्हा, जिन्हें मंत्री नियुक्त किया गया है, के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए इस समिति से संबद्ध होने के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्देशित करने हेतु सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट दो सदस्यों के नामों की जानकारी इस सभा को दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, 377 लेने से पहले मेरी एक बहुत जरूरी आपत्ति है। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने भारतीय महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक ब्यान किया है, उसके बाद तो इनको सदन में भी बैठने का अधिकार नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर से इनका बहुत आदर करती रही हूं। लेकिन इन्होंने मायावती का रैफरेंस देते हुए और जिसका प्रमाण मेरे पास है, कहा कि "मायावती क्या कोई आकर्षक महिला है जो उसके साथ बलात्कार किया जाता"। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में जितनी भी आकर्षक महिलाएं हैं वे क्या रक्षा मंत्री की दृष्टि में बलात्कार के योग्य हैं? यह केवल मायावती के अपमान की बात नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की सभी महिलाओं के अपमान की बात है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की निंदा का प्रस्ताव इस सदन के अंदर पास होना चाहिए। या तो वे अपने वक्तव्य के लिए क्षमा मांगे या उनकी निंदा का प्रस्ताव पास होना चाहिए।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : इन्हें पूरे सदन की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : यहां सदन में जितने भी राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं उनके मन में अगर भारतीय महिलाओं के प्रति जरा भी सम्मान की भावना है तो वे निंदा प्रस्ताव पास करें। मैं भाई साहब आपकी बहुत इज्जत करती थी। या तो आप इसका खंडन करें, या माफी मांगे।

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : आप आकर मुझसे बात कर लीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपकी बात पूरी हो गयी है।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी (हावड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय महत्वपूर्ण मुद्दों का हवाला इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं नियम 377 के अधीन मामलों को उठाऊंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० दासमुंशी : महोदय, मैं आधे मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र उल्लेख कर रहे हैं।

ऐसे गंभीर मामलों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। यदि इसमें कोई तथ्य हो, तो आप कृपया उसका पता लगाइये। लेकिन मुझे सभा में इन सब बातों का सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चूंकि आपने उमाजी को अनुमति दी थी, मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहूंगा। रक्षा मंत्री इस सभा में उपस्थित हैं। पुलिस बल तथा सैन्य बलों में पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों पर पिछले दो दिन से काफी रोष हैं। सरकार की ओर से चुप्पी है। यदि सरकार तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, तो मेरे विचार में यह बहुत ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिणी दिल्ली) : इतने गंभीर मामले का आप विषयांतर क्यों कर हरे हैं ? ...*(व्यवधान)* यह अलग विषय है। इसको लॉजिकल कनक्लूजन में जाने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी०आर० दासमुंशी : यह क्या तरीका है ?

[अनुवाद]

मैंने उनकी अनुमति ली है न कि आपकी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप विषयांतर क्यों कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०आर० दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बात हो गई। ठीक हो गया।

[अनुवाद]

श्री पी०आर० दासमुंशी : महोदय, मेरे विचार में मुझे श्रीमती सुषमा स्वराज की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आपकी अनुमति लेनी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी भी बात आ गई है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अब उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी०आर० दासमुंशी : इस मामले का फैसला डिप्टी स्वीकर साहब करेंगे। ...*(व्यवधान)* हमारी इसमें क्या गलती है ?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों को एलाऊ कर दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों ने कुछ कहा है। यह काफी है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : इनका दूसरा मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, उमा भारती जी ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि उमा भारती जी हमेशा अकेले बहुत सारी बातें कर लेती हैं।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : मैं आपको भाई साहब कहती थी और ऐसा उस समय तक कहती थी जब तक आपने महिलाओं के बारे में इतना आपत्तिजनक और अश्लील वक्तव्य नहीं दिया ...*(व्यवधान)* आपने जब तक इतना आपत्तिजनक वक्तव्य नहीं दिया था तब तक मैं आपको भाई साहब कहती थी। आज मुझे इस बात को सुनकर दुख हुआ। अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो उसे अस्वीकार कीजिए और अखबार वालों को कैसेट के प्रमाण के साथ ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक महिलाओं का सवाल है, उनके बारे में उमा भारती जी को कुछ पता नहीं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आपको तो पता है कि महिलाओं के बारे में हम लड़े हैं और हम महिलाओं की कद्र करते हैं। हम जिन्दगी भर महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए लड़े हैं। यह केवल बोलती हैं ...*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : इसका क्या मतलब हुआ ? आपने कहा या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव : हमने जरूर यह कहा है और कहते हैं कि किसी को विशेष अवसर देने के हम पक्षधर हैं लेकिन हम विशेषाधिकार के पक्ष में नहीं हैं। पिछड़ी जातियों और माइनॉरिटीज को विशेष अवसर दिया जा सकता है तथा महिलाओं को भी दिया जा सकता है लेकिन विशेषाधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता।

ऐसा हमारे संविधान में है। जिस तरह की ये बातें कर रही हैं ···*(व्यवधान)* आपके बारे में भी न जाने खास तौर से अखबारों में क्या-क्या छपता है ? ···*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : इसका क्या मतलब है ?

श्री मुलायम सिंह यादव : किस के बारे में नहीं छपता ? क्या माननीय विरोधी दल के नेता के बारे में नही छपता, मेरे बारे में नहीं छपता ? सब के बारे में छपता रहता है। अखबार लाकर दिखा दिया ···*(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती : आपने इस बात को कहा या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव : ये बिल्कुल बात बना कर, अखबार वालों से छपवा कर यही करते हैं। मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं है।

कुमारी उमा भारती (खुजराहो) : इन्होंने ऐसा कहा या नहीं, इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और अखबार वाले बढ़ा कर लिखते हैं।

कुमारी उमा भारती : इरादा क्या होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक तरह से डेनायल हो जाती है।

कुमारी उमा भारती : बात इरादों की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : बात खत्म हो गई। अब आप बैठ जाइए।

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष महोदय मुलायम सिंह जी इस सदन में बैठने का अधिकार खो चुके हैं क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, भारत की धरती पर किसी को भी इस प्रकार की बातें प्रयोग करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जहां तक उन्होंने यह बात कही ···*(व्यवधान)* यह इरादों की बात नहीं है ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, अब यह मामला समाप्त हो गया है और कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बात को स्पष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : आपकी स्लिंग नहीं चलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपका प्रोटैक्शन मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनका इनडायरैक्ट डेनायल है।

[अनुवाद]

अब मामला समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जटिया जी, आप एक मिनट बैठ जाइए।

कुमारी उमा भारती : यह स्पष्ट करें कि इन्होंने कहा या नहीं ? ···*(व्यवधान)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : और अगर कहा हो तो यहां पर निन्दा का प्रस्ताव पास होना चाहिये।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, ऐसा माननीय मंत्री जी ने क्या गलत कहा है।*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वाई०के० अलघ को अनुमति दी है। कृपया उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : क्या छपा है ?*

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो उमा भारती जी कह रही हैं कि* ··· क्या यह हाउस में बोलने वाली भाषा है ?

कुमारी उमा भारती : मुलायम सिंह जो, आप खड़े तो हो जाये ···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आनरेबल एमपीज से कहूंगा कि इस मैटर को क्लोज समझिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अखबारों में न जाने क्या-क्या छपा है ?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अपराह्न 12.46 बजे

इस समय कुमारी उमा भारतीय आईं और सभापटल के निकट फर्श पर खड़ी हो गईं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस मामले को समाप्त समझा जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने डिनाइड किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.46½ बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 5(ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, अपने में से दो सदस्यों को उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 5(ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्दिष्ट करें, अपने में से दो सदस्यों को उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.47 बजे

इस समय कुमारी उमा भारती, सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गईं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्र : विपक्ष के नेता को इस स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या यह ठीक है ? आप खुद बतायें कि यह कोई भाषा है ? क्या हाउस में यह भाषा चलेगी ? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुन लें। मुझे यह इम्प्रेशन था कि कड़वाहट खत्म हो गई है लेकिन बदकिस्मती से फिर कड़वाहट का थोड़ा सा हिस्सा आ गया है। इसलिए मैं हाउस से अपील करूंगा और उमा जी से अपील करूंगा कृपया अब अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, कुमारी उमा भारती ने एक बात कही है और माननीय रक्षा मंत्री यह कहकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यदि समाचार पत्रों में कुछ प्रकाशित हुआ है तो वह उसके लिए जिम्मेदार कैसे हैं ? उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके बावजूद माननीय सदस्य ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। मैं केवल विपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय सदस्य को अपने स्थान पर जाने के लिए मनाएं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैं भी कह चुका हूं कि इन्होंने यह कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, अखबार वालों ने छाप दिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले जो कुछ कहा, आपके बारे में अखबारों में छपा है, इतना ही कहा था।

श्री श्रीकांत जेना : उमा जी, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं ?

उमा जी, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कृपा करके अपनी सीट पर जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय रक्षा मंत्री ने इसका खंडन किया है।

अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

अपराह्न 12.49 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के 50 वर्ष बीतने को हैं। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष है, किन्तु गांवों में प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। पेयजल, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पायी है। इसके कारण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तथा आर्थिक विषमता की स्थिति बनी हुई है। नगर और गांवों में अनुसूचित जाति के लोग सामाजिक न्याय एवं समता, समानता से वंचित है। मानव-मानव में सामाजिक विषमता कायम है।

अतएव स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती को सार्थक बनाने के लिये ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।

(दो) उत्तर प्रदेश में बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

डा० राम विलास वेदान्ती (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बादशाहपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन अनेक रेलगाड़ियां गुजरती हैं और इस रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफार्म है उससे रेल की लाइन पार करने में आम जनता को काफी परेशानी होती है, विशेषकर वृद्ध एवं बच्चों को रेल लाइन पार करने में काफी समय लग जाता है और पार करते समय अचानक रेल के आ जाने के कारण इस रेलवे स्टेशन पर अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि बादशाहपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए आदेश पारित करने का कष्ट करें, ताकि क्षेत्र की आम जनता रेलवे लाइन पार करने में दुर्घटना का शिकार होने से बच सके।

[अनुवाद]

(तीन) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के लिए अनाज का कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : नई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में से उड़ीसा के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे को 1.5 लाख मीट्रिक टन अचानक घटाकर 35000 मीट्रिक टन कर देने से राज्य के लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रस्तुतः ध्वस्त हो गई है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाजार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गेहूं की आपूर्ति ऐसे समय में पूरी तरह से बन्द कर दी गई है जबकि लोग रात्रि को 'रोटी' खाने के आदी हो गये हैं।

उड़ीसा में 43 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये सभी लोग उचित दर की दुकानों से राशन ले रहे थे। अब भारत सरकार ने नमूना सर्वेक्षण द्वारा इस आकड़ें को 32 लाख कर दिया है। इस प्रकार 11 लाख निर्धन परिवार सीधे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिधि से बाहर हो गये हैं। इससे लोगों में भी भारी असन्तोष पैदा हुआ है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का दोषपूर्ण नमूना सर्वेक्षण आकड़े को ठीक करके 43 लाख किया जाये और राज्य की वास्तविक मांग को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के लिए अनाज का कोटा बढ़ाया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली निगरानी समितियों का शीघ्र गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ब्रज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत समस्त ब्लाकों को लिया है और प्रत्येक ब्लाक को इसके लिए बीस लाख रुपये भी आबंटित किया है जो कि उन्हीं ब्लाकों में खर्च होता है। सदन में बराबर संसद सदस्यों द्वारा यह बात उठाई गई कि गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास की केन्द्रीय सरकार की योजनाओं में संसद सदस्यों की राय नहीं सुनी

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

जाती और उन्हें बिल्कुल संबद्ध नहीं किया जाता। इसी राय को ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति ने भी गंभीरता से व्यक्त किया है और सरकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबद्ध करने की सिफारिश की। इसी सिफारिश की रोशनी में ग्रामीण विकास एवं रोजगार मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया जिसे समस्त राज्य सरकारों को भेजा गया जिसकी प्रतिलिपि संसद सदस्यों को दी गई।

इस दिशा निर्देश के मुताबिक जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास एवं सुनिश्चित रोजगार योजना में संसद सदसमयों एवं विधायकों को संबद्ध करने तथा संसद सदस्यों के प्रस्तावों को महत्व देने को कहा गया। सुनिश्चित रोजगार योजना के संबंध में जिला एवं ब्लाक स्तर पर निगरानी कमेटियां गठित करने और उसमें संसद सदस्यों, विधायकों, अधिकारियों तथा कार्यदात्री संस्थाओं को शामिल करने को कहा गया तथा इस केन्द्रीय योजना में संसद सदस्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने को कहा गया, किन्तु उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई कमेटी जिला स्तर पर या ब्लाक स्तर पर गठित नहीं की गई। एक शासना देश के द्वारा अंबेडकर ग्रामों के संपर्क मार्गों के निर्माण हेतु कार्यदात्री संस्थाओं के प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जवाहर रोजगार योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत देय धनराशि को अवमुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल निगरानी कमेटियां गठित करें और उसमें संसद सदस्यों व विधायकों को शामिल करने तथा उनके प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश राज्य सरकारों को भेजा जाए और जो राज्य इसका अनुपालन न करें, उस राज्य को धनराशि अवमुक्त न की जाए।

(पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार एक संघीय राज्य है जहां पर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में 9.7.97 से 13.7.97 तक अति मूसलाधार वर्षा लगातार होने के कारण पूरे संसदीय क्षेत्र का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अनूसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के सभी मजदूरों का घर वर्षा से नष्ट हो गया है। हजारों-हजार के उनके पशु भी मर गए। वे लोग अपने परिवार के साथ सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य उप केन्द्र में छिपे हुए हैं। इस वर्षा ने 15 वर्ष का रिकार्ड तोड़ दिया।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस आपातकाल में गरीबों का धन-जन का जो नुकसान हुआ है, उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए जिससे कि वे लोग ऊपर उठ सकें। इसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाये।

(छठ) न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता

श्री डी०पी० यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 50 वर्ष हो गये हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद इस देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया और विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है लेकिन न्यायपालिका क्षेत्र में अभी सवर्ण जातियों का वर्चस्व बना हुआ है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े लोगों का प्रतिशत नगण्य है। समय-समय पर केन्द्र में प्रतिष्ठित सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया लेकिन समाज के अत्यंत दुर्बल वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सका है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 77 है लेकिन इनमें अनुसूचित जाति के तीन और पिछड़े वर्ग का केवल एक न्यायाधीश कार्यरत है। चयन समिति द्वारा इन वर्गों के अधिवक्ताओं के नाम की अनुशंसा न किये जाने से समाज का यह वर्ग अत्यंत क्षुब्ध है। कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में यह समाचार देखने को मिला कि शायद सरकार इस संबंध में कोई विधायी कार्य करने वाली है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इलाहाबाद के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय समाज के दबे-कुचले एवं पिछड़े वर्गों के अधिवक्ताओं की अनुशंसा भी की जाये ताकि इनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

(सात) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र वनस्पति, जीव-जन्तुओं, अद्वितीय मैनग्रोव वनों के लिए तो प्रसिद्ध है ही साथ ही वह विख्यात रॉयल बंगाल टाइगर्स का आवास है। यह दुख की बात है कि वहां के 3.5 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं क्योंकि वहां किसी प्रकार का उद्योग नहीं है। उन्हें मछली पकड़ने, लकड़ी काटने और अंशतः सीमान्त कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। वस्तुतः यह देश के अति पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र के एकीकृत विकास की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत साउथ 24 परगना का 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र आता है। केन्द्रीय सरकार ने इसके विकास के लिए न तो अभी तक कोई योजना बनाई है और न ही इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आवंटित की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरबन क्षेत्र के लिए चार वर्षीय योजना बनाई है और नदी के किनारों पर जेटी तथा ईंट के खंड़जों से युक्त सड़कों का निर्माण करके और भू-संरक्षण जैसे अन्य अनुषंगी निर्माण कार्यों द्वारा संचार कार्यों में सुधार और लिफ्ट सिंचाई द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 1997-98

के लिए 7.7 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। यह उचित समय है कि केन्द्रीय सरकार सुन्दरबन क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में आयी रूकावट को दूर करने की दृष्टि से इसके विकास हेतु कुछ धनराशि स्वीकृत करें।

(आठ) राजस्थान के चुरू जिले के दुघवाखारा में कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : उपाध्क्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपने चुरू लोक सभा क्षेत्र के कस्बा दुघवाखारा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह कस्बा बहुत महत्वपूर्ण है जहां सीनियर सैकेंड्री स्कूल है, अस्पताल, डाकघर, बैंक आदि अनेक कार्यालय है तथा यह कस्बा जिला मुख्यालय से रेल और रोड से भी जुड़ा हुआ है। इसके आसपास 60-70 गांव हैं जिनकी व्यापारिक गति-विधियों का प्रमुख केन्द्र यह दुघवाखारा कस्बा ही है। इन गांवों की उपज इस दुघवाखारा कस्बे में ही बिकने आती है। इस कस्बे तथा इसके आसपास की लगभग 60 हजार आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कस्बे से जुड़ी है, लेकिन इस कस्बे के लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने से वंचित हैं।

इस कस्बे का महत्व इस बात से ओर बढ़ जाता है कि यह कस्बा चुरू, तारानगर और झुंझुनू तहसीलों का केन्द्र है। इस कस्बे की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह अति आवश्यकता है कि यहां दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट और सुचारू रूप से दिखाए जाएं। इस हेतु इस क्षेत्र की जनता काफी समय से मांग करती आ रही है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र की जनता की इस मांग की ओर भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि दुघवाखारा, जिला चुरू (राजस्थान) में प्राथमिकता के आधार पर एक एल०पी०टी० की स्थापना करने के आदेश अविलंब दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.09 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि बीमा पालिसी धारकों के हितों की रक्षा करने और बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित, संप्रवर्तित और सुनिश्चित करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

आपकी अनुमति से मैं संक्षेप में प्रारम्भिक टिप्पणी करना चाहता। जैसा कि इस माननीय सभा को ज्ञात है, सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

"हमने बैंकिग क्षेत्र के कार्यकरण में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है।"

इस अनुभव का बीमा उद्योग की पुनर्संरचना करने के लिए प्रयोग किया जायेगा। किन्तु इसके साथ ही जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सुदृढ़ किया जायेगा। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष के अपने बजट भाषण में मैंने बीमा क्षेत्र में कतिपय संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव किया था। बजट की घोषणा के बाद जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को पहले ही सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ही गैर-अनुसूचित और गैर-कंसोटियम निवेश के लिए वित्तीय शक्तियां पहले ही प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। मैंने सरकार के इस इरादे की भी घोषणा की थी कि जीवन बीमा निगम को पेंशन कारोबार में संयुक्त उद्यमों में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी और भारतीय यूनिट ट्रस्ट को इसकी सेवानिवृत्ति लाभ योजना का विस्तार करके इसे पूर्ण पेंशन निधि बनाये जाने की अनुमति दी जायेगी। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में यह प्रस्ताव किया गया था कि साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों को संयुक्त उद्यम चलाने की अनुमति दी जायेगी और कुछ भारतीय कम्पनियों अर्थात् अधिसंख्यक भारतीय स्वामित्व वाली भारत नियन्त्रित कम्पनियों को स्वास्थ्य बीमा कारोबार में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को अपने कर्मचारियों और एजेंटों की सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां दी जायेंगी।

इन सभी प्रस्तावों का आशय वर्तमान बीमा कानूनों में संशोधन किए जाने से है। मुझे इस सभा को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को उनके बोर्डो के लिए पूरी संख्या में सदस्य दिए गये हैं और आज दोनों बोर्ड-प्रबन्धन युक्त कम्पनियां हैं।

उक्त सुधारों को कार्यान्वित करने से पहले एक सुदृढ़ सांविधिक

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 24.7.97 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पी० चिदम्बरम]

बीमा विनियामक प्राधिकरण का होना आवश्यक है। यह प्राधिकरण बीमा उद्योग में सभी सेवा प्रदाताओं के लिए व्यापक विनिमय तैयार करेगा और बीमा उद्योग के स्वस्थ विकास और बीमा करने वाली जनता के हितों की सुरक्षा के लिए नियमित आधार पर उनके कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखेगा। इस प्रयोजनार्थ, जैसी कि मैंने 1996 के बजट में घोषणा की थी, मैंने अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक दर्जा देने के लिए 20 दिसम्बर, 1996 को बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक पुनःस्थापित किया था। यह विधेयक जांच के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। स्थायी समिति ने अपना प्रतिवेदन 9 मई, 1997 को इस सभा को प्रस्तुत किया। स्थायी समिति में, जैसा कि आपको ज्ञात है 30 सदस्य इस माननीय सभा के थे और 15 सदस्य राज्य सभा के थे। स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के आलोक में विधेयक के लिए संशोधन पेश करूंगा।

संक्षेप में, समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं ओर जैसा कि मैंने कहा है मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

1. पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच की जानी चाहिए—यह बात स्वीकार की गई है।

2. कम से कम तीन पूर्वकालिक सदस्यों को न केवल साधारण बीमा, जीवन वीमा और बीमांकित विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए अपितु इनका वास्तविक अनुभव भी होना चाहिए—इस उपबंध को प्रभावी बनाने के लिए एक संशोधन लाया जा रहा है।

3. सभापति/पूर्वकालिक सदस्य अपनी कार्याविधि पूरी करने पर उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर, प्राधिकरण में आगे नियोजन हेतु विचार किये जाने के योग्य होंगे, तथापि ऐसा उनकी आयु सीमा के अध्यधीन होगा—इस बात को भी स्वीकार किया जा रहा है।

4. सभापति/पूर्वकालिक सदस्यों की निर्रहता बीमा विनियामक प्राधिकरण की सदस्यता समाप्त होने के पश्चात दो वर्षों तक सीमित रहनी चाहिए—हमने इसे भी स्वीकार किया है।

5. पुनर्नियोज़न पर प्रतिबंध बीमा क्षेत्र में गैर सरकारी कम्पनियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु दो वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र पर लागू होना चाहिए—यह सिफारिश भी स्वीकार की जा रही है।

6. स्थायी समिति ने कहा कि सभापति को सामान्य निगरानी और बोर्ड को दिशा-निर्देश देने की भी शक्ति होगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो बोर्ड द्वारा किये जाएं—हमें यह सिफारिश मान्य है और हम सभापति को प्रशासनिक मामलों में सामान्य निगरानी और दिशानिर्देश देने की शक्ति दे रहे हैं। न्यायिक-कल्प मामलों में, बोर्ड को एक सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करना है, मैं नहीं समझता कि ऐसी आपातकालीन स्थिति आयेगी जिसमें न्यायिक-कल्प विनिश्चय होगा जहां सभापति को अकेले कार्य करना हो। इसलिए हम सभापति को प्रशासनिक मामलों में सामान्य निगरानी और दिशानिर्देश देने की शक्ति देने वाली यह सिफारिश स्वीकार करते हैं। न्यायिक-कल्प मामलों में हम चाहेंगे कि निकाय एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से कार्य करें।

7. बीमा विनियामक प्राधिकरण के सदस्यों को, उनकी सदस्यता समाप्त होने पर, ऐसी समितियों में कार्य करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिनमें बीमा निधि का निवेश किया गया है। आज बीमा निधि का निवेश इक्विटी के रूप में, परियोजना वित्त और ऋणों के रूप में किया जा रहा है ओर यह जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के बीच 1500 कम्पनियों में किया गया है। इसलिये, इस सिफारिश को मानकर हम वस्तुतः इन लोगों के नियोजन के सभी दरवाजे बंद करेंगे।

प्रतिवेदन के दूसरे भाग में समिति ने कहा कि उनका निर्वाचन नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें दो वर्ष के पश्चात् नियोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि मैं उस सिफारिश को स्वीकार करता हूं तो वास्तव में नियोजन के सभी अवसर समाप्त हो जाएंगे क्योंकि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम आज प्रमुख निवेशक हैं। और मुझे बताया गया है कि इनकी लगभग 1460 कम्पनियां हैं। अतः हम यह सिफारिश स्वीकार नहीं कर सकते हैं। किन्तु हम वाद-विवाद के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। समिति ने कुछ अन्य हल्के-फुल्के परिवर्तनों की सिफारिश की थी, हमने वे सभी सिफारिशें स्वीकार की हैं।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि राज्य सभा के एक सदस्य का प्रतिवेदन के प्रति विगत टिप्पणी है। परन्तु मैं इस इस बात का संकेत मानता हूं कि समिति में भरपूर चर्चा हुई थी; कि सभी पहलुओं पर विचार किया गया, सभी वर्गों को अपने मत व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया गया था; और यदि ऐसी विस्तृत चर्चा के पश्चात विभिन्न राजनैतिक दलों से आने वाले समिति के सभी सदस्य प्रतिवेदन पर बहुतायत में सहमत हो गये हैं और मात्र एक माननीय सदस्य ने विसम्मति व्यक्त की है, तो मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के प्रभावी कार्यकरण की अभिव्यक्ति ही है और मैं अन्य दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी माननीय सदस्यों से इस विधयेक का समर्थन करने का आग्रह करूंगा।

मैं वाद-विवाद के दौरान उस सदस्य को इसमें किये जाने वाले परिवर्तनों से सहमत होने के लिए राजी करने का हर संभव प्रयास करूंगा। पर मैं समिति में अपने-अपने दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी माननीय सदस्यों और इस विधेयक का समर्थन करने वाले 44

अन्य सदस्यों से हम विधेयक का समर्थन करने की आशा करता हूं।

महोदय, मैं यह बता दूं कि आज जीवन बीमा निगम कई अन्य देशों में सक्रिय है। लंदन, मॉरीशस और फिजी में इसकी शाखाएं हैं। इसने बहरीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम प्रारम्भ किया है जो अपनी गतिविधियां साउदी अरब, कुवैत और बहरीन में चलाता है। कीनिया में साधारण और जीवन बीमा निगम, दोनों केनिडिया नाम से संयुक्त उद्यम में भागी हुए हैं। इसी प्रकार साधारण बीमा निगम की कई सहायक कम्पनियां अन्य देशों में कार्यरत हैं। वास्तव में निगम प्रत्यक्ष रूप में 18 देशों में कार्यरत है और इसकी सहायक तथा सम्बद्ध कंपनियां 14 देशा में कार्यरत हैं। अतः हम जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया में है और इसी प्रकार भविष्य में बीमा क्षेत्र का विकास किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि हम भारत में भी ऐसे विकास की तैयारी करें ओर गैर-सांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। को सांविधिक प्रक्रिया देना इस दिशा में पहला काम होगा। यह गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्यरत हैं पर अब समझ आ गया है कि हम इस निकाय को सांविधिक प्रक्रिया दें।

इस टिप्पणी के साथ मैं इस विधयेक का समिति द्वारा अनुशासित और सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, स्वागत करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से विधेयक पारित करने में सहयोग देने का आग्रह करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बीमा पालिसी धारकों के हितों की रक्षा करने और बीमा उद्योग का व्यवस्थित विकास को विनियमित, संप्रवर्तित और सुनिश्चित करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सरकार ने चर्चा के लिए तीन घटें का समय देने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996 इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है कि देश में बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण जीवन बीमा निगम की संस्थाएं जो काम कर रही हैं, उन संस्थानों में अनेक प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था को इन संस्थाओं में गड़बड़ी होने के कारण से संस्थाएं प्रभावित कर रही हैं और इस कारण से वर्तमान में जो अव्यवस्था और अनियमितताएं इन संस्थाओं में हो रही हैं, उन सब को ठीक करके वर्तमान में इनकी देख-रेख का काम, जो एक नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र में था, उसको एक प्राधिकरण के रूप में सारी शक्तियां देकर देख-रेख का अधिकार उसको दिया गया है। वैसे यह विधेयक कुल मिलाकर स्वागतयोग्य है। कुछ बातें अभी मंत्री महोदय ने कहीं। कुछ संशोधन और सुझाव समिति की ओर से दिए गए थे, उनको वे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। एकाध मामले में उन्होंने कहा कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस और दिलाना चाहता हूं कि इन बीमा संस्थानों का दारोमदार प्रमुख रूप से इनके पालिसी धारकों के ऊपर और जो इन संस्थानों के अभिकर्ता हैं, उन पर निर्भर करता है। उसके बाद इन संस्थानों में कहीं विकास अधिकारी और इनमें काम करने वाला अधिकारी वर्ग आता है। ये तीनों इन संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक होते हैं। किंतु अनेक वर्षों से यह देखा जा रहा है कि विकास अधिकारी और अधिकारी तो अपनी सुख-सुविधाओं के प्रति चिंतित हैं और अपना हित संरक्षण कर लेते हैं। लेकिन जो अभिकर्ता हैं और पालिसी धारक हैं, वे रात-दिन इन संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए मेहनत करते हैं और बीमा धन देते हैं, इसके साथ-साथ देश की आर्थिक व्यवस्था में मदद करते हैं, उनको अनेक कठिनाइयां हैं। उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगभग पचास हजार करोड़ रुपये बीमा संस्थानों के द्वारा पेश की और प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं को ऋण के रूप में देकर और इस देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करने में मदद की जा रही है और लोगों की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखने में भी मदद की जा रही है, किंतु दिन-प्रतिदिन इस प्रकार के संस्थानों में जो सारे क्षेत्रों में बेइमानी और भ्रष्टाचार का वातावरण है, उसका समावेश भी हो रहा है। बीमा संस्थानों में भी अनावश्यक खर्चा अधिक होता जा रहा है। मंत्री जी के ध्यान में अभिकर्ताओं ने और पालिसी धारकों ने ये बातें लाई हैं। इस विषय पर मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि वे इस दिशा में कुछ काम करेंगे। मैं मानता हूं कि प्राधिकरण गठित होने के बाद इन सब बातों पर ध्यान देकर इन गड़बड़ियों को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।

अभी हाल ही में एक कांफ्रेस इंदौर में हुई थी। वहां मंत्री जी को जाना था, लेकिन आप नहीं जा सके। एक एम०डी० और चेयरमैन साहब गए थे। उन्होंने वहां 11 और 12 अक्तूबर, 1996 को सम्मेलन किया था। उसका खर्चा जो आया है वह आश्चर्यजनक है। एक करोड़ चालीस लाख रुपये केवल उस कांफ्रेंस पर खर्च किए गए। यह चिन्ता का विषय होने के साथ-साथ जांच का भी विषय है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार करने वाले और इन संस्थानों को चौपट करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जानी चाहिए। वहां जो डेलीगेट आया था उसको सैर-सपाटे के लिए कभी उज्जैन, कभी ओंकारेश्वर घुमाया गया।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने हाल में किसी कांफ्रेंस में भाग नहीं लिया।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : आप नहीं गए, मैंने खुद बोला है। आप जाने वाले थे, ऐसा वहां कहा गया था, लेकिन एम०डी० और चेयरमैन वहां गए थे। उन्होंने कांफ्रेंस की थी, उसका खर्चा बता रहा हूं। एक कांफ्रेंस में 365 डेलीगेट आते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : उस कांफ्रेंस में कौन गया था ?

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति और प्रबंध निदेशक।

श्री पी० चिदम्बरम : इंटरप्रेटेशन में एन०डी०एफ० जैसा कुछ कहा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : उस कांफ्रेंस पर एक करोड़ चालीस लाख रुपये खर्च हुए। दो दिन तक वह चली और 365 लोग उपस्थित थे। इस प्रकार की अनियमितताएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जो पालिसी धारक हैं, जब उनकी पालिसी पूरी होने लगती है या किसी कारण से बंद हो जाती है तो उनकी पेड-अप वेल्यू बनाने में समय लगता है, दिक्कत आती हैं। तीन वर्ष का बन्धन लगाया जाता है। अनेक बार मांग की गई है कि इसको तीन वर्ष के बजाए दो वर्ष किया जाए, लेकिन यह अभी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार से पेड-अप वैल्यु की बात है, इसके निर्धारण में भी कार्यालयों में अनियमितितायें होने लगी हैं, बदनीयती होने लगा है और भ्रष्टाचार होने लगा है। इसको भी सुधारा जाना चाहिए। अभिकर्ताओं कं भी सरंक्षण नहीं हो पा रहा है। अभिकर्ता वास्तव में पालिसी-होल्डर को ढूंढता है और येन-केन-प्रकारेण पालिसीधारक को समझाता है। नहीं तो पालिसीधारक को अनेक बार तो समझ में नहीं आता है कि हम बीमा क्यों करायें, हमें तो अभी मरना नहीं है। हम तो अनेक वर्ष जीयेंगे। आपके यहां बीमा कराने से क्या लाभ ? आपके यहां बीमा कराने से बैंक ब्याज के बराबर भी बोनस नहीं मिलता है। इस बारे में आपसे अनेक बार मांग की और आपसे पूर्व वित्त मंत्री जी से भी मांग की कि प्रतिवर्ष जो पालिसीधारक को बोनस दिया जाता है, उस बोनस में वृद्धि की जानी चाहिए। अगर आप उस बोनस की गणना करेंगे, तो पायेंगे कि सेविंग-बैंक की तुलना में बोनस बहुत कम है। आज उस बोनस में वृद्धि करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हो रही है, जबकि विकास अधिकारी और आपके अधिकारी तथा कर्मचारी सब सुख-सुविधायें ले रहे हैं। आपके जहां-जहां मंडल कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में भी प्रतिमाह 40 हजार रुपए केवल शो-बाजी, इस गमले को इधर के बजाए उधर लगाना है तथा नए गमले वे नए पौधे लगाने हैं, पर खर्च किए गए। इस प्रकार अनावश्यक रूप से खर्च करने को जो प्रावधान है, उस पर भी जांच-पड़ताल करके ठीक से निर्णय लेना चाहिए कि इस प्रकार जो अनियमिततायें हो रही हैं, वे न हों।

इसी प्रकार से अन्य अनियमिततायें हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्राधिकरण के माध्यम से उसमें भी सुधार होगा। मैं इतना जरूर महसूस करता हूं कि संस्थान के संचालनकर्ता या देख-रेख करने वाले या अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की नीयत ठीक हुई और नीयती ठीक हुई तो सब काम ठीक चलेगा। आपने इसमें सदस्य तो कई बना दिए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास नहीं किया गया है। कानूनी प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह संस्था भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह घाटे में जाने लग जाएगी। अगर आप वास्तव में पिछले तीन वर्षों का लेखा-जोखा लें, तो इन बीमा संस्थाओं में आपको ऐसा लगेगा कि पालिसी धारकों की संख्या के अनुपात में और अभिकताओं की मेहनत से अनुपात में सालाना जो अनावश्यक खर्च हैं, उसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है या यों मान लीजिए कि स्थापना व्यय में अन्य खर्चों में वृद्धि हो रही है। उसमें कहीं-न-कहीं आप अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, जो ज्यादा ठीक रहेगा।

इस विधेयक में आपने प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान किया है और अवधि पांच वर्ष के लिए दी है। इसमें सदस्यों की निरर्हता के लिए तो प्रावधान किया है, लेकिन अध्यक्ष की निरर्हता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो एक बार अध्यक्ष बन गया और अगर वह पागल हो गया, तो उसको नहीं निकाल सकते।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया खंड 2 (1)(च) देखें। इसमें लिखा है :

"सदस्यों में सभापति शामिल हैं।"

खंड 4 में लिखा है :

"प्राधिकरण में सभापति सहित निम्नलिखि सदस्य होंगे" अतः, सदस्य को हटाने के उपबंध से तात्पर्य है सभापति को हटाने का उपबंध।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सुस्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री थावर चन्द गेहलोत : इसमें उपधारा "च" में लिखा है सदस्य से प्राधिकरण का पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष आता है। यह क्लियर हो गया, यह अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम सोच रहे थे कि वे अमरजड़ी खा करके बैठ गए। इस प्रकार से जो भी होगा वे अनियमितता करते रहेंगे। फिर धारा 11(1) में जो प्रावधान किया है कि प्राधिकरण उतने अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधी अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझें। ये स्टाफ का सेटअप तो पहले से डिसाइड होना चाहिए, अगर इस प्रकार का कारोबार है तो इतने चपरासी होंगे, इतने क्लर्क होंगे, इतने यूडीसी होंगे, एलडीसी होंगे। इसमें संख्या का निर्धारण पहले से हो जाना चाहिए अन्यथा अधिकारी अपनी मन-मर्जी से इस क्लाज का दुरूपयोग करेगा और अभी हम कई स्थानों पर देखते हैं कि एक-एक आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी के 4-4, 6-6, 8-8, 9-9 चपरासी रहते हैं। हम कई बार पूछते हैं कि साहब, इन 9-9 चपरासियों का क्या उपयोग करते हैं तो वे बता नहीं पाते हैं। इसी प्रकार का दुरूपयोग यहां भी होने लग जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको पहले से निर्धारित कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

उसके बाद धारा तीन में जो प्रावधान किया है कि प्रधिकरण

के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा। अब इसमें मेरा एक निवेदन है मान लो आपके नौ मेम्बर हो गए और दो उपस्थित हुए या तीन पायेंगे, जबकि सदस्यों के लिए यह प्रावधान है। सदस्य अगर पागल हो गया था दीवालिया हो गया, तो उसकी तीन महीने का नोटिस देकर हटाया जा सकता है। परन्तु अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एक बार अध्यक्ष बन गया, तो उसने समझ लिया कि वह अमर-जड़ी खाकर बैठा है। इस विधेयक में ऐसा दिखाई देता है। इसमें आपने अगर पूरा बोर्ड गड़बड़ी करता है, तो बोर्ड को भी अधिक्रमण करने का प्रावधान किया है, लेकिन अगर अध्यक्ष ने कोई गड़बड़ी की है, तो अध्यक्ष को हटाने के लिए, या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। पहले सदस्यों की संख्या सात थी। लेकिन अब आपने नौ सदस्यों की संख्या को मान लिया है। सामूहिक रूप से इन सदस्यों को हटाने का प्रावधान है, लेकिन अध्यक्ष कोई अनियमितता करता है, तो अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप इस बारे में जानते हैं, तो हमारा ज्ञानवर्धन करा दें। अभी करना चाहें, तो अभी, नहीं तो बाद में करा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मैं बताता हूं, यदि आप खंड 4 देखें तो पायेंगे कि इसमें लिखा है "कि प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे", अर्थात् :-

(क) एक सभापति;

(ख) तीन से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य;

(ग) चार से अनधिक अंशकालिक सदस्य;

ये सभी सदस्य हैं, अब खंड 6 में लिखा है कि, "केन्द्रीय सरकार किसी भी सदस्य को पदयुक्त कर सकती है ...''। उस 'सदस्य' से तात्पर्य है, वे सभी सदस्य जिनसे प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसलिए खंड 6 सभापति को हटाने के लिए भी लागू होगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : इसमें आप जो खंड 6 (1) का उल्लेख कर रहे हैं उसको मैंने पढ़ा है। खंड 6(1) में लिखा है केंद्रीय सरकार पद से किसी ऐसे सदस्य को, इसमें सदस्य शब्द लिखा है इसलिए यह आशंका का कारण बना है और इसीलिए मैं आपसे इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसमें सदस्य लिखा है और आपने सदस्य की संख्या से अध्यक्ष को अलग दर्शाया है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। उपस्थित हो गए, उसमें दो ने और कोई मत दे दिया तो वह निर्णय हो जाएगा। वहां जो मुद्दा आया है उस पर निर्णय हो करके लागू हो जाएगा। जब टोटल मेम्बर नौ हैं और दो की सहमति से अगर इस प्रकार कोई प्रावधान हो जाएगा, नियम-कानून बन जाएगा तो वह गलत होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसमें आप एक शर्त रखें और वह बहुमत ऐसा होगा जो उपस्थिति का दो-तिहाई होगा, पहले भी मैंने बताया है कि अगर नौ सदस्यों में से केवल तीन सदस्य उपस्थित हुए और दो ने कह दिया कि ऐसा कर लो तो वह कानून बन जाएगा। उसके बाद जब वह कानून बन जाएगा तो वह सही भावना का प्रतिपादन नहीं कर पाएगा, प्रतिनिधित्व सही नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम टोटल संख्या का आधे से अधिक अर्थात् इस बहुत से निर्णय करें। अगर नौ में से पांच ये निर्णय करेंगे तो लागू होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। अगर यह करेंगे तो मेहरबानी होगी। अगर गणपूर्ति के लिए भी कोई प्रावधान करेंगे तो ठीक होगा। गणपूर्ति क्या होगी, यह आपने इसमें नहीं दिया। अब गणपूर्ति के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई अनिवार्य संख्या होनी चाहिए, नहीं तो वही स्थिति निर्मित हो जाएगी जैसा कि मैंने पहले बताया। इसलिए गणपूर्ति भी कम से कम आधे से अधिक या दो-तिहाई होगी तो ही माना जाएगा, ऐसा भी अगर प्रावधान होगा तो ज्यादा ठीक होगा।

इसमें एक क्लाज 5 (क) हैं इसमें लिखा है केंद्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकेगा। ये सदस्य या अध्यक्ष तीन मास के नोटिस पर अपना पद त्याग कर सकेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार अभी केन्द्रीय कर्मचारियों या राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एक मास का नोटिस देकर पद त्याग करने का प्रावधान है। तीन मास का नोटिस देगा और तीन मास तक उसका रिक्त स्थान रहेगा या पहले से सूचना दे देगा या मेडिकल लेकर चला गया तो आपके यंहा जो प्राधिकरण के सदस्य हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी।

एक महीने के बजाए दो-तीन महीने वह पद खाली रहेगा। अगर वह मैडीकल लीव पर तीन महीने के लिए चला गया जिसका प्रावधान है तो प्राधिकरण तीन महीने तक इंतजार करेगा, और वह पद तीन महीने तक रिक्त रहेगा। इससे प्राधिकरण का काम प्रभावित होगा। इसलिए तीन महीने के बजाए वह एक महीने का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सके। अगर इस प्रकार का प्रावधान इस धारा में कर देगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

धारा 4 (ग) में सदस्यों का जो नामांकन होगा या जो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, उसके बारे में लिखा है कि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं वे नियुक्त किए जाएंगे। नामांकित व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जिन्हें जीवन बीमा, साधारण बीमा, बीमांकित विज्ञान, वित्त, अर्थशास्त्र, विधि, लेखाकर्म, प्रशासन या अन्य किसी विद्या-शाखा में से जो केन्द्रीय सरकार की राय में प्राधिकरण के लिए उपयोगी होगी।

अब इस मापदंड को और सुदृढ़ करने के लिए अगर उसमें समयावधि डाल दें कि इस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्ति पांच-छः-सात साल का अनुभव रखते हों, तो उसमें से किसी को नियुक्त किया जाएगा। तो ज्यादा ठीक होगा, आपकी नीयत तो ठीक है लेकिन आपके बाद में कोई आएगा तो उसके यार-दोस्त को अनुभव हो या न हो, कह दिया कि यह तो उसके योग्य है और उसको नियुक्त कर दिया

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

तो क्या होगा। इसलिए तीन साल, चार साल, पांच साल का अनुभव हो तो इतने साल होने के बाद यह नियुक्ति दी जा सकेगी। अगर यह बंधन डाल देंगे तो ठीक होगा। मैं यह सब सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि आदमियों की नियत जब खराब होती है तो वह इस धारा का दुरूपयोग करेगा। अगर उसको दुरूपयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा तो जो निर्धारित मापदंड है उसकी परिधि में ही नियुक्त होगी और अनियमत्ता कम होगी। यह जो गड़बड़ सारे देश में देख रहे हैं, भ्रष्टाचार और अनियमितलास यह कम हो सकेगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस दिशा में समयाविधि निर्धारित करने का कष्ट करें।

माननीय वित्त मंत्री जी, अब यह मैं पहले बता चुका हूं कि नियंत्रक के स्थान पर जो प्राधिकरण आप गठित कर रहे हैं और इन प्राधिकरणों को जो अधिकारी दे रहे हैं उसमें एक स्थान पर आपने यह कहा है कि जो भी नियम या कानून विहित किये जाएंगे उनके अनुरूप यह काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें विहित प्राधिकारी कौन होगा, केन्द्रीय सरकारी होगी या अन्य एजेंसी होगी या प्राधिकरण में से कोई होगा ? उसका खुलासा नहीं है, थोड़ा उसका खुलासा भी आप करें तो ज्यादा ठीक होगा।

सारे देश में आज इस प्रकार की चिंता व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा निगम या साधारण बीमा निगम का निजीकरण किया जाए। आज भी यह चर्चा का विषय है। लेकिन निजीकरण करने से पहले आप निश्चित रूप से विचार कर लें कि क्या निजीकरण में जाने के बाद यह उद्योग और ठीक से काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। आप सुनिश्चित कर लें कि यह देश के हित में होगा या नहीं होगा। मेरे मत में तो निजीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकारी संस्थाओं में यही मात्र ऐसा संस्थान है जो लाभ की स्थिति में है और लाभ की स्थिति में होने के कारण इसको यथावत राष्ट्रीयकृत ही रखा जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पॉलिसी-धारकों के बोनस में वृद्धि करें। पेड-अप वैल्यू तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष करें। पॉलिसी धारकों के ऋण पर ब्याज की दर कम की जानी चाहिए। कई स्थानों पर ब्याज की दर बैंकों की तुलना में ज्यादा है, वह तो कम से कम राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में कम होनी चाहिए। फिर कई बार पॉलिसी धारक तीन महीने या एक महीने या जो भी उसकी किश्त देने का समय है उस समय पर वह किश्त जमा नहीं कर पाता है। वह चार दिन, आठ दिन, पन्द्रह दिन में जमा करता है तो उस पर जो ब्याज ली जाती है। वह ब्याज की दर भी अधिक है। ब्याज की दर अगर अलग-अलग कर दें तो अच्छा होगा। अगर वह एक महीन लेट हो जाए ता उसे इतनी ब्याज देना पड़े, अगर 15 दिन लेट हो जाए तो इतनी दर से ब्याज देना पड़े और अगर तीन महीने लेट हो जाए तो उसको इतनी दर से ब्याज देना पड़े। ऐसा अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा।

आज अभिकर्त्ता अनेक प्रकार की अनियमितता करते हैं और वे पायी भी जाती हैं। इन अभिकर्त्ताओं का स्वरूप ऐसा बनाया जाए कि वे प्रोफैशनल न हों। वे केवल बीमा कम्पनियों के हित में और पालिसी धारकों के हित में काम करें। इस प्रकार की अगर व्यवस्था करेंगे या कसावट लाएंगे तो अच्छा होगा।

अभी ग्रेच्युटी की सीमा को ढाई लाख किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार बीमा अभिकर्त्ताओं ने इस प्रकार का ज्ञापन भी दिया था। हो सकता है आपके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया होगा जो आपके आफिस के रिकॉर्ड में होगा। अगर उस पर ध्यान देकर कुछ निर्णय करेंगे तो अच्छा होगा।

मान लो मैं अभिकर्त्ता हूं और मैंने बीमा किया है। मैं किसी कारण से अभिकर्त्ता नहीं रहा, हट गया या चला गया या अयोग्य हो गया तो मेरी पालिसी कालातीत हो गई तो अगर दूसरा अभिकर्त्ता उस पालिसी को रिन्यू करके चलाता है तो उसे पूरे समय का कमीशन दिया जाना चाहिए। वर्तमान में वह दिया नहीं जाता। वह नहीं देने के कारण पालिसी अगर छः महीने तक पड़ी रही, लैप्स हो गई तो छः महीने के बाद उसे रिन्यू कराने में किसी का इंटरेस्ट इसलिए नहीं होगा कि उसको छः महीने का कमीशन नहीं मिलेगा। उसको रिन्यू कराने के बाद छः महीने या साल की अवधि का जो कमीशन होता है, वह देना चाहिए।

अभी अभिकर्त्ता को मेडिक्लेम नहीं दिया जाता। मेरा निवेदन है कि उनको मेडिक्लेम देने पर विचार करना चाहिए। चूंकि पालिसीधारक और अभिकर्त्ता दोनों मिल कर इन बीमा संस्थानों को सुदृढ़ करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में मददगार हो रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन सब बातों की ओर ध्यान दें। इससे हम और आप इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में कामयाब होंगे। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बीमा विनियामक प्राधिकरण का उल्लेख पिछले तीन बजटों में लगातार किया गया है। पहले, 1995 में, डा० मनमोहन सिंह ने अपने बजट भाषण में शीघ्र ऐसा प्राधिकरण स्थापित करने का संकेत दिया था। वस्तुतः इसके अनुसरण में जनवरी 1996 में इस प्रयोजन के मंत्रिमंडलीय निर्णय के पश्चात एक अधिसूचना में एक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। 1996 के बजट में डा० मनमोहन सिंह ने कहा कि अधिसूचना द्वारा पहले ही स्थापित ऐसे प्राधिकरण को सांविधिक दर्जा दिया जाएगा।

अब सदन में हमारे समक्ष यह विधेयक है, इसी बीच इस सदन में इसे पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् शायद 20 दिसम्बर, 1996 को इसे वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंपा गया था। समिति ने विस्तृत जांच के पश्चात् कुछ सिफारिशें कीं। माननीय वित्त मंत्री में अपने आरंभिक भाषण में कहा है कि स्थायी समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं, मोटे तौर पर सिफारिशों को यहां पेश किये गये संशोधनों के रूप में स्वीकार किया गया है।

महोदय इसमें कोई संदेह नहीं कि बीमा उद्योग में उच्च स्तरीय विनियमन आवश्यक है। बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत बीमा कम्पनियों को निदेश देने, सलाह देने, प्रश्न करने, प्रतिबंधित करने, छानबीन करने, निरीक्षण करने, अभियोजन करने, तलाशी करने, जब्त करने, सम्मिलित करने, प्राधिकृत करने, रजिस्टर करने और उनका परिसमापन करने जैसे कतिपय कृत्यों के निर्वहन के लिए 1938 से बीमा नियंत्रक का पद था। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग में भारी परिवर्तन आया और 1956 तक भारतीय जीवन बीमा निगम, जो तब तक गैर सरकारी क्षेत्र में था, का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया जिसके पश्चात् वर्ष 1972 में समान्य बीमा का अधिग्रहण किया गया। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण का महत्वपूर्ण निर्णय उसी समय लिया गया था। परन्तु अब परिस्थितियां फिर से बदल गई हैं और अब हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं।

यद्यपि पूर्ण निर्जीकरण नहीं किया जा रहा है, और मेरे विचार से मैं यह कह सकता हूं कि यह मिश्रित क्षेत्र होगा जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम सरकारी क्षेत्र में बने रहेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्तव्य की पुनरावृत्ति करना चाहता हूं जो न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दिया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम सरकारी क्षेत्र में ही रहेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हाँ, वे सरकारी क्षेत्र में ही बने रहेंगे। किंतु इस आश्वासन का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, और फिर उन्हें भी सुदृढ़ किया जाएगा जैसा कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम से उद्धृत किया गया है।

महोदय, हमारे मन में कुछ अज्ञात आशंकाएं हैं क्योंकि स्थायी समिति के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि समिति यह समझती है कि एक सांवधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना बीमा क्षेत्र में उदारीकरण और निजी और विदेशी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र को खोलने की भूमिका है। स्थायी समिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया है।

श्री पी० चिदम्बरम : अन्य सदस्यों की जानकारी के लिए आप अगला वाक्य क्यों नहीं पढ़ते हैं ?

श्री श्रीबल्लभपाणिग्रही : मैं इसे पढ़ूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किंतु जैसा आप जानते हैं कि स्थीय समिति का प्रतिवेदन सभा की संपत्ति है।

अगले वाक्य में यह कहा गया है कि समिति का मानना है कि जब कभी भी बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोला जाए तो सभी बीमा कंपनियों को, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में हों, समान अवसर मिलने चाहिए।

होता यह है कि हमारी प्रशासनिक और नौकरशाही व्यवस्था में सदैव कार्य पूरा करने में अड़चन आती है। हमारा इरादा बहुत अच्छे कार्य करने का होता है और हमारे अनेक विधानों और अधिनियमितियों के बहुत अच्छे प्रयोजन हैं। किंतु कार्यान्वयन इतना शिथिल और दोषपूर्ण होता है कि कभी-कभी ऐसी अधिनियमितियों के अच्छे उद्देश्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है या कार्यान्वयन इस प्रकार होता है कि उनका लाभ देश की आम जनता को नहीं मिलता है।

हमारे देश में बीमा बहुत कम है। हमारे देश में बीमा नेटवर्क के विस्तार की तुरंत और तत्काल आवश्यकता है। जैसाकि आप जानते हैं विभिन्न सरकारों द्वारा जो भी वायदे किए गए हों किंतु फसल बीमा अभी भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। व्यवहार में फसल बीमा किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है। इसका उल्लेखनीय ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया गया है और यह प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देता है। केवल चुनिंदा क्षेत्रों और सिंचित क्षेत्रों में जहा पर पैदावार अधिक है अर्थात जहा पर सरकारी व्यवस्था अच्छा काम कर रही और वे उत्पादकों को ऋण देते हैं वही कुछ सीमा तक फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया है फसलों को बीमा के अन्तर्गत लाए जाने की तत्काल और मूल आवश्यकता है।

मैं दूसरे सदन के भाकपा (मा०) के एक माननीय सदस्य द्वारा किए गए विगत टिप्पण को पढ़ रहा था। उन्होंने और कई आशंकाएं व्यक्त की है। इनकी ये शंकाएं समान अवसरों आदि के आधार पर नहीं है। किंतु उनके मन में कुछ और था कि विदेशी कंपनियां आएंगी और भारतीय कंपनियां रूचि नहीं लेंगी या तत्पर नहीं होंगी। यदि वे रूचि भी लें तो भी उनके पास अधिक भागीदारी करने के साधन नहीं है। इसलिए वे कुछ विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी का प्रस्ताव करेंगी। वे इस क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करना चाहती हैं। जो भी हो माननीय वित्त मंत्री को, जो एक मंझे हुए व्यक्ति हैं और जिनका अनुभव भी काफी है, इन सभी पहलुओं पर बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आम आदमी, गरीब आदमी के हितों को उच्च स्थान दिया जाए और राष्ट्रीय हितों की बलि किसी भी सूरत में न दी जाए।

चीन में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रवेश कर रही हैं। वस्तुत; फार्पून 500 कंपनियों में से लगभग 212 कंपनियां चीन के एक शहर अर्थात शंघाई में मौजूद हैं। पूरे विश्व में वह अकेला सबसे बड़ा निर्माण केन्द्र है। तीन या चार माह पूर्व अपनी यात्रा के दौरान हमने वहां यह देखा है। विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वहां निवेश कर रहे हैं और चीन उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। किंतु साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चीन पर इन संगठनों का हुक्म नहीं चलता है। दूसरी ओर चीन इन संगठनों को अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति हमारे देश में भी पैदा हो या आए।

हमें उनकी सभी शर्तें मानने की आवश्यकता नहीं है। वे आएं। हमें पैसे की आवश्यकता है, हमारे बीमा नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता भी है। किंतु साथ ही हमारे राष्ट्रीय हितों को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए और उनकी पूरी अनुदेखी नहीं की जानी चाहिए, साथ ही यह प्रयोजन भी पूरा होना चाहिए। भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और सतर्क रहना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के समय से जब हमारी अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली में कुछ परिवर्तन आने लगेगे, उन परिवर्तनों का अध्ययन करने, उन पर विचार करने और बीमा उद्योग में परिवर्तनों के बारे में सुझाव देने के लिए बीमा उद्योग के पुनर्गठन के बारे में विचार करने के लिए मल्होत्रा समिति की नियुक्ति की गई थी, इस मल्होत्रा समिति की नियुक्ति 1993 में इस बारे में अध्ययन करने और सिफारिश देने के लिए की गई थी। जैसाकि मैंने कहा है 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम और 1972 में साधारण बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के पश्चात बीमा नियंत्रक संस्था का महत्व धीरे-धीरे कम होने लगा और 1982 में एक विशिष्ट स्थिति पैदा हुई कि ऐसी कोई संस्था नहीं थी और उसका विलय मंत्रालय में गया है और मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियंत्रक के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लगा। उन दिनों जब इस संयुक्त सचिव से भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि जैसी कंपनियों के प्रबंधन के कार्यकरण पर नियंत्रण करने और उसका पर्यवेक्षण करने की अपेक्षा की जाती थी उसके वरिष्ठ अधिकारी सचिव और अपर सचिव निदेशक बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधित्व करने लगे थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से यहं एक बहुत ही जटिल और अजीब सी स्थिति थी और वस्तुतः संयुक्त सचिव का कोई निमंत्रण नहीं था। इसलिए ऐसे प्राधिकरण की स्थापना किये जाना अत्यन्त आवश्यक है और इस विधेयक का आशय उसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। आज हम क्या कर रहे हैं ? एक समिति भी है और एक प्राधिकरण भी किंतु वह सांविधिक नहीं है। अब हम इसे सांविधिक बनाएंगे। वास्तव में वह स्वतंत्र होगा, उसे स्वायत्त दर्जा प्राप्त होगा- और उसके पश्चात बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक दर्जा देने से सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबंधकीय कृत्यों का प्रतीक होगा को पर्यवेक्षक कृत्यों जो सरकार से अलग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय द्वारा किये जाना है, को अलग किया जायेगा।

विधेयक का यही प्रयोजन है और ब्यौरे के बारे में कि कितने सदस्य होने चाहिए, गणपूर्ति कितनी होगी इन सब बातों को बाद में बनाए जाने वाले नियमों द्वारा तय किया जा सकता है। प्रत्येक बात मूल विधेयक में नहीं लाई जा सकती है। आखिर इस विधेयक पर न केवल स्थायी समिति ने विचार किया है अपितु उससे पहले भी विभिन्न मंचों, श्रमिक संघों, वाणिज्य मंडलों, शिक्षविदों और उपभोक्ता हित ग्रुपों, इन सभी निकायों में इस पर विचार किया गया।

अपराह्न 2.59 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि स्थायी समिति की जो भी सिफारिशें हैं उन्हें सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया है। किंतु मेरे विचार से यद्यपि इस विधेयक से पूर्वातः जुड़े न होने पर भी स्थायी समिति की दो अन्य सिफारिशें भी हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

एक सिफारिश यातायात सलाहकार समिति को भंग करने के बारे में है। पता नहीं है कि ऐसा किया गया है या नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम् : यह एक बिल्कुल अलग संशोधन है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह स्थायी समिति के प्रतिवेदन में है। दूसरी सिफारिश मोटर बीमा और कार का प्रिमीयम बढ़ाने के बारे में है। ये दो सिफारिशें प्रतिवेदन में हैं। समिति ने मोटर बीमा के कारण साधारण बीमा निगम को हुए भारी घाटे के बारे में उचित चिंता व्यक्त की है। यह घाटा अब तक 1500 करोड़ रुपये का हो गया है जिसमें 600 करोड़ रुपये का घाटा तीन माह की अवधि के भीतर हुआ है। बीमा एक वाणिज्यिक अवधारणा है। बीमा कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी हैं स्वाभाविक यप से, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही इसे निजी क्षेत्र के लिए खोला जा रहा हैं निजी कंपनियां आएंगी। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम जैसी हमारी कंपनियों को समान अवसर मिलें। जब वे सरकारी क्षेत्र में हैं तो सरकार का उन पर कुछ नियंत्रण होगा ही। फसल बीमा और अन्य क्षेत्र काफी जोखिम और संवदेनशील हैं वे मामलों को ले रहे है जिससे उन्हें घाटा भी हो रहा है। हमें यह बताया गया कि निजी बहुराष्ट्रीय और विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में इस क्षेत्र में प्रवेश करने में कुछ रूचि दिखा रही है वे केवल कार बीमा और चोरी, आग आदि जैसे मामलों जहां पर घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता है, रूचि रखती हैं। यह केवल लाभ कमाने का ही मामला है। इसलिए, जैसाकि मैंने पहले कहा है कि भारतीय कम्पनियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और विदेशी कंपनियों के बारे में विवेकपूर्ण और यथोचित विचार किया जाना चाहिए। तदनुसार, सरकार को इस दिशा में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

पुनः मैं कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता सेवा/ग्राहक सेवा में सुधार की काफी गुंजाइश है। पालिसी धारकों को बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस बात की इस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है।

इसके अलावा, हमे नियमों, प्रक्रिया आदि को सरल बनाना होगा। उदाहरणार्थ, दस वर्ष पहले मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम से मकान बनाने के लिए ऋण लिया था। इसकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। सम्बंधित अधिकारियों द्वारा हर तरह से सभी प्रकार की मेरी सहायता किए जाने के बावजूद मेरे लिए ही यह कार्य बहुत कठिन था गरीब आदमी की क्या बात करें। बहुत सारे दस्तावेज और वे सभी बातें आवश्यक नहीं हैं। अतः प्रक्रिया और उन सभी बातों का सरल बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

पालिसी पर प्रीमियम के संदाय आदि के बारे में, पालिसी धारकों को याद दिलाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। कोई व्यक्ति आए और इस कार्य को करे। इसलिए कभी-कभी लोग निजी क्षेत्र को आमंत्रित करते हैं। निजी कंपनियां इस कार्य को बखूबी करती हैं। जब वे यह कर सकती हैं तो सरकारी कंपनियां इस कार्य को समुचित ढंग से करने को तत्पर क्यों नहीं रह सकतीं।

तीसरा, हमारे देश में आवास एक बड़ी समस्या है। जैसाकि आप

जानते है कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास मकान बनाने के लिए जमीन तक नहीं है आप आवासीय इकाई की तो बात ही क्या करें। उनके पास मकान नहीं हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की आवासीय ऋण योजना आदि है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, इस पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। यदि आप दो लाख रुपए उधार लेते हैं तो तेरह वर्षों तक 3,300 रुपए प्रति महीना आपको अदा करना पड़ेगा तभी आप इस ऋण से मुक्त हो सकेंगे। दो लाख रुपए का ऋण पर आपको प्रति महीना 3,300 रुपए अदा करने होंगे। ऋण की अदायगी आगामी महीने से प्रारम्भ हो जाएगी चाहे मकान का निर्माण शुरू हुआ हो या नहीं। तेरह वर्षों तक यह अदायगी जारी रहेगी। इसकी संगणना करने पर पता चलता है कि यह करीब 5.20 लाख रुपए से अधिक पड़ेगा।

दो लाख रुपए के ऋण पर आपको अंततः पांच लाख रुपए से अधिक धन अदा करना होगा। दमकपत्र सिद्धान्त के अनुसार यदि ऋण की रकम 100 रुपए है तो इसकी कुल अदायगी 200 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों में ये उपबंध क्यों नहीं लागू किए जाते हैं ? क्या हम ऐसा करके उन जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं जो आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए ऋण लेते हैं ? मेरे विचार से हमें उपभोक्ता सेवा संबंधी नीति पर फिर से विचार करना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सभी मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इस बारे में अनेक लोगों के मन में शंका व्याप्त हैं मुझे भी इस बारे में कुछ आपत्तियां और शंका है। लेकिन चूंकि बीमा कार्य और अन्य चीजों में शीघ्र विस्तार किए जाने की आवश्यकता है इसलिए स्वाभाविक रूप से इस विधेयक का इस समय काफी महत्व और आवश्यकता है जब हम शेष विश्व के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार को इस संबंध में खुले विचार रखने चाहिए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए ? साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हित बरकरार रहें।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : सभापति महोदय, हम बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996 के संबंध में मात्र इतना स्पष्टीकरण चाहेंगे कि इसमें जो खनगीकरण की दुर्गन्ध आ रही है और इस नए कानून से जो खतरे आने वाले हैं उनसे सरकार कैसे सुरक्षा देना चाहेगी।

पहला हमारा निवेदन यह होगा कि इस प्राधिकरण के गठन से जो कुव्यवस्था आप दूर करना चाहते हैं जिस कुप्रबन्ध को आप समाप्त करना चाहते हैं, यह बात अच्छी है, लेकिन उद्देश्यों में जो बतलाया गया है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाई जाएगी। हम कहना चाहते हैं कि जब किसी भी क्षेत्र में एक के सामने दूसरे प्रतियोगी को खड़ा कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां प्रतिस्पर्धा का बाजार प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि पिछले दिनों जब राष्ट्रीयकरण की हवा पूरे मुल्क में बह रही थी तब उस समय उस कुप्रबन्ध की ओर हमारा ध्यान नहीं गया था, लेकिन इसमें जो त्रुटियां हुईं और नौकरशाही का जो बर्चस्व कायम हो गया, उस बर्चस्व को हमने नियंत्रित नहीं किया। आवश्यकता है इस नौकरशाही के बर्चस्व को कैसे हम कम करें। इसमें व्यवस्था की गई है कि जो संशोधन संसद की स्थाई समिति ने अनुशासित किया है उसको वित्त मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है, लेनिक अभी भी कुछ खतरे मौजूद हैं।

महोदय, जो खानगीकरण की हवा पूरे देश में चल रही है उदाहरणतः विद्धान माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही जी ने जैसे अभी चीन का उदाहरण दिया वैसे ही अब तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी और एक समाजवादी देश में के माननीय सदस्य ने, साम्यवादी देश चीन का उदाहरण दे दिया, उसके सहित बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं। सही बात है कि हम उनके सामने ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुल्क है। हमारा भी देश विकास करे, आगे बढ़े। परन्तु हमारे देश में जो उदारीकरण और खानगीकरण की हवा चल रही है, यही खतरे के रूप में मौजूद है।

माननीय सभापति महोदय, इस बारे में देश आश्वस्त होना चाहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय सदन को आश्वस्त करेंगे कि जो स्थाई समिति की अनुशंसा है वह निश्चित तौर पर मानी जाएगी और भले ही एक ही सदस्य ने विमति की टिप्पणी दी है, तो भी माननीय चिदम्बरम साहब उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, यह देखें ताकि सर्वसम्मति से आप इसको पारित कर सकें।

सभापति महोदय, अंतिम सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि इस प्राधिकरण निर्माण में और भी जो कुछ खामियां रह गई हैं, उनको हम कैसे दूर करें जिससे कि सर्वसम्मति से और विमति वाले माननीय सदस्य को भी संतोष दिला सकें, इसको आप देखें और उसके अनुसार सुधार करें। इसमें या किसी भी क्षेत्र में जहां कहीं भी खानगीकरण की दुर्गनध आती है, उसका हम विरोध करते हैं अन्यथा हमारा कोई विरोध नहीं है और यह विधेयक तो स्वागत योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : सभापति महोदय, बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996 के संबंध में मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो माननीय वित्त मंत्री जी ने काफी छूट की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें काफी खामियां हैं उनकी ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चहता हूं। बीच में कई प्रकार के समझौते होते हैं और कई प्रकार की गड़बड़ की जाती है। आजकल जो सबसे ज्यादा जनता के पैसे की लूट चल रही है।

सभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान 1956 की ओर खीचना चाहता हूं जब 1956 में और उसके बाद बहुत सी बीमा कंपनियों की बाढ़ सी आ गई थी। जी०आई०सी० के नाम पर पंजीयन कराने के बाद, पूरे देश के प्रत्येक जिले में चिट फंड कंपनियां खोल दी गईं। उन्हीं कानूनों की मदद से देश में आज हजारों कंपनियां चल रही हैं जिनसे

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

देश की गरीब जनता का पैसा जमा करवाकर और उनको एक साल में धन दुगना करने का लालच देकर सारा पैसा ले लिया जाता है।

महोदय, आपके संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आए होंगे। ऐसे प्रकरणों के बारे में समय-समय पर समाचार पत्रों में छपता रहता हैं हमारे संज्ञान में हाल ही में कलकत्ता की फेवरिट स्माल इन्वेस्टमेंट लि० नामक कंपनी है जिसकी पूरे देश में 300 से ज्यादा शाखाएं थीं। वह देश के लाखों लोगों का करोड़ों रुपया हड़प कर के बैठ गई। आज उस कंपनी में देश के जिन गरीब लोगों के पैसे डूब गए, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। इस देश का हर नागरिक पढ़ा-लिखा तो है नहीं और जो पढ़े-लिखे हैं वे भी जब भारत सरकार की जी०आई०सी० के और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पत्रों को देखेंगे जिनके नियमों के अंतर्गत ऐसी कंपनियां खोली गईं, तो वे भी उनके चक्कर में आ जाते हैं क्योंकि वे सर्टिफिकेट दिखाते थे कि जी०आई०सी० से एप्रूव्ड है और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कंट्रोल में है। इनको देखकर इस देश का पढ़ा लिखा नागरिक भी इनके चक्कर में आने से नहीं बचेगा। इसी प्रकार से पीयरलैस कंपनी थी और भी कोई कंपनियां इस देश में इस प्रकार से जनता के पैसे को लूट रही हैं।

सभापति महोदय, मैं एल०आई०सी० के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें थोड़े संशोधन की जरूरत है। मान लिया कोई सदस्य तीन साल का पैसा जमा नहीं कर पाता है, तो जब तक एजेंट का हित है तब तक तो वह पालिसी धारक के चक्कर लगाता रहता है और जब उसका कमीशन कम हो जाता या बन्द हो जाता है, तो उसके यहां जाना बन्द हो जाता है। यदि पालिसी धारक तीन साल तक पैसा नहीं जमा करवा पाता है, तो उसकी पालिसी लैप्स हो जाती है। इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। एल०आई०सी० के इंटरैस्ट के कानून में भी संशोधन करने की जरूरत है। अन्य बैंकों और डाकघरों की अपेक्षा देश की जनता का विश्वास एल०आई०सी० में है। आपने प्राधिकरण बनाया है, बहुत अच्छा काम किया हैं हर आदमी चाहता है कि उसका जीवन बीमा हो जाए, लेकिन देश का हर आदमी आज कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहता है। इसके लिए जरूरत है थोड़े-थोड़े समय के लिए भी कुछ पालिसियां लाई जानी चाहिए जिनमें अवधि तो कम हो लेकिन इंटरैस्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। जिससे कि मीडियम क्लास के जो पालिसीधारक हैं, वे ले सकें। जो छोटी-छोटी पालिसियों और छोटी-छोटी किश्त में रहे ताकि गांव के लोग उसे ले सकें जैसे आर०डी० योजना है जो कि बैंक और डाकघर दोनों में होती है। ऐसी तमाम योजनायें लानी चाहिए और कम समय की लानी चाहिए जिससे गरीब जनता का इससे फायदा हो सके। आपने इसमें कई और भी प्रावधान दिये है तथा समिति ने भी जो सिफारिशें की हैं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे खलिहान बीमा हो, चाहे फसल बीमा को या मोटर एश्योरेंस हो, उसमें भी जो घाटे हो रहे हैं या गड़बड़ियां हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं। उन पर भी निगाह रखने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं। यह बहुत बढ़िया विधेयक है लेकिन हमने जो सुझाव दिये हैं, उसको भी सम्मिलित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने उनका प्रारम्भिक भाषणा नहीं सुना किंतु मुझे बताया गया है। कि वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन का हवाला दिया गया है। यदि मै गलत नहीं हूं तो यह कहा गया कि उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : एक सिफारिश के अलावा उनकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने संशोधों को देखा है। कुछ सिफारिशें हैं जिसके बारे में संशोधन पुरःस्थापित नहीं किये गये हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : यदि इस संबंध में आप बोलेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। वह कौन सी सिफारिश हैं जिसे आप समझते हैं कि मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : में माननीय मंत्री का ध्यान खण्ड 8 की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम् : इसमें क्या गलती है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : स्थायी समिति की सिफारिश थी : खंड 8 के उप-खंड (ख) से 'निजी' शब्द का लोप किया जाए।

श्री पी० चिदम्बरम् : पूरे खण्ड 8 के स्थान पर एक नया खण्ड 8 प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें 'निजी' शब्द का लोप कर दिया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तो क्या यह संशोधित कर दिया गया?

श्री पी० चिदम्बरम् : क्या आपने संशोधन को नहीं देखा है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने अब संशोधन को देख लिया है उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री पी० चिदम्बरम् : वे चाहते थे कि 'निजी' शब्द का लोप किया जाए। मैंने उस शब्द का लोप कर दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, बिल के स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा है :

[अनुवाद]

"बीमा उद्योग को उच्च स्तर के विनियमन की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

यानी बहुत भारी खतरा इसमें है। इस खतरे को दूर करने के लिए इन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

"तथापि जीवन बीमा उद्योग का 1956 में तथा सामान्य बीमा उद्योग का 1794 में राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात बीमा नियंत्रक की भूमिका समय के साथ-साथ काफी कम हो गई है।"

[हिन्दी]

बहुत समय गुजर जाने के बाद और इस बीमा को राष्ट्रीयकृत कर देने के बाद इसमें काफी दिक्कतें आ गयी और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कई कमेटियों का गठन किया। यहां पर यह बात कही गयी। उसके बाद सरकार ने अप्रैल 1993 में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन श्री आर०एन० मल्होत्रा बनाए गए जो रिजर्व बैंक इंडिया के फार्मर गवर्नर थे।

[अनुवाद]

"7 जनवरी, 1994 को समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए टिप्पणी की कि बीमा विनियामक तंत्र को विद्यमान राष्ट्रीय बीमा क्षेत्र के अंतर्गत भी क्रियाशील बनाना चाहिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड के समान एक सांविधिक स्वायत्त बोर्ड के रूप में एक मजबूत तथा प्रभावी बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई०आर०ए०) का गठन किया जाए।"

[हिन्दी]

उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन्स दीं। श्री आर०एन० मल्होत्रा कमेटी बन जाने के बावजूद भी इन्होंने एक कमेटी और बनाई। फाईनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के सामने यह रिपोर्ट गई। वहां पर मल्होत्रा साहब को बुलाया गया, और भी सारे लोग आए।

[अनुवाद]

"जुलाई, 1996 में, बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि गैर-सांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण को सांविधिक बनाकर उसे उपयुक्त रूप से संशक्त बनाया जाएगा। तद्नुसार, इस संबंध में विधान अधिनियमित कर अन्तरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण को एक सांविधिक स्वरूप देने का प्रस्ताव किया जाता है।"

[हिन्दी]

उसके बाद आपने चेयरपरसन बनाया और कहा कि उसमें सात आदमी होंगे।

[अनुवाद]

"इसमें एक अध्यक्ष और सात से अन्यून सदस्य नहीं होंगे जिनमें से तीन से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य होंगे और उनकी नियुक्ति कुशल, ईमानदार तथा प्रतिष्ठा से युक्त उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें जीवन बीमा, सामान्य बीमा का ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो।"

[हिन्दी]

इस संबंध में आपने चेयरपरसन के लिए तो यह रखा कि वह पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक करेगा और अन्य जो मैम्बर हैं, वे 62 वर्ष की आयु तक काम करेंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। इन सारी बातों को रखकर आप प्राधिकरण इंश्योरैंस के बारे में 1996 में यह बिल लाए और आज इसे सदन में लाए हैं। 20 सितम्बर, 1996 को इसे वित्त समिति को भेजा गया जिसमें मल्होत्रा समिति के सदस्यों को भी बुलाया गया। मेरा कहना है कि यह बीमा पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण, बीमा उद्योग को विनियमित प्रोत्साहन तथा उसका नियमितीकरण विकास सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसमें दो कम्पनियां थीं। जीवन बीमा उद्योग का 1956 में और साधारण बीमा उद्योग का 1972 में राष्ट्रीयकरण किए जाने के पश्चात् बीमा नियंत्रक की भमिका समय के साथ-साथ कम होती चली गई थी। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें पहली बात यह है कि बीमा के कारोबार का विस्तार होना बहुत जरूरी है। उसका विस्तार नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि साधारण जनता यह नहीं जानती कि बीमा क्या चीज है, किस बात का बीमा होगा, बीमा से उसे क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, प्रीमियम क्या है, प्रीमियम कब जमा कराया जाएगा, क्या बीमा कम्पनियों से लोन भी ले सकते हैं आदि। कारोबार का विस्तार होना चाहिए, कमेटी ने भी रिपोर्ट में यह बात कही है क्योंकि भारत में बीमा कारोबार का विस्तार बहुत ही कम हुआ है। ऐसी लाइनें हैं जिन पर यदि आपका प्राधिकरण चले तो बीमा का विस्तार और ज्यादा हो सकता है। इसलिए जो लाइनें छूट गई हैं, जिनमें कम्पनी अपना अधिकार जमा सकती है, लोगों को लाभ दे सकती है, उस संबंध में आप विचार करें।

दूसरा, आपने इसमें विदेशी कम्पनियों का प्रवेश बंद कर रखा है कि विदेशी कम्पनियां आएंगी तो कहीं कब्जा कर लेंगी। उनको संयुक्त उद्यम क्षेत्र के माध्यम से आने दें। कल ही आपने यहां पर शायद बिल पास करवाया है। मैं समझता हूं कि जब विदेशी बैंक आ रहे हैं यदि विदेशी बीमा कम्पनियां भी आ जाएं तो यहां पर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस संबंध में भी विचार करें।

पूंजी योगदान के बारे में मैं यह कहना चहाता हूं कि उसे कुल 40 प्रतिशत तक ही सीमित रखें। इस संबंध में भी आप विचार करें। बीमा क्षेत्र को खोलने के साथ-साथ राज्य के एकाधिकार को भी समाप्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध के अलावा मुझे और भी कई बातें आपके सामने निवेदन करनी हैं। ग्रामीण बीमे के बारे में भी इन कम्पनियों को कहा जाये, जो विदेशी कम्पनियां आयें, कि शहर के लोगों को छोड़ दें और गांवों के जो लोग हैं, गांवों में बीमा करने वाला काम आप करें। निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्र में बीमा करने के लिए कहा जाना बहुत जरूरी है। इससे गरीबों में सुरक्षा की

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

एक भावना पैदा होगी, यह भी मेरा आपसे अनुरोध है। इसके बाद आपने यह प्राधिकरण क्या काम करेगा, कितने वर्ष तक यह रहेगा, उसके सारे उद्देश्यों की ओर भी आपने इसमें कहा है कि प्राधिकरण की स्थापना हो जायेगी, निगम के रूप में हो जायेगी और इसका मुख्य कार्यालय कहां पर होगा, यह केन्द्रीय सरकार समय-समय पर तय करेगी। मेरे ख्याल से अभी तक आपने बात तयश कर ली होगी कि इसका केन्द्रीय कार्यालय कहां पर होगा, वह उल्लेख भी यदि आप कर दें तो बहुत अच्छा होगा, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

इसी प्रकार से आपने खंड चार में कहा है कि इसका एक अध्यक्ष होगा, तीन से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य होंगे और चार से अनधिक अंशकालिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। यह अधिकार भी आपने केन्द्रीय सरकार के हाथ में रखा हैं इसके बाद आपने पांच वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु चेयरमैन की और इसके बाद जो लोग हैं, उनकी आयु आपने 62 वर्ष की रखी है। 62 वर्ष के बाद वे व्यक्ति रिटायर हो जायेंगे और फिर वे दोबारा इसमें कहीं पर कोई प्राइवेट कम्पनी और होगी तो उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, यह भी आपने यहां पर प्रतिबन्ध रखने का विचार किया हे।

इसी प्रकार से किस प्रकार से उनको भत्ते मिलेंगे, केन्द्रीय सरकार क्या और कितने भत्ते देगी, किस प्रकार से वे काम करेंगे, इन सारी बातों का भी आपने इसमें उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि आपकी भावना ठीक है, लेकिन जो वित्तीय समिति ने पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश की है, मैं समझता हूं कि सारी रिपोर्ट को मानकर इस बिल में यदि समाविष्ट करेंगे तो बीमे का व्यवसाय ठीक प्रकार से पनप सकेगा। मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। बाकी वित्तीय सिफारिशें की हैं, उन सारी सिफारिशों को आप लागू करेंगे, यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। इसमें जो कमियां रह गई हैं, जो सदस्य अपनी बात कहेंगे, उन सबको समाविष्ट करके यदि आप बिल लायेंगे तो बीमे के व्यवसाय के बारे में जो लोगों का ध्यान नहीं है, इससे लोगों का ध्यान आकृष्ट होगा और विदेशी कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने पर यदि आप आमंत्रित करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ठीक होगा।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : श्री रावत, मुझे उम्मीद है कि आप अपने दल के रुख से अवगत हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं उस बारे में आपको बताने जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री हमेशा ही माननीय सदस्य–वक्ताओं को उनके दल के रुख के बारे में स्मरण कराते रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय चटर्जी साहब क्या फरमा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह कहा रहा हूं कि माननीय मंत्री हमेशा ही माननीय सदस्य – वक्ताओं को उनके दल के रुख के बारे में अवगत कराते रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : मैने कुछ नहीं कहा था।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : स्टेंड के मामले में मैं अभी स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप भी इस संयुक्त मोर्चा के समर्थक हैं तो इनकी ओर आपकी तो एक मति होगी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर होता है।

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सदन के सम्मुख बीमा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996 प्रस्तुत किया है और जिसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए यह बतलाने का प्रयास किया है कि इस विधेयक के मूल उद्देश्य "बीमा पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करने, बीमा उद्योग को विनियमित, प्रोन्नत करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। जहां तक ये उद्देश्य जो प्रारम्भ में बताए गए, निष्कर्षतः इसका विरोध करने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिए हमारे देश के स्वाधीन होने के बाद जिन लोगों के हाथ में देश के शासन की बागडोर आई, उन लोगों ने जिन-जिन के ऊपर हाथ रखा उसमें से अधिकांश संस्थान घाटे में चल रहे हैं या सार्वजनिक उपक्रम जितने भी थे, दो-तीन को अपवादस्वरूप छोड़ दें तो बाकी सारे घाटे में जा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद चाहे विद्युत मंडल का मामला हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, चाहें बैंकों का मामला हो, चाहे कोयले का मामला हो या अन्य कोई, सारी चीजें घाटें में चल रही हैं। लेकिन जैसा मैंन कहा कि अपवादस्वरूप दो-तीन चीजें हो सकती हैं, उनमें ये बीमा कम्पनीज भी हैं। भारतीय जीवन बीमा बनगम अथवा सामान्य बीमा निगम इसका अपवाद रहीं और इनमें किसी प्रकार की बेईमानी, घोटला, स्कैम या स्कैंडल नहीं हुआ। इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। इसका कारण पुरानी प्रबंधन व्यवस्था भी हो सकती है। 1938 से पहले जो निजी कम्पनीज थी, जिन्होंने इस बीमा के व्यवसाय को प्रारम्भ किया था, इस प्रकार के सांचे में ढालने का प्रयास किया था कि जब 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद जनरल इंशोरेंस का राष्ट्रीयकरण हुआ, इनका प्रबंधन वैसा ही सुव्यवस्थित बना रहा जिसके कारण इनमें शिथिलता नहीं आई और हमें उदासीनता का सामना नहीं करना पड़ा। परिणामस्वरूप हमारी ये बीमा कम्पनीज लाभ में रहीं।

अपराह्न 5.31 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से सरकार से कहने में प्रसन्नता हो रही है कि जो यह बीमा विनियामक प्राधिकरण लाए हैं, यह काफी हद तक सही है। केवल एक ही कमी दिखाई दे रही है। जब से उदारीकरण की नीति हमारे देश में आई है, वैश्वीकरण की नीति आई है, भूमंडलीकरण की नीति आई है, जैसे दूर संचार विनियामक प्राधिकरण बना उसमें भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण है, उसी प्रकार भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इनमें निजी कम्पनीज आने लगीं और इनके आते-आते जिस प्रकार के घोटाले सामने आ रहे हैं, मैं माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने सारे देश को और दूर संचार विभाग को दुखी कर दिया था, उसके बाद जो दूसरी कम्पनीज देश के अंदर आईं उनके साथ कुछ ऐसी शर्तें लगा दीं कि बड़े-बड़े नगरों के अंदर या जिन राज्यों के अंदर दूर संचार का जला बिछा हुआ है, वहां पर कारोबार करने को तो तेयार हैं, लेकिन जिन राज्यों के अंदर दूर संचार का मामला इतना विकसित नहीं था, इतनी आमदनी उन्हें नजर नहीं आई, वहां ये कम्पनीज बोली लगाने के लिए या उस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए तैयार नहीं हुईं। उसके साथ-साथ डिपार्टमेंट आफ टेलीकम्युनिकेशन को सारी व्यवस्था गांवों को सौंप दी और विदेशी कम्पनीज तथा निजी कम्पनीज के लिए कह दिया गया कि केवल 10 प्रतिशत ही उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दूर संचार के क्षेत्र में अपनी सेवाओं को देना होगा। उसमें वे राजी हो गईं और उन्हें पूरा मुनाफा कमाने का अवसर मिल गया। जहां ज्यादा विस्तार की आवश्यकता है, ज्यादा खर्च की बात आई वहां केवल उन्हें 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बीमा प्राधिकरण आप बना रहे हैं, यह अच्छी बात है। समानता का अवसर देना चाहते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन आपने खड़े होकर कह दिया कि हमारे साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बीमा कम्पनीज को पब्लिक सेक्टर में रखने की बात है, एल०आई०सी० को पब्लिक सेक्टर में रखने की बात है। जब आप स्पष्ट रूप से उत्तर दें, तो उसके बारे में बताने का कष्ट करें – क्या इसमे निजी क्षेत्र की कंपनियों को आने का अवसर प्रदान किया जाएगा ? बीमा क्षेत्र में व्यवसाय के लिए तो आप पब्लिक सैक्टर बनाए रखेंगे, तो क्या बीमा के क्षेत्र के अन्दर आप निजी कम्पनियों को बुलावा देंगे, निजी कम्पनियों को व्यवसाय के लिए अवसर देंगे। यहां तो विदेशी कंपनियां भी आने के लिए उतावली हो रही हैं। जबकि एल०आई०सी० और जी०आई०सी० या दूसरी बीमा कंपनियां, जिनका कि इनसे संबंध हैं, वे सारी लाभ के अन्दर चल रही हैं। उनका कारोबर और व्यवसाय बहुत अच्छा हे। उनके अन्दर कहीं निजी कम्पनियों को भागीदारी न देदें, उनके अन्दर कहीं विदेशी कंपनियों को भागीदारी न देदें, इसलिए उनको स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय करने की छूट दें। इससे उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप ये भी अच्छा काम करेंगी और वे भी अच्छा काम करेंगे। शंका यह पैदा होती हैं कि एक तरफ आप बैंकों के मामले में आश्वासन देते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक राष्ट्रीयकृत रहेंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपने आंचलिक बैंकों निर्माण करने का सूत्र निकाल लिया। इस कारण पिछले दिनों सारे देश के बैंकों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा था। इसलिए यह शंका है कि सांझा मोर्चे के नाम पर क्या चीज सांझा है, इसका पता नहीं लग रहा है। सांझा मोर्चे के अन्दर कुछ लोग बिल्कुल निजीकरण का स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग विदेशी कंपनियों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप क्या कर रहे हैं ?

प्रो० रासा सिंह रावत : हमारी बात तो हम बतायेंगे। (व्यवधान) कुछ लोग राष्ट्रीयकरण के प्रबल पक्षपाती हैं और कुछ निजीकरण से सर्वथा विरोधी हैं। कुछ लोग मजबूरी के कारण उदारीकरण का नाम लेकर कि ऐसा हो जाए, तो ठीक रहेगा और वैसा हो जाए, तो भी ठीक रहेगा, अपनी बात कह रहे हैं। उनके सामने इधर कुआं और उधर खाई जैसी स्थिति है और बीच में हमारे पुराने सिद्धान्तों की किसी प्रकार से रक्षा भी हो जाए। सांझा मोर्चे की जिस प्रकार छकड़ा गाड़ी चल रही है, उनके साथ भी चलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि देश का बीमा व्यवसाय बहुत समुन्नत हे। इस समुन्नत व्यवसाय में और भी प्रगति हो, यह व्यवसाय आगे बढ़े, दिन-दूनी-रात-चौगुनी प्रगति करे। जिन क्षेत्रों में बीमा की पैठ नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में भी बीमा व्यवसाय की पैठ करिए। गांव के लोगों को बीमा की सुविधा मिले। कुछ राज्यों में फसल बीमा योजना को अपना लिया है और कुछ राज्यों में इसको नहीं अपनाया हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जिस प्रकार आप एल०आई०सी०, जी०आई०सी०, नेशनल इंश्योरेंस और न्यू इंश्योरेंस के लिए करते हैं, उसी प्रकार जहां डी०आर०डी०ए० में जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा होती है, जहां एल०आई०सी० का भी प्रतिनिधि आकर बैठता है, वहां किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में कुछ नहीं होता हैं एक किसान इंजन चला रहा है और वह चलाते-चलाते फुक जाता है और खेती से संबंधित यंत्र नष्ट हो जाते हैं या ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अगर इन चीजों के लिए भी बीमा किया हुआ हो, तो वह रिस्क ले सकता है। यह योजना तो नाममात्र के लिए है। पशु-धन का बीमा कितना किया है और जिन लोगों के पशु-धन मर गए हैं, उनको इंश्योरेंस कितना वापिस मिला है, यह भी देखने की बात है। इस बारे में यदि आप जांच-पड़ताल करायेंगे, तो आपको वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी हो जाएगी। नोकरीपेशे लोग, जिनकी बंधी-बंधाई तनख्वाह है, वहां तो बीमा कंपनियां सक्रिय हैं, लेकिन झौंपड़ियों के अन्दर, गांवों के दूरदराज इलाकों में जहां बिजली का प्रकाश भी नहीं पहुंचा है, वहां बीमा कंपनियां सक्रिय नहीं हैं। जहां यातायात के साधन भी नहीं पहुंचे हैं लेकिन जहां पर किसान, जो अन्नदाता है, जो धरती से सोना पैदा करता है, जो अपने खून का पसीना करता है लेकिन कभी मानसून की अनिश्चितता के कारण, कभी बहुत लम्बे समय तक वर्षा न होने के कारण, कभी सूखा पड़ने के कारण, कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण, ठंड के कारण उसकी फसलों को नुकसान हो जाता है। बाढ़ आने के कारण उसकी बकरियां, भेड़ें बह जाती हैं। उसकी मुर्गियों को रोग हो जाता है या उसकी मछलियां तालाब सूखने के कारण जी नहीं पाती हैं। कई प्रकार के केमिकल्स के कारण, शहरों में जो प्रदूषण पैदा हो रहा है उसके कारण पानी बहता जाता है, जिसका अखबरों में फोटो भी आया

[श्री बसुदेव आचार्य]

नियंत्रण प्रणाली जो वहां मौजूद थी वह अनेक बीमा कम्पनियां जो राष्ट्रीकरण से पूर्व जो कुछ कार्य कर रही थीं उनके कार्य क्लापों पर नियंत्रण रखने में असफल रही थी। 1956 में जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण और 1972 में साधारण बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की चार सहायक कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का कार्य निष्पादन कैसा है ? हम इनकी किसी भी विकसित देश की बीमा कम्पनी से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, फ्रांस में प्रीमियम आय में प्रतिशत वृद्धि 781 हे और भारत में यह 500 है। ब्रिट्रेन में यह 495 है।

अपराह्न 4.00 बजे

जापान में यह 331; अमेरिका में 225; कनाडा में 286; जर्मनी में 203, और स्वीज्जरलैंड में यह 80 है।

यदि हम किसी विकसित देश से अपनी बीमा कम्पनियों की तुलना करें तो हमारी दोनों बीमा कम्पनियां जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम, अन्य कम्पनियों से अधिक कुशल हैं। तो हमें प्रतिस्पर्धा की क्या आवश्यकता है ? हम केवल निजी क्षेत्र को ही बीमा क्षेत्र क्यों खोलें बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए भी इस क्षेत्र को क्यों न खोले ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम अमेरिका के दबाव में आ गए है ? विगत में, हमें सुपर 361 के कारण धमकी मिलती थी क्योंकि अमेरिका और अन्य विकसित देश हम पर दबाव डालते रहते थे कि बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए हमारे बीमा क्षेत्र को खोला जाए।

इसके परिणामस्वरूप, मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था और इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र कैसे खोला जाये

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, अब तो चार बज गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां। श्री आचार्य, आप फिर, अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब हम दूसरा विषय लेंगे।

अपराह्न 4.01 बजे

कार्य – मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.03 बजे

स्थगन प्रस्ताव

बिहार में हाल ही की घटनाओं से उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि अब सदन स्थगित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, जब से श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने प्रधान मंत्री का पद संभाला है, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगभग प्रतिदिन भाषण कर रहे हैं हर भाषण में भ्रष्टाचार का उल्लेख होता हैं लोक सभा में 22 अप्रैल को वाद-विवाद में भाग लेते हुए प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा मैं उसमें से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं–

"एक वादा यह है कि जब तक मैं इस सरकार मैं सरबरा हूं तब तक यह सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार रहेगी। यह सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि यह अकाउंटेबल रहे।"

इसके बाद भी यह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। लेकिन सरकार पर जिम्मेदारी लेने का जो पहले भाषण में उनका स्वर था वह अब कुछ बदला हुआ नजर आता है। अब जिम्मेदारी लोगों पर डाली जा रही हैं यह कहा जा रहा हैं कि भ्रष्टाचार हमारी नस-नस में घुस गया है और हमें इसके लिए जनता के स्तर पर प्रतिरोध संगठित करने की आवश्यकता है। यह भाषा किसी जननायक की भाषा हो सकती है, सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति की यह भाषा नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

"यह स्वीकार करते हुए कि भ्रष्टाचार राष्ट्र की जड़ों में घुस गया है, रविवार को श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने कहा कि मंत्री पदों पर आसीन और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

यानी कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। स्पष्ट हे कि यह कठोर कार्यवाही शासन के स्तर पर होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बनाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर हम केवल जनता पर जिम्मेदारी डालकर, शासन के नाते अपने कर्तव्य-पालन से चूकेंगे तो जनता की भागीदारी के लिए भी जो उत्साह पैदा करने की आवश्यकता है, वह पैदा नहीं होगा।

प्रधानमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें देशभर के गणमान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की पचासवी वर्षगांठ के समारोह की तैयारी के संबंध में एकत्र हुए थे। एक समारोह 9 अगस्त को मुम्बई से प्रारम्भ होगा और फिर 14 अगस्त की रात को हम पचास साल पहले की स्मृति को ताजा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देखा

कि उस दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा सारी बैठक के ऊपर छाया रहा, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का अपने प्रारम्भिक भाषण में उल्लेख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ करने की जरूरत है। सरकार क्या करना चाहती है, इस संबंध में अभी तक न तो सदन को विश्वास में लिया गया है और न देश के सामने कोई ठोस योजना रखी गई है।

अभी हाल के एक भाषण में प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में भी बाधा पैदा कर रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर घोटालों में उड़ाया जाएगा और घोटालों का घटाटोप कुछ प्रदेशों में खड़ा होगा तो फिर विकास के लिए धन और साधन कहां से आएंगे ? उससे भी बढ़कर, देश के निर्माण में लोगों को जुटाने के लिए मन में जो उत्साह चाहिएं, वह उत्साह कैसे पैदा होगा। नेता अगर लूट में फंसे रहें और किसान, मजदूर तथा कर्मचारियों से कहा जाए कि वे अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, मेहनत करें, तो इसका कोई असर नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह कैसे दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 सालों में हमने भ्रष्टाचार के मामले में जो परम्पराएं डाली थीं, जो विरासत हमें उत्तराधिकार में मिली थी, आज उसे चुनौती दी जा रही है। वह विरासत यह थी कि अगर सत्ता में बैठे हुए किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगें और उन आरोपों को प्रथम दृष्टि में साधार माना जाए, आगे जांच करना आवश्यक हो तो वह मामला अदालत में भेजने के साथ-साथ, उस व्यक्ति को अपने ऊंचे पद से हट जाना चाहिए। स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देना चाहिए। श्री टी०टी० कृष्णामाचारी से लेकर और अभी हवाला कांड तक इस परम्परा का पालन हुआ था। हवाला कांड में भी, जिन-जिन मित्रों के बारे में यह आया कि वे लिप्त हैं, ये आरोप लगाए गए हैं, वे अपने पद से हट गए। कुछ और भी व्यक्ति हटे हैं जिनमें हमारे बिहार विधान सभा के विरोधी दल के नेता श्री यशवन्त सिन्हा थे। उन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं थी। वे विरोधी दल के नेता का दायित्व निभा सकते थे, लेकिन हमारे मानदंड अलग है। हमने कहा कि नहीं, आपको भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। आडवाणी जी ने कहा कि जब तक हम दोषमुक्त नहीं होंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल कुछ और भी मित्र दोषमुक्त हुए हैं, लेकिन पहली बार इस परम्परा को इस विरासत को चुनौती दी जा रही है।

सभापति महोदय, विहार के मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दूं। वे यह भी कह रहे हैं कि मुझे फांसी पर चढ़ना पसंद है मगर इस्तीफा देना पसंद नहीं है। स्वतंत्रता के लिए लोग फांसी पर चढ़ा करते थे। ···*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आप बेबुनियाद बात बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अटल जी, अगर आपको यहां बोलने के लिए यह बोलना है, तो बात दूसरी है, लेकिन यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। आप बेबुनियाद बात बोले जा रहे हैं। यदि आपको बिना प्रमाण के आरोप लगाना है, तो बात दूसरी है। ···*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है। आप बोल सकते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस तरह का भाषण नहीं दिया। आप कह सकते हैं। ···*(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। यह आप कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो प्रस्ताव आपने दिया है, उस प्रस्ताव पर ही आप बोलें और बेबुनियाद आरोप, बिना प्रमाण के जो आरोप आप लगा रहे हैं, जिस आरोप का किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया और तब भी आप उस आदमी पर आरोप लगाए चले जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। रीसेंटली डिवेलपमेंट तो यही है कि बिहार विधान सभा ने वहां के लोगों ने वहां के विधायकों ने उनको बहुमत से चुना है और आप उल्टी बात कर रहे हैं। आप उनके ऊपर सीधे आरोप लगाए चले जा रहे हैं जिसका कि कोई आधार नहीं है।

आपके प्रति हमारे मन में अटल जी बहुत सम्मान था, लेकिन हम नहीं समझते थे कि बेबुनियाद आरोप भी आप लगाएंगे। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता : यदि आपके पास प्रमाण हो, यदि कहीं भी प्रमाण हो, तो उस प्रमाण को आप रखें। तब तो बात समझ में आ सकती है। ···*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, अब मैं प्रमाण पेश करने लगा हूं। आज पटना की अदालत में श्री लालू पसाद यादव और उनके साथी एंटीसिपेट्री बेल के लिए गए थे। उस मामले का फैसला हो गया है। जज ने जो कुछ कहा है, उनके निर्णय का अंश मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा।

"यदि साक्ष्य पर विश्वास किया जाये ···"

प्रो० अजित कुमार मेहता : जो आप बोलेंगे वह प्रमाण नहीं होगा क्योंकि यह मैटर सबजुडिस है। सर्वोच्च न्यायाल ने प्रमाण नहीं दिया है। यह किसी कोर्ट ने दिया है। उसको हम तब तक प्रमाण नहीं मानेंगे जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्पुष्टि न कर दें। बिना उसकी सम्पुष्टि के इसको हम प्रमाण कैसे मानेंगे। इसको अगर आप प्रमाण मानते रहे, तो बहुत लोगों के उपर चार्जशीट हुआ है, उसको आप प्रमाण मानेंगे। जब तक सर्वोच्च न्यायालय उसकी सम्पुष्टि नहीं करता तब तक आप उसको प्रमाण कैसे मानेंगे। इसलिए इस पर बहस कैसे की जा सकती है। आप अपने प्रस्ताव को छोड़कर दूसरे विषय पर बोलते चले जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मेहता, इतना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

[श्री प्रो० अजित कुमार मेहता]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कि विपक्षी नेता पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं उन्हें उदाहरण की प्राभाविकता सिद्ध करनी है और, मैं सोचता हूं कि वह ऐसी पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं मुझे इसमें संदेह नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया धैर्य रखिए। आपको इसका उत्तर देने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव तो आप पढ़कर सुना दीजिए। ···*(व्यवधान)* मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय अटल बिहारी जी ने जो प्रस्ताव दिया है, उसको पढ़कर सुना दीजिए। ···*(व्यवधान)* उसमें कहां पर किसी स्कैम के बारे में, कहां पर मुख्यमंत्री के बारे में कहा गया है। ···*(व्यवधान)* नियम तो यह कहता हे कि आप किसी मुख्यमंत्री, गवर्नर और मंत्री के विषय पर चर्चा नहीं कर सकते ···*(व्यवधान)* यह जो प्रसताव है उसको आप पढ़कर सुना दीजिए। ···*(व्यवधान)* आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। ···*(व्यवधान)* जो प्रस्ताव है, वह सदन के सामने है। उस पर चर्चा करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है मगर ये सब्जैक्ट से बाहर कैसे चर्चा कर रहे हैं। ···*(व्यवधान)* रिसेन्टली डेवलपमैंट बिहार में तो यह है कि पूरा बिहार बाढ़ से ग्रसित है। ···*(व्यवधान)* आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 70 से ज्यादा आदमी मर रहें हैं। पूरे बिहार में फसल मर रही हैं करोड़ों किसानों की अरबों रुपये की फसल नष्ट हो रही हैं वह सीरियस डेवलपमैंट है ···*(व्यवधान)* उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ···*(व्यवधान)* राजनीति से ग्रसित होकर आप सभी लोग एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में जवाब दीजिएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब देने का मैं पूरा मौका दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, नियमों के अनुकूल बात चले तो एक बात है। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, चार्जशीट तो बहुत लोगों पर लगी हुई है। *(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता : नियमों को दरकिनार रखते हुए बात की जाये तो उसके लिए तो यह संसद नहीं है। ···*(व्यवधान)* दुनिया भर की बातें करने के लिए यह सदन नहीं हैं ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा। वाजपेयी जी, कृपया आप अपनी बात जारी रखिये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अदालत के फैसले के रूप में मैं जो कुछ उद्धृत कर रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं यह अदालत के एक फैसल का एक अंश हैं इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस फैसले से जो नई परिस्थिति पैदा हुई है उससे केन्द्र सरकार निपटेगी। वहां के राज्यपाल उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी शामिल नहीं होगा मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आपको उत्तर देने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। मैं आपको उत्तर देने का एक अवसर देने जा रहा हूं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, कृपया कार्यवाही में बाधा न डाले। मैं आपको उत्तर देने का अवसर दूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको तर्क-वितर्क करने की जरूरत नहीं है। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर दिया जायेगा। आप ध्यान से सुनिये, एक पेन या पेंसिल और कागज ले लीजिए, सभी बातों को लिख लजिए और बाद में उन बातों का उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी हैं इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया सुनिये। धैर्य रखिए। सभी बातों को लिख लीजिए। बाद में आप उत्तर दे सकते हैं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हमने आपकी बात को मान लिया था।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप तो हमेशा मेरी बात मानते हैं, सभी बैठ जाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया। ···*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : माननीय अटल जी से यह निवेदन है कि विषयांतर न हो। ···*(व्यवधान)* पता नहीं कितने साल तक आपने लोगों को पढ़ाने का काम किया है। हम आपको क्या उपदेश दें सकते हैं। आप सीनियर सांसद हैं, आपके प्रति हमारा पूरा सम्मान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन सुनिए। *(व्यवधान)* विषयांतर हो रहा है। *(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता : राजनैतिक भावनाओं से ग्रसित होकर कोई बात न कही जाए। *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह विषयांतर नहीं है, यह विषय से संबंधित है। *(व्यवधान)*

प्रो० अजित कुमार मेहता : विषय तो रीसैंट डैवलपमैंट है। ···*(व्यवधान)* हम यह अपेक्षा करते थे कि ये राजनैतिक स्वार्थ से ग्रसित होकर बहस नहीं करेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कभी कोई सदस्य नियमानुसार नहीं चुनता तो मैं उस सदस्य को सचेत करता हूं कि वह नियमों के विरुद्ध जा रहा है। आपको उसकी चिन्ता नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात है कि आप वाद-विवाद सुने। आप अच्छी प्रकार उसका उत्तर दें। मुझे विश्वास है कि आप मूंह तोड़ जवाब देंगें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह जस्टिस धालीवाल का निर्णय है जो ऐंटीसिपेट्री बेल पिटीशन को अस्वीकृत करते हुए आज दिया गया है। मैं उसे उद्धृत कर रहा था, बीच में टोका-टोकी हो गई। मैं चाहताह हूं कि रिकार्ड ठीक रहे।

[अनुवाद]

यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों पर विश्वास किया जाता है तो यह वर्षों से सरकारी धन को तरीके से लूटने का और गरीब लोगों को उनके हिस्से से वंचित करने का जो स्पष्ट मामला है। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनको क्यों उकसा रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"इसलिए यह राज्य के विरुद्ध यह एक अपराध है। इसलिए, याचिकादाता को अग्रिम जमानत पाने का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।"

[हिन्दी]

यह लम्बी भ्रष्टाचार की कहानी का एक हिस्सा हैं हमारे मित्र कह रहे थे कि आप बिहार की परिस्थिति पर बोलिए। मैं बिहार की परस्थिति पर भी आने वाला हूं। लेकिन क्या भ्रष्टाचार बिहार की परिस्थिति से भिन्न है, अलग है ? सवाल एक घोटाले का नहीं है, घोटाले के ऊपर घोटाला, घटाटोप घोटाला और उससे सरकारी खजाना खाली। विकास के लिए धन नहीं है। प्रगति ठप्प हैं सरकार नाम की चीज नहीं हैं पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, उसके पीछे कौन है। ···*(व्यवधान)* यह सब-जूडिस है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। जान लीजिए। ···*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई हैं उसके आधार पर बिहार में चुनाव हो रहा हैं यह तो जान लीजिए। ···*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सरकार की सारी ताकत अपने को, अपने नेता को और मंत्रियों को बचाने में लगी है। जनता दल की टूट जनता दल का घरेलू मामला हैं मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में दलीय पद्धति को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आज वहां स्थिति क्या है ? मुख्य मंत्री कहते हैं कि अगर दल में मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं दल तोड़ दूंगा, विधान मंडल को पंगु कर दूंगा, प्रतिपक्ष के सदस्यों को या तो निलंबित कर दिया जाएगा या मारपीट करके भाग दिया जाएगा, संदिग्ध चरित्र के लोग विधान मंडल के परिसर में लाए जाएंगे। इस स्थिति में क्या कोई भ्रष्टाचार के मामले में चलने वाला मुकदमा निष्पक्ष रूप से चल सकता है ? बिहार में तीन विधायक जेल में है, बेहूड़ जेल में हैं और वहां से वे भ्रष्टाचार के मामलों से सम्बन्धित गवाहों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सी०बी०आई० को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। सी०बी०आई० तो केन्द्र से सम्बन्धित है, जांच एजेंसी है। अब तो शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, उसके डायरैक्टर बदल दिये गये हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसपर आरोप लगाये गये हैं, वह यह शिकायत करें कि सी०बी०आई० ने मेरे खिलाफ षड़यन्त्र किया है। क्या इस आरोप का कोई प्रमाण दिया गया ?

श्री राम कृपाल यादव : पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सी०बी०आई० सब लीक कर रही है, आपके हाथ में सब मामला आ रहा है, यह भी पहले कभी नहीं हुआ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इतना ही नहीं, यह कहा जा रहा है कि संविधान में यह कहां लिखा है कि जिसके खिलाफ जो आरोप पत्रित हो गया है, वह इस्तीफा दे दे। क्या संविधान में यह लिखा हैं कि मुख्य मंत्री को लूट की छूट होगी ? हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं, जहां लिखित संविधान नहीं है। देश चलता है परम्परा से, मूल्यों से, आदर्शों से और आज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक प्रदेश की भी चिन्ता नहीं है। आज गणतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। अगर राजसत्ता मुट्ठी भर अपराधियों के हाथ में केन्द्रित हो जायेगी, 1-1 करके लोकतंत्र की संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी, अप्रभावी बना दी जायेंगी, जो खिलाफ खड़ा होगा, उसकी हत्या का षड़यंत्र रखा जायेगा, गवाह मुकदमे के लिए नहीं मिलेंगे और यह स्थिति चल रही है ···(व्यवधान)

श्रीमती भगवती देवी : ये गरीबों की बात सुन रहे हैं ? गरीब आगे बढ़ रहा है तो बड़े लोगों का सीना फट रहा है। क्या छिपा है कफन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने पहले दिन के भाषण में कहा था कि हमें स्टेट को बचाना होगा। देश संविधान से नहीं चलते हैं, देश संविधन में जनता की निष्ठा और जनता के विश्वास से चलते हैं और आज उस विश्वास को ठेस लगी हैं आज उस आस्था पर आंच आ रही है। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, क्या करना चाहती है, कौन सी योजनाएं हैं। यह अदालत का फैसला है, फैसला मेरे अनुकूल है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं, लेकिन अगर मामला अदालत में जाये, वहां तय हो, क्या यह जरूरी है ? क्या यह दल के स्तर पर तय नहीं हो सकते, क्या यह मोर्चा के स्तर पर तय नहीं हो सकते ? क्या सब मिलकर बिहार के मुख्य मंत्री को प्रेरित नहीं कर सकते थे कि थोड़े दिनों के लिए हट जाओ, आप तो बिल्कुल निर्दोष हैं, दूध के धुले हैं, मुकदमा चलेगा तो आप बिल्कुल उज्जवल होकर सामने आयेंगे। थोड़े दिन की बात है, सब्र कर लो, इस्तीफा दे दो।

श्रीमती भगवती देवी : सदा से यही कहा है कि सेर भर सतुआ पर सारी जमीन लिखा ली, घर-बार लिख लिया। यही होता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ···*(व्यवधान)* हमें भी बोलने की आजादी है। आप बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे। ···*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसी का परामर्श काम नहीं आया। अभी भी समय है, जो पुराने मित्र हैं, समाजवादी रहे हैं, जो जयप्रकाश और लोहिया के आन्दोलन से जुड़े थे, वे अभी भी जाकर समझायें। सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो भूला हुआ नहीं कहाता, लेकिन हम एक-एक विकल्प बन्द करते जा रहे हैं और इसकी मुझे चिन्ता है।

पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। मुख्य मंत्री उसमे फंसते थे और प्रथम दृष्टि में अगर मामला बनता था तो मुख्यमंत्रियों को त्याग-पत्र देने के लिए कहा जाता था। कोई मना नहीं करता था। कोई सड़क पर आने की धमकी नहीं देता था। कोई फांसी पर चढ़ने का ऐलान नहीं करता था। उस दिन श्री शरद यादव कह रहे थे कि लोकतंत्र चलेगा तो लोक-लाज से चलेगा। लोकतंत्र चलेगा कैसे ? अगर पार्टी फैसला नहीं कर सकती तो फिर एक्जीक्यूटिव को फैसला करना चाहिए। लेकिन यह भावना बढ़ रही है कि अदालत पर छोड़ दो, कौन मुसीबत में फंसे, कौन जिम्मेदारी ले। फिर चाहे जो मामला हो। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के मकान आवंटन का सवाल हो या पर्यावरण की रक्षा का प्रश्न हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वाटर-लॉगिंग का हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : या पटना में, अभी पटना की बात हो रही थी, पटना की सरकार ऐसी है जिसे जल भराव की चिंता नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव : उसके महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यह भी बताएं ? ···*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैंने अपने भाषण मे यह नहीं कहा कि आपके बिहार में क्या हो रहा है। आप अगर महाराष्ट्र को मेरा महाराष्ट्र बता रहे हैं तो मुझे बड़ा अनान्द है, बड़ी खुशी है। ···*(व्यवधान)* पटना की याद मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी ने दिलाई।

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : पटना में जल निकासी का काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। *(व्यवधान)* हमारी मंशा ठीक है, हम जल निकासी की ओर अग्रसर हैं। वर्षा बरसाने का काम हमारे ऊपर नहीं था, न है। पिछले 25-30 साल का रिकार्ड वर्षा ने तोड़ दिया हैं इसलिए ववाटर-लॉगिंग हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए, उस पर भी आपको शिकायत है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग आपसे संरक्षण चाहते हैं। हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात सुनना चाहते हैं। हम इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। क्या टोका-टाकी का सिलसिला लगातार चलता रहेगा ? इस प्रकार कोई भाषण नहीं हो पाएगा। या तो उनकी बात एक बार सुन लें, क्योंकि बार-बार वे बीच में बोलते जाएं, इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री राम कृपाल यादव : आप विषयांतर होकर कहते हैं तो हमें टोकना पड़ता है।

श्री नीतीश कुमार : हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर डिबेट का स्तर बनाए रखना चाहते हैं तो सदन को नियंत्रित करें, तब तो डिबेट का स्तर बना रहेगा। वरना कोई यह समझे कि हम दस आदमी हल्ला करके इनको बोलने नहीं देंगे तो हम उनसे ज्यादा टोका-टाकी कर सकते हैं। ···*(व्यवधान)* ताकत उनके खिलाफ है। हर बार वे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप सदन को नियंत्रित करें।

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : हम चुप रहें तो क्या वे बोलते रहेंगे, सारी बहस का स्तर नीचा गिरा रहेगा। ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : नीतिश कुमार जी, उन्होंने यह कल आप से ही सीखा है जब आप प्रधानमंत्री जी को बीच-बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे। कृपया आप याद करें, आपने कल क्या किया था। आपका हस्तक्षेप करना गलत सिद्ध हो रहा है ···*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री निर्मल कांति चटर्जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने यह आप से ही सीखा है ···*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपको याद है कल आपने प्रधान मंत्री जी के साथ क्या किया। आपके कल के व्यवहार से ही उन्होंने यह सीखा है ···*(व्यवधान)* आप व्यवधान डाल रहे थे और प्रधानमंत्री

जी को बोलने से रोक रहे थे। यह सब उन्होंने आप से ही सीखा है।

श्री नीतीश कुमार : हमने तो प्रधान मंत्री का व्यू दोहराया था। उन्होंने खुद यह कहा था। हम एक वाक्य बोलकर बैठ गए थे, लेकिन वे भी बैठ गए तो मैं क्या करूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हर कदम पर टोका-टाकी नहीं चलेगी, आप सदन को नियंत्रित करें। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : प्रधान मंत्री जी जब कल बोल रहे थे तो ये भी टोक रहे थे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहुत हो गया।

श्री राम कृपाल यादव : विषयांतर होकर बोल रहे हैं तो हम कैसे सुन सकते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मामलों को और अधिक उलझाएं नहीं। कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : ये अगर आज आपकी बात नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा, अभी काफी दिन हाउस चलना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। अब किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। बहुत हो चुका है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? आप ऐसा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मामलों को और अधिक उलझाएं नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इस मामले को और न उलझाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? जब मैं उन्हें कहता हूं कि बैठ जाइये तो आप बोलना आरम्भ कर देते हैं और जब आप बैठते हैं तो वे बोलना आरम्भ कर देंगें। कृपया बैठ जाइये। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार यह बात कैसे चलेगी। *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप इन पर नाराज हो रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में करिए, बहुत अच्छा है, और बोलिए। आप बोलते रहिए

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जारी रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस शानदार काम के लिए आपको बधाई।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पटना में पानी भर गया। वर्तमान सरकार उस पानी को निकाल नहीं पा रही है और कोर्ट आदेश दे रहा है, सेना की मदद ले लें। इसमें मेरा क्या दोष है। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : मुझे जानकारी है, पटना में अब कोई पानी नहीं भरा हुआ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, आपको जानकारी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, जो पाइंट चल रहा है, उसको नोट कर लीजिए और जब आपको बोलना हो, तो जवाब दे दीजिए। जितनी जानकारी आपके पास है, वह हाउस में दे दीजिए।

श्री अटल बिहारी वायपेयी : महोदय, मैं सदन से कह रहा था, एग्जिक्युटिव अगर अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगी, तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा नागरिकों के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। होना तो यह चाहिए, एग्जिक्युटिव अपने कर्तव्य क्षेत्र के अन्तर्गत अपना कर्तव्य पालन करे और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहे। लेकिन अगर मामले लटकाये जायेंगे, तो कैसे होगा। चारा घोटाला डेढ़ साल से चल रहा है। लगातार चल रहा है। प्रक्रिया जटिल हैं विलम्ब होते हैं। भ्रष्टाचार के मामले कब तक चलेंये ? जिन पर आरोप लगते हैं, उनके साथ भी अगर न्याय करना है, तो उसका तकाजा यह है कि जल्दी से सुनवाई होनी चाहिए, तुरन्त फैसले होने चाहिए। इसके लिए अगर प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, तो प्रधान मंत्री जी प्रस्ताव लेकर आयें और सदन उनका समर्थ करेगा। दो साल पहले एक घोटाले में लोग लपेटे गए थे। उसका मैंने अभी उल्लेख किया। श्री यशवन्स सिन्हा के बारे में आज फैसला आया है। श्री मोतीलाल वोरा, श्री विश्व शंकर जी श्री अजित पांजा, इनको कल मुक्त किया गया। यह दो साल से चल रहा है, चुनाव नहीं लड़ सके। चुनाव खुद लड़ने के बजाए अपनी पत्नी को लड़ाया। फिर बाद में वह सीट चली गई। यह एक अलग कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मामले लम्बे चले हैं। दल के स्तर पर तय हों, संयुक्त मोर्चा कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, 356 का उपयोग करना है या नहीं करना है। इस पर मोर्चे में बहस चल रही है। मैंने मोर्चे का कामन-मिनिमम-प्रोग्राम देखा है। आजकल उसका उल्लेख कम होने लगा है। उस कामन-मिनिमम-प्रोग्राम में यह नहीं लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 356 को खत्म

[श्री अटल विहारी वाजपेयी]

कर देना चाहिये। यह नहीं लिखा है। जो लिखा है, उस पर ईमानदारी से विचार करिए। मैं उद्धृत चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

"दूसरे चरण में संयुक्त मोर्चा सरकारिया आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्षा करने और उन्हें अद्यतन बनाने के लिये तत्काल एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त करेगा।

[हिन्दी]

यह ठीक है।

[अनुवाद]

आगे कहा गया है :

"समिति से यह भी अनुरोध किया जायेगा कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियां सौंपने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करे।"

[हिन्दी]

यह भी बहुत अच्छी बात है। आर्टीकल 356 के बारे में जो कहा है वह इस प्रकार से है :

[अनुवाद]

"संविधान के अनुच्छेद 356 के क्षेत्र की व्याख्या की गई है और उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय द्वारा इसके दायरे को निश्चित किया गया है। इन निर्णयों को फलीभूत करने और इस अनुच्छेद के दुरूपयोग को रोकने के लिये अनुच्छेद-356 में संशोधन होगा।"

अपराह्न 4.41 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

मिसयूस को रोकने की बात कही गई है। अगर बिहार में उसका उपयोग किया जाता या किया जाए तो क्या वह दुरूपयोग होता। आखिर जब कोई और रास्ता न हो, *(व्यवधान)*

विहार और महाराष्ट्र की तुलना मत करिए। *(व्यवधान)* अकेले बिहार में दलितों का जो सामूहिक नरसंहार हुआ है उसके सामने मुंबई की घटना फीकी पड़ जाती है। *(व्यवधान)* बिहार में प्राइवेट सेनाएं बनी हुई हैं और लोगों का कत्लेआम हो रहा है। *(व्यवधान)*

कुंवर सर्वराज सिंह (आवंला) : उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको जो कुछ कहना है आप नोट करिए और जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए। इस प्रकार से टोका-टाकी होगी तो डिबेट नहीं चलेगी। *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर इस प्रकार से व्यवधान होगा तो मैं आगे भाषण नहीं करूंगा।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : सभापति महोदय, 40 मिनट हो गए हैं, हमारी तरफ से बहुत से लोग चाहते है कि अटल जी अपना भाषण पूरा करें और 40 मिनट में इस तरह से टोका-टोकी हुई। मैं सम्माननीय सदस्यों से कहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिसका वह जवाब नहीं दे सकते। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मेरा निवेदन है कि अटल जी के भाषण में जो बार-बार हस्तक्षेप हो रहा है, मेरा निवेदन अगर स्वीकार करें तो सदस्यों को शांति से उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको आप बोलने दीजिए। उसके बाद जो बोलना चाहे वह बोले। *(व्यवधान)* अटल जी 40 मिनट में बिल्कुल से 5-10 मिनट ही बोल सके हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

सभापति महोदय : इसलिए मैं आदरणीय मेम्बरों से अपील करूंगा कि अगर कोई ऐसी बात हो तो जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल सकते हैं। मैं ऐसे टोका-टोकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, मैं आर्टीकल 356 की चर्चा कर रहा हूं। उसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं यह मांग जरूर कर रहा हूं कि जब सब रास्ते बंद हो गए और कोई रास्ता खुला नहीं है तो फिर इस परिस्थिति का तकाजा यह होगा कि आर्टीकल 356 का उपयोग किया जाए। *(व्यवधान)* युनाइटेड फ्रंट ने भी आर्टीकल 356 को खत्म करने की बात नहीं कही हैं ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बनी है वह विचार कर रही है कि उसका दुरूपयोग रोका जाए, इसका प्रबंध करना जरूरी है। लेकिन बिहार की जैसी स्थिति हो गई है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं चल नहीं रही हैं, अदालत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता था जिसका अवलम्बन नहीं किया गया, अब भी नहीं किया जा रहा। यह सुझाव उस दिन स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में आयोजित बैठक में श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने रखा था। उन्होंने कहा कि बिहार में राज्यपाल महोदय ने मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाई जाने वाली चार्जशीट को देखा। मुख्य मंत्री पर जो आरोप लगे हैं और उन को लेकर मुकदमा चलाने की जो मांग हुई तो मुख्य मंत्री पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि गवर्नर की अनुमति नहीं है। गवर्नर ने चार्जशीट देखी 37 दिन तक गवर्नर महोदय उस पर विचार करते रहे। जरूर उन्होंने गहरा अध्ययन किया होगा, विधि-शास्त्रियों की राय ली, एडवोकेट जनरल से परामर्श किया और फिर उन्होंने इस बात की इजाजत दी कि प्राइमाफेसी क्रेस है और चार्जशीट लग सकती हैं इसके बाद गवर्नर महोदय का क्या कोई कर्तव्य नहीं है ? क्या उन्होंने यह नहीं सोचा कि चार्जसीट अगर लगा दी जाएगी तो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी और विशेषकर बिहार में साक्ष्य जुटाना एक असम्भव काम होगा। छः के करीब लोग संदेहास्पद स्थितियों में मारे गये हैं, कौन खिलाफ

गवाही देगा ? कौन सत्य का उद्घाटन करेगा ? छोटे-छोटे मुकदमों में, इसलिए कि गवाहो को प्रभावित न किया जा सके, बेल देने से इंकार कर दिया जाता है। आज बेल, देने से इंकार किया गया है, यह अच्छी बात है। लेकिन गवर्नर महोदय क्या इसके आगे का नहीं सोचा ? क्या केन्द्र से परामर्श नहीं किया ? क्या गृह मंत्री महोदय उनसे बातचीत नहीं करते रहे कि जो भी परिस्थितियां पैदा होगी उनका सामना करना कैसे पड़ेगा। आखिर गवर्नर ने संविधान की शपथ ली है। श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने इस बात पर बल दिया था कि मुख्यमंत्री और मंत्री गवर्नर का जब तक प्लेज़र है तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं और गवर्नर चाहे तो अपना प्लेज़र विदड्रा कर सकता है, गवर्नर त्यागपत्र देने के लिए कह सकता हें अगर उसकी बात न मानी जाए तो गवर्नर आगे कदम बढ़ा सकता है। लेकिन इसका भी अवलम्बन नहीं किया गया। इसका अवलम्बन किया जाता तो एग्जिक्युटिव की निर्णय लेने की, कार्य-वाही करने की क्षमता दृढ़ होती। लेकिन अदालत पर छोड़ दिया गया है।

खैर, मुकदमा चल रहा है और मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। अगर पार्टी अपने को स्वयं अनुशासित नहीं करती है और जनमत उसको प्रभावित नहीं करता, अगर राज्यपाल भी अपने दायित्व का पूरा नहीं करता तो आर्टिकल 356 के अलावा मुझे तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता हैं लेकिन संयुक्त मोर्चे में मतभेद हैं। मतभेद के कारण एक निर्णय लेना सम्भव नहीं हो पा रहा हैं यह सत्ता का खेल नहीं है। इस समय गणतंत्र संकट में हैं 50 साल में लोकतंत्र को ऐसी चुनौती पहले कभी नहीं मिली। जिस तरह से सबको नकारा जा रहा वह पहले कभी नहीं हुआ है। अभी रेल मंत्री वहां गये थे, मैंने अखबार में पढ़ा। कहां तक ठीक है, मैं नहीं जानता। रेल मंत्री की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जरूरत थी। प्रदेश सरकार के ऊपर वह सुरक्ष की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते थे। उनकी सभा में गड़बड़ करने की कोशिश की गयी तो हमारी सभा कौन करने देगा। बम फूटा और प्रधान मंत्री कहते हैं कि जनता को जागृत करो, कैसे करें जनता भयभीत है, जनता आतंकित है। ···*(व्यवधान)* माफियाओं की मुट्ठी में है। सत्ता। ···*(व्यवधान)* जनता को कैसे जागृत किया जाए ? ···*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : बम नहीं डाला हैं यह क्या आपको मालूम है। सदन की समिति जांच कर ले। ···*(व्यवधान)*

श्री माननीय सदस्य : इनके भाई को मारा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैनें आपको आनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

भाई को मारा है या बेटे को मारा है।

[अनुवाद]

बाधा न डालें। उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब चर्चा का प्रारम्भ हुआ तो हमारे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा था कि 356 के बारे में क्या है? अगर कोई रास्ता न हो तो 356 का अवलम्बर होना चाहिए, कम बुराई के रूप में होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाए और गणतंत्र पर आंच आ जाए और हम कहें कि हम संविधान की धारा 356 का उपयोग नहीं करेंगे, तो वह ऐसे समय में दुरूपयोग नहीं सदुपयोग होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सेंट्रल गवर्नमेंट होने पर क्या होगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उस पर आना चाहता हूं। आज जो परिस्थिति प्रदेश में पैदा हो गयी है वह परिस्थित अगर केन्द्र में पैदा हो गयी और अगर हम इसी तरह से ढील देंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता नहीं करेंगे। और हर चीज अदालत पर छोड़ेंगे तो किसी दिन मौका आने वाला है कि अदालत की तरफ से हमें मिलेगा 'खर्रा' कि आप यह कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते। सभापति जी, मुझे आश्चर्य है कि हमारे कांग्रेस के मित्र बिहार के बारे में कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं, मैं समझना चाहता हूं। पटना में कुछ कहना और यहां पर कुछ कहना। कहना कुछ और करना कुछ। अब यह राजनीति हमारी समझ में नहीं आती हैं बिहार विधानसभा में एक दिन लालू यादव की सरकार अल्पमत में रह गई थी। एक दिन नहीं, कुछ दिन। जब जनता दल का विभाजन हो गया था, वह अल्पमत में थी। उन्हें चुनौती दी गई थी। रातोंरात उन्होंने झारखंड समझौता कर लियां किस कीमत पर किया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। क्या किसी सीमा प्रदेश में अपनी सत्ता को खतरें में पड़ने के बाद अगर वहां के मुख्यमंत्री या सत्तारूढ़ दल किसी राष्ट्र विरोधी तत्व के साथ समझौता करके बहुमत बनाये रखा तो क्या प्रतिक्रियां होगी ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप तो झारखंड के खिलाफ थे तो आपने झारखंड कैसे स्वीकार कर लिया ? और कांग्रेस ने कहा कि हम तटस्थ रहेंगे। 'रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति' हम तटस्थ रहेंगे और तटस्थता का कारण यह दिया कि हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकते, यह सम्प्रदायवादी है, कांग्रेस सेकूलरवादी है और सम्प्रदायवादी के साथ वोट करना उन्हें गवारा नहीं है। लेकिन जब एच०डी० देवेगोड़ा की सरकार को हटाने का सवाल आया तो आपने हमारे साथ वोट किया था। किया था या नहीं ? आप बिहार में मोशन लायेंगे नहीं और यदि मोशन आयेगा भी तो साम्प्रदायिकता की बात कहकर वोट देने से बहानेबाजी करेंगे। यह नहीं चलेगा। सचमुच हमारा भी मोशन नहीं था, मुख्यमंत्री न कांफिडेंस सीक किया था। अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो ठीक है। यह राजनीति भी नहीं। यह बहुत संकुचित और संकीर्ण खेल है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सभापति महोदय, मैं समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। कामरोको प्रस्ताव लाने का एक ही उद्देश्य था कि बिहार की विगड़ती हुई स्थिति की ओर तत्काल ध्यान दिया जाये। निगम 184 में चर्चा हो सकती है या नियम 193 भी चर्चा का उपकरण प्रदान करता है लेकिन आज देश इस सत्र और ससंद की ओर आशाभरी निगाह से देख रहा है। अगर हम पहले ही दिन बिहार की स्थिति पर चर्चा न उठाते तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन करने से चूक जाते। सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं। सरकार तो अपनी निष्क्रियता के कारण कटघरे में है ही। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं तो फंस गया हूं। पांडव पांच ही थे परन्तु यहां तो 15-15 पांडव विराजमान हैं। मैं नहीं समझता इससे समस्या का समाधान निकलेगा। संयुक्त मोर्चा बनाया, उसे चलाना आपकी जिम्मेदारी है लेकिन, प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने अपने प्रथम भाषण में कहा था कि स्टेट को बचाना है और मैं उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक, आज खतरे में है और रिपब्लिक की रक्षा के लिये कदम उठाना होगा। पार्टियों गौण हैं। गणतंत्र की 50 साल की आजादी के बाद भी अगर लोगों के मन में स्वतंत्रता का त्यौहार मनाने के लिये जैसा उत्साह चाहिये, वैसा उत्साह नहीं है तो हम सब राजनेता, सब दलों के प्रतिनिधि जरा अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद की आवश्यकता है. . .निर्मम, निरीह। बार-बार कहा जाता है कि किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यह कहा जाता है लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं है। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। प्रधान मंत्री ने कहा है कि कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कौन से कदम उठाना चाहते हैं ? उनमें विलंब क्यों हो रहा है ? यह सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है। स्वतंत्रता का त्यौहार तो हम मनाएंगे लेकिन अगर हम भविष्य की चिन्ता नहीं करेंगे तो यह स्वतंत्रता का त्यौहार जिस उत्साह से मनाना चाहिए, वह उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते और इसीलिए सारे सदन का झकझोरने के लिए मैं अपना कामरोको प्रस्ताव लाया हूं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो"।

श्री तारिक अनवर.

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्षमा करें। हां, आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सबकी बात सुनकर प्रधान मंत्री बोलें तो अच्छा होगा। . . .*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह क्या है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो आप बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं ? यह क्या बात है? मैं बार-बार आपको कह चुका हूं। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार इसका निर्णय आपको नहीं लेना है। इसका निर्णय मुझे लेना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। कल भी आपने यही किया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री सबकी बात सुनकर बोलें। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैंने अब माननीय प्रधान मंत्री जी को बोलने के लिये कहा है। . . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री सबकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने प्रधानमंत्री को बोलने के लिये कह दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ये किस तरह की बात है। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यवाही वृत्तांत में यह सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधान मंत्री जी किसी भी समय बीच में बोल सकते हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री सबकी बात सुनने के बाद बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। ... *(व्यवधान)* सबकी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं और सबसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। यह स्थिति है। हम लोगों ने मिलने के लिए अनेक बार प्रयास किया है। ये मिलना भी नहीं चाहते हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री जी अब बोलना चाहते हैं। और इसीलिये इसे स्थगित कर दिया है। ... *(व्यवधान)* श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे 4 बजे तक स्थगित रखना स्वीकार कर लिया है जिससे कि वे यहां उपस्थित रह सकें ... *(व्यवधान)*। इसके बाद, अब वे यह मुद्दा उठा रहे हैं ... *(व्यवधान)* ? यह उचित नहीं हैं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री नीतिश कुमार जी, सुबह, इस पर चर्चा करने के लिये 2 बजे का समय नियत किया गया था। किंतु प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष ने 4 बजे का समय निश्चित किया जिससे प्रस्ताव प्रस्तुत होते ही वे उस पर बोल सकें। यह मेरी गलती थी कि मैंने किसी और सदस्य का नाम पुकार लिया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री जी।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय मैं आपका आभारी हूं। मैं विपक्ष के नेता का भी आभारी हूं कि उन्होंने सभा का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित किया है। मेरे विचार से एक बात पर हम सभी सहमत हैं, मैं "सभी" शब्द पर बल दे रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें तत्काल और दृढ़तापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

पहले दिन जब मैं विश्वास मत प्राप्त करते समय सभा में बोल रहा था तो मैंने तीन वायदे किए थे। मुझे प्रसन्नता है और में विपक्ष के नेता का आभारी हूं कि उन्होंने उन सब वायदों को दोहराया जो मैंने किये थे। मैं उन्हें फिर दोहराता हूं और उनकी पुष्टि करता हूं। "मैं विपक्ष के नेता का इस बात के लिये भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर अपने वायदों से मुकरने का आरोप नहीं लगाया है। आज मुख्य मुद्दा यह है कि सभा के समक्ष कौन सा प्रस्ताव है यह बात ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने विस्तार से बिहार के बारे में कहा। उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है और मैं इस मामले पर बोलूंगा। मेरे विचार से इस मामले पर चर्चा करना और इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने अन्त में कहीं कि यह प्रस्ताव उन्होंने हमारे ध्यान आकृष्ट करने के लिए पेश की हैं यदि यह इरादा था तो फिर यह प्रक्रिया नियमों के किसी अन्य नियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था न कि स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत जैसा मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने उल्लेख किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

किंतु उस मुद्दे पर मैं आपका समय नहीं लूंगा। महोदय जैसा आप जानते हैं मैंने अनेक बार कहा है और मैं पुनः कहता हूं कि अनेक कारणों से मैं श्री अटल दिहारी वाजपेयी का बहुत आदर करता हूं। उनमें से एक कारण यह है कि वह बहुत सौम्य, संतुलित, बुद्धिमान व्यक्ति हैं और एक कार्यकर्त्ता के रूप में विख्यात हैं। इसलिए जब वह निष्क्रियता की बात करते हैं तो मेरे विचार से या तो इस शब्द के अनुवाद में कुछ गड़बड़ी है या अंग्रेजी की वजह से वह संभ्रमित हो गये है। मुख्य मुद्दा यही है कि जिस दिन से मैंने यह पद धारण किया है यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है—पहले ही दिन से मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति पर चाहे वह मंत्री हो या मुख्यमंत्री या कोई अन्य, भ्रष्टाचार का अभियोग लगाया गया है, उसे स्वेच्छा से पद त्याग देना चाहिए। मैंने यह जनता के बीच कहा है और जनता के बीच इसकी मांग की है। मैंने यह निजी तौर पर भी कहा है और मैंने अपना संदेश निजी तौर पर भी पहुंचाया है मैं आप फिर कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में काम करना चाहता है उसे स्वयं को संदेह से परे रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन की सत्यनिष्ठा नहीं अपनाते जीवन कभी भी नहीं चल सकता हैं। मैं विपक्ष के नेता से सहमत हूं कि विशेषरूप से स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में हम सभी को दृढ़ता से इस दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने आपत्ति जाहिर की ओर मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि मैं जनता से सहयोग के लिए क्यों कहता हूं। तो चुनाव लड़ते हैं, क्या यह सच नहीं है या क्या उन्हें नहीं पता कि लोग उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है ? क्या लोग उन्हें नहीं बताते कि किसी नक्शे या प्लान या किसी चीज को स्वीकृत कराने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है ? हर पुलिस स्टेशन में इस बावत शिकायतें दर्ज हैं। क्या वह नहीं जानते कि भ्रष्टाचार के कारण रोजमर्रा का जीवन दयनीय और दूभर हो गया है ? क्या वह यह नहीं जानते है। ? और यदि उस संदर्भ में मैंने जन सहयोग मांगा तो क्या कोई गलत काम किया ? क्य आप मात्र राजनीतिज्ञों पर हमला करके भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सकते हैं ? हां यह महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों को जो उच्च पदों पर आसीन है। संदेह से परे रहना चाहिए। अन्यथा, हम लोकतंत्र नहीं चला पायेंगे। जो कुछ उन्होंने मुझे कहा मैं वह पूरी तरह दोहराता हूं कि सार्वजनिक जीवन सत्यनिष्ठा और नैतिकता के बिना नहीं चल सकता है। नैतिकता सदैव बहुत महत्वपूर्ण रही है और वही हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का सारतत्व है। गांधी जी सदैव साध्य और

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

साधनों की बात करते थे और वे साध्य और साधन आज भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरे विचार से इस मुद्दे पर हम लोगों में मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से इस मुद्दे पर हमें संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। उन्होंने अभी मेरा ध्यान न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया और मुझे भी लगभग उन्हीं के साथ-साथ इस आशय का संदेश मिला है। यदि वह इसे नहीं भी पढ़ते तो भी मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुका होता। मैं उन्हें यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम निश्चित तौर पर स्थिति का सामना करेंगे। आखिर केन्द्रीय सरकार की दो एजेंसियां है जिनके द्वारा इसका कामकाज चलता है।

जहां तक राज्यों का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) का अक्सर जिक्र होता है। सी०बी०आई० और क्या है ? सी०बी०आई० श्री लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चला रही है। क्या यह सत्य नहीं है कि सी०बी०आई० भारत सरकार की एजेंसी है ? क्या यह सत्य नहीं है कि सी०बी०आई० की अपने कृत्यों के लिए रचनात्मक जिम्मेदारी है, और इस हिसाब से मैं इस सदन के प्रति जवाबदेह हूं। यदि ऐसा है तो निष्क्रियता कहां से आ गई ? एक समय यह कहा गया कि सी०बी०आई० के कार्यकरण में कोई हस्तक्षेप न करें। यह सही है। हमने ऐसा नहीं किया है, और इसीलिए हमें ऐसा फल मिला है जैसा कि आप न्यायालय में देख चुके हैं। सी०बी०आई० एक बात का विरोध करती आई है जिसे कहते हैं *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : जमानत देना।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कभी कभार विधिक शब्द मेरे ध्यान में नहीं आते और मै गैर विधिक शब्दों का प्रयोग करने लगता हूं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कई चीजें विधि के अनुरूप नहीं हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अवैध नहीं, गैर-विधिक।

श्री अटल बिहार वाजपेयी जैसे अनुभवी आदमी को राज्यपाल के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। राज्यपाल की उसके आचरण की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए, राज्यपाल राज्य का प्रमुख है और उस हैसियत से वही इसका निर्णय कर सकता है कि उसे क्या करना है, क्या कहना है। किसी बात की अनुमति देना, न देना, सरकार को बर्खास्त करना, न करना उसके कार्य क्षेत्र की बातें हैं। मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि हमने कभी राज्यपाल को नहीं कहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी बात को सही अर्थ में लिया जाना चाहिए। इसलिए जब वह अनुमति देता है तो एक कानूनी मुद्दा उत्पन्न होता है, जो कि विधिक प्राधिकारियों द्वारा सलाह दिये जाने का है। यह तब की स्थिति है जब राज्यपाल अनुमति देता है। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो मात्र विधिक स्थिति बता रहा हू। महा-न्यायवादी द्वारा राज्यपाल को यह सलाह दी गई है, उसका कहना है कि, "मुकदमा चलाने की अनुमति देने में राज्यपाल अभियुक्त के अभियोग पर कोई निर्णय नहीं सुनाता। स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण आरोप के उल्लेख किसी शिकायत द्वारा किया जाता है और कोई बचाव अपेक्षित नहीं होता है।" वह किसी हरि राम मामले की बात कर रहे हैं जो ए०आई०आर०, 1939 का है, मैं इसका ब्यौरा सभा पटल पर रख सकता हूं ताकि सभा में इस पर विचार हो सके। इसलिए आरोप यह है कि सत्य क्या है अथवा क्या सत्य नहीं है, इसका निर्णय न्यायालय करेगा।

अनुमति देते समय, राज्यपाल यह देखने के लिए केवल मुकदमा चलाने की अनुमति देता है कि क्या आरोपों का कोई आधार है ताकि अभियोगपक्ष मुकदमा लड़ सके। राज्यपाल की अनुमति की अनुपस्थिति में किसी लोक सेवक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आरोपी का दोष मात्र अपराधिक न्यायालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला हो, के विर्निणय द्वारा ही निर्धारित होता है।

मेरा तात्पर्य किसी का बचाव करना नहीं है। मुझे यह नहीं कहना कि यह सही है। या गलत। मैं सदन के माननीय सदस्यों को केवल यह बताना चाहता हूं कि आज सुबह विधिक प्राधिकारियों ने हम से क्या कहा। मैंने उन्हें बुलाया और उनसे बात की कि राज्यपाल के मामले में क्या स्थिति है।

मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरा ध्यान श्री सी० सुब्रहमणियम की बात की ओर दिलाया है। मैं वी वहां था और मैंने उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा था, "राज्यपाल को इसे सहर्ष वापस लेना चाहिए", उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस बात का न तो मैं बचाव कर सकता हूं न ही शिकायत। हममें से कोई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह निर्णय राज्यपाल को करना है कि क्या उनसे चूक हुई है अथवा नहीं। मैंने अपने एक साथी मंत्री के विरुद्ध अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह किया है, उसपर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। मैंने उन्हें उसी दिन त्यागपत्र देने को कहा और श्री वर्मा ने त्यागपत्र दिया। वह सरकार में नहीं हैं। मैं जो कहता था वह किया। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने उस दिन अपने उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह किया। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं दोहराता हूं कि जब तक हम नैतिकता का आचरण न करें तब तक विशेषकर लोकतंत्र में हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। नैतिकता हमारे लिए आवश्यक है। अतः हमें सतर्क रहना है कि कोई हमपर उंगली न उठाये। मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं फिर कहूंगा कि हम सब के आचरण पर पूरी निगरानी है। इस सभा में अथवा विधन मंडलों में बैठे हुए हरेक सदस्य पर सबकी नजर रहती है। उन सब पर हर समय नजर रखी जाती है। इसीलिए इस तथ्य को ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने हमें निर्वाचित किया है अथवा जो हमें कल पुनः निर्वाचित करेंगे या नहीं करेंगे, वे हर समय हम पर निगरानी रखते है। और निसन्देह, यदि किसी में कोई कमी पाई जाती है तो अन्ततः जनता फैसला करती है। मैं अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहा हूं। मेरी कुछ जिम्मेदारी निहित है। किन्तु मैं अपनी जिम्मेदारी इससे अधिक मानता हूं। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कानून का शासन बनाए रखूं।

मैं आशा करता हूं कि कोई भी मुझसे यह उम्मीद नहीं करता

होगा कि मैं कानून के शासन का अतिक्रमण करूं। हमने एक बार इसी सभा में कानून के शासन का अतिक्रमण होते देखा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अन्य मित्र कई महीनों से जेल में थे क्योंकि उन्होंने उस बड़े आदेश का अनुपालन नहीं किया था। मैं आदेशों द्वारा शासन करना नहीं चाहता। मैं सत्तावादी नहीं बनना चाहता। मैं अपने प्रभाव को बनाए रखना नहीं चाहता, मैं कानून के शासन की सत्ता अथवा अधिपत्य बनाए रखना चाहता हूं और हम यही कर रहे हैं।

यदि हम ही कानून के शासन का अनुपालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? इसीलिए मैं यह पूरी तरह समझता हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र कहां तक है और न्यायालय का कार्यक्षेत्र कहां तक है। मैं सोचता हूं यह प्रणाली बड़ी समझ बूझ के साथ बनाई गई है। संविधान इसका साक्षी है, इसका प्रमाण है। न्यायपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है। कार्यपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है। और संसद का अपना कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया है। अतः हम इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं।

किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे मैं बार-बार कहूंगा, वह है सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता। यह अति महत्वपूर्ण है कि हम विश्वसनीय बने रहें। मैंने आपको विश्वास दिलाया है और आपको पुनः विश्वास दिला सकता हूं कि मैंने निजी और सरकारी तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री को पद से हटने की सलाह दी है। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

इसके बाद अनुच्छेद 356 का प्रश्न उठता है। मै। समझता हूं, मैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों अन्तर्राष्टीय परिषद की बैठक में उपस्थित थे जब उनके दल के मुख्यमंत्रियों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं किया जाये। वे बार-बार कह रहे थे कि अनुच्छेद 356 का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाये। वे बार-बार यही कह रहे थे *(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब मेरे साथी, गृह मंत्री की अध्यक्षता में अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक हुई थी तब उन्होंने दो क्षेत्रों का चयन किया था और यह सहमति हुई थी कि बाहरी खतरे के समय अथवा जब आतंकवाद का खतरा हो और प्रशासन चरमरा गया हो, तब अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा क्षेत्र, जिसपर तीव्र मतभेद थे, धर्मनिरपेक्षवाद का प्रश्न था। हम सत्ता पक्ष के सदस्यों का विश्वास है कि कोई राज्य सरकार जो धर्मनिरपेक्षवाद पर विश्वास नहीं करती है, उसे राष्ट्रपति शासन के अधीन रखना न्यायोचित होना चाहिये। किन्तु मैंने यह उस दिन भी लागू नहीं किया। श्री वाजपेयी और उनके सहयोगी भी वहां बैठे हुए थे और मैंने कहा था, 'ठीक है, हम पुनः एक-दूसरे को मनाना चाहिए, हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। किन्तु मेरा पक्का विश्वास है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही भारत की एकता बनाए रखी जा सकती है। जबतक हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे, हम इस देश को एक नहीं रख सकते हैं। किन्तु कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब यह विश्वास करने की बात है। किन्तु हमारा इसमें दृढ़ विश्वास है। इसीलिए हमने उस दिन कहा है कि अनुच्छेद 356 को केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और मैं वही पुनः रहना चाहता हूं।

महोदय, मैं अधिक समय तक बोलने नहीं जा रहा हूं। इसलिए, जिस मुख्य मुद्दे को मैं दोहराना चाहूंगा जिसके संबंध में, मैं अपने सम्माननीय सहयोगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गई बात उद्धृत करना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि निर्णय तत्काल लिए जाने चाहिये। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय स्थापित किए जायें। उनमें से कुछ ने उत्तर दिया है और कुछ ने उत्तर नहीं दिया है। उनमें से अधिकांश, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, वे आपकी पार्टी से सम्बन्धित है, मेरी पार्टी से नहीं। जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे विशेष न्यायालय स्थापित कर रहे हैं अथवा उन्होंने विशेष न्यायालय स्थापित कर लिए हैं, वे इस पक्ष से हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया उनसे कहिये, उन्हें बताइये, उनसे आग्रह करिये कि आप विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कार्यवाही करें ताकि विशेष न्यायालयों में उन मामालें को शीघ्र निपटाया जा सके और हर एक कार्य शीघ्र हो सके।

अतः एक बात जो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हमें वैधता और नैतिकता में अंतर करना चाहिये। नैतिकता महत्वपूर्ण है किंतु वैधता तो पवित्र है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये जिसमें से अवैधता की गंध आती हो। क्योंकि यदि इस सदन में ही यह होने लगेगा तो अन्य कौन कानून का समर्थन और पालन करेगा। इसलिये मैं अनुभव करता हूं कि हमारे लिये यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम सदैव इसे ध्यान में रखें।

एक अन्य मुद्दा जिस की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, वह यह है कि लालूप्रसाद यादव के नाम आरोप-पत्र किसने जारी किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने। केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसके अधीन है ? केन्द्र के अधीन है। भारत सरकार के किस विभाग के अधीन यह कार्य करता है ? प्रधानमंत्री के कार्यालय के। यदि यह निष्क्रियता है तो सक्रियता क्या है, मैं नहीं जानता। यदि एक ऐसा विभाग जो कि सीधी मेरे अधीन है और जो न केवल आरोप-पत्र ही दाखिल करता है बल्कि अग्रिम जमानत का विरोध भी करता है तो यहां मेरी निष्क्रियता किस आधार पर और किसी स्तर पर साबित होती है।

यह विभाग इस तरह कार्य करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों पर भी इस संबंध में आरोप लगाए गये हैं। मुझे इसकी भी व्याख्या करनी है। इस संबंध में भारत सरकार से अनुमति ले ली गई है। भारत सरकार ने जांच के दौरान यह पाया है कि दो अधिकारियों के खिलाफ तो पर्याप्त सबूत हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक अधिकारी सेवानिवृत हो चुका है। इसलिये अब यह निर्णय केन्द्रीय जांच ब्यौरा या किसी अन्य पर निर्भर करता है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। अन्य दो अधिकारियों के खिलाफ सरकार को पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं किंतु फिर भी कानून के नियमों को कायम रखते हुए मैंने इसे महान्यायवादी को सौंप दिया है। मैंने महान्यायवादी से यह परामर्श मांगा था कि सरकार को अनुमति दे या न दे। विधि मंत्री ने कहा है कि यह विचाराधीन है। इसलिये मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस तरह की परिस्थितियों में हमें राजनीति का खेल नहीं खेलना चाहिये। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपने

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

सही कहा कि यह जनता के भविष्य का मुद्दा है। यदि हम एक साफ-सुथरा सार्वजनिक जीवन चाहते हैं तो इस विषय पर हमें एकमत होकर आवाज बुलंद करनी होगी। मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूं। मेरी भाषा कोमल या कठोर हो सकती है किंतु मेरा निश्चय दृढ़ है। मैंने पहले भी आपसे यह वायदा किया था और मैं इसे फिर दोहराता हूं।

इस समय मेरे एक मित्र ने मेरा ध्यान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हाल ही के निर्णय की ओर दिलाया है जिसके फलस्वरूप एक नई स्थिति पैदा हो गई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वारंट इश्यू हो गया है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आपको इतनी जल्दी क्यों रहती है। आप हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हैं, मुझे मालूम है, लालू जी के साथ आपका पर्सनल वंडेट्टा है। लालू प्रसाद आप पर मेहरबान थे। हमें मालूम है, लालू आपके मेहरबान थे, लालू आपके गाइड थे, लालू आपके फिलास्फर थे, आपके जिगरी थे। आप इतने परेशान क्यों होते हैं।

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री जी, आपको यह शोभा नहीं दे रहा है। आप वहां किस स्थिति में थे, आपको मालूम है। आपको यह शोभा नहीं दे रहा है। आप वहां से किस तरह से इलैक्ट होकर आए हैं, अगर यह बात हम बता दें, तो क्या ठीक रहेगा। आप राज्य सभा में किस तरह से वहां से चुनकर आए हैं, यह आपको मालूम है। अगर यह सब हम यहीं बता दें, तो आपको कैसा लगेगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनकी बात मान रहे हैं। ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुख्य बात जो मैं कह रहा था कि एक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : गुजराल साहब आपको लालू प्रसाद यादव की जरूरत हो सकती है, मुझे नहीं है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करने और व्यवधान डालने की उनकी पुरानी आदत है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कल भी आपने ऐसा ही किया था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, आप बीच में टोकना आरम्भ कर देते हैं। यह सही नहीं है। वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। जब वे आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने हम पर आरोप लगाए हैं।

सभापति महोदय : क्या आरोप लगाया है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया इस तरह की बात मत कीजिए। कल भी आपने यही किया था।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सर, ... * सरकार को बर्खास्त करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सर दुर्योधन के सामने ये द्रोणाचार्य बन कर रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते हैं ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, श्री नीतीश कुमार जी ... *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन ने जो असंसदीय शब्द इस्तेमाल किये है उन्हें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, नीतीश कुमार मेरे पुराने मित्र हैं और मुझे उनसे लगाव है। मैंने जो कुछ भी कहा दोस्ती की भावना से कहा। मैं उन्हें पसंद भी करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप उसको विदड्रा कर लें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : धन्यवाद।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि यदि मैं। उस निर्णय से पहले बोला होता जिसके बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे तो मैं यही कहता कि इस संबंध में दो या तीन विकल्प सदैव होने चाहिये। एक नैतिकता की ओर ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करते हुए इसके लिये प्रेरित करना। यदि हमारी पार्टी उसी तरह से कार्य करती है जैसे कि इसे करना चाहिये। जो कि दुर्भाग्यवश इस तरह से कार्य नहीं कर रही तो पार्टी से आंतरिक दबाव भी डलवाया जा सकता है। दूसरा है, अभियुक्त स्वयं हो यह अनुभव करे कि पद त्याग करना उसके अपने हित में भी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब, अग्रिम जमानत के नामंजूर होने से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार इस मामले की पूरी जानकारी लेकर इसमें हस्तक्षेप करेगी। किंतु वह जल्दबाजी में कोई कार्यवाही नहीं करेगी क्योंकि हमें यह भी देखना है कि वैधता सुरक्षित रहे और कानून और नियमों का पालन हो।

अंत में अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं तीन बातों के लिये वचनबद्ध हूं जो कि मैंने अपना पद सम्भालने के समय कही थीं। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किसी भी दल का हो, हम माफ नहीं करेंगे। हम सदैव स्पष्टवादी, साफ और सच्चे रहेंगे। पारदर्शिता के लिए हमने कुछ और कदम भी उठाए हैं। पिछले दिनों सरकार पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी आदि के कई आरोप लगते रहे हैं। मैं एक ऐसे स्वतंत्र तंत्र की स्थापना भी कर रहा हूं जो कि यह देखे कि सभी महत्वपूर्ण खरीद इस पारदर्शी तंत्र से अवश्य निकलें अर्थात् सरकारी की पूरी निगरानी में ही महत्वपूर्ण वस्तुएं क्रय की जाएं। मैं ऐसे तंत्र की स्थापना भी करने जा रहा हूं जो यह देखे कि कोई भी वस्तु विशेषकर बड़े उपकरण जो भारत में ही क्रय किये जायें या फिर विदेशों से आयात किये जाएं, उस पर सरकार की कड़ी निगरानी हो जिससे कि ईमानदारी और सच्चाई बनी रहे।

मैंने एक और बात कही थी और मैं उस पुनः कहता हूं कि मैं विच-हंटिग अर्थात संदिग्ध व्यक्तियों को खोजना या सरगर्मी से उनकी तलाश करने के विरुद्ध हूं। आप जानते हैं हवाला केस में क्या हुआ। मैं नहीं जानता कि आप इसे विच-हंटिग के रूप में लेते हैं या नही, मैं नहीं जानता कि आप इसके पक्ष में है या विरोध करते हैं किंतु मैं एक वायदा करता हूं कि मैं कानूनी नियमों का समर्थन तथा पालन करने के लिये वचनबद्ध हूं और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मैं ऐडी जोटी का जोर लगा दूंगा।

चाहे वह कोई व्यक्ति हो तथा किसी भी दल से सम्बद्ध हो, ऐसे व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो ईमानदारी, नैतिकता और उन उच्च मूल्यों को सम्मान नहीं करते जिसके लिए इस देश ने संघर्ष किया और अंततः अपने आप को आजाद कराया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री जी, आप उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कीजिएगा ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तारीक अनवर (कटिहार) : सभापति जी, अभी आदरणीय अटल बिहारी जी ने मोशन पेश करते हुए अपनी बात कहनी शुरू की। मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस परम्परा की बात कही। उन्होंने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि हमारे देश की यह परम्परा है और यही मायनों में कांग्रेस के प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के अंतिम प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी के समय तक कांग्रेस की जो परम्परा है, उसका जिक्र अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उन्होंने कृष्णमाचारी, मालवीय और उसी तरह श्री प्रताप सिंह कैरो का जिक्र किया। यहां अंतुले जी बैठे हैं। ऐसे कई मौके आए। अभी हवाला का जिक्र किया गया जबकि हवाला में हमारे जो मंत्री थे, गर्वनर थे, उनको चार्जशीट भी नहीं दी गई थी, उससे पहले ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। जैसा मैंने कहा, जब भी ऐसा मौका आया, कांग्रेस के नेताओं ने, जिस पब्लिक लाइफ की, जिस मूल्य की, आदर्श की बातें की, हमेशा उनका पूरा ध्यान रखा है।

आदरणीय सभापति जी, जिस दिन सी०बी०आई० द्वारा लालू जी को चार्जशीट दी गई, कांग्रेस ने उसी दिन अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी थी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री सीता राम केसरी की ओर से यह सार्वजनिक मांग की गई थी कि लालू जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह कांग्रेस की परम्परा है कि जब भी चार्जशीट हुई, हमारे मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और आज भी हम उसी आदर्श को मानकर चल रहे हैं। लेकिन अभी जिस आदर्श की बात, जिन मूल्यों की बात अटल जी ने की, एक तरफ तो वह कह रहे हैं कि जो चार्जशीटेड हो गए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन यह कहां की नैतिकता है कि जब बी०जे०पी० के अध्यक्ष और नेता पर चार्जशीट होती है तो वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते।

[श्री तारीक अनवर]

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राव यहां बैठे हैं। जिस दिन उनके ऊपर चार्जशीट हुई, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यह कांग्रेस की परम्परा है। *(व्यवधान)* ये एक तरफ तो आदर्श की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति को, जो चार्जशीटेड है, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं। यह कहां के आदर्श की बात है ? *(व्यवधान)*

मैं अटल जी से यह आशा कर रहा था, अटल जी का सब सम्मान करते हैं, हम यह चाहते थे कि जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो वे उसका राजनैतिक लाभ उठाने के बजाए सही मायने में, जहां भी भ्रष्टाचार हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहां पुरोहित जी बैठे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। *(व्यवधान)* राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया। जब भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो समान रूप से होनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्यों खड़े हैं ?

श्री तारीक अनवर : क्या यह सही नहीं है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये न, आप क्यों खड़े हैं ?

श्री सुन्दर लाल पटवा (छिंदवाड़ा) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं हालांकि इस सदन का नया मैम्बर हूं, परन्तु अब तक जो सारी बहस होती रही है, मैं प्रधान मंत्री जी से जरा ध्यान देने का आग्रह करता हूं, सारे सदन की बहस हो जाये, उसके बाद सदन के नेता जवाब देते हैं, ऐसी परम्परा है। आज उस परम्परा के विपरीत नेता प्रतिपक्ष बोले, प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिया। अब जो बहस हो रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बहस का उत्तर पुनः प्रधान मंत्री जी देंगे ? मैं सभापति जी से यह पूछ रहा हूं। केवल एक मिनट और। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप दोनों भी साथ में खड़े होंगे ? आप बैठिये न। क्यों ऐसी परेशानी कर रहे हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : सभापति जी, मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस मामले में हर मिनट पर नई घटनाएं हो रही हैं। नई समस्या है, यह बहस चलेगी, तब तक कई घटनाएं हो चुकी होंगी। बहस शुरू हुई, उस समय कोर्ट वारंट नहीं था, अभी पता लगा कि कोर्ट वारंट इश्यू हो गया। ये अरैस्ट वाली बातें बहस में आयेंगी। क्या प्रधान मंत्री जी उसका उत्तर फिर से देने की कृपा करेंगे।

श्री मुत्युञ्जय नायक (फूलबनी) : इसमें पाइंट ऑफ ऑर्डर कौन सा है ?

श्री सुन्दर लाल पटवा : मैं जानता हूं कि गृह मंत्री जी भी उत्तर दे सकते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मुत्युञ्जय नायक : पटवा जी, रूल क्या है, वह बताइये न ?

सभापति महोदय : पटवा जी, मैंने समझ लिया, आप क्या कह रहे हैं। पटवा जी, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। मगर इसका जवाब यहां गृह मंत्री भी बैठे हैं, सरकार की ओर से वे बताएंगे।

श्री सुन्दर लाल पटवा : जवाब केवल गृह मंत्री ही नहीं, सरकार का कोई भी मंत्री दे सकता है, परन्तु इस महत्वपूर्ण बहस पर जो और मुद्दे उठेंगे, क्या प्रधान मंत्री जी उसका जवाब देना जरूरी समझेंगे ?

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री जब जहां जरूरत पड़ेगी, वह प्रधान मंत्री के ऊपर है कि जवाब देना है कि नहीं देना है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप तो पुराने लैजिस्लेचर के हैं, एम०पी० हैं, मैंने इस डिबेट में इंटरवीन किया है, जवाब गृह मंत्री देंगे। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? हम लोग तो अव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं।

श्री तारीक अनवर : यह बात सही है कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब लालू जी बिहार के मुख्य मंत्री बने थे तो उस समय हम जैसे लोगों को भी यह आशा थी, यह उम्मीद थी कि लालू जी, जो जयप्रकाश बाबू के सम्पूर्ण क्रान्ति से निकलकर आये थे और आदर्श और नैतिकता की उन्होंने बात कही थी तो उनके आने के बाद *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : सभापति जी, राष्ट्रपति जी के यहां छह बजे से अन्तिम विदाई का समारोह होगा और 5.38 बजे या 5.40 पर सदस्यों को वहां पर पहुंचना है। यह बहस कल भी जारी रहेगी, तारिक साहब कल बोल सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस समय हाउस एडजर्न करना चाहिए। *(व्यवधान)* हां, राष्ट्रपति जी के यहां चाय है और राष्ट्रपति जी आखिरी बार सदस्यों को चाय दे रहे हैं।

सभापति महोदय : चन्द्रशेखर जी, यह मोशन तो यहां सदन को स्थगित करने का ही है। मोशन ही यह है।

श्री चन्द्रशेखर : सदन तो पांच बजे तक स्थगित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल के लिए भी मोशन लिया जा सकता है,

[अनुवाद]

प्रस्ताव ऐसा है कि–

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : कल बहस होगी तो वह बात फिर भी रहेगी, चाहे आज पांच बजे कीजिए या आठ बजे करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके लिए नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। अगर सदन तैयार हो जाए तो नियम में संशोधन हो सकता है और बहस कल के लिए जा सकती है। लेकिन बिना संशोधन के आप काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : नहीं कर सकते, वही तो मै कह रहा हूं।

श्री चन्द्रशेखर : फिर कल कैसे बहस होगी ? हर हाल में रूल को वेव करना पड़ेगा और रूल को वेव करना ही चाहिए। छः बजे करें या आठ बजे करें दोनों में फर्क क्या है। हाउस कल 12 या दो बजे तक लगातार नहीं चलता रहेगा। यह तकनीकी कठिनाई है इस समय रूप को वेव करके सदन को स्थगित किया जाना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : अगर अध्यक्ष जी चाहेंगे तो हो सकता है।

सभापति महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : श्री चन्द्रशेखर ने जो भी कहा है वह ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी वही बात कह रहे हैं। निर्वतमान भारत के राष्ट्रपति के सम्मान में जलपान का आयोजन किया जा रहा है। आप यह बात समझते हैं। कि हम में से कुछ लोगों को वहां उपस्थित होना है और आज रात मंत्रिमंडल निर्वतमान राष्ट्रपति के सम्मान में एक रात्रि भोज का भी आयोजन कर रहा है। आज प्रातः जब यह मुद्दा उठाया गया था तब उस पक्ष के कुछ लोगों ने मेरे विचार से शायद उन्होंने ही कहा था कि शेष वाद-विवाद को सोमवार को लिया जा सकता है। यदि आपकी अनुमति है तथा यह नियम के अनुरूप हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर : कृपया नियम को पढ़िए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी आप इसका प्रस्ताव करें तथा सरकार इसका समर्थन करेगी ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्यमंत्री आप कृपया बैठे रहें। श्री शिवराज वी० पाटिल को सुने।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया सभा का ज्ञान वर्धन करें।

[हिन्दी]

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : प्रधान मंत्री जी कहां बैठे हैं, इनकी सीट कहां है ?

सभापति महोदय : वे कहीं भी बैठ सकते हैं, आप अपनी जगह बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह भी एक विषय है क्या ? जो चल रहा है उस पर ध्यान दें।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : सभापति महोदय, आज इस सदन में जो चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में पूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी ने जो मुद्दा यहां पर उपस्थित किया है और हम सब लोगों के जो मन में है उसका काफी महत्व है। अड़चन ऐसी है यह बहस कल नहीं हो सकती, जब तक हम रूल नहीं बदलें। तो भी इसमें से रास्ता निकालने का प्रोविजन हमारे रूल में है। कोई असाधारण परिस्थिति आ जाए तो हमारे अध्यक्ष अपनी इन्हेरेंट पावर इस्तेमाल करके इसमें से रास्ता निकालते हैं। मेरा यह सुझाव है अगर आपको और सदन को पसंद आए तो इसके ऊपर अमल हो सकता है। यह बहस कल तक ले जाने के बजाए आज ही खत्म कर दें। बीच में घंटे के लिए या डेढ़ घंटे के लिए कोई वहां जाना चाहे तो वह सुविधा दे सकते हैं। अगर 12 बजे बहस शुरू हो जाती और लंच के लिए हम उठते, फिर हम यहां आये। दूसरी अड़चन यह है कि मंत्रिमंडल के लोगों को भी ऐसे ही काम के लिए जाना है। मैं समझता हूं सारे मंत्री जाना चाहें तो जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं, तब तक हम बहस चालू रखें। अगर ऐसा हो जाए तो सदन की भी गरिमा रहेगी और हमारे राष्ट्रपति जो जा रहे हैं, उनके आयोजन में भी हम शामिल हो सकते हैं। मेरी दृष्टि से कानून के मुताबिक किसी तरह का चेंज नहीं करते हुए इस प्रकार का कदम हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : यह विशेष विषय माननीय अध्यक्ष के समक्ष उठाया गया था जब भाजपा के माननीय उप नेता भी उपस्थित थे। माननीय मंत्री जी ने हमें कहा था कि यह चर्चा जारी रहेगी।

जो सदस्य चाय के लिए जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। गणपूर्ति का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा और कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य से पहले मतदान किया जाएगा जो अपराह्न 2.45 बजे शुरू होगा। ... *(व्यवधान)* मैं आपको वही बता रहा हूं जो कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें यह भी कहा था कि ऐसा पूर्वोदाहरण भी है। हमने देखा है कि ऐसा पूर्वोदाहरण है।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय अध्यक्ष जी ने हमें बताया था कि ऐसा पूर्वोदाहरण है। श्री सोमनाथ चटर्जी का स्थगन प्रस्ताव था जिस पर चर्चा अगले दिन तक के लिए कर दी गई थी और चर्चा नौ घंटों तक जारी रही थी। उन्होंने हमें ऐसा बताया था कि इस प्रकार हुआ था। श्री चंद्रशेखर इसी बात के लिए कह रहे हैं। हमने भी यह सुझाव दिया था कि इसे एक दिन के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। श्री जसवंत सिंह जी वहां उपस्थित थे और हमें यह बताया गया था। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने चैम्बर में कहा था अगर उसका सार भी लिया जाए तो उसका अर्थ है कि हमें यह वाद-विवाद जारी रखना चाहिए। जो लोग जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। उन्होंने मंत्रिपरिषद

[श्री संतोष मोहन देव]

के रात्रिकालिन भोज के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें स्वयं उस रात्रि भोज में जाना है। हमारी भी सात बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है। हमने उनको सारी बात बता दी है। परन्तु उन्होंने कहा, कि वाद-विवाद जारी रहने के दिया जाए और कल भी एक घंटे बहस हो सकती है। फिर भी इन्द्रजीत गुप्त जी उत्तर देंगे।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, हम स्थगन प्रस्ताव को इतना कम महत्व नहीं दे सकते। यह प्रस्ताव आज सभा के कार्य के स्थगन के बारे है इसलिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए और यह आज ही पूरी की जानी चाहिए।

अब, इस समय छह बजे सभा का समय समाप्त होता है। छह बजे इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तो यह न्यायगत हो जाती है। यह चर्चा होगी ही नहीं। इसका अर्थ है हमें इसपर फैसला करना चाहिए। क्योंकि यह सभा आज किसी भी तरह समय को और नहीं बढ़ा सकती। इसलिए छह बजे तक इसपर चर्चा होती रहेगी और फैसला कुछ नहीं होगा। हमें यह समझ लेना चाहिए। सभा को इस तरह चलना चाहिए कि अगले वक्ताओं को स्थिति के अनुसार बोलने का मौका मिले क्योंकि छह बजे यह प्रस्ताव व्ययगत हो जाएगा। इस पर चर्चा होती रहेगी तो फैसला कुछ नहीं होना। इसलिए इस पर मतदान नहीं किया जा सकेगा और सभा उठ जाएगी। इस समय स्थिति यह है हमें इस स्थिति को मानना होगा। हमने नियमों को जानते हुए इस स्थिति को स्वीकार किया है तथा नियमों को जानते हुए हमने यह स्वीकार किया था कि हम चार बजे आरम्भ कर सकते हैं।

इसलिए, ये छोटी-छोटी बातें किसी प्रस्ताव की गंभीरता को कम नहीं कर सकती। इसलिए, मेरा निवेदन है कि जो भी चर्चा हो, कृपया इसे बचे हुए पन्द्रह मिनटों में ही समाप्त करने की कोशिश करें अन्यथा छह बजे इस पर चर्चा समाप्त समझी जाएगी। और इसे व्ययगत समझा जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने होनी का स्पष्ट संकेत दिया है। कृपया इसे छह बजे तक समाप्त करने की कोशिश करें। इसलिए उन्हें जाने दिया जाए और बाकी काम किया जाए।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि इस मामले पर और अधिक उल्झन पैदा करने की आवश्यकता है। क्या यह एक असाधारण स्थिति है ? 'जी, हां'। यह असाधारण स्थित गणतंत्र के प्रमुख के आज सेवानिवृत्त होने से सम्बन्धि विभिन्न दायित्वों तथा उनकी विदाई से संबंधित एक दायित्व से पैदा हुई है। इस मामले पर अध्यक्ष महोदय ने चर्चा की थी तथा जब अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि स्थगन प्रस्ताव को कल तक जारी रखने में कठिनाई है तो उन्होंने ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा था कि स्थगन प्रस्ताव की अपनी एक सीमा है।

दूसरी बात यह है कि कानूनी रूप से तथा नियमों के अनुसार किसी सामान्य स्थगन प्रस्ताव के लिए केवल ढ़ाई घंटे का समय आवंटित किया जाता हैं इसलिए सामान्यतः समय अपराह्न 6.30 बजे तक ही होगा। इसलिए, अपराह्न 6.30 बजे तक यह बहस जारी रहनी थी। इसलिए अब भी, मेरा यह प्रस्ताव है कि पीठासीन अधिकारी की अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन आज के लिए विशेषकर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में नियमों में छूट दी जाए तथा बहस को कल अपराह्न 6.30 बजे के बाद जारी रखा जाए *(व्यवधान)*। यह किया जा सकता है *(व्यवधान)*।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। *(व्यवधान)*।

श्री जसवंत सिंह : इसलिए मेरा सुझाव है कि पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध अन्तर्निहित शक्तियों के अंतर्गत तथा पीठासीन अधिकारी तथा कांग्रेस दल के नेता के साथ हुई चर्चा के अनुसार इस विशेष नियम में छूट दी जाए। यह सभा आज अपराह्न 6.30 बजे तक बैठ सकती है तथा स्थगन प्रस्ताव पर बहस कल तक की जाए। मैं सैद्धान्तिक रूप से इसका प्रस्ताव औपचारिक रूप से करता हूं। *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महादेय, अध्यक्ष महोदय ने यह निनिर्णय किया था कि इसे एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में समझा जाए। अब इसे बहुत सुविधानुसार नियम 184-193 के अंतर्गत चर्चा में बदला जाए। *(व्यवधान)* यह किया जा सकता है। इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब इसे हो जाने दें।

सभापति महोदय : इसे कल तक स्थगित किए जाने के संबंध में आपकी क्या राय है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं। नियम 62 देखा जा सकता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो जाए कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है, ढाई घंटे तक आप इस पर डिबेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि माननीय जसवंत सिंह ने बताया, चार बजे यह शुरू हुआ है। और साढ़े छह बजे तक इसको खत्म करना है।

सभापति महोदय : वही तो आप भी कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं समझता हूं कि इस पर माननीय अटल जी ने अपनी बात रख दी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात रख कर सदन को आश्वस्त कर दिया है। इसलिए इसको साढ़े छह बजे खत्म कर दिया जाए और नयी परम्परा न लागू की जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में दिक्कत हो। नियम 62 के अंतर्गत ढाई घंटे तक वाद-विवाद चला कर इसको समाप्त किया जाए।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, सामान्य तौर पर इस पर ढाई घंटे की चर्चा होती है लेकिन इस सदन में अनुभव यही बनलाना

है कि कभी भी ढाई घंटे में चर्चा समाप्त नहीं हुई। कभी-कभी चर्चा नौ घंटे तक चली है और सोमनाथ चटर्जी जी उसको भूल रहे हैं अगले दिन चर्चा हुई है। इसलिए अध्यक्ष के पास यह निहित शक्तियां हैं और आज एक विशेष परिस्थिति है राष्ट्रपति जी की विदाई हो रही है। उन्होंने जलपान पर बुलाया है इसलिए आज सदन को बर्खास्त कर दिया जाए। ···*(व्यवधान)* आप हैदराबाद से आते हैं और बर्खास्त का अर्थ नहीं जानते, सिर्फ अंग्रेजी के एक शब्द के कई अर्थ आप लोग जानते हैं बर्खास्त के कई अर्थ होता है। ···*(व्यवधान)* अंग्रेजी शब्द का ही यूज किया जाए और एडजर्न कर दिया जाए, इसे मान लिया जाए। आज इसका एडजर्न कर दिया जाए और कल इस पर चर्चा जारी रखी जाए, यह मेरा सुझाव होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी, आपका क्या सुझाव है ?

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं विपक्ष के नेता तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव से सहमत हूं कि हम सभी यह चाहते हैं कि यह बहस कल तक के लिए स्थगित की जानी चाहिए।

महोदय, मैं आपकी बात से पूर्णरूपेण सहमत हूं परन्तु आज का संसदीय कार्य स्थगन प्रस्ताव से ही संबंधित होने के कारण पर चर्चा नहीं की जा सकती। ···*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आज पहली बार हुआ है। ···*(व्यवधान)*

श्री श्रीकान्त जेना : यदि वाद-विवाद प्रारम्भ होता है, यदि कोई स्थगन प्रस्ताव होता है तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रस्ताव पारित हो गया। इसलिए यह सरकार की आलोचना है। मैं इससे कैसे सहमत हो सकता हूं ? मैं इससे कभी सहमत नहीं होऊंगा। इसलिए हमें 6.30 अपराह्न तक यह चर्चा पूरी करनी है और कल हमें नियम 184 या 193 के अन्तर्गत, जैसाकि सोमनाथ चटर्जी ने सुझाव दिया है, चर्चा ऐसी है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कल शुक्रवार है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : जो प्रस्तावक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को 193 में कर दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, विपक्ष के नेता ने अपना दृष्टिकोण बता दिया है। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा है और अध्यक्ष महोदय ने इसकी सहमति दे दी है। उन्होने इसे एक स्थगन प्रस्ताव की भांति प्रस्तुत किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि माननीय राष्ट्रपति जी, जो हम सबके लिए आदरणीय हैं, ने हमें आंमत्रित किया है। यह उनका अंतिम सरकारी समारोह है।

हम वहां उपस्थित होंगे। इसलिए, आप इसे 193 के अन्तर्गत बदल दें। यह माननीय सदस्यों की सहमति से होना चाहिए। ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरी समस्या यह है कि मेरे पास जो सूची है उसमें 21 सदस्यों के नाम है और वे सभी इसमें भाग लेना चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कृपया तक मिनट ठहरिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह कल एक पूरी नहीं होती तो सोमवार को चर्चा हो सकती है। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं बशर्ते यह बदल दी जाय या आप सभी नियमों की अवहेलना करें? *(व्यवधान)* वह नियमों की अवहेलना नहीं करेंगे क्योंकि आज वह नियमों के संरक्षण की बात कर रहे थे। आप इस नियम का पालन करें। *(व्यवधान)* अनुच्छेद 356 हमारे नियमों पर लागू नहीं होता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ···*(व्यवधान)* शब्द 'कन्वर्जन' पर आपत्ति हो सकती है। इसे इस प्रकार से समझिये कि स्थगन प्रस्ताव आज पूरा हो गया और तत्पश्चात एक नयी सूचना दी गई है ···*(व्यवधान)* एक मिनट रूकिये ···*(व्यवधान)* और फिर हम इसे नियम 184 या 193 के अन्तर्गत लेंगे। यह विशय कल नहीं लिया जाएगा क्योंकि कल शुक्रवार है। इसपर सोमवार को चर्चा होगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह कैसे हो सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन इस प्रस्ताव पर चर्चा आज समाप्त हो जाय। इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। *(व्यवधान)* इसके लिए इसमें कोई नियम नहीं है।

श्री जी०एम० बनातवाला : सभापति महोदय, कृपया उसे अनुमति दें।

सभापति महोदय : क्या मैं आप सब से अनुरोध कर सकता हूं? मेरे पास 21 सदस्यों के नामों की सूची है जो इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अटल जी आपको कुछ कहना है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, ऐसा लगता है कि कुछ असाधारण निर्णय करना पड़ेगा और अगर इसे 184 में ···*(व्यवधान)* मुझे चर्चा का जवाब देने का अधिकार होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन इसे पूर्व घटना की भांति न लिया जाय। ···*(व्यवधान)* आपको बोलने का और भी अवसर मिलेगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, हम सभी इससे सहमत हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : सभापति महोदय, इस विशेष विषय पर मेरी बात को सुना जाए। ... *(व्यवधान)*

यह सभा के साथ धोखा है। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, अब आप सभा को स्थगित कर दें। आपकी अनुमति से, मैं सभा से बाहर जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : जो प्रस्ताव अटल जी ने दिया है उसको हम स्वीकार करने को तैयार है, अगर कल इसका रिप्लाई और डिस्कशन प्राइवेट मम्बर का बिजनेस शुरू होने से पहले खत्म होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय यह परिवर्तन इस सभा के साथ धोखाधड़ी है। ... *(व्यवधान)* मैं एक क्षण में इसको विस्तारपूर्वक बताऊंगा। ... *(व्यवधान)* स्थगन प्रस्ताव को श्री शरद पवार के प्रस्ताव, जो नियम 184 के अन्तर्गत है, से वरीयता दी गई है। क्या यह नियम 184 के अन्तर्गत है, यदि ऐसा है तो नियम 184 के अन्तर्गत श्री शरद पवार के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाय। आज इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव को वरीयता दी गई है कि यह स्थगन प्रस्ताव है और इसलिए, महाराष्ट्र के मुद्दे पर नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव से इसको वरीयता दी गई हैं अब सत्र के बीच में आप अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन कैसा चाहते हो। आप अपनी बात फिर बदलना चाहते हैं। सभा इस प्रकार से कुछ ठीक नहीं समझ सकती ... *(व्यवधान)* यह सभा के साथ धोखाधड़ी होगी। इसलिए मैं इस प्रकार तरीकों के प्रति कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूं। ... *(व्यवधान)* सभा में कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसे विषय से हटा दे।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, सभा सर्वोपरि है। आप सभा में ही वाजपेयी का प्रस्ताव रखें। सभा को इस पर निर्णय करने दीजिए। ... *(व्यवधान)*

श्री जी०एम० बनातवाला : यहां कोई प्राधिकारी या कानूनी कानून नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, आप अपनी बात कह चुके हैं। आप अपना आसन ग्रहण करें।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : जिस परपज के लिए हम लोग इसे चाहते हैं वह समय घडी आ गया है और हमें खुशी इस बात की है कि लीडर ऑफ अपोजीशन, वाजपेयी जी ने और शरद पवार जी ने और सारे पक्ष के लोग भी एक राय पर सहमत हैं कि इसको 184 में कर दिया जाए और कल प्रावइेट मैम्बर बिजनेस से पहले उसके ऊपर बहस होकर इस पर मतदान हो तो ही लेकिन चर्चा समाप्त हो जाए। मैं समझता हूं कि एक कन्सेंसस हो गया है और इसके ऊपर मैं जो आपको राय रखनी है रखें। अब चूंकि समय हो गया है, ऐसा न हो कि यहां भी न रहें और वहां भी न जा सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं इसे सभा के विचारार्थ रखता हूं। प्रक्रिया के अनुसार, इस प्रस्ताव पर पहले मतदान होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह प्रस्ताव क्या है ?

सभापति महोदय : प्रस्ताव वे नियम 184 के अन्तर्गत होने पर भी सभा की सहमति लेनी आवश्यक है। अन्यथा, हम इसे कैसे कर सकते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : आप हाउस की कॉनसेंट ले लीजिए। ... *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : सदन की राय यह है कि इसे नियम 184 में परिवर्तित कर दिया जाय और सदन स्थगित कर दिया जाए क्योंकि सभी को राष्ट्रपति महोदय के यहां पहुंचना है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं।

सभापति महोदय : जी हां।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे यह समझ में नहीं आया कि किस नियम के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं ? चूंकि यहां एडजर्नमैंट मोशन के बारे में कई ऐसी बातें बता दी गई हैं जिन्हें हम नियम में नहीं पा रहे। अगर आप नियम 61 और 62 पढ़ेंगे तो सब बात पता चल जाएगी।

[अनुवाद]

"प्रस्ताव "कि सभा स्थगित हो" 16.00 बजे या यदि अध्यक्ष, सभा में कार्य की स्थिति अब पर विचार करने के पश्चात ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय लिया जाएगा।"

[हिन्दी]

अब नियम 62 सुनिए।

[अनुवाद]

"यदि अध्यक्ष महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है तो वह 18.30 बजे या ऐसे अन्य समय, जो वाद-विवाद प्रारम्भ होने के समय से ढाई घंटे से कम न हो, प्रश्ना रख सकेगा।"

[हिन्दी]

यह कहीं नहीं लिखा कि आज का आज होना चाहिए। यह कहीं भी नहीं लिखा कि जो बहस हो रही थी, जो काम चल रहा था, उसको एडजर्न करना हैं समय की कोई पाबंदी नहीं है। स्पीकर के हाथ में है कि इस पर कितना समय देना है ? आज से लेकर कल रात तक भी इसे चलाने का अधिकार यह नियम स्पीकर को देता है। यह हकीकत है। अगर आप नियम के आधार पर करना चाहते हैं तो यह नियम है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, अपने माननीय मित्र के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यदि इस प्रस्ताव का समापन आज नहीं हुआ तो हर रोज सदन का कार्य स्थगित होता जायेगा। यह स्थगन प्रस्ताव उसी दिन समाप्त न हुआ तो यह अगले दिन भी जारी रहेगा।

सभापति महोदय : हम एक गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह अगले दिन भी जारी रहता है तो उस दिन के कार्य को स्थगित करना पड़ता हैं क्योंकि इसमें निंदा का उल्लेख है। इस तरह अध्यक्ष के निर्णय से नहीं बल्कि सदन के ही एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के कारण सदन स्थगित होता रहेगा। यह बार-बार होने वाली चीज़ है और हर रोज़ एक स्थगन प्रस्ताव पेश होता रहेगा। अतः इसे आज ही पूरा करना अनिवार्य है।

श्री जार्ज फर्नांडीज़ : अध्यक्ष जी को इस बिंदु पर अवश्य सोचना चाहिये कि इस पर कम से कम 2½ घंटे की चर्चा अनिवार्य है।

[हिन्दी]

आपने अभी कहा कि आपके पास 21 नाम है। 21 लोगों को दस-दस मिनट भी बोलने के लिए देंगे तो साढ़े तीन घंटे लग जाएंगे। इसलिए यह बात चल रही है कि आज रात के बाहर बजे से पहले यह एडजर्न होना है। हम यह बात नहीं मानते। यह इस नियम की इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती।

सभापति महोदय : इस नियम को कम करने के लिए कोई मोशन लाना पड़ेगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : आप इसके बारे में सदन से पूछ सकते हैं। अगर सदन तैयार है प्रस्तावक इसके लिए तैयार है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। अब यह विषय नियम 184 के अधीन प्रस्ताव में परिवर्तित किया जा सकता है जिस पर चर्चा कल की जा सकती है। *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तरी) : सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जार्ज फर्नांडीस ने इससे संबंधित नियम पहले ही पढ़ दिया है। अध्यक्ष जी के साथ उनके ही कक्ष में हुई बैठक जिसमें सभी नेता उपस्थित थे, अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि इसे कल के लिये स्थगित कर दिया जाए।

सभापति महोदय : यदि आपकी इच्छा यही है तो हम इसे कल भी जारी रख सकते हैं।

श्री राम नाईक : यही होना चाहिये।

सभापति महोदय : तब, हम इन सब बातों में क्यों उलझ रहे हैं ?

अपराह्न 6.00 बजे

श्री नीतीश कुमार : अनावश्यक वाद-विवाद चल रहा है। महोदय, आपकी अपनी भी कुछ शक्तियां या अधिकार हैं।

सभापति महोदय : हम अनावश्यक रूप से सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, यदि आप सदन को स्थगित कर देते हैं तो यह मामला अपने आप समाप्त हो जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, स्थिगि बिल्कुल साफ है। *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : प्रधानमंत्री जी को आज रात ही कार्यवाही करनी पड़ेगी जिससे कि यह वाद-विवाद कल निष्फल हो जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, "कौल एंड शक्धर" के अनुसार:

" अध्यक्ष मतदान को अगले दिन की बैठक के लिये स्थगित नहीं कर सकता चाहे इसके लिये कितना भी अनुरोध हो। अध्यक्ष सदा ही की तरह मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित कर सकता है। किंतु प्रस्ताव का समापन उसी दिन सदन के पूरे दिन के लिये स्थगित होने से पूर्व ही होना चाहिये।"

इसीलिये, महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे प्रस्ताव को विचाराधीन रखते हुए इस विषय को नियम 184 के अधीन प्रस्ताव में परिवर्तित कर इस पर चर्चा कराएं। और हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन और आदरणीय राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान व्यक्त करने दें।

सभापति महोदय : मैं इसे सदन के मत के लिये प्रस्तुत करता हूं। क्या सदन इस बात पर सहमत है कि इस स्थगन प्रस्ताव को नियम 184 के अधीन प्रस्ताव में तबदील करके इस पर चर्चा कल की जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री जी०एम० बनातवाला : यदि यह प्रस्ताव नियम 184 के अधीन है तो महाराष्ट्र से संबंधित प्रस्ताव को सबसे पहले लिया जाना

[श्री जी०एम० बनातवाला]

चाहिये। अन्यथा यह सदन के साथ धोखा होगा। इसे स्पष्ट करें।

सभापति महोदय : क्या कोई और भी इसके विरोध में है ?

श्री जी०एम० बनातवाला : महोदय, इसे नियम 184 के अधीन प्रस्ताव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : कल इस पर चर्चा होगी। अब सभा कल, 25 जुलाई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 25 जुलाई, 1997/3 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।